मुकम्मल व मुदल्लल

मसाइले मसाजिद

(मअ़ ईदगाह)

कुरआन व हदीस की रौशनी में

हज़रत मुफ़्तियाने किराम दारूलउलूम देवबंद की तस्दीक़ व ताईद करदा

मुअल्लिफ़

मौलाना कारी मुहम्मद रफअत कासमी

(मुदर्रिस दारूलउलूम देवबंद)

मुकम्मल व मुदल्लल

मसाइले मसाजिद

(मअ़ ईदगाह)

क़ुरआन व हदीस की रौशनी में

हज़रात मुफ़्तियाने किराम दारुलउलूम देवबंद की तस्दीक़ के साथ

मुअल्लिफ़

मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी
(मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद)

लिप्यान्तरः
मो0 मोकर्रम ज़हीर

नाशिर
अन्जुम बुक डिपो
मटिया महल, जामा मस्जिद (दिल्ली)

किताब का नामः... मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले मसाजिद
मुसन्निफ़ः.......... मौलाना कारी मुहम्मद रफ़अत क़ासमी
लिप्यान्तरः......... मो० मोकर्रम ज़हीर
ज़ेरे निगरानीः...... शकील अन्जुम देहलवी
तादादः........... 1100

Masail-E-Masajid

By:Maulana Qari Md. Rafat Qasmi

Published by
Anjum Book Depot
466, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi - 6

फ़ेहरिस्ते उन्वानात मसाइले मसाजिद

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इन्तिसाब

राक़िमुलहुरूफ़ अपनी इस काविश "मसाइले मसाजिद व ईदगाह" को अल्लाह तआ़ला के सब से पहले घर बैतुल्लाह शरीफ़ से इन्तिसाब करने की सआ़दत हासिल कर रहा है जिसकी तरफ़ तमाम मसाजिद का रुख़ होता है।

मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी
(ख़ादिमुत तदरीस, दारुलउलूम देवबंद)
5 शव्वालुलमुकर्रम – यकुम जनवरी 2001 ई०

अर्ज़े मुअल्लिफ़

نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

दीनी अहकाम-व-मसाइल पर अहक़र की किताबें शाये हो चुकी हैं और वह ख़्वास-व-अवाम में मक़्बूल भी हैं। और अब अलहम्दुलिल्लाह राक़िमुलहुरूफ़ की सोलहवीं किताब "मसाइले मसाजिद व ईदगाह" पेश है। जिसमें ईदगाह व मसाजिद के तक़रीबन तमाम अहकाम व मसाइल जमा करने की कोशिश की गई है, मसलन क़ब्ज़ा की हुई ज़मीन, क़ब्रस्तान की ज़मीन और मुन्हदिम शुदा मसाजिद की ज़मीन के अहकामात भी आ गए हैं, नीज़ ये भी बताया गया है कि मसाजिद पर नाजाइज़ क़ब्ज़ा करना, उनको ढाना, उनको नुक़्सान पहुंचाना, या उनकी जगह पर कुछ और तामीर करना जाइज़ है या नहीं?

मसाजिद के मुतवल्ली व सदर व मिम्बर कौन लोग हो सकते हैं और उनके शरअी इख़्तियारात क्या हैं, अइम्मए मसाजिद व ख़तीब हज़रात के हुक़ूक़ व फ़राइज़ क्या हैं? ग़रज़ ये कि मसाजिद और मसालेहे मसाजिद व ईदगाह से मुतअ़ल्लिक़ तक़रीबन एक हज़ार मसाइल का मजमूआ महज़ फ़ज़्ले ख़ुदावंदी और फ़ैज़े दारुलउलूम और असातिज़ा व मुफ़्तियाने किराम दामत-व-बरकातुहुम दारुलउलूम देवबंद की तवज्जोह का समरा है। अल्लाह तआ़ला उन सब हज़रात का सायए आतिफ़त ता देर सेहत व आ़फ़ियत के साथ क़ायम रखे और साबिक़ा कुतुब की तरह इस किताब को भी क़बूल फ़रमा कर ज़ादे

आख़िरत बनाए। और आइंदा भी काम करने की तोफ़ीक़ दे। आमीन!

क़ारिईन के इसरार के बावजूद किताब की किताबत व तबाअ़त में ग़ैरमामूली ताख़ीर की वजह मेरे बड़े भाई मुहम्मद सईद सिद्दीक़ी की अचानक मौत है। जो मुअर्रख़ा 9 रबीउल अव्वल 1421 हिजरी मुताबिक़ 13 जून 2000 ई० को दिल के दौरा के सबब अल्लाह तआ़ला को प्यारे हो गए। नाज़िरीन से भाई साहब मरहूम के लिए दुआ़ए मग़फ़िरत की दरख़्वास्त है।

तालिबे दुआ़

मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी

(ख़ादिमुत तदरीस, दारुलउलूम देवबंद)

मुअर्रख़ा 5 शौव्वाल 1421 हिजरी – 1 जनवरी 2001 ई०

❑❖❑

तक़रीज़

फ़क़ीहुन्नफ़्स हज़रत मौलाना मुफ़्ती सईद अहमद साहब मद्दज़िल्लहुलआली पालनपूरी मुहद्दिसे कबीर दारुलउलूम (देवबंद)

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما. امّا بعد

मसाजिद, अल्लाह तआ़ला के घर हैं, यानी मोहतरम जगहें हैं, क्योंकि वहां अल्लाह तआ़ला की बंदगी की जाती है। हिदायत का नूर उसी जगह पैदा होता है और वहां से अहले बस्ती के दिलों में वह नूर मुन्तक़िल होता है। सूरए नूर आयत नम्बर 35–37 में इसकी तफ़सील है।

मसाजिद शिआ़रुल्लाह हैं यानी अल्लाह तआ़ला के दीन की इम्तियाज़ी निशानियां हैं। मसाजिद से मिल्लत की शनाख़्त होती है। उनका अदब व एहतेराम हर मुसलमान पर लाज़िम है। मसाजिद के आदाब क्या हैं? उनका एहतेराम क्योंकर किया जाए? ये एक वसीअ़ मौज़ूअ़ है, कुरआन व हदीस और कुतुबे फ़िक़्ह में मसाजिद के बेशुमार अहकाम वारिद हुए हैं और किताबों में मज़कूर हैं और इस मौज़ूअ़ पर अरबी और उर्दू में बाज़ रसाइल भी हैं, मगर हमारे मोहतरम दोस्त जनाब मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी साहब ने फ़िक़्ह व फ़तावा और कुरआन व अहादीस की किताबों को खंगाल कर इस किताब में फ़ज़ाइल व मसाइल का एक बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर दिया है। और

जैसा कि उनका तरीक़ा है हर बात बहवाला होती है। इस किताब में भी इसका इल्तिज़ाम किया है कि कोई बात बेहवाला न हो। मैंने इस अज़ीम किताब की फ़ेहरिस्ते मज़ामीन पर नज़र डाली तो बहुत ख़ुशी हुई कि इस किताब में तमाम ज़रूरी मसाइल आ गए हैं। अल्लाह तआला इस किताब को कबूल फ़रमाऐं और मौसूफ़ की दीगर किताबों की तरह इस किताब को भी नाफ़ेअ़ बनाऐं। आमीन!

कतबहू सईद अहमद अफ़ल्लाहु अन्हु पालनपूरी
ख़ादिम दारुलउलूम देवबंद
यकुम मुहर्रमुलहराम 1422 हिजरी

तस्दीक़

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम
मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद, व मुरत्तिब फ़तावा दारुलउलूम देवबंद

الحمد لله رب العالمين والصلوٰة والسلام على
سيد المرسلين وعلىٰ اٰله وصحبه اجمعين. امابعد

मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त साहब क़ासमी मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद ज़ीदा मजदुहू दसयों किताबें मुख़्तलिफ़ मसाइल की मुरत्तब कर के शाये कर चुके हैं और वह सारी किताबें अवाम व ख़्वास में मक़्बूल हैं और दोनों तब्क़े उनसे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। इस वक़्त मौलाना मौसूफ़ की एक नई किताब "मसाइले मसाजिद" सामने है, देख कर दिल ख़ुश हो गया, बहुत सारे मसाइल उन्होंने यक्जा करने की सअ़ी की है और उसमें ये बड़ी हद तक कामियाब हैं। क़ाबिले ज़िक्र वह सारे फ़तावा उर्दू में उनके सामने हैं जो क़ाबिले एतेमाद मुफ़्तियों के छपे हुए मिलते हैं। फ़तावा की इन किताबों में मसाजिद से मुतअ़ल्लिक़ जिस क़दर मसाइल दर्ज हैं वह तक़रीबन सारे ही आ गए हैं। मुतालआ़ करने वालों को इससे बड़ी सुहूलत होगी।

मैंने मुख़्तलिफ़ जगहों से इन मसाइल को देखा, माशा अल्लाह बहुत ख़ूब मेहनत की है, अल्लाह तआ़ला उनकी इस ख़िदमत को

क़बूल फ़रमाए और ज़ादे आख़िरत बनाए।

उम्मीद है कि दीनदार मुसलमान इस किताब को ज़रूर अपने पास रखेंगे ताकि वक़्ते ज़रूरत काम आए। मैं अपनी तरफ़ से इस अज़ीम ख़िदमत पर मौसूफ़ को मुबारकबाद पेश करता हूं। ख़ुदा करे ये सिलसिला आइंदा भी बराबर जारी रहे।

तालिबे दुआ
मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन ग़ुफ़िरलहू
मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद
13 ज़िलहिज्जा 1421 हिजरी

❑❖❑

इरशादेगिरामी क़द्र

हज़रत मौलाना मुफ़्ती कफ़ीलुर्रहमान निशात उस्मानी
(मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद)
नबीरए हज़रत मौलाना मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब (रह०)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हमदुलिल्लाह मौलाना मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी साहब उस्ताज़े दारुलउलूम देवबंद की मुतअ़द्दद मौज़ूआत से मुतअ़ल्लिक़ अब तक पन्द्रह किताबें शाये हो चुकी हैं। हर मौज़ूअ़ से मुतअ़ल्लिक़ मसाइल इस तरह यक्जा पेश किए हैं कि साहबे एहतियाज को मुतअ़द्दद किताबें देखने और ज़्यादा वक़्त सर्फ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती और मिनटों में मतलूबा मस्अला बाआसानी देख कर मुत्मइन हो जाता है।

ज़ेरे नज़र किताब में मसाजिद और ईदगाह के बारे में तक़रीबन सारे मसाइल आ गए हैं और बड़े सलीक़ा से ज़रूरी मसाइल का एहाता किया गया है। अहक़र ने मुरत्तिब मौसूफ़ की ख़्वाहिश पर पूरी किताब का मसौवदा बिलइस्तीआ़ब देख कर इस्तिफ़ादा किया। और अब बाद मुतालआ़ पूरे वसूक़ के साथ अहक़र कह सकता है कि इन्शा- अल्लाह मौसूफ़ की ये सआ़ी अवाम व ख़्वास के लिए मुफ़ीद तरीन साबित होगी। ज़िमनन मसाजिद की अज़मत व अहमियत के बारे में मुफ़ीद मालूमात भी आ गई हैं।

दुआ़ है कि अल्लाह तआ़ला मुरत्तिब को बेश अज़ बेश अज्र से

नवाज़े और इस तालीफ़ को भी दीगर तालीफ़ात की तरह क़बूले आम फ़रमाए। आमीन या रब्बलआलमीन!

कफ़ीलुर्रहमान निशात
16 ज़िलहिज्जा 1421 हिजरी

بسم الله الرحمٰن الرحيم

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

तर्जुमा: वही आबाद करता है मस्जिदें अल्लाह की जो यक़ीन लाया अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर और क़ायम किया नमाज़ को और देता रहा ज़कात और न डरा सिवाए अल्लाह के किसी से सो उम्मीदवार हैं वह लोग कि होवें हिदायत वालों में।

ख़ुलास–ए तफ़्सीर

यानी मस्जिदों को आबाद करना उन्हीं लोगों का काम है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लावें और नमाज़ की पाबंदी करें और ज़कात दें और बजुज़ अल्लाह तआला के किसी से न डरें सो ऐसे लोगों के मुतअल्लिक़ तवक़्क़ो है कि वह अपने मक़सद में कामियाब होंगे।

मतलब ये है कि मसाजिद की अस्ली इमारत सिर्फ़ वही लोग कर सकते हैं जो अक़ीदा और अमल के एतेबार से अहकामे इलाही के पाबंद हों, अल्लाह और रोजे आख़िरत पर ईमान रखते हों और नमाज़ और जकात के पाबंद हों और अल्लाह के सिवा किसी से न डरते हों, इस जगह सिर्फ़ अल्लाह तआला और रोजे आख़िरत पर ईमान का

ज़िक्र किया गया, रसूलुल्लाह (स.अ.व.) पर ईमान के ज़िक्र करने की इसलिए ज़रूरत न समझी गई कि अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाने की कोई सूरत बजुज़ इसके हो ही नहीं सकती कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) पर ईमान लाए, और उसके ज़रीए जो अहकाम अल्लाह की तरफ़ से आएँ उनको दिल से क़बूल करे, इसलिए ईमान बिल्लाह में ईमान बिर्रसूल फ़ितरी तौर पर दाख़िल है, यही वजह है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने एक मरतबा सहाब–ए किराम (रज़ि0) से पूछा कि तुम जानते हो कि अल्लाह पर ईमान क्या चीज़ है? सहाबा (रज़ि0) ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और रसूलल्लाह (स.अ.व.) ही ज़्यादा जानते हैं, आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि अल्लाह पर ईमान ये है कि आदमी दिल से इसकी शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई क़ाबिले इबादत नहीं, और ये कि मुहम्मद (स.अ.व.) अल्लाह के रसूल हैं। इस हदीस ने बतला दिया कि रसूल पर ईमान लाना अल्लाह पर ईमान लाने में दाख़िल और शामिल है।
(मज़हरी बहवाला सहीहैन)

बाज़ मसाइल मुतअ़ल्लिक़ा आयत

और इमारते मस्जिद जिसके मुतअ़ल्लिक़ इन आयतों में ये ज़िक्र है कि मुश्रिक, काफ़िर नहीं कर सकते बल्कि वह सिर्फ़ नेक सालेह मुसलामन ही का काम है, इससे मुराद मसाजिद की तौलियत और इन्तिज़ामी ज़िम्मादारी है।

जिसका हासिल ये है कि किसी काफ़िर को किसी इस्लामी वक़्फ़ का मुतवल्ली और मुन्तज़िम बनाना जाइज़ नहीं, बाक़ी रहा ज़ाहिरी दरोदीवार वग़ैरा की तामीर सो इसमें किसी ग़ैर मुस्लिम से भी काम लिया जाए तो मुज़ायक़ा

नहीं। (तफ़्सीर मराग़ी)

इसी तरह अगर कोई ग़ैर मुस्लिम सवाब समझ कर मस्जिद बना दे या मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को चंदा दे दे तो इसका क़बूल कर लेना भी इस शर्त से जाइज़ है कि इससे किसी दीनी या दुनयवी नुक़्सान या इल्ज़ाम का या आइंदा उस पर क़ब्ज़ा कर लेने का या एहसान जतलाने का ख़तरा न हो। (रद्दुलमुहतार, शामी, मराग़ी) और इस आयत में जो ये इरशाद फ़रमाया कि मसाजिद की इमारत और आबाद कारी सिर्फ़ नेक मुसलमान ही का काम है, इससे ये भी साबित हुआ कि जो शख़्स मसाजिद की हिफ़ाज़त, सफ़ाई और दूसरी ज़रूरीयात का इन्तिज़ाम करता है, और जो इबादत और ज़िक्रुल्लाह के लिए या इल्मे दीन और कुरआन पढ़ने पढ़ाने के लिए मस्जिद में आता जाता है, उसके ये आमाल उसके मोमिने कामिल होने की शहादत है।

इमाम तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने बरिवायत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि0) नक़्ल किया है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि जब तुम किसी शख़्स को देखो कि वह मस्जिद की हाज़िरी का पाबंद है तो उसके ईमान की शहादत दो, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:

انما يعمر مساجد الله من آمن بالله. और सहीहैन की हदीस में है कि आंहज़रत (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि जो शख़्स सुब्ह शाम मस्जिद में हाज़िर होता है अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत का एक दर्जा तैयार फ़रमा देते हैं।

और हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि0) ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि जो शख़्स मस्जिद

में आया वह अल्लाह तआ़ला की ज़ियारत करने वाला मेहमान है और मेज़बान पर हक़ है कि मेहमान का इकराम करे। (मज़हरी बहवाला तिबरानी, इब्न जरीर, बैहक़ी वग़ैरा)

मुफ़स्सिरे कुरआन हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानी पती (रह0) ने फ़रमाया कि इमारते मस्जिद में ये भी दाख़िल है कि मस्जिद को ऐसी चीज़ों से पाक करे जिनके लिए मस्जिदें नहीं बनाई गई, मसलन ख़रीदो फ़रोख़्त, दुनिया की बातें, किसी गुम चीज़ की तलाश, या दुनिया की चीज़ों का लोगों से सवाल, या फ़ुजूल क़िस्म के अश्आ़र, झगड़ा, लड़ाई और शोर व शग़ब वग़ैरा। (मज़हरी)

(मआ़रिफ़ुलकुरआन जिल्द–4 सफ़्हा–331)

मसाजिद की अहमियत व अज़्मत

जो अज़ीम व वसीअ़ मक़ासिद नमाज़ से वाबस्ता हैं उनकी तहसील व तकमील के लिए ये भी ज़रूरी था कि नमाज़ का कोई इज्तिमाई निज़ाम हो, इस्लामी शरीअ़त में इस इज्तिमाई निज़ाम का ज़रीआ मस्जिद और जमाअ़त को बनाया गया है, ज़रा सा ग़ौर करने से हर शख़्स समझ सकता है कि इस उम्मत की दीनी ज़िन्दगी की तश्कील व तन्ज़ीम और तरबियत व हिफ़ाज़त में मस्जिद और जमाअ़त का कितना बड़ा दख़ल है, इसलिए रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने एक तरफ़ तो जमाअ़ती निज़ाम के साथ नमाज़ अदा करने की इन्तिहाई ताकीद फ़रमाई और तर्के जमाअ़त पर सख़्त से सख़्त वईदें सुनाईं (जैसा कि नाज़िरीन अनक़रीब ही पढ़ेंगे) और दूसरी तरफ़ आप ने मसाजिद की अहमियत पर ज़ोर दिया और काबतुल्लाह के बाद बल्कि उसी की निस्बत से उनको भी "ख़ुदा का घर" और उम्मत का दीनी

मरकज़ बनाया और उनकी बरकात और अल्लाह तआला की निगाह में उनकी अज़मत व महबूबियत ब्यान फ़रमा कर उम्मत को तरग़ीब दी कि उनके जिस्म ख़्वाह किसी वक़्त कहीं हों लेकिन उनके दिलों और उनकी रूहों का रुख़ हर वक़्त मस्जिद की तरफ़ रहे, उसी के साथ आप ने मसाजिद के हुकूक़ और आदाब भी तालीम फ़रमाए। इस सिलसिला में आप के चंद इरशादात ज़ैल में पढ़ें।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَی اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَی اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا.

(رواہ مسلم شریف)

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया, शहरों और बस्तियों में से अल्लाह तआला को सब से ज़्यादा महबूब उनकी मस्जिदें हैं और सब से ज़्यादा मबग़ूज़ उनके बाज़ार और मंडियां हैं।

(सहीह मुस्लिम)

तशरीहः इन्सान की ज़िन्दगी के दो पहलू हैं। एक मलकूती व रूहानी, ये नूरानी और लतीफ़ पहलू है, और दूसरा माद्दी व बहीमी जो ज़ुलमाती और कसीफ़ पहलू है। मलकूती व रूहानी पहलू का तक़ाज़ा अल्लाह तआला की इबादत और उसका ज़िक्र जैसे मुक़द्दस अशग़ाल व आमाल हैं, उन्हीं से इस पहलू की तरबियत व तकमील होती है और उन्हीं की वजह से इन्सान अल्लाह तआला की ख़ास रहमत, मुहब्बत का मुस्तहिक़ होता है, और इन मुबारक अशग़ाल व आमाल के ख़ास मराकिज़ मस्जिदें हैं जो ज़िक्र व इबादत से मामूर रहती हैं और उसकी वजह से उनको "बैतुल्लाह" से एक ख़ास निस्बत है। इसलिए इन्सानी

बस्तियों और आबादियों में से अल्लाह तआला की निगाह में सब से ज़्यादा महबूब ये मस्जिदें ही हैं। और बाज़ार और मंडियां अपने अस्ल मौज़ूअ़ के लिहाज़ से इन्सानों के माद्दी व बहीमी तक़ाज़ों और नफ़्सानी ख़्वाहिशों के मराकिज़ हैं और वहां जा कर इन्सान उमूमन ख़ुदा से ग़ाफ़िल हो जाते हैं और उनकी फ़ज़ा इस ग़फ़लत और मुन्करात व मासियात की कसरत की वजह से ज़ुलमाती और मुकद्दर रहती है। इसलिए वह अल्लाह तआ़ला की निगाह में इन्सानी आबादियों का सब से ज़्यादा मबग़ूज़ हिस्सा हैं।

हदीस की अस्ल रूह और उसका मन्शा ये है कि अहले ईमान को चाहिए कि वह मस्जिदों से ज़्यादा से ज़्यादा तअ़ल्लुक़ रखें और उनको अपना मरकज़ बनाएं। और मंडियों और बाज़ारों में सिर्फ़ ज़रूरत से जाएं और उनसे दिल न लगाएं और वहां की आलूदगियों से मसलन झूट, फ़रेब और बददियानती से अपनी हिफ़ाज़त करें। इन हुदूद की पाबंदी के साथ बाज़ारों से तअ़ल्लुक़ रखने की इजाज़त दी गई है, बल्कि ऐसे सौदागरों और ताजिरों को ख़ुद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने जन्नत की बशारत सुनाई है जो अल्लाह तआ़ला के अहकाम और उसूले दियानत व अमानत की पाबंदी के साथ तिजारती कारोबार करें, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि बैतुलख़ला ग़लाज़त और गंदगी की जगह होने की वजह से अगरचे अस्लन सख़्त नापसंदीदा मक़ाम है लेकिन ज़रूरत के बक़द्र उस से भी तअ़ल्लुक़ रखा जाता है, बल्कि वहां के आने जाने में और कज़ा–ए हाजत में अगर बंदा अल्लाह तआ़ला के अहकाम और रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की हिदायत व सुनन का लिहाज़

रखे तो बहुत कुछ सवाब भी कमा सकता है।

(मआरिफुलहदीस जिल्द–3 सफ़्हा–171, व हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा सफ़्हा–302 व मज़ाहिरे हक़ जदीद जिल्द–1 सफ़्हा–595)

जहां मस्जिद की ज़रूरत हो वहां बनाने का अज्र

मस्जिदें ख़ुदा का घर और इस्लाम के एक निहायत अज़ीमुश्शान फ़रीज़ा की अदायगी का मरकज़ हैं, नमाज़ पढ़ने को तो आदमी जहां चाहे पढ़ सकता है, तमाम रूए ज़मीन इस उम्मत के लिए सज्दा गाह है मगर जो ख़ूबी, जो अज्र व सवाब और मुतअद्दद व मुख़्तलिफ़ मसालेह व हिकमतें मस्जिद के अन्दर बाजमाअ़त नमाज़ अदा करने में हैं वह कहीं और नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने मस्जिदें तामीर करने का अज्र व सवाब और उसके आदाब व शराइत का ब्यान तफ़सील से फ़रमाया है।

मुसन्निफ़ (रह0) ने इस उनवान में "जहां ज़रूरत हो" का लफ़्ज़ बढ़ा कर एक बहुत अहम चीज़ की तरफ़ इशारा किया है। मस्जिदें तामीर करने का अज्र व सवाब सुन कर हो सकता है (बल्कि बारहा हो चुका है) कि एक शख़्स को शौक़ पैदा हो जाए और वह एक पहले से मौजूद मस्जिद के बराबर दूसरी मस्जिद बना कर खड़ी कर दे तो ये शौक़ का बेमहल मसरफ़ है, मस्जिद ऐसी जगह बनाई जाए जहां ज़रूरत हो। हज़रत उमर (रज़ि0) के दौरे ख़िलाफ़त में जब ममालिक फ़तह हुए और मस्जिदें बनाने की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत उमर (रज़ि0) ने हुक्म जारी कर दिया कि:

ان لا ينوافى مدينة مجسدين يضار احد هما صاحبة[1]

यानी एक शहर में दो मस्जिदें इस तरह न बनाऐं कि एक से दूसरी को नुक़्सान पहुंचे, यानी दूसरी मस्जिद अगर बनाई तो इतने फ़ासिला से बनाई जाए कि पहली मस्जिद की जमाअत पर उससे कोई असर न पड़े।

عن عثمان رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجد ايبتغى به وجه الله بنى الله له بيتافى الجنة. (رواه البخارى و مسلم شريف)

हज़रत उस्मान (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया जिसने कोई मस्जिद बनाई और उससे वह (सिर्फ़) ख़ुदा की रज़ा चाहता है तो अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत में एक "अज़ीमुश्शान[2]" तामीर फ़रमा देता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

وعن ابى ذرّ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدًا قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتافى الجنة. (رواه البزار واللفظ لهٗ والطبرانى فى الصغير و رجاله ثقات وابن حبان فى صحيحه[3]

हज़रत अबू ज़र (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए बटेर के घौंसले के बराबर भी मस्जिद बनाई अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत में शानदार महल तामीर कर देगा।

(1) तफ़सीर कश्शाफ़ जिल्द–1 सफ़हा–108, मिरक़ात शरह मिश्कात जिल्द–1 सफ़हा–459)

(2) अल्लामा तैयबी फ़रमाते हैं कि "बैतन" में तनवीन तक्सीर व ताज़ीम के लिए है।

(मिरक़ात शरह मिश्कात जिलद–1 सफ़हा–449)

(3) अत्तरग़ीब 0व मजमउज्जवाइद जिल्द–2 सफ़हा–7 व तख़रीजुलइराक़ी अललएहया जिल्द–1 सफ़हा–135)

(बज़्ज़ार, तिबरानी फ़िस्सग़ीर, इब्ने हब्बान)

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجد ايذ كر فيه بنى الله له بيتا في الجنة.

(رواه ابن ماجة و ابن حبان في صحيحه)

हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई जिसमें अल्लाह का ज़िक्र (उसकी इबादत) होता है। अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत में एक आलीशान महल तैयार कर देगा।

(इब्ने माजा, इब्ने हब्बान)

तशरीहः जो शख़्स अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह तआ़ला उसका घर बना देगा और ज़ाहिर है कि हर एक अपनी अपनी शान के मुताबिक़ ही बनाएगा। बन्दा अपनी बिसात के बक़द्र बनाएगा और अहकमुलहाकिमीन अपने शायाने शान[1]। लिहाज़ा इस शुब्हा की कोई गुन्जाइश नहीं है कि हर अमल का सवाब दस गुना होता है तो एक मस्जिद के बदले दस मकान क्यों नहीं फ़रमाया गया।

और बटेर के घौंसले के बराबर मस्जिद का मतलब आम तौर पर ये ब्यान किया गया है कि इससे मुबालग़ा मक़्सूद है। यानी जिसने छोटी से छोटी मस्जिद भी बना दी तब भी वह इस अज्र व सवाब का मुस्तहिक़ होगा, लेकिन इस नाचीज़ के ख़्याल में उसका मिस्दाक़ वह

(1) चूनांचे मुस्नदे अहमद की एक रिवायत में अफ़ज़ल मिन्हु और एक में औसअ़ मिन्हु के अलफ़ाज आए हैं।

(अत्तरग़ीब व मजमउज़्ज़वाइद जिल्द–2 सफ़्हा–7, 8)

मस्जिदें हैं जो बहुत से लोगों की शिरकत से बनती हैं जिनमें कोई बेचारा दस बीस ही पैसों से शिरकत करता है जिसके हिस्से में सिर्फ़ एक दो ईंट आती है जो यक़ीनन बटेर के घौंसले के बराबर होगी। गोया ये बताना मक़्सूद है कि जिसने कम से कम हिस्सा भी लिया वह भी अज्र व सवाब का मुस्तहिक़ है। चुनांचे इब्ने माजा और सहीह इब्ने खुज़ैमा की रिवायत में "كمفحص قطاة واصغر" के अलफ़ाज़ हैं यानी बटेर के घौंसले के बराबर या उससे भी छोटी।

हज़रत उमर (रज़ि0) वाली इस रिवायत के अलफ़ाज़ से ये बात मालूम होती है कि मस्जिदें तलाश कर के ऐसी जगहों पर बनाई जायें जहां वाक़ई ज़रूरत हो और मस्जिद आबाद रह सके।

وعن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ان مما يلحق المومن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره او ولدًا صالحًا ترکه او مصحفا ورّثه او مسجدًا بناه او بيتًا لا بن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله فی صحته وحياته تلحقه من بعد موته. (رواه ابن ماجة باسناد حسن واللفظ لهٔ و ابن خزيمة فی صحيحه والبيهقی)

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया जिन आमाल और नेकियों का सवाब इन्सान को मरने के बाद भी पहुंचता है, उनमें से वह इल्म है जो दूसरों को सिखाया और फैलाया हो, या नेक औलाद छोड़ी हो, या वह कुरआन मजीद जो (अपने रिश्तादारों या और लोगों के पढ़ने के लिए) छोड़ा हो, या मस्जिद तामीर की हो, या मुसाफ़िरों के लिए कोई मुसाफ़िर ख़ाना तामीर किया हो, या कोई नहर खुदवाई हो, या जो ख़ैरात

उसने अपनी ज़िन्दगी में ज़मान–ए सेहत में अपने माल में से निकाल दी थी, उन तमाम आमाल का सवाब उसे मरने के बाद भी पहुंचता रहेगा। (इब्ने माजा बिसनदिने हसनिन सहीहिन, इब्न खुज़ैमा, बैहकी)

तशरीहः रसूले अकरम (स.अ.व.) ने मुतअद्दद अहादीस में ऐसे बहुत से आमाल ब्यान फ़रमाए हैं जिनका अज्र इन्सान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। तमाम अहादीस के मजमूअे से ऐसे आमाल की मजमूई तादाद बाज़ उलमा ने दस, बाज़ ने चौदह और बाज़ ने कुछ और कम व बेश ब्यान की है, लेकिन हक़ीक़त ये है कि ऐसे आमाल की तहदीद करना मुश्किल है और न अहादीस के अलफ़ाज़ से कोई तहदीद मालूम होती है ख़ुद इस रिवायत के अलफ़ाज़ "ان مما يلحق" में "من" तबईज़िया इसी को ज़ाहिर कर रहा है कि मिन्जुमला और आमाल के चंद ये भी हैं।

ऐसे आमाल "सदक़ए जारिया" कहलाते हैं और हर वह अमल इसमें शामिल है जिसका फ़ायदा देरपा हो और एक अरसा तक लोग उससे दीनी या दुनियवी फ़ायदा हासिल करते रहें।

(अत्तरग़ीब जिल्द–1 सफ़्हा–384, ता 387, मआरिफ़ुलहदीस जिल्द–3 सफ़्हा–181, निसाई शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–112 व मुस्लिम जिल्द–1 सफ़्हा–201 व इब्ने माजा जिल्द–1 सफ़्हा–54, मज़ाहिरे हक़ जिल्द–1 सफ़्हा–595)

मसाजिद का कुदरती निज़ाम

जामा मस्जिद का मरतबा ज़ाहिर है, हफ़्ता में एक मरतबा ये एक बड़ी तादाद को अपने दामन में लेकर

यक्जा कर देती है। और मुहल्ला की मस्जिद दिन रात के पांच वक़्तों में अपने मुहल्ला के ईमान वालों से पुरनूर रहती है। मुहल्ला की मस्जिद में जमाअत का जो एहतेमाम रहता है शारेअे आम की मस्जिद को हासिल नहीं होता, ग़ौर व फ़िक्र से मालूम होता है, इज्तिमाअ के इन्तिज़ाम और उसके अज़ीमुश्शान होने में भी मरतबा की बुलंदी मुज़मर है।

इन्फ़िरादी तौर पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है और नफ़्ल नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, मगर अल्लाह तआला की हिकमत का तक़ाज़ा हुआ कि फ़र्ज़ नमाज़ों को इज्तिमाअी शक्ल दी जाए और परागन्दा व मुनतशिर अफ़राद की शीराज़ा बंदी का मुज़ाहरा किया जाए और कुरआन शरीफ़ ने तालीफ़े कुलूब का जो एहसान जलताया है उसका अमली तौर पर भी रात दिन ऐलान होता रहे चुनांचे इसके लिए एक मुस्तक़िल निज़ाम क़ायम किया। जिस कुदरती निज़ाम में सारे मोमिनों को हत्तलवुस्अ यक्जा करने की कोशिश की गई है। हम इस निज़ाम को "निज़ामे मस्जिद" से ताबीर करते हैं, इसकी अज़मते शान दिलों में बिठाने के लिए इब्तिदाए आफ़रीनश से इस सिलसिला को जारी फ़रमाया और नबीये करीम (स.अ.व.) के ज़रीए इसको ख़ूब मुस्तहकम कर दिया गया, जिसकी तफ़सील आइंदा आएगी, आप ने इस निज़ाम की बुनियाद खुद अपने हाथों रखी और हुक्म फ़रमा दिया कि हर हर मुहल्ला और आबादी में इस निज़ाम को पूरी पुख़्तगी और जुर्अत से कायम किया जाए क्योंकि इसमें दीनी और दुनियवी, हिस्सी और मानवी बेशुमार फ़ायदे हैं।

इस निज़ाम में जिसको हम मस्जिद कहते हैं बहुत उम्दा तदरीजी तरक़्क़ी मलहूज़ रखी गई है, हफ़्ता भर हर मुहल्ला और हर आबादी अपने मुहल्ला और गांव की मस्जिद में जमा हो कर पंज वक़्ता नमाज़ अदा करती है, फिर ये पांच वक़्त हर एक के लिए मुतअैय्यन हैं, कोई इसके ख़िलाफ़ करने की जुर्अत नहीं कर सकता। ताकि एक ही वक़्त में पूरी दुनिया अपनी अपनी जगह इबादते इलाही में मशगूल हो।

ये एक खुली हक़ीक़त है कि जिस तरह दुनिया में कोई शख़्स अकेला नहीं..........हुआ है और न तन्हा कोई काम अन्जाम दे सकता है बल्कि अपनी दुनियावी ज़िन्दगी में वह अपने बहुत से मुईन व मददगार और हामियों का मुहताज है, दोस्तों, भाईयों, बिही ख़्वाहों और बेशुमार साथियों के तअल्लुक़ात के साथ खुशगवार ज़िन्दगी जकड़ी हुई है।

इसी तरह अल्लाह तआला के अहकाम में भी बंदा को अपने शुरका–ए–कार, हाथ बटाने वालों और मदद करने वालों की ज़रूरत होती है, ताकि एक ख़ुदा के मानने वाले, एक रसूल के उम्मती, एक किताबे मुक़द्दस के क़ानून के पाबंद, और एक दीन के पैरूकार अल्लाह तआला की इबादत में एक पाक जगह जमा हों और एक मक़्सद की ख़ातिर, आजिज़ी, तवाज़ो और ज़िल्लत व मस्कनत का इज़हार करें, और परवरदिगारे आलम से हुसूले मक़सद के लिए दुआ और मुनाजात करें और मुनज़्ज़म हो कर शैताने रजीम का मुक़ाबला करें, क्योंकि अगर हर एक ने दूसरे की पुश्तपनाही न की, मुनज़्ज़म हो कर सफ़ बस्ता न हुए तो दुश्मन का लश्कर मुन्तशिर और परागंदा अफ़राद

को मौक़ा पा कर शिकस्त दे सकता है।

फिर ये तन्ज़ीम खोखली न हो, बल्कि हर पहलू और हर एतेबार से मुस्तहकम और ठोस हो, ज़ाहिरी इज्तिमाअ़ के साथ बातिनी इज्तिमाअ़ भी पुख़्ता तर हो। जिस्म की सफ़ों की दुरुस्ती के साथ दिल की सफ़ों की दुरुस्ती भी हो और ज़ाहिरी पाकी व सफ़ाई से बढ़ कर बातिन की पाकी और सफ़ाई हासिल हो, एक ही उसूल के सब पाबंद और एक ही अमीर या इमाम के सब तहत में हैं।

चुनांचे इस्लाम ने उसका ऐसा ही मुस्तहकम निज़ाम क़ायम किया है, मस्जिद के नाम से एक ख़ास घर बना दिया गया है जिसमें किसी ख़ास शख़्स की न मिलकियत होती है और न उसका शख़्सी क़ब्ज़ा, बल्कि ये अल्लाह तआ़ला का घर कहलाता है, इसमें सारे मुसलमान बराबर के शरीक हैं। इज्तिमाअ़ के ख़ास ख़ास वक़्त मुतअैय्यन कर दिए गए हैं, ताकि एक ही वक़्त में दुनिया के सारे अराकीने इस्लाम अपनी अपनी इस कुदरती एसेम्बली में जमा हो जाएं। और फिर किस तरह? कि सब मिल कर एक इमाम के पीछे एक साथ शाना से शाना मिला कर खड़े हो जाएं, उठने, बैठने, खड़े होने और तमाम हरकत व सुकून में उसी एक की पैरवी करें, न कोई इमाम से पहले झुक सकता है, न उससे पहले क़याम व कुऊद कर सकता है, और न कोई ऐसी हरकत कर सकता है जो उसके ख़िलाफ़ हो, सब के सब चाहे अमीर हों चाहे ग़रीब, बादशाह हों या कि गदा, उसकी मुताबअ़त करते हैं, और यक्जा इज़हारे बंदगी करते हैं, और ये महसूस करते हुए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, वरना कम से कम ये कि

वह तो हमें ज़रूर देख रहा है।

पूरे हफ़्ता के बाद एक मख़्सूस दिन आ पहुंचा तो एक क़दम और बढ़ाया, मुहल्ला मुहल्ला और बस्ती बस्ती के मुसलमान नहा धो कर हसबे इस्तिताअ़त खुशबू लगा कर अपने अपने घरों से निकले, मस्जिद का रास्ता एक उम्दा मन्ज़र पेश कर रहा है, सब हर तरफ़ से आकर एक ही घर में दाख़िल हो रहे हैं, आज निस्बतन साफ़ सुथरे हैं, चेहरों पर वजाहत है और चाल में वक़ार की नुमायां झलक, देखते ही देखते मस्जिद भर गई, मुहल्ला के सब मुसलमान यकजा हो गए, सुन्नतें पढ़ी गईं, और लोग तस्बीह व तहलील और तिलावते कुरआन में मशगूल हो गए।

इमाम निकला मुअ़ज़्ज़िन ने अज़ाने सानी पढ़ कर लोगों की तवज्जोह इमाम की तरफ़ फेर दी, वह सामने खड़ा तलक़ीन कर रहा है और सब हमातन मुतवज्जेह हो कर सुन रहे हैं। जब उसकी आवाज़ में तेज़ी पैदा हुई और आंखें सुर्ख़ हो गईं तो फिर कितने दिल कांप उठे, कितने जिस्मों पर लरज़ा पड़ गया, ख़शीयते इलाही और मुहब्बते मौला की मिली जुली कैफ़ियत ने एक अजीब समां पैदा कर दिया, खुतबा ख़त्म हुआ, नमाज़ अदा की गई मगर किस शान से? कि आज जब एक फ़र्द (इमाम) अल्ला–
–हुअकबर कहता है तो सारे शहर के मुसलमान अल्ला–
–हुअकबर कहते हैं, वह जब रूकूअ़ में झुका तो सब के सब बेचूं व चिरा रूकूअ़ के लिए झुक गए और जब वह सज्दे में गिरा तो सब के सब इकट्ठे सज्दे में गिर पड़े। और अमीर व ग़रीब की तमीज़ उठ गई।

दूसरी तरफ़ ख़ूबी ये है कि एक इमाम की पैरवी इस

निज़ाम की रूह है, लश्कर और फ़ौज को कमांडर और अमीर की इताअ़त की तालीम दी जाती है, एक बिगल पर इकट्ठा होने की मश्क़ कराई जाती है, इस शोबा पर लाखों, करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाये जा रहे हैं, मगर फिर भी यक़ीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि पूरा नज़्म व ज़ब्त बाक़ी रह सकेगा, लेकिन निज़ामे मसाजिद में इमाम की पैरवी का ये हाल है कि इससे उसको कोई मफ़र नहीं, दस साल की उम्र से लेकर मौत तक इसकी मश्क़ होती है और कमाल ये है कि किसी दिन नाग़ा का नाम ही नहीं, इल्ला माशा अल्लाह।

इस इज्तिमाअ़ी निज़ाम से बढ़ कर कोई और निज़ाम मुम्किन भी है? दुनिया का कोई पोलटिकल निज़ाम इस कुदरती निज़ामे मसाजिद की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता, जो बिखरे हुए इन्सानों को बतदरीज जमा कर देता है और मुन्तशिर अफ़राद की बात बात में शीराज़ा बंदी का काम अन्जाम देता रहता है, इस निज़ाम में काहिली पर हर दिन ज़र्बे कारी लगती रहती है, और हर पहलू से ये आलमी निज़ाम एक को दूसरे से जोड़ देता है।

दुनियवी और दीनी इस्लाह

इस शान व शिकोह से हफ़्ता की जे इबादत अदा की गई, उसमें ज़िन्दगी के हर शोबा के माहिरीन और दीनी व दुनियवी दौरे हयात के तजरबाकार शरीक थे। रुअसा, तुज्जार, गुरबा, फुक़रा, उलमा, सूफ़िया और वह लोग भी जूक़–दर–जूक़ थे जिनको इल्म–व–फ़ज़्ल से कोई मस्स नहीं।

हर एक ने दूसरे को इबरत व बसीरत की आंखों से

देखा, अल्लाह तआला की कुदरते कामिला का नक़्शा खिंच गया, ताजिरों और रईसों को मुसलमानों की इक़्तिसादी व मआशी हालत की तरफ़ तवज्जोह हुई, उलमा–ए–किराम को इल्मी और दीनी सुधार की फ़िक्र हुई सूफ़िया की नज़र तज़्किय–ए कुलूब की तरफ़ गई। ग़रीबों में मेहनत की उमंग पैदा हुई, फ़कीरों की खुद्दारी में जोश आया, अनपढ़ और जाहिलों के दिलों में इश्तियाक़े उलूम ने करवट ली और बेअमलों में अमल का जज़्बा उभरा।

आप ने ग़ौर किया, ये कौन सा दिन था, और कौन सी मस्जिद? जुमा का दिन था और जामा मस्जिद, जिसका ये रूह अफ़ज़ा और ह्यात बख़्श मन्ज़र आंखों को ख़ीरा कर रहा था।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. (جمعه–٢)

ये कुदती हफ़्तावार इज्तिमाअ "निज़ामे मस्जिद" के सिलसिला में हर माह चार मरतबा होता है, और कभी कभी महीना में पांच मरतबा भी, इस इज्तिमाअ से कौम व मुल्क को हमेशा फ़ायदे पहुंचते रहे।

सालाना तन्ज़ीम

इस नज़्म व ज़ब्त के साथ साल के बारह महीने गुज़रते हैं, मगर उनमें दो मख़्सूस दिन ज़रा और इम्तियाज़ी शान रखते हैं और उन दिनों कुदरती इज्तिमाअ और ज़्यादा मुफ़ीद और मुहतम्म बिश्शान होता है।

अब इसकी ज़रूरत रह गई थी कि कोई ऐसी मस्जिद भी होती, जो सारी दुनिया के ख़ुदा परस्तों को यकजा कर देती, और ये निज़ामे मसाजिद इस तरह आलमगीर

होने का दावा करता। अल्लाह तआ़ला का लाख लाख शुक्र है कि इस निज़ाम ने इस कमी को भी पूरा कर दिया है, इन दो मख़्सूस दिनों में एक ऐसा दिन भी हर साल आता है जो इस अहम काम की अंजाम दिही कर देता है, ये ज़िलहिज्जा का महीना और सुन्नते इब्राहीमी की याद ताज़ा करने का दिन है।

ये भी एक मस्जिद ही का फ़ैज़ व करम है जिसने सारी दुनियाए इस्लाम के नुमाइंदों को एक तारीख़, एक दिन और एक शहर में जमा कर दिया, इस मस्जिद का नाम मस्जिदे हराम है जिसको बैतुल्लाह कहते हैं।

(इस्लाम का निज़ामे मसाजिद)

अज़ हज़रत मौलाना मुफ़्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब मद्दज़िल्लहू, मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद।

मसाजिद की एक अज़मते शान ये भी है कि आंहज़रत (स.अ.व.) सफ़र से जब वापस होते तो सब से पहले मस्जिद ही में तशरीफ़ लाते और दो रकअत नमाज़ अदा फ़रमाते, वहां लोगों से मिल जुल कर घर तशरीफ़ ले जाते। आप के बाद सहाब–ए किराम (रज़ि0) का वापसीये सफ़र पर यही दस्तूर हो गया था कि मस्जिद में उतरते, नमाज़ अदा करते फिर मंज़िले मक़्सूद की तरफ़ चलते, अब भी मुसलमानों के लिए यही तरीक़ा मसनून है। (मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–248) एतेकाफ़ जो एक सुन्नत तरीक़ा है और बेश क़ीमत फ़वाइद पर मुश्तमल है इसके लिए भी मस्जिद शर्त है।

मस्जिद किस को कहते हैं?

मस्अला:– मस्जिद ऐसी जगह, ऐसी ज़मीन और ऐसे

मकान का नाम है जिसको किसी मुसलमान ने अल्लाह तआला की ख़ास इबादत फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने के लिए वक़्फ़ कर दिया हो।

"फ़र्ज़े ऐन की क़ैद इसलिए है कि नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की जगह और ईदगाह इस तारीफ़ में शामिल न हो, क्योंकि दोनों के अहकाम अलग-अलग हैं।" (रफ़अत क़ासमी)

इस पर इमारत, तामीरे दरोदीवार और छत या छप्पर का होना शर्त नहीं है। (तहतावी जिल्द–2 सफ़्हा–536 व क़ाज़ी ख़ां जिल्द–4 सफ़्हा–712)

अल–मस्जद वल–मस्जिद– सज्दागाह, इबादत गाह अल–मस्जिदुलहरामः बैतुल्लाह शरीफ़। अल–मस्जिदुल –अक़्साः मस्जिद बैतुलमक़्दिस। अल–मस्जिदान, मक्का व मदीना की मस्जिदें। सजद सुजूदन, इबादत के लिए ज़मीन पर पेशानी को रखना। अस्सज्जादतु– बहुत सज्दा करने वाला। अल–मस्जदतु – जाए नमाज़।

(मिस्बाहुल्लुग़ात सफ़्हा–361)

मस्अलाः– जगह ज़्यादा हो तो मस्जिद के दो हिस्से होते हैं, एक इमारत वाला, दूसरा ख़ाली। इमारत वाली जगह में बारिश व सर्दी के मौसम में नमाज़ पढ़ी जाती है, जिसको "मस्जिदे शतवी" और जमाअत ख़ाना से ताबीर करते हैं। बिला इमारत की जगह में गर्मी के मौसम में नमाज़ पढ़ी जाती है जिसको "मस्जिदे सैफ़ी" और सेहने मस्जिद से ताबीर करते हैं, जिस तरह बारिश व सर्दी के मौसम में जमाअत ख़ाना (अन्दरूनी) में नमाज़ बाजमाअत होती है, उसी तरह गर्मी के मौसम में मस्जिद के सेहन में

नमाज़ बाजमाअत पढ़ी जाती है, और ये दोनों हिस्से मस्जिद में शामिल हैं। शामी जिल्द–1 सफ़्हा–171 पर दोनों हिस्सों को मस्जिद ही कहा गया है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–150)

मस्अला:– मस्जिद के मअ़ना लुग़त में सज्दा गाह के हैं और इस्लाम की इस्तिलाह में मस्जिद उस जगह का नाम है जो मुसलमानों की नमाज़ के लिए वक़्फ़ कर दी जाए। (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–113 व मिरक़ात शरह मिश्कात जिल्द–1 सफ़्हा–441)

मस्जिद बनाना फ़र्ज़ है या वाजिब?

मस्अला:– हर शहर व क़स्बा व गांव में मस्जिद के लिए बक़द्रे ज़रूरत ज़मीन वक़्फ़ करना तो वहां के मुसलमानों पर वाजिब अललकिफ़ाया है, बाक़ी इमारत बनवाना फ़र्ज़ नहीं, बल्कि मुस्तहब है।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–449 व शामी जिल्द–3 सफ़्हा–103)

मस्जिद का ख़र्च ज़ाती पैसे से हो या चंदा से?

मस्अला:– जबकि बानिये मस्जिद की औलाद अपने ज़ाती पैसा से मस्जिद की ज़रूरीयात पूरी करती और इन्तिज़ाम दुरुस्त रखती है और किसी क़िस्म की कोई शिकायत नहीं है तो दूसरे लोगों को दख़ल देने और इन्तिज़ाम संभालने और चंदा कर के तामीर वग़ैरा वहां बनाने का हक़ नहीं, न किसी तसर्रुफ़ का हक़ है, अगर कोई इन्तिज़ामी शिकायत हो तो मुतवल्ली व मुन्तज़िम से कह कर उसका इन्तिज़ाम करा लें। हां अगर उनके पास पैसा न हो तो फिर ज़रूरीयाते मस्जिद के लिए चंदा कर

लिया जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–185)

नुक़्सान शुदा शैय का ज़मान मस्जिद में देना?

मस्अलाः– जिसने जितना नुक़्सान किया है उसकी क़ीमत वसूल करने का हक़ है, फिर उस क़ीमत को अपने काम में लाए या मस्जिद के लिए दे दे दुरुस्त है, और ये उस वक़्त है कि उसकी ममलूका चीज़ का नुक़्सान किया हो। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–289)

मस्जिद के लिए हुकूमत से इम्दाद लेना?

सवालः हुकूमत के दिए हुए ख़ज़ाना से रक़म जो कि लाट्री बोर्ड के टेक्स और हर क़िस्म की हलाल व हराम और जाइज़ और नाजाइज़ अशिया के टैक्सों पर मुश्तमल हो, मसाजिद की तामीर व तौसीअ या मरम्मत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं?

जवाबः सरकार ने जब जाइज़ और नाजाइज़ आमदनी को मख़्लूत कर दिया और उस मख़्लूत आमदनी से मस्जिद के लिए रक़म दी, तो उसको हराम नहीं कहा जाएगा, उसको लेना और मस्जिद में सर्फ़ करना शरअ़न दुरुस्त है।

चूंकि ख़ल्त इस्तेहलाक है (मिल कर हलाक के हुक्म में हो गया) जब हुकूमत ने जाइज़ व नाजाइज़ को मख़्लूत कर दिया और उस पर क़ब्ज़ा कर लिया तो हुकूमत उसकी मालिक हो गई, और हुकूमत ने जिन से ग़लत तरीक़ा पर लिया है उनको ज़मान देना लाज़िम है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–243)

मस्अलाः– मस्जिद के लिए सरकार से क़र्ज़ (लोन) लेना जिसमें सूद देना पड़ता है, उसका लेना जाइज़ नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–157)

मस्जिद का रुपया मदरसा में ख़र्च करना?

मस्अलाः— मस्जिद की आमदनी का पैसा मस्जिद ही में ख़र्च करना लाज़िम है, मदरसा वग़ैरा की तामीर या दीगर ज़रूरीयात में ख़र्च करना जाइज़ नहीं है, जिन्होंने वह पैसा मदरसा में ख़र्च किया वह ज़िम्मादार हैं। मस्जिद भी ख़ुदा की है और मदरसा भी ख़ुदा का है मगर एक की आमदनी दूसरे की आमदनी में ख़र्च करना जाइज़ नहीं है जिस तरह कि एक मस्जिद की आमदनी दूसरी मस्जिद में ख़र्च करना जाइज़ नहीं है और एक मदरसा की आमदनी दूसरे मदरसा में ख़र्च करना जाइज़ नहीं, वरना सब निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर मदरसा अस्ल हो और उसके लिए ही मस्जिद बनाई जाए, मस्जिद के इख़्राजात मदरसा से पूरे किए जाऐंगे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द—12 सफ़्हा—265)

मस्जिद में शीओं का चंदा?

मस्अलाः— अह्ले सुन्नत वलजमाअ़त और फ़िरक़—ए इस्ना अशरीया के अक़ाइद में बैयिन फ़र्क़ है, लिहाज़ा ख़ालिस दीनी और मज़हबी मआमला में उनसे चंदा न लिया जाए। अगर वह ख़ुद देना चाहें तो वह किसी सुन्नी मुसलमान को हिबा कर दे और वह मुसलमान अपनी तरफ़ से दे दे तो ले सकते हैं, अगर वह शख़्स रक़म दे चुका है, तो अगर वापस करना ना—मुनासिब हो तो बादिले ना—ख़्वास्ता बैतुलख़ला, पेशाब ख़ाना, ग़ुस्ल ख़ाना में इस्तेमाल कर ली जाए, या फिर मस्जिद का मकान बनाने में इस्तेमाल की जाए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द—6 सफ़्हा—89)

कुफ़्र की हालत का रुपया मस्जिद में ख़र्च करना

सवालः एक नौमुस्लिम इस्लाम में दाख़िल होते वक़्त अपनी दौलत भी साथ लेते आए, तो क्या उस दौलत को मसाजिद वग़ैरा में ख़र्च कर सकते हैं?

जवाबः बाज़ पैसे ऐसे होते हैं कि जो किसी भी मज़हब में हलाल व जाइज़ नहीं होते और उन पर किसी मज़हब में मिलकियते सहीहा क़ायम नहीं होती जैसे चोरी का पैसा, डाका और ग़सब का पैसा। ऐसा पैसा कुफ़्र की हालत में कमाया हुआ अगर कोई नौमुस्लिम अपने साथ लाए तो उसका हुक्म शरई ये है कि उसको अस्ल मालिक की मिल्क में किसी मुनासिब अंदाज़ से पहुंचा दें। अगर ये मुम्किन न हो और मालिक सवाब पाने के अहल हो, मसलन "मुसलमान हो" तो उसको सवाब पहुंचाने की नीयत से सदक़ा कर दें। और अगर इसका इल्म न हो सके कि मालिक मुस्लिम है या क़ाफ़िर तो ऐसी सूरत में उसके वबाल से बचने की नीयत से सदक़ा कर के जल्द से जल्द अपनी मिलकियत से निकाल दे।

बाज़ पैसे ऐसे होते हैं कि मुसलमान के लिए शरअ़न हलाल व जाइज़ नहीं होते और ग़ैर मुस्लिम के लिए हलाल व जाइज़ होते हैं और ग़ैर मुस्लिम उसका मालिक बिमिल्के सही हो जाता है जैसे शराब के कारोबार का पैसा, ख़िनज़ीर के कारोबार का पैसा, ऐसा उनके लिए जाइज़ व हलाल होता है। और उस पर मालिक बिमिल्के सही हो जाते हैं।

अगर कुफ़्र की हालत में पैसा ले कर मुसलमान हो

जाएं तो उसके सही मालिक हो गए हैं और जिस नेक काम में चाहें सर्फ़ कर सकते हैं, मस्जिद में, मदरसा में हर जगह ख़र्च कर सकते हैं और यही हुक्म उनके गाने बजाने के पैसा का भी है, इसलिए कि वह उसके सही मालिक हो गए थे और वह उनके लिए हलाल था, और मुसलमान होने के बाद भी क़दीम मुसलमान भी वह पैसा उनसे ले सकता है और उन्हें नेक कामों में ख़र्च कर सकता है।

(निज़ामुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–333, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–247 व बज़्ल जिल्द–1 सफ़्हा–37)

बलैक करने वाले का रुपया मस्जिद में?

सवाल: जो ताजिर बलैक मार्किटिंग का काम करते हैं वह अगर मस्जिद में चंदा दें तो उनके रुपये मस्जिद में लगा सकते हैं या नहीं?

जवाब: मिलकियत तो इस सूरत में भी हासिल हो जाती है और उसको मस्जिद में सर्फ़ करना भी दुरुस्त है, मगर ख़ुद ये तरीक़ा ऐसा है जिसमें इज़्ज़त का भी ख़तरा है, माल का भी ख़तरा है।

मस्अला:– कोई बिदअ़ती मस्जिद में चंदा दे तो उसके रुपये को मस्जिद में ख़र्च किया जा सकता है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–219)

मस्अला:– सूद का रुपया मस्जिद में लगाना जाइज़ नहीं है, अगरचे (सूद ख़ोर) मरने वाला आकर ख़्वाब में बतलाए, तब भी जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–177)

मस्अला:– नाजाइज़ आमदनी का पैसा मस्जिद में लगाना

दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–193)

मस्अलाः– माले हराम मस्जिद में लगाना नाजाइज़ है, अगर हराम माल से ख़रीद कर ज़मीन पर मस्जिद बनाई जाए तो उसमें नमाज़ मकरूह है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–138)

मस्अलाः– अगर हराम माल से ख़रीद कर बैय फ़स्ख़ कर के फिर हलाल माल से ख़रीद कर मस्जिद बनाई जाए तो उसमें नमाज़ दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–139)

मस्अलाः– साहूकार का रुपया रक़म अगर सूद की नहीं है तो मस्जिद की तामीर में लगाना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–282)

मस्अलाः– हराम पेशा करने वाला जब मस्जिद के लिए रुपया दे तो उससे कह दिया जाए कि हलाल पैसा मस्जिद के लिए दो, हराम व मुश्तबह मत दो, फिर भी वह शख़्स (देने वाला) कहे कि मैं हलाल ही पैसा दे रहा हूं, चूंकि वह मुसलमान है आख़िरत से डरता है, क़र्ज़ लेकर भी दे सकता है, इसलिए उसकी बात तस्लीम कर लेंगे और जब तक दलीले शरअ़ी से ये साबित न हो जाए कि वाक़ई हराम ही पैसा दिया है, उसका पैसा ले सकते हैं और मस्जिद में लगा भी सकते हैं।

(निज़ामुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–307)

मख़्लूत आमदनी वाले का चंदा मस्जिद में?

सवालः एक शख़्स जिसकी आमदनी जाइज़ नहीं मगर उसके पास आमदनी के ज़राए ऐसे भी हैं जो बिल्कुल

हलाल हैं, क्या उसका चंदा मस्जिद में लिया जा सकता है जबकि वह ये कहते हैं कि मैं अपनी पाक क़माई में से चंदा दे रहा हूं क्योंकि मुझ को मालूम है कि हराम आमदनी कारे ख़ैर में लगाना बड़ा गुनाह है?

जवाबः ऐसे शख़्स का चंदा लेना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–419)

मस्जिद व मदरसा की रक़म बतौरे क़र्ज़ एक दूसरे में सर्फ़ करना?

सवालः ज़रूरत हो तो मस्जिद की रक़म मदरसा में और मदरसा की रक़म मस्जिद में बतौर क़र्ज़ लेकर इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं?

जवाबः अगर क़र्ज़ वसूल होने पर एतेमाद हो, ज़ाये जोने का एहतेमाल न हो तो मुन्तिज़मा कमेटी के मशवरा से दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–491)

फ़क़ीर का मांगा हुआ पैसा मस्जिद में?

मस्अलाः– बिला ज़रूरत मांगना गुनाह है, लेकिन जब फ़क़ीर ने पैसा मांगा और मुहल्ला वालों ने बख़ुशी उसको दिया तो वह अब मालिक हो गया और उसने जो कुछ मस्जिद में दिया है वह देना सही है। उस मुसल्ले पर (जो उसने दिया है) नमाज़ बिलाशुब्हा जाइज़ है, और उसको समझा दिया जाए कि मांगना दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–492)

मस्अलाः– मस्जिद में भीक मांगना मम्नूअ है (यानी दाख़िले मस्जिद में) ऐसे लोगों को मस्जिद से बाहर ख़ारिजे मस्जिद खड़े होना चाहिए, और मस्जिद में मांगने वालों को देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी ज़रूरतमंद

की इम्दाद के लिए मस्जिद में दूसरा आदमी अपील करे तो ये जाइज़ है।

मस्अलाः— किसी फ़क़ीर को मस्जिद में देना यूं तो जाइज़ है मगर उससे मस्जिद में मांगने की आदत पड़ेगी, इसलिए मस्जिद से बाहर (ख़रिजे मस्जिद) देना चाहिए।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–142)

मस्जिद का चंदा उमूमी कामों में ख़र्च करना?

सवालः चंद हज़रात ने मस्जिद का चंदा जमा किया था लेकिन वह उमूमी कामों में ख़र्च करना चाहते हैं, अगरचे हिसाब मअ़ रसीदों के मौजूद है?

जवाबः जिस तरह चंदा जमा किया गया है (उनको जमा कर के या घरों पर जा कर) इस तरह उन से इजाज़त ले ली जाए या उनका चंदा वापस कर दिया जाए, और जब रसीदें भी मौजूद हैं तो इसमें क्या मुश्किल है या ऐलान कर दिया जाए कि उस चंदा को फ़लां काम में ख़र्च किया जिसको नामन्जूर हो वह अपना चंदा वापस ले ले। और ये ऐलान इस तरह किया जाए कि चंदा देने वालों तक बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी न किसी तरह पहुंच जाए। मसलन एक इश्तिहार छाप कर तक़्सीम कर दिया जाए या मुहल्लों और मसाजिद में कह दिया जाए, ग़रज़ कि अपनी वुस्अ़त के मुताबिक़ ऐलान कर दें या वापस कर दें, इससे ज़ायद की ज़िम्मादारी नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–302)

पगड़ी की रक़म मस्जिद की तामीर में ख़र्च करना?

मस्अलाः— पगड़ी की रक़म बज़ाहिर किसी शरई अक़्द

से हासिल नहीं होती। लिहाज़ा उसका इस्तेमाल मस्जिद में दुरुस्त नहीं। (फ़तावा रहीमिया)

मस्जिद का रुपया तिजारत के लिए देना?

सवालः मस्जिद की रक़म जो मुतवल्ली के पास जमा थी, उसने एक शख़्स को तिजारत के लिए दे दी, उस शख़्स ने, मस्जिद का कोई हिस्सा तैय नहीं किया, उसने मस्जिद की रक़म वापस करते हुए मबलिग़ दो सौ पच्चीस रुपये ज़ायद दे दिए। ये ज़ायद रक़म जो दी गई उसे लेना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः मस्जिद की रक़म मुतवल्ली के पास अमानत है किसी को तिजारत के लिए देने का उसको हक़ नहीं, हरगिज़ किसी को ने दी जाए, जो रक़म दी थी वह बतौरे क़र्ज़ थी, क़र्ज़ में ये शर्त करना कि वापसी के वक़्त इतनी रक़म ज़ायद ली जाएगी जाइज़ नहीं, ये सूद है, लेकिन बग़ैर शर्त के अगर क़र्ज़ लेने वाला ये कह कर क़र्ज़ वापस कर दे कि इतनी रक़म तो क़र्ज़ थी ये वाजिबुलइआदा है। और इतनी रक़म मैं बिला किसी इल्तिज़ाम के अपनी तरफ़ से ज़ायद देता हूं तो ये शरअन दुरुस्त है और हदीसे पाक से साबित है, उसका इस्तेमाल करना दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–304)

मसाजिद का रुपया हुकूमत को देना?

मस्अलाः– मसाजिद का रुपया वक़्फ़ का रुपया जो कि अमानत है, मुतवल्ली को मस्जिद के अलावा किसी जगह भी ख़र्च करने की इजाज़त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–188)

मस्अलाः– मस्जिद के फ़ंड (चंदा) का ज़ाती इस्तेमाल

में लाना जाइज़ नहीं है, अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसको चाहिए कि तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और जो रक़म उसने इस्तेमाल की है उसका ज़मान अदा करे, मुहल्ला वालों और नमाज़ियों की ज़िम्मादारी है कि उस शख़्स से ज़मान वसूल करें।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–148)

मस्जिद के लिए चंदा कर के मदरसा बनाना?

मस्अलाः– मस्जिद के लिए चंदा किया जाए उसको दमरसा में सर्फ़ करना जाइज़ नहीं है। मदरसा के लिए जो चंदा किया जाए उसको मस्जिद पर सर्फ़ करना जाइज़ नहीं है।

जो जगह नमाज़ के लिए मुक़र्रर (वक़्फ़) हो जाए वहां मदरसा बनाना और तालीमी काम के लिए उस जगह को मुतअैय्यन कर देना जाइज़ नहीं है। उस जगह ऐसे छोटे बच्चों को भी तालीम न दी जाए जो मस्जिद का एहतेराम बाक़ी न रख सकें।

नीज़ ज़कात, सदक़तुलफ़ित्र, क़ीमत चर्मे क़ुर्बानी को मदरसा या मस्जिद की तामीर में देना जाइज़ नहीं है, वह सिर्फ़ ग़रीबों का हक़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–169)

मस्जिद व मदरसा के नाम से मुश्तरक चंदा करना?

सवालः एक बस्ती वाले मस्जिद और मदरसा की तामीर करना चाहते हैं, जिसका चंदा एक जगह करना चाहते हैं। अगर चंदा यक्जा कर लिया जाए और चंदा देने वालों से कह दिया जाए कि हम मस्जिद व मदरसा दोनों तामीर

करना चाहते हैं और चंदा देने वाला ये कह दे कि दोनों में से किसी में भी इस्तेमाल कर लो तो क्या ऐसा करना जाइज़ है? या दोनों का अलग अलग?

जवाबः मस्जिद व मदरसा दोनों के लिए मुश्तरका चंदा करना दुरुस्त है। और जब ये ऐलान कर दिया कि दोनों की तामीर होगी और दोनों के लिए लोग चंदा दे रहे हैं तो फिर क्या तरद्दुद है। अलाहिदा अलाहिदा करना चाहें तो उसकी भी इजाज़त है। फिर जो चंदा जिसके लिए वसूल किया उसको उसी मस्रफ़ में सर्फ़ करना चाहिए, एक चंदा दूसरे मस्रफ़ में सर्फ़ न करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द--18 सफ़्हा–178)

मस्अलाः– मस्जिद के चंदा से ख़ारिजे मस्जिद आफ़िस (दफ़्तर) बनाना कि उसमें मस्जिद की इन्तिज़ामिया की मीटिंग हुआ करे, जाइज़ है अगर अहले चंदा की इजाज़त हो तो। (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–140)

ग़ैर मुस्लिम से मस्जिद के लिए चंदा लेना?

सवालः हमारे यहां एक मस्जिद तैयार हो रही है, उसमें ग़ैर मुस्लिम चंदा देना चाहते हैं, क्या ग़ैर मुस्लिमों का रुपया मस्जिद में लगाना दुरुस्त है?

जवाबः अगर ये एहतेमाल न हो कि कल अहले इस्लाम पर एहसान रखेंगे और न ये एहतेमाल हो कि अहले इस्लाम उनके ममनून हो कर उनके मज़हबी शआयर में शिरकत या उनकी ख़ातिर से अपने शआइर में मुदाहनत करने लगेंगे। इस शर्त पर कबूल कर लेना जाइज़ है।

(इम्दादुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–688 व फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–470)

मस्अला:— ग़ैर मुस्लिम के चंदा देने में ये अन्देशा न हो कि वह उसके नतीजा में कोई ग़लत मक़सद हासिल करेगा तो लेना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द—17 सफ़्हा—356)

मस्अला:— ग़ैर मुस्लिम चंदा देने वाला अपने एतेक़ाद के एतेबार से उसे कुरबत समझता हो तो उसका चंदा लिया जा सकता है, लेकिन अगर ये एहतेमाल हो कि वह आइंदा मुसलमानों पर एहसान जताएगा तो उस वक़्त बेहतर ये है कि उनका चंदा न लिया जाए। (फ़तावा रहीमिलया जिल्द—1 सफ़्हा—232 व फ़तावा महमूदिया जिल्द—6 सफ़्हा—188 व सफ़्हा—168 जिल्द—5 सफ़्हा—476 जिल्द—2 व निज़ामुलफ़तावा जिल्द—1 सफ़्हा—313)

मस्अला:— मस्जिद की तामीर के लिए रास्ता के किनारे कोई सन्दूक़ लटका दिया गया और रहगुज़र उसमें पैसे डालते हैं तो वह पैसा उस तामीर में लगाना दुरुस्त है, ख़्वाह डालने वाले मुस्लिम हों या ग़ैर मुस्लिम, सबका पैसा इस सूरत में लगा सकते हैं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द—18 सफ़्हा—247)

शराब की आमदनी से मस्जिद में चंदा देना?

मस्अला:— शराब की अमदनी से मस्जिद के लिए चंदा क़बूल न किया जाए, अगर जाइज़ आमदनी से मसलन क़र्ज़ लेकर दे तो दुरुस्त है। नीज़ मख़्लूत आमदनी वाला अगर हलाल चीज़ों की अमादनी से चंदा दे दे तो दुरुस्त है। अगर मख़्लूत आमदनी से दे और हलाल ग़ालिब है तब भी दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द—17 सफ़्हा—355)

मस्अलाः— अगर मस्जिद शराब की आमदनी से बनाई गई है तो उसमें नमाज़ पढ़ना मकरूह है, जो नमाजें वहां पढ़ी गईं वह कराहत के साथ अदा होंगी, आइंदा एहतियात की जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द—10 सफ़्हा—152)

ख़िन्ज़ीर के बालों के बुर्श बनाने वालों का पैसा मस्जिद में लगाना?

मस्अलाः— महज़ ख़िन्ज़ीर (सूवर) के बालों के बुर्श बनाने वालों का पैसा मस्जिद में लगाना महज़ बुर्श बनाने की उजरत इस तरह कि इतनी देर काम करो उसका मुआवज़ा ये होगा, दुरुस्त है हराम नहीं, उसका पैसा मस्जिद में भी लगाया जा सकता है, मगर फ़ीनफ़्सिही ये मआमला नहीं करना चाहिए। इसलिए कि सूवर के बाल से इन्तिफ़ाअ़ इमाम अबूहनीफ़ा (रह0) के नज़दीक जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द—15 सफ़्हा—347 व जिल्द—1 सफ़्हा—513)

मस्जिद में चंदा करना?

मस्अलाः— दीनी ज़रूरत के लिए मस्जिद में चंदा करना (और चंदा देने वालों को) मरहबा और सुब्हानल्लाह कहना दुरुस्त है, मगर नमाज़ियों की नमाज़ में ख़लल व तशवीश न होने पाए। (फ़तावा महमूदिया ज़िल्द—12 सफ़्हा—254)

मस्अलाः— मस्जिद में दुनिया की बातें जैसे ख़रीद व फ़रोख़्त की बातें, मुक़द्दमात की बातें, खेत और बाग़ की बातें, ये सब दुनिया की बातें हैं। मस्जिद की तामीर या इमाम वग़ैरा की तन्ख़्वाह के लिए चंदा करना मस्जिद में मना नहीं है, बशर्तेकि शोर व गुल न हो, जैसा कि आज कल होता है कि एक दूसरे पर तअ़न करते हैं, ग़ैरत

दिलाते हैं, कम चंदा देने पर झगड़ते हैं, ग़रज़ कि मस्जिद का एहतेराम मलहूज़ नहीं रखते, ये तरीक़ा मना है।

ख़त्म शरीफ़ के लिए जो चंदा किया जाता है वह अक्सर ज़ोर दे कर लिया जाता है और इसमें ज़्यादा तर दिखावा और मुक़ाबला मद्देनज़र होता है, ये भी मना है। मस्जिद में तिलावते कुरआन, तरबीह, दुरूद शरीफ़, इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहना चाहिए इस तरह कि नामज़ियों को तशवीश न हो, अगर मस्जिद में मसाइल की तालीम दी जाए तो ये भी दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़हा–484)

चंद–ए मस्जिद से मिठाई तक़सीम करना?

सवालः मस्जिद के चंदा से मिठाई तक़सीम करना और मिठाई लेने वालों में चंदा न देने वाले भी शामिल होते हैं?

जवाबः अगर चंदा देने वालों की इजाज़त है और उस चंदा का मस्रफ़ ये भी है तो ये मिठाई वग़ैरा तक़सीम करना शरअन दुरुस्त है वरना नहीं। अगर चंदा देने वालों की तरफ़ से न चंदा देने वालों को भी इजाज़त है तो उनको भी मिठाई खाना जाइज़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़हा–187)

मस्अलाः– मिठाई की बची हुई रक़म चंदा देहिन्दगान की इजाज़त से मस्जिद के दूसरे मस्रफ़ में ख़र्च कर सकते हैं। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़हा–107)

माली जुरमाना लेना और मस्जिद में सर्फ़ करना?

सवालः एक बिरादरी में चंद क़वानीन मुक़र्रर हैं और

वह उनकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी से सियासतन बतौरे जुर्माना कुछ रक़म वसूल करते हैं, तो दरयाफ़्त तलब बात ये है कि रक़मे मज़कूरा को मसारिफ़े मस्जिद में सर्फ़ करना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः मज़हब मोतमद अलैह ये है कि ऐसा जुर्माना नाजाइज़ है, अगर कुछ रक़म बतौरे जुर्माना वसूल कर ली है तो उसकी वापसी ज़रूरी है, मस्जिद वग़ैरा में सर्फ़ करना दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़हा–193, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–3 सफ़हा–375)

मस्जिद के लिए जबरन चंदा लेना?

मस्अलाः– जबरन चंदा वसूल करना नाजाइज़ है, जो अपनी ख़ुशी से दे उससे ले लिया जाए, जो न दे उस पर जब्र करना गुनाह है। और ऐसे माल का मस्जिद में लगाना भी नाजाइज़ है, जबरन तो लेना जाइज़ ही नहीं है (जबरन अगर वसूल कर लिया तो) जिस क़दर रुपया लिया है उसका वापस करना ज़रूरी है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़हा–160, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़हा–688)

मस्अलाः– ज़बरदस्ती चंदा वसूल करना भी मना है, जिन लोगों से ज़बरदस्ती चंदा लिया गया वह अब मआफ़ कर दें और खुदा के नाम पर दिए हुए पैसा को क़बूल करने के लिए अल्लाह तआला से दुआ करें। उस मस्जिद में आ कर गुनाहों से तौबा करें, आमाले क़बीहा से बाज़ आ जाएं, नमाज़ उस मस्जिद में दुरुस्त होगी। ग़ैर मुस्लिम से तामीरे मस्जिद के लिए चंदा मांगना बड़ी बेग़ैरती है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–181)

मस्अलाः– मस्जिद के लिए चंदा देकर वापस न लिया जाए जबकि वह चंदा सब का मख़्लूत है और उसका सामान भी ख़रीद लिया गया है, तो अब वापस लेने का हक़ नहीं रहा और न मुतवल्ली को वापस देने का हक़ है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–164)

सूदी क़र्ज़ पर लिया रुपया मस्जिद के ज़मान में देना?

सवालः एक साहब के पास मस्जिद की अमानत का रुपया जमा था, उन्होंने ख़र्च कर डाला, फिर उन अमीन साहब ने एक दूसरे शख़्स से सूदी क़र्ज़ लेकर मस्जिद की अमानत के रुपये को वापस कर दिया, तो क्या उस रुपये को मस्जिद में ख़र्च करना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः सूद पर जो क़र्ज़ लिया गया है वह क़र्ज़ का रुपया हराम नहीं है, उसको मस्जिद के रुपये के ज़मान में देना दुरुस्त है। अलबत्ता क़र्ज़ के साथ जो रुपया सूद का दिया जाएगा उसका देना नाजाइज़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–219)

मस्अलाः– ज़ैद ने एक मस्जिद की तामीर के सिलसिले में बकर से सौ रुपये क़र्ज़ लेकर दिए। बाद में हराम कमाई से अपना क़र्ज़ अदा किया तो वह रक़म मस्जिद के लिए हलाल है क्योंकि जो रुपया क़र्ज़ लेकर दिया है वह रुपया तो जूवे या सट्टे या हराम कमाई का नहीं था, उसमें ये हराम मुअस्सिर नहीं होगा, उसकी हुरमत मुस्तक़िल अलाहिदा है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–217)

सूद ख़ोर के तर्का की रक़म मस्जिद में लगाना?

मस्अलाः– वालिदैन के तर्का से जो हलाल रुपया

मिला है अगर वह रुपया मस्जिद में दे तो उसका मस्जिद में सर्फ़ करना शरअन दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–219)

एक मस्जिद का रुपया दूसरी मस्जिद में लगाना?

सवालः हमारे यहां दो मस्जिदें हैं एक ग़रीब, दूसरी अमीर। अमीर मस्जिद में बरसों से कोई ज़रूरी काम तामीरी भी नहीं, ग़रीब मस्जिद का पलास्टर होना बाक़ी है और फ़र्श भी। तो क्या अमीर मस्जिद का रुपया ग़रीब मस्जिद में लगा सकते हैं?

जवाबः अगर वह रुपया चंदा का है तो चंदा देने वालों की राय व इजाज़त से ग़रीब मस्जिद में सर्फ़ करना शरअन दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–157)

चोरी की लकड़ी और हराम रक़्म से बनाई गई मस्जिद का हुक्म

मस्अलाः– चोरी के माल व अस्बाब और नाजाइज़ रुक़ूम से बनाई हुई मस्जिद का हुक्म ये है कि उसमें नमाज़ न पढ़ी जाए, लेकिन उसको बेहुरमती से बचाया जाए, उसमें हैज़ वाली औरत और नापाक का दाख़िल होना जाइज़ नहीं है, उसको महफ़ूज़ कर दिया जाए, उसे बेचना भी दुरुस्त नहीं, अगर ज़मीन चोरी की और ग़सब शुदा नहीं है, जाइज़ तरीक़ा से हासिल की गई है तो नाजाइज़ इमारत दूर कर के माले हलाल से दूसरी इमारत बना ली जाए तो क़ाबिले इन्तिफ़ाअ हो सकती है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–246 बहवाला

मुनयतुलमसाजिद सफ़हा–26 व कबीरी सफ़हा–571)

मस्अलाः– अगर तहक़ीक़ से मालूम हो जाए कि ये सिमेंट चोरी का है तो उसका ख़रीदना और मस्जिद की तामीर में लगाना (ख़्वाह) गुस्ल ख़ाना वग़ैरा में लगाना हो, जाइज़ नहीं है, चोर की उस पर मिलकियत भी हासिल नहीं, फिर उसको ख़रीदना ही बेमहल है। अल्लाह तआला के घर में पाक माल लगाया जाए वह पाक ही को क़बूल करता है, नापाक (हराम) माल न लगाया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–168)

पाया हुआ पैसा मस्जिद में लगाना?

मस्अलाः– पाया हुआ रुपया वह लुक़्ता के हुक्म में है, मालिक को तलाश कर के उसको दिया जाए, अगर मालिक का पता न चले तो मायूस होने के बाद ग़रीब को सदक़ा कर दिया जाए, मस्जिद में न दिया जाए।.

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–247)

क़ुर्बानी की खाल की क़ीमत तामीरे मस्जिद में?

मस्अलाः– अगर आप ने क़ुर्बानी की खालें मुतवल्लिये मस्जिद की मिल्क कर दीं, फिर उनको फ़रोख़्त कर के मुतवल्ली ने मस्जिद की तामीर में सर्फ़ कर दिया तो दुरुस्त है। और बग़ैर तमलीक के उनको फ़रोख़्त कर के क़ीमत तामीर में ख़र्च की गई तो ये सूरत नाजाइज़ हुई। ऐसी सूरत में उन क़ीमतों का सदक़ा करना ज़रूरी है क्योंकि क़ुर्बानी की खाल को अगर फ़रोख़्त कर दिया जाए तो क़ीमत का सदक़ा करना ज़रूरी होता है और उस क़ीमत को मस्जिद में सर्फ़ करना दुरुस्त नहीं होता,

हां अगर साहबे कुर्बानी खुद फ़रोख़्त न करे बल्कि किसी दूसरे को मालिक बना दे तो वह फ़रोख़्त कर के जहां चाहे क़ीमत को सर्फ़ कर सकता है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–4 सफ़्हा–331, तफ़सील देखिए मसाइले कुर्बानी)

मस्जिद में ज़कात की रक़म हीला कर के लगाना?

मस्अलाः– मस्जिद की तामीर में या इमाम व मुअज़्ज़िन व मस्जिद के ख़ुद्दाम की तन्ख़्वाहों में ज़कात की रक़म इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए मस्जिद की तामीर में ज़कात की रक़म हरगिज़ इस्तेमाल न की जाए, हीला कर के भी न लेना चाहिए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–94)

बरआमदा के लिए किये हुए चंदा से किराया की दूकानें बनाना?

मस्अलाः– जिस मक़्सद के लिए चंदा लिया गया और देने वालों ने दिया है, उसी मक़्सद में वह रुपया ख़र्च किया जाए, दूसरे मक़्सद में उसके ख़र्च करने की इजाज़त नहीं है, लिहाज़ा उस रुपया से बरामदा ही बनवाया जाए, और दूकान या किसी और काम में ये रुपया ख़र्च करना दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–263)

मस्अलाः– अगर चंदा देने वालों से चंदा वुज़ू ख़ाना के लिए जमा किया गया है और चंदा देने वालों ने उसी मक़्सद के लिए चंदा दिया है तो ज़िम्मादारान के लिए उसका किसी दूसरे काम में ख़र्च करना जाइज़ नहीं है,

अगर ख़र्च कर दिया है तो उनके ज़िम्मा ज़मान वाजिब है, और जो लोग अपना चंदा वापस मांग रहे हैं उनको वापस मांगने का हक़ है और ज़िम्मादारान को वापस करना ज़रूरी है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़हा–264)

सूद पर रक़म क़र्ज़ लेकर मस्जिद में लगाना?

मस्अलाः– जो रक़म सूद पर क़र्ज़ ली गई है वह रक़म हराम नहीं है, उसका मस्जिद की तामीर में लगाना भी दुरुस्त है, लेकिन सूद पर रक़म लेना, सूद देना गुनाह है, उससे बाज़ आना ज़रूरी है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़हा–282)

मस्अलाः– किसी मस्जिद के मुंतज़िमीन अगर सूदी क़र्ज़ लेकर मस्जिद की तामीर में लगाएं तो गुनहगार होंगे और उसका सूद मस्जिद के पैसे से देंगे तो गुनहगार भी होंगे और उन पर ज़मान भी आयद होगा। इसलिए अहले ख़ैर हज़रात को दिल खोल कर पाक कमाई से तामीरे मस्जिद में हिस्सा लेना चाहिए।

(निज़ामुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़हा–323)

फ़िल्मी ऐक्टर की आमदनी मस्जिद में लगाना?

मस्अलाः– नाजाइज़ आमदनी का पैसा न मस्जिद के लिए क़बूल किया जाए और न मंदरसा के लिए, उसका गुरबा पर सदक़ा करना ज़रूरी है। जो ग़रीब बालिग़ लड़के, या ग़रीब आदमी के नाबालिग़ लड़के मदरसा में पढ़ते हैं वह उसका मस्रफ़ हैं। नीज़ ऐसे लोगों के पास अराकीने मदरसा चंदा लेने के लिए बिल्कुल न जाऐं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़हा–298)

मस्अलाः– हराम और मुश्तबह माल से मस्जिद बनाने

की शरअन इजाज़त नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–99)

मज़ार के चंदा से मस्जिद के इमाम की तन्ख़्वाह?

सवालः एक मज़ार है और उसी एहाता में मस्जिद भी है, लोग आते जाते मज़ार के सामने जो सन्दूक़ रखा है, उसमें रुपये डालते हैं, नीज़ ग़ैर मुस्लिम हज़रात भी, किस की क्या नीयत है मालूम नहीं, तो क्या मस्जिद के इमाम व मुअज़्ज़िन की तन्ख़्वाह उससे देना दुरुस्त है?

जवाबः ज़ाहिर तो ये है कि ये रुपया मस्जिद व मज़ार के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरीयात के लिए उसमें डालते हैं, पस ये रुपया दोनों ही ज़रूरीयात में सर्फ़ करना दुरुस्त है, बल्कि अगर वहां पर एक मकतब भी क़ाइम कर दिया जाए तो मुनासिब होगा, ताकि मस्जिद भी आबाद रहे और साहबे मज़ार को भी सवाब मिलता रहे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–143)

मस्अलाः– ज़ाएरीन जो पैसा ख़ादिमे मज़ार को बसिलसिला ख़िदमत व तअल्लुक़े साहबे मज़ार देते हैं वह ख़ुद्दामे मज़ार का है, उसको जबरन मदरसा के वास्ते लेने का किसी को हक़ नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–271)

तहफ़्फ़ुज़े मस्जिद के लिए मुक़द्दमा के मसारिफ़ मस्जिद की रक़म से?

मस्अलाः– मस्जिद की वक़्फ़ शुदा ज़मीन में ज़बरदस्ती मदरसा बनाने का हक़ नहीं, अगरचे दीनी मदरसा बनाना और दीनी तालीम का आम करना बड़े अज्र व सवाब की

चीज़ है, मगर नाहक़ तरीक़ा को हरगिज़ इख़्तियार न किया जाए, उसके लिए मुतवल्ली से लड़ना और तौलियत से अलग करना और मुक़द्दमा लड़ना बहुत मज़मूम और गुनाह है।

अगर उस मुक़द्दमा की कामियाबी में मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ है और उसकी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ है तो मुतवल्ली को उसमें मस्जिद का रुपया (ज़रूरत के मुताबिक़ ही) ख़र्च करना दुरुस्त है कि ये दरहक़ीक़त मस्जिद ही के लिए है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–235)

मस्जिद की रक़म से किसी ग़रीब की मदद करना?

सवालः जिन मसाजिद के पास काफ़ी रुपया जमा है, वह गुरबा को क़र्ज़ देकर उनकी हालत सुधार सकते हैं या नहीं?

जवाबः इसकी इजाज़त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–173)

बैआना की रक़म मस्जिद में लगाना?

सवालः एक शख़्स ने मुतवल्ली से मस्जिद के मकान का सौदा किया और कुछ रक़म पेशगी बतौर बैआना के मुतवल्ली को दे दी, और उस शख़्स के पास रुपया का इन्तिज़ाम न हो सका और मुतवल्लिये मस्जिद ने वह मकान दूसरे को फ़रोख़्त कर दिया। अब मुतवल्ली उस शख़्स के वादा ख़िलाफ़ी के बाइस वह पेशगी की रक़म वापस नहीं करता, तो क्या वह रुपया मस्जिद के मस्रफ़ में लगाना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः अगर किसी वजह से बैय का मआमला बाये

और मुश्तरी (बेचने और ख़रीदने वाले) पूरा न कर सकें तो बैआना का वापस करना ज़रूरी होता है और उसका रख लेना हरगिज़ जाइज़ नहीं है, लिहाज़ा मुतवल्ली के ज़िम्मा लाज़िम है कि वह रुपया जो पेशगी लिया था उस शख़्स को वापस कर दें, ऐसे रुपया को मस्जिद में सर्फ़ करना भी जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़हा–166)

मस्जिद की आमदनी से तन्ख़्वाह वज़्अ़ करना?

सवालः मस्जिद का मुलाज़िम अगर वह मस्जिद के काम से गैर हाज़िर रहे तो उन गैर हाज़िर अैय्याम या औक़ात की तन्ख़्वाह मस्जिद के सरमाया से लेने का हक़ उसको है या नहीं? या मुन्तज़िमा को ऐसे गैर हाज़िर अैय्याम की तन्ख़्वाह देने का इख़्तियार है या नहीं?

जवाबः मुन्तज़िमा कमेटी को लाज़िम है कि उसके लिए छुट्टी का ज़ाबता तज्वीज़ कर दे कि मसलन एक माह में एक रोज़ या दो रोज़, साल भर में पन्द्रह रोज़ या एक माह में (हालात के मुनासिब) तुम रुख़्सत ले सकते हो, इसके अलावा तुम गैर हाज़िर रहे तो तन्ख़्वाह वज़्अ होगी। मस्जिद का रुपया बेमहल ख़र्च करने का इख़्तियार नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–167)

मस्अलाः– अगर शुरु मुलाज़मत में इमाम वगैरा ने ये तैय कर रखा है कि अैय्यामे रुख़्सत की तन्ख़्वाह भी लूंगा या कमेटिये मस्जिद ने तैय कर रखा है तो बिला तकल्लुफ़ व बिला ख़दशा रुख़्सत के अैय्याम की तन्ख़्वाह लेना देना जाइज़ रहेगा, और अगर ये सब बातें न हों तो उर्फ़ आम में जितने दिनों की रुख़्सत में तन्ख़्वाह देने का दस्तूर हो

तो सिर्फ़ उतने दिनों की तन्ख़्वाह देना दुरुस्त रहेगा और उससे ज़्यादा अराकीने मस्जिद की सवाब दीद पर मौकूफ़ रहेगा। (निज़ामुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–302)

एक वक़्फ़ की रक़म दूसरी जगह ख़र्च करना?

सवालः यहां पर अलग अलग औक़ाफ़ हैं लेकिन चंद आदमियों ने मिल कर तक़रीबन दस मस्जिदों के औक़ाफ़ इकट्ठे एक जगह कर के एक मस्जिद की आमदनी दूसरी मस्जिद में ख़र्च करने लगे हैं तो क्या ये जाइज़ है?

जवाबः वाक़िफ़ ने जो जाएदाद जिस मस्जिद के लिए जुदागाना वक़्फ़ की है उसकी आमदनी उसी मस्जिद में सर्फ़ की जाए दूसरी मस्जिद में सर्फ़ न की जाए।

मस्अलाः– जब एक मस्जिद की आमदनी दूसरी मस्जिद में ख़र्च करने की इजाज़त नहीं तो फिर मस्जिद की आमदनी स्कूल में ख़र्च करना कैसे जाइज़ होगा। जो लोग ख़र्च करते हैं वह गुनहगार हैं, उनके ज़िम्मा ज़मान लाज़िम है, ऐसे लोगों को औक़ाफ़ का मुन्तज़िम बनाना भी दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–166 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–185)

मस्अलाः– मसाजिद की वक़्फ़ रक़म यतीम ख़ाना में बतौरे वक़्फ़ नहीं दे सकते। एक वक़्फ़ के रुपये दूसरे वक़्फ़ में इस्तेमाल करने जाइज़ नहीं, मम्नूअ़ हैं। दुर्रेमुख़्तार में है कि दो शख़्स अलाहिदा अलाहिदा मस्जिद बनाऐं या एक ही शख़्स ने मस्जिद और मदरसा बनाया और दोनों के लिए जुदा जुदा (अलग अलग) वक़्फ़ किए तो क़ाज़ी को हक़ नहीं है कि एक वक़्फ़ की आमदनी दूसरे वक़्फ़ पर ख़र्च करे।

(दुर्रेमुख़्तार मआ शामी जिल्द–3 सफ़्हा–515)

हां अगर वाक़िफ़ ने वक़्फ़ नामा में तहरीर किया है कि ज़रूरत से ज़ाएद आमदनी से ज़रूरत के वक़्त ग़रीब हाजतमन्द वक़्फ़ों में इम्दाद करें और कारेख़ैर में ख़र्च करें तो वाक़िफ़ की शर्त के मुताबिक़ वक़्फ़ नामा में जो तहरीर है उसके मुताबिक़ वक़्फ़ की इम्दाद करना और कारेख़ैर में ख़र्च करना सही होगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–185)

एक मस्जिद का रुपया दूसरी मस्जिद में सर्फ़ करना?

मस्अलाः– एक मस्जिद के लिए मख़्सूस तौर पर जो वक़्फ़ हो, उसकी आमदनी दूसरी मस्जिद में सर्फ़ करना जाइज़ नहीं है, लेकिन मस्जिद की आबादी के लिए मस्जिद से मुतअल्लिक़ मदरसा दीनी क़ायम करना शरअन दुरुस्त है कि ये भी मसालेहे मस्जिद में से है, दुनयवी तालीम मसालेहे मस्जिद में से नहीं, उसमें ख़र्च करना दुरुस्त नहीं। दीनी तालीम ख़्वाह कुरआने करीम की तालीम हो ख़्वाह मसाइले शरईया की तालीम हो, और फिर चाहे अरबी ज़बान में हो चाहे उर्दू में चाहे गुजराती ज़बान में हो सब का एक ही हुक्म है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–186)

सूद का पैसा मस्जिद की रौशनी वग़ैरा में ख़र्च करना?

मस्अलाः– नाजाइज़ आमदनी का पैसा मस्जिद में लगाना दुरुस्त नहीं, अगर बिजली की फ़िटिंग और पंखे में नाजाइज़ पैसा लगाया गया है तो जिसने लगाया है वह पंखा यहां

से ले जाए और हलाल कमाई से लगाया जाए, बिजली की फ़िटिंग में तार, मीटर, बल्ब जो कुछ भी वहां मौजूद है उसको निकाल कर जाइज़ आमदनी से लगाया जाए, और अगर ऐसा करने में फ़ितना हो तो मजबूरन ये सूरत कर ली जाए कि जितना पैसा उसमें ख़र्च हुआ है और वह पैसा सूद का था तो उतना पैसा अस्ल मालिक को (जिससे सूद लिया था) उसी को वापस कर दिया जाए, अगर अस्ल मालिक मालूम न हो तो उतना पैसा ग़रीबों को सदक़ा कर दिया जाए, लेकिन पहले इसकी तहक़ीक़ भी कर ली जाए कि उसमें सूदी रक़म सर्फ़ की गई है या नहीं? और जो नमाज़ें उस रौशनी व हवा में पढ़ी गई हैं वह दुरुस्त हो गई।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–266)

लावारिस का माल मस्जिद में लगाना?

मस्अला:– लावारिस कुछ रुपया वग़ैरा छोड़ कर मरा और कोई उसका वारिस भी नहीं है कि जिस पर तक़्सीम किया जाए और न मरने वाले ने अपने माल से मुतअ़ल्लिक़ कोई वसीयत की और न उसका दूर नज़दीक का कोई वारिस है तो मौजूदा हालत में उसके तर्का को मदरसा या मस्जिद में सर्फ़ किया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–271, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–5 सफ़्हा–488, शामी जिल्द–2 सफ़्हा–89)

मस्अला:– लावारिस शख़्स मर गया, उसके क़फ़न दफ़न के लिए चंदा किया गया, बाद कफ़न दफ़न जो कुछ चंदा बच गया उसको मस्जिद में ख़र्च कर सकते हैं चंदा देने वालों की इजाज़त से।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–279)

पट्टे पर ली हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाना?

मस्अलाः– जबकि निन्नानवे साल के पट्टे की ज़मीन पर मस्जिद तामीर की गई है, हुकूमत से ख़रीदी नहीं है, न हुकूमत ने मुसलमानों को दी है कि उसे वक़्फ़ कर के मस्जिदे शरअ़ी बना लेते, और हुकूमत को हक़ हासिल है कि जब चाहे वापस ले ले तो ये शरअ़ीं मस्जिद नहीं है, (बल्कि) इबादत ख़ाना है, जमाअ़त का सवाब मिलेगा, अलबत्ता मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–127 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–3 सफ़्हा–504)

लेकिन चूंकि मजबूरी है बग़ैर पट्टे के ज़मीन मिलती नहीं तो इसलिए सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए।

मस्अलाः– शरअ़ी मस्जिद के तहक़्क़ुक़ के लिए ये ज़रूरी है कि वह जगह हमेशा के लिए मस्जिद पर वक़्फ़ हो, अगर वह जगह कुछ मुद्दत के लिए पट्टे पर ली (या किराया पर ली) गई है (या मालिक की इजाज़त के बग़ैर ज़मीन पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा कर के मस्जिद बना ली है) तो वह शरअ़ी मस्जिद न होगी।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–128, अ़लामगीरी जिल्द–3 सफ़्हा–238 व हिदाया अव्वलैन सफ़्हा–264 किताबुलवक़्फ़ व किफ़ायतुमुफ़्ती जिल्द–7 सफ़्हा–42)

ग़ैर आबाद मैदान में मस्जिद का सिर्फ़ संगे बुनियाद रखा?

मस्अलाः– ग़ैर आबाद मैदान और जंगल व ब्याबान में मुस्लिम आबादी क़ायम करने और मुसलमानों को वहां

बसाने की ग़रज़ से वसीअ़ क़िल्अ़े ज़मीन ख़रीदा गया और मस्जिद व मदरसा क़ायम करने की ग़रज़ से जगह भी मुतअ़ैय्यन कर दी गई और मकानात व रिहाइश गाहों की तामीरात का काम भी शुरू होने वाला था इसलिए तबर्रुकन मस्जिद के संगेबुनियाद की रस्म अदा की, और उसको दस साल का अरसा गुज़र जाता है मगर रिहाइश गाहें बनाने और मुसलमानों को वहां बसाने में कामियाब न हो सके और न उसकी तवक़्क़ो है इन हालात में सिर्फ़ संगे बुनियाद रखने पर जबकि वहां न अज़ान हुई और न नमाज़ पढ़ी गई और न मस्जिद बनने और उसके आबाद होने के आसार व क़राइन पाए जाते हैं, न क़ुर्ब व जवार में छोटी बड़ी कोई मुस्लिम आबादी है, न उसकी मुसलमानों को हाजत है, लिहाज़ा शरअ़ी मस्जिद के अहकाम उस संगे बुनियाद पर जारी न होंगे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़हा–87 बहवाला आलमगीरी जिल्द–6 सफ़हा–214, किताबुलकरासीया)

मुश्तरका ज़मीन में मस्जिद बनाना?

मस्अला:– अगर मुश्तरका ज़मीन में सब मालिकों की इजाज़त से मस्जिद बनाई गई तो नमाज़ जाइज़ है, और ये कोशिश करना कि किसी एक मस्जिद में नमाज़ न हो, गुनाह है, और अगर नई मस्जिद सब मालिकों की इजाज़त के बग़ैर बनी है तो जब तक सब मालिक इजाज़त न दें, उसमें नमाज़ न पढ़ी जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़हा - 166)

मस्जिद की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करना?

मस्अला:– अगर वह जगह मस्जिद के लिए वक़्फ़ है

तो उसपर मालिकाना क़ब्ज़ा और ग़सब हराम है, उस क़ब्ज़ा को हटा कर मस्जिद के क़ब्ज़ा में देना ज़रूरी है, फिर उसकी चहारदीवारी बना कर हसबे मसालेह मस्जिद के काम में लाएँ ताकि आइंदा ऐसी नौबत न आए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़हा–282)

मस्जिद की ज़मीन पर किरायेदार के लिए दूकान बनाना?

सवालः एक जगह मस्जिद की है, उसमें कोई दूसरा शख़्स दूकान बना ले और मस्जिद को सालाना कुछ रक़म मुकर्रर कर दे बाद वसूलिये रक़म दूकान मस्जिद की हो जाएगी, क्या ये दुरुस्त है?

जवाबः उसकी सूरत इस तरह करली जाए कि मस्जिद की ज़मीन उस शख़्स को किराया पर दे दी जाए और किराया पेशगी लेकर उससे दूकान बनवा दी जाए और जब दूकान मुकम्मल हो जाए तो वह किरायादार के हवाला कर दी जाए, इस तरह वह दूकान मस्जिद की हो जाएगी और किरायादार को उतनी मुद्दत इस्तेमाल का हक़ होगा जिसका वह किराया पेशगी अदा कर चुका है। किरायादार मुनासिब हो तो दूकान की तौसीअ़ भी कर सकते हैं।

ये भी दुरुस्त है कि ख़ाली ज़मीन दे दी जाए जिसका किराया मस्जिद को वह अदा करता रहे और किरयादार ख़ुद उसमें तामीर कर ले, फिर जब मुद्दते किरायादारी ख़त्म हो जाए तो अपनी तामीर हटा ले, ज़मीन मस्जिद को दे दे, या बिऐनिही तामीर ही मस्जिद को दे दे। जो ख़र्च तामीर में हुआ वह मस्जिद से वसूल कर ले। ख़ाली ज़मीन किराया पर देते वक़्त ये शर्त न की जाए कि इस

ज़मीन का किराया ये है कि उस पर दूकान तामीर करे इतनी मुद्दत बाद वह तामीर मस्जिद को दे देगा।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–284)

एक मस्जिद का रुपया दूसरी मस्जिद के लिए क़र्ज़ देना?

सवालः हमारे गांव के मसाजिद के ट्रस्ट अलग अलग हैं। एक मस्जिद में बिल्कुल पैसा नहीं है तो क्या दूसरी मस्जिद के वक़्फ़ से उसका ख़र्च चला सकते हैं या क़र्ज़ ले सकते हैं?

जवाबः मुतवल्ली बाहमी मश्वरा से एक वक़्फ़ से दूसरे वक़्फ़ को बतौरे क़र्ज़ हसबे ज़रूरत रक़म दे सकते हैं, फिर उसकी वापसी ज़रूरी है, और ये उस वक़्त है जब कि मुतवल्ली मुश्तरका हो, या कोई मुन्तज़िमा कमेटी मुश्तरका हो, वह सब औक़ाफ़ का इन्तिज़ाम करती हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–173 बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–2 सफ़्हा–57)

ज़मीन के कुछ हिस्सा पर मस्जिद की नीयत करना?

सवालः एक शख़्स ने अपनी ज़मीन के कुछ हिस्सा पर मस्जिद की नीयत की और इबादत ख़ाना की सूरत में एहाता कर के नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, मगर उसका दरवाज़ा अपनी तरफ़ ही रखा, अभी कोई रास्ता अलग नहीं किया तो शरअ़न मस्जिद होगी या नहीं?

जवाबः अगर वहां लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी और अज़ान व जमाअ़त होने लगी और आने जाने का ऐसा रास्ता मौजूद है कि रुकावट नहीं तो वह शरअ़न

मस्दिज बन गई है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–174 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़हा–102)

मस्अला:– वक़्फ़ ताम हो जाने के बाद उसको मन्सूख़ करने का हक़ नहीं, न उसमें किसी क़िस्म के मालिकाना तसर्रुफ़ का हक़ रहा, यानी वाक़िफ़ न उसको बेच सकता है और न उसको हिबा कर सकता है, न उसकी वसीयत कर सकता है, न उसको रिहन रख सकता है।

> "यानी वक्फ़ लिवज्हिल्लाह करने के बाद वाक़िफ़ उस चीज़ का मालिक नहीं रहा, इसलिए उसके इख़्तियारात ख़त्म हो गए हैं।"
>
> (रफ़अ़त क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

ग़ैर मुस्लिम का मस्जिद तामीर करना?

सवाल: एक ग़ैर मुस्लिम कारख़ानादार ने कारख़ाना में मस्जिद तामीर कराई, मुसलमान छः सात साल तक उसमें नमाज़ें अदा करते रहे, फिर ग़ैर मुस्लिम मालिक ने कारख़ाना को मुसलमान के हाथ फ़रोख़्त कर दिया, उसके बाद भी सात आठ साल तक उसमें नमाज़ बाजमाअ़त अदा की जाती रही, लेकिन अब मुसलमान कारख़ानादार कहता है कि मैं मस्जिद यहां से हटा कर दूसरे किनारे पर बनाऊँगा और यहां पर ज़ाती इमारत बनाना चाहता हूं, क्या उसका ये इक़्दाम दुरुस्त है?

जवाब: ग़ैर मुस्लिम अगर सवाब का काम समझ कर वक़्फ़ करे तो उसका वक़्फ़ सही है, यहां पर भी ज़ाहिर यही है कि उसने नेकी समझ कर ही ये मस्जिद तामीर करवाई है, लिहाज़ा मस्जिद शरअ़ी बन गई, अब मुसलमान कारख़ानादार को उसे हटाना जाइज़ नहीं है। अगर ग़ैर

मुस्लिम का वक़्फ़ सही तस्लीम न किया जाए तो भी मुसलमान कारख़ानादार के सामने सात आठ माह मुसलसल उस जगह नमाज़ बाजमाअत होती रही और वह ख़ामोश रहा, ये ख़ामोशी भी दलीले रज़ा है, लिहाज़ा ख़ुद उसकी रज़ा से भी ये शरअी मस्जिद क़रार पाई, अब उसको हटाना जाइज़ नहीं है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–452)

"अगर कारख़ाना में नमाज़ के लिए वैसे ही कोई जगह अलग कर दी जैसा कि घरों में आम तौर पर नमाज़ के लिए अलग कोई जगह चबूतरा वग़ैरा बना लिया क़रते हैं, बाक़ाएदा मस्जिद की नीयत नहीं होती, फिर तो मालिक को मिल्कियत पहुंचती है, उसको इख़्तियार है कि वह जगह नमाज़ के लिए बाक़ी रखे या ख़त्म कर दे या दूसरी कोई जगह अलग बनाए।" (रफ़अत)

मस्अलाः– अगर काफ़िर सवाब की नीयत से मस्जिद तामीर कराए तो जाइज़ है, अलबत्ता अगर उस अमल की वजह से मुसलमानों पर कुफ़्फ़ार का इफ़्तिख़ार व इज़हारे मिन्नत का अंदेशा हो तो उनके इस अमल को क़बूल करना जाइज़ न होगा।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–440)

ग़ैर मुस्लिम का मस्जिद के लिए ज़मीन वक़्फ़ करना?

मस्अलाः– अगर ग़ैर मुस्लिम के नज़दीक मस्जिद बनाना नेक काम है इसलिए उसने चंदा दिया या ज़मीन वक़्फ़ की है तो दुरुस्त है, वहां मस्जिद बना ली जाए

और वह पैसा भी मस्जिद में लगा दिया जाए, शामी में वक़्फ़े ग़ैर मुस्लिम की बहस मौजूद है जिसका हासिल वही है जो यहां पर लिखा गया है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–295)

मक़्बूज़ा सरकारी ज़मीन पर मस्जिद?

सवालः अरसए दराज़ से एक सरकारी ज़मीन पर एक ख़ानदान क़ाबिज़ है, मगर सालाना किराया सरकार को अदा करते हैं, कुछ अरसा पहले उस ख़ानदान ने उसी ज़मीन का कुछ हिस्सा बराए मक्तब व मस्जिद वक़्फ़ कर दिया है, हुकूमत ने एतेराज़ किया मगर जब मस्जिद का नाम सुना तो इजाज़त दे दी और ज़मीन की एक हद मुक़र्रर कर दी। अब मस्जिद बन गई और छः साल से नमाज़ हो रही है, तो क्या ये मस्जिद शरई है?

जवाबः ये सब ज़मीन मिल्के सरकार थी, जिन लोगों के तसर्रुफ़ में थी, उनकी ममलूक नहीं थी, वह उसका किराया अदा करते थे, उनको वक़्फ़ करने और मस्जिद व मक्तब बनाने का हक़ नहीं था, लेकिन जब सरकार की तरफ़ से मक्तब व मस्जिद बनाने की इजाज़त है, फिर सरकार उसको ख़ाली न कराएगी और न किराया वसूल करेगी, तो इस इजाज़त के बाद हसबे सवाबदीद मसलिहते मस्जिद व मक्तब के लिए जगह मुतऐय्यन कर के तामीर दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–134)

मस्जिद के पलाट का तबादला करना?

सवालः एक शख़्स ने मस्जिद से दूर एक मकान की जगह (पलाट) वक़्फ़ की है और वक़्फ़ करने वाला साहबे ख़ैर वफ़ात पा गया, उस वक़्फ़ शुदा पलाट को जो मस्जिद

से दूर है उसके बदला में मस्जिद के क़रीब कोई मकान मिल जाए तो इस तरह मकान का बदलना शरअ़न कैसा है?

जवाबः वाक़िफ़ ने अगर इस्तिब्दाल की इजाज़त दी हो तब तो बदलना बिला तकल्लुफ़ जाइज़ है, और अगर वाक़िफ़ ने इस्तिब्दाल के मुतअ़ल्लिक़ कोई वज़ाहत न की हो तो मुतवल्लियाने मस्जिद का इस्तिब्दाल से क्या मक़्सद है? अगर मौजूदा जगह से मस्जिद के लिए आमदनी होती हो और मुतवल्लियाने मस्जिद ज़ायद आमदनी के लिए जगह बदलना चाहते हों तब तो बदलना जाइज़ नहीं है, और अगर उस ख़ाली पलाट से फ़िल्हाल कोई आमदनी न हो और इस्तिब्दाल सिर्फ़ मस्जिद के मफ़ाद के लिए हो मसलन मस्जिद के क़रीब जगह होगी तो वसीअ़ मस्जिद बना सकेंगे या वह जगह महफ़ूज़ रखेंगे और आइंदा तौसीअ़ के काम आ सकेगी या उस जगह से मुतअ़ल्लिक़ वुज़ू ख़ाना, पेशाब ख़ाना या इमाम साहब का कमरा बनाना मक़्सूद हो तो इस्तिब्दाल की गुन्जाइश हो सकती है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–234 व फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–252)

मस्जिद के वक़्फ़ मकान को बेचना?

मस्अलाः– जो मकान मस्जिद के लिए वक़्फ़ हो, उसको फ़रोख़्त करने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड की इजाज़त काफ़ी नहीं। वक़्फ़ शुदा मकान की बैय का हक़ नहीं है। (अगर मुतवल्ली ने वक़्फ़ बोर्ड से इजाज़त लेकर बेच दिया तो) मुतवल्ली साहब से मुतालबा किया जाए कि उसको क्यों फ़रोख़्त किया, ये तो फ़रोख़्त के क़ाबिल नहीं है और

बैय को फ़स्ख़ कर के हसबे साबिक़ मकान को वक़्फ़ कर दिया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–302)

मग़सूबा ज़मीन पर मस्जिद बनाना?

मस्अला:– दूसरे की ज़मीन में बग़ैर इजाज़ते मालिक के मस्जिद बनाना जाइज़ नहीं है और उसमें नमाज़ पढ़ना मकरूह है। नीज़ दूसरे की ज़मीन पर मस्जिद के लिए दूकान बनाना और उसकी अमादनी को मस्जिद में ख़र्च करना भी नाजाइज़ है, ख़्वाह मुस्लिम की ज़मीन हो या ग़ैर मुस्लिम क़ी, बल्कि ग़ैर मुस्लिम की ज़मीन में बग़ैर इजाज़त तसर्रुफ़ करना और भी ज़्यादा गुनाह है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–168)

बिला ज़रूरत मस्जिद को मुन्हदिम करना?

मस्अला:– जो मस्जिद कि शरअन मस्जिद बन चुकी हो उसको बिला ज़रूरते शदीदा मसलन जगह की तंगी व कोहनगी की वजह से तोड़ कर अज़सरे नौ तामीर करना जाइज़ है, लेकिन वीरान करना किसी हालत में भी जाइज़ नहीं है।

अगर मुतवल्ली ने वाक़ई अग़राज़े दुनियवीया की वजह से दूसरी मस्जिद बनाई है और पहली मस्जिद को वीरान करना मक़्सूद था और लिल्लाहियत मक़्सूद न थी तो ये मस्जिदे ज़िरार के साथ लाहिक़ है, अलबत्ता अगर वह मस्जिद हलाल माल से बनाई गई है और शरओ़ी तौर पर वक़्फ़ हो चुकी है तो नमाज़ पढ़ना उसमें दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–216 व जिल्द–12 सफ़्हा–280)

मस्अलाः— दूसरी मस्जिद जबकि ज़रूरत की वजह से बनाई गई है और मालिके ज़मीन ने बख़ुशी वह जगह मस्जिद के लिए दे दी और उस पर बाक़ायदा नमाज़ व जमाअत होने लगी और मालिके अस्ली का मालिकाना क़ब्ज़ा उस पर नहीं रहा तो वह शरअी मस्जिद बन गई वह मस्जिदे ज़िरार के हुक्म में दाख़िल नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–168)

मस्जिद की ज़मीन को इमाम ने अपने नाम कर लिया तो?

मस्अलाः— अगर वह ज़मीन वक़्फ़ है तो उस पर किसी का मालिकाना क़ब्ज़ा ज़ाइज़ नहीं, बल्कि ग़सब है, इमाम के ज़िम्मा ज़रूरी है कि फ़ौरन ये मालिकाना क़ब्ज़ा उठा लें और ज़मीन मस्जिद के नाम कर दें, वरना आख़िरत में बाज़ पुर्स होगी और ऐसे इमाम साहब की इमामत मकरूहे तहरीमी होगी और वह इमामत से अलग किए जाने के क़ाबिल होंगे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–311)

मस्जिद के लिए वक़्फ़ शुदा ज़मीन में स्कूल या क़ब्रस्तान बनाना?

सवालः एक शख़्स ने अपनी ज़मीन मस्जिद के नाम हिबा कर दी, उसकी ज़िन्दगी में जामा मस्जिद बना दी गई, बाक़ी हिस्सा उसी वक़्त से बतौर सेहन के इस्तेमाल होता है, मालूम ये करना है कि उसके इन्तिक़ाल के बाद उस सेहन को स्कूल या क़ब्रस्तान के लिए वारिसीने बानिये मस्जिद या मुतवल्ली या नमाज़ियों के लिए शरअन जाइज़ है या नहीं?

जवाबः नाजाइज़ है, जिस काम के लिए वाक़िफ़ नें वह कि़तआ ज़मीन वक़्फ़ किया है उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं है और उसको और दीगर नमाज़ियान वग़ैरा किसी को भी शरअ़न ये हक़ नहीं है कि वाक़िफ़ की ग़रज़ के ख़िलाफ़ किसी दूसरे काम में उस वक़्फ़ को सर्फ़ करें या मुन्तक़िल करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–210)

तवाइफ़ का ज़मीन को मस्जिद के लिए वक़्फ़ करना?

मस्अलाः– अगर वह ज़मीन हराम आमदनी की और फ़ेले हराम के एवज़ की नहीं है तो उसका वक़्फ़ करना और उसकी आमदनी को मस्जिद नें सर्फ़ करना शरअ़न दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–312 किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–7 सफ़्हा–78)

जो जगह मदरसा की नीयत से ख़रीदी उसको मस्जिद के लिए वक़्फ़ करना?

मस्अलाः– मदरसा या अन्जुमन की नीयत से ख़रीदने के बाद भी वह जगह ख़रीदार की मिल्क में है, महज़ नीयत से मदरसा या अन्जुमन पर वक़्फ़ नहीं हुई, अब अगर उस ख़रीदार मालिक के नज़दीक मस्जिद के लिए वक़्फ़ करना ज़्यादा मुफ़ीद हो तो मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर देने का उसका हक़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–335)

मदरसा की इमारत पर मस्जिद बनाना?

सवालः एक शख़्स ने मदरसा की इमारत में ऊपर की मंज़िल पर मस्जिद बनवाई है कि मुहल्ला की मस्जिद में

लोग एतेराज़ करते हैं कि तलबा शोर व पुकार करते हैं, क्या ये शरअ़न मस्जिद के हुक्म में है या नहीं?

जवाबः ये शरअ़ी मस्जिद नहीं है जब कि तहतानी (नीचे की) मंज़िल मदरसा की है। यहां नमाज़ पढ़ने से मस्जिद का सवाब नहीं होगा, मगर नमाज़ अदा हो जाएगी। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–289)

मस्जिद के बाहर उफ़्तादा ज़मीन पर दूकानें बनाना?

मस्अलाः– मस्जिद के क़रीब कुछ जगह आम्मतन मसालेहे मस्जिद के लिए छोड़ दी जाती है, ऐसा ही हाल उस जगह का मालूम होता है (कि मस्जिद के बाहर कुंवा वग़ैरा था) ख़ास कर जब कोई उसकी मिल्कियत का मुद्दई भी नहीं, तो ऐसी हालत में उस जगह पर मसालेहे मस्जिद के लिए मुत्तफ़क़ा राय से दूकानें वग़ैरा बना देना शरअ़न दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–218)

मस्अलाः– मस्जिद की ज़मीन इमाम या मुअ़ज़्ज़िन की तन्ख़्वाह में बोने के लिए देना, इस मआमला पर इमाम या मुअ़ज़्ज़िन रज़ामंद हो जाएं और मस्जिद को नुक़्सान न हो तो ये भी दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–220)

मसालेहे मस्जिद के लिए दी गई ज़मीन को फ़रोख़्त करना?

मस्अलाः– जो ज़मीन मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दी गई है, उसको फ़रोख़्त करने का हक़ नहीं, न मुतवल्ली को न वाक़िफ़ को, न वाक़िफ़ के वरसा को, जो ज़मीन

मसालेहे मस्जिद के लिए दी गई उसको तामीरे मस्जिद के लिए मुतवल्ली, वाकिफ़, (वाकिफ़ न हो तो उसके वरसा) और अहले मुहल्ला सब बाहमी मश्वरा से फ़रोख़्त करना चाहें तो उसकी इजाज़त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–230 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–3 सफ़हा–367)

मस्जिद के नाम वक़्फ़ ज़मीन को तब्दील करना?

सवालः एक ज़मीन मस्जिद के नाम वक़्फ़ है जो मस्जिद से अलग कुछ फ़ासिला पर है, मस्जिद को उससे फ़ायदा की कोई सूरत नहीं है, एक साहब को मकान बनाने के लिए उस ज़मीन की ज़रूरत है और वह साहब ज़राअत वाली ज़मीन उसके बदला में दोगुनी मस्जिद को दे रहे हैं, उससे मस्जिद की आमदनी बढ़ जाएगी तो ये तब्दीली शरअ़न जाइज़ है या नहीं? नीज़ ज़ाएद ज़मीन लेना सूद तो नहीं?

जवाबः अगर उस ज़मीन से मस्जिद को नफ़ा हासिल होने की कोई सूरत नहीं तो तब्दील करना और नफ़ा वाली ज़मीन मस्जिद के लिए हासिल करना दुरुस्त है, उस ज़मीन के ज़ाएद होने की वजह से सूद नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–346)

सरकारी ज़मीन पर बग़ैर इजाज़त मस्जिद बनाना?

सवालः हमारा मकान लबे सड़क है, उसके सामने हमारा सेहन है जो कि सरकार की ज़मीन कही जाती है और निशानदेही की वजह से हुकूमत की ज़मीन कही जाती है, उस ज़मीन पर हम ने मस्जिद की बुनियाद

डाल दी है जो अभी तक चबूतरा की शक्ल में है जिसमें पांचों वक़्त नमाज़ बाजमाअत हो रही है, तो उस ज़मीन को मस्जिद बनाना कैसा है?

जवाबः जबकि वह ज़मीन हुकूमत की मिल्क है और उसकी हुदूद में है तो मस्जिद बनाने के लिए सरकार से बाक़ायदा इजाज़त हासिल कर ली जाए, बिला इजाज़त मस्जिद बनाने में ख़तरा व अंदेशा है, शरअन भी, क़ानूनन भी। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–197)

मस्अलाः– बहालते मौजूदा (सरकारी ज़मीन पर बग़ैर इजाज़त के मस्जिद बना ली गई तो इजाज़त हासिल करने की कोशिश के साथ साथ) उस इबादत गाह का एहतेराम मस्जिद ही की तरह किया जाएगा और उसमें कोई काम ख़िलाफ़े एहतेरामे मस्जिद न किया जाए। इन्शाअल्लाह तआला वहां नमाज़ पढ़ने का सवाब भी मस्जिद ही का मिलेगा।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–199)

मस्अलाः– ग़सब शुदा जगह पर मस्जिद तो नहीं बन सकती है, जब तक मालिक से उसकी इजाज़त न ले ली जाए, नीज़ हुकूमत के किसी दफ़्तर या इदारा पर क़ब्ज़ा कर के उसको मस्जिद में शामिल करना भी यानी मस्जिद बना देना ग़सब है।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–134)

मस्अलाः– बिला इजाज़त ग़ैर मुस्लिम की जगह पर मस्जिद व मदरसा बनाना सही नहीं, अगर बना लिया तो उस ग़ैर मुस्लिम (मालिक) को हक़ है कि अपनी ज़मीन से मस्जिद और मदरसा उठा दे, अगर मुसलमान मस्जिद

व मदरसा को बाक़ी रखना चाहते हैं तो ग़ैर मुस्लिम को उसकी क़ीमत देकर रज़ामंदी से ख़रीद लें।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–134 व निज़ामुल–फ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–311)

उफ़्तादा ज़मीन पर मस्जिद बनाना?

सवालः एक तालाब धोबियों को अलाट किया गया, तालाब के पास कुछ उफ़्तादा ज़मीन है हम ने उस पर छत डाल रखी है और पांचों वक़्त की नमाज़ उसमें पढ़ते हैं, हुकूमत के कागज़ात में भी ये जगह मस्जिद ही लिखी है, कुछ लोग उसको नाजाइज़ बतलाते हैं, शरअ़ी हुक्म क्या है?

जवाबः अगर वह ज़मीन किसी ख़ास शख़्स की मिल्क नहीं बल्कि उफ़्तादा मिल्के सरकार है, और सब की इजाज़त और रज़ामंदी से वहां पर अज़ान व जमाअ़त हो रही है और सरकार ने उसको मस्जिद तस्लीम कर लिया है तो उस ज़मीन को ग़सब कहना दुरुस्त नहीं। जो शख़्स उसको मस्जिद होने में रुकावट डालता है वह ग़लती पर है, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, मुसलमान वहां बाक़ाएदा मस्जिद बना लें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–201)

मदरसा के लिए मस्जिद की ज़मीन पर तामीर करना?

सवालः क्या मस्जिद की ज़मीन पर मस्जिद के रुपये से तामीर कर के बिला किसी मुआवज़ा के मदरसा के तसर्रुफ़ में लेना जाइज़ है?

जवाबः मस्जिद की ज़मीन पर मस्जिद के रुपये से

इमारत तामीर कर के बिला किसी मुआवज़ा के मदरसा के तसर्रुफ़ में लाना जाइज़ नहीं, मदरसा के फ़ंड से जुदागाना तामीर की जाए, मस्जिद की ज़मीन पर तामीर करना हो तो मशवरा के बाद उसका किराया मुक़र्रर कर के तामीर करें, ज़मीन मस्जिद की रहे और तामीर मदरसा की रहे, और ज़मीन का किराया मदरसा की तरफ़ से मस्जिद को दिया जाए, या तामीर भी मस्जिद के रुपये से हो, तो फिर वह तामीर भी मस्जिद ही की होगी और मदरसा किराया देता रहेगा।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–4 सफ़्हा–177)

घर को मस्जिद बना देना?

सवालः ज़ैद ने अपने ज़ाती मकान के बारे में आम मुसलमानों के रूबरू अदालत में इक़रार नामा बनवा कर दिया है कि इस वक़्त से हमेशा के लिए आम तौर पर मेरे मकान के अन्दर बाजमाअत नमाज़ पंज वक़्ता पढ़ने का हक़ है और मेरी बीवी जब तक ज़िन्दा है मकान के उस कोना में रहेगी, बक़िया तमाम मकान पर कुल मुसलमानों का हक़ रहेगा। चुनांचे आम मुसलमान पंज वक़्ता नमाज़ उस मकान में जा कर अदा करते रहे। ज़ैद के इन्तिक़ाल के बाद उसकी बीवी और उसके बाज़ अइज़्ज़ा नमाज़ पढ़ने में हायल हैं और उसको अपना मकान बना कर क़ाबिज़ होना चाहते हैं। क्या हुक्म है?

जवाबः ज़ैद ने बहालते सेहत व तन्दुरुस्ती उस मकान को मस्जिद बना दिया और उसका रास्ता भी अलग कर के उससे अपना क़ब्ज़ा हटा लिया और आम मुसलमानों को इजाज़त दे दी, और उन्होंने बाक़ाएदा उसमें अज़ान

व जमाअत शुरू कर दी तो शरअन वह मस्जिद बन गई। अब ज़ैद की बीवी या किसी का उस पर हक़ नहीं रहा, जो दावा करे वह लग्व और बातिल है, अगर मरज़ुलमौत की हालत में उस मकान को मस्जिद बनाया तो वह वसीयत के हुक्म में है और एक तिहाई में वसीयत जारी होगी और दो तिहाई वरसा की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–164 बहवाला आलमगीरी जिल्द–4 सफ़्हा–428)

मस्अला:– मस्जिद किसी की मिल्क नहीं होती (जो मुहल्ला वाले मुहल्ला की मस्जिद को अपनी मिलकियत समझते हों तो) और किसी के समझने से उसमें कुछ तग़ैय्युर नहीं होता, पस नमाज़ उसमें सही है और सवाब मस्जिद का हासिल है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–49 बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–3 सफ़्हा–510)

जब मालिक की इजाज़त से अज़ान व जमाअत होने लगे तो वह मस्जिद बन गई

सवाल: ज़ैद की मम्लूका ज़मीन में बइजाज़ते ज़ैद आम क़ौम ने अपने चंदा से मस्जिद की तामीर करा दी, चंद साल तक उसमें नमाज़ बाजमाअत होती रही, अब ज़ैद कहता है कि मैंने वक़्फ़ नहीं किया, ख़्वाह मैं किसी को नमाज़ पढ़ने दूं या न पढ़ने दूं और मस्जिद को बंद कर दूं। क्या उसको नमाज़ियों को मस्जिद के अन्दर नमाज़ पढ़ने या रोकने का हक़ है या नहीं?

जवाब: जब ज़ैद की इजाज़त से मस्जिद बनाई गई है और उसमें नमाज़ जमाअत के साथ होती रही और फिर भी ज़ैद ने मना नहीं किया तो शरअन वह मस्जिद

बन गई, अब ज़ैद को हक़ नहीं कि वह किसी को नमाज़ पढ़ने से रोके या उसको बंद करे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–170, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–686)

मस्अलाः– जबकि मस्जिद बनाई और ज़बानी वक़्फ़ कर के लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी और वहां अज़ान व जमाअत होने लगी और अपनी मिल्क से उस मस्जिद का रास्ता वग़ैरह अलग कर दिया तो वह बिलइत्तफ़ाक़ शरअी मस्जिद बन गई, अगरचे तहरीरे वक़्फ़ नामा की नौबत न आई हो, वहां नमाज़ दूसरी मस्जिदों की तरह बिला तअम्मुल दुरुस्त है, वाक़िफ़ के वरसा को उसमें कोई ऐसा तसर्रुफ़ दुरुस्त नहीं जो वक़्फ़ के ख़िलाफ़ हो, और बतौरे वरासत मिल्क का दावा करना ग़लत है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–193)

मस्अलाः– किसी जगह के मस्जिद होने के लिए ये बातें ज़रूरी हैंः–

(1) वाक़िफ़ ने जो सही तौर पर ज़मीन का मालिक था और वक़्फ़ करने का शरअी इख़्तियार रखता था उसको मस्जिद के लिए वक़्फ़ किया हो, ख़्वाह वह ज़मीन इमारत से ख़ाली हो या इमारत हो।

(2) उसको अपनी मिल्क से ऐसी तरह पर अलाहिदा कर दिया हो कि किसी दूसरे शख़्स का या वाक़िफ़ का कोई हक़ मुतअल्लिक़ न रहे।

(3) वक़्फ़ कर के उसको मुतवल्ली के सिपुर्द कर दिया हो या वाक़िफ़ की इजाज़त से उसमें एक मरतबा भी नमाज़ बाजमाअत हो गई हो। जिस ज़मीन या इमारत

में ये बातें मुतहक्क़क़ हो जाऐं वह मस्जिद हो जाएगी। उनमें से पहली बात यानी मस्जिदीयत के लिए वक़्फ़ करना वाक़िफ़ की नीयत से मुतअ़ल्लिक़ है, अगर नीयत की तस्रीह मौजूद हो जब तो कोई इश्काल नहीं, लेकिन अगर तस्रीह न हो तो फिर क़राइन से उसकी नौईयत मुअ़ैय्यन की जा सकती है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–152)

मस्जिद का नक़्शा ग़ैर मुस्लिम से तैयार कराना?

मस्अलाः– मसाजिद से मुतअ़ल्लिक़ जो ख़िदमात हों, वह मुसलमान से लेना बेहतर हैं, ख़ास कर जब अंदेशा हो कि अगर ग़ैर मुस्लिम से ख़िदमात ली गई तो वह आइंदा मुसलमानों पर एहसान जताऐंगे, या कोई दीनी मुफ़्सिदा हो, चुनांचे मसाजिद के लिए कुफ़्फ़ार के चंदा के सिलसिला में ये है कि ग़ैर मुस्लिम चंदा देने वाला अपने एतेक़ाद के एतेबार से चंदा देने को क़ुरबत समझता हो तो उसका चंदा लिया जा सकता है, लेकिन अगर ये एहतेमाल हो कि वह आइंदा मुसलमानों पर एहसान जताएगा तो उस वक़्त बेहतर ये है कि उनका चंदा न लिया जाए।

लेकिन सूरते मस्ऊला में जबकि मुसलमान आर्कीटेक्ट (माहिरे तामीरात) इस्तिताअ़त से ज़ाएद हक़्क़ुलमेहनत तलब कर रहा है और ग़ैर मुस्लिम मुनासिब उजरत पर काम करने पर तैयार है तो चूंकि ग़ैर मुस्लिम को उजरत दे कर उससे काम लिया जा रहा है तो वह बमंज़िला एक मुलाज़िम के हुआ जिससे ये एहतेमाल ख़त्म हो जाता है

कि वह आइंदा मुसलमानों पर एहसान जताएगा, इन हालात में ग़ैर मुस्लिम माहिरे तामीरात से नक़्शा वग़ैरा की ख़िदमत ली जा सकती है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–232 बहवाला इम्दादुलफ़तावा जिल्द–2 सफ़्हा–290)

ग़ैर मुस्लिम से मस्जिद की बुनियाद रखवाना?

मस्अलाः– ग़ैर मुस्लिम अगर मेअ़मार हो या इंजीनियर हो और सिम्त से ख़ूब वाक़िफ़ हो और इस्लाम की तक़रीब या एज़ाज़ की नीयत हो, उससे बुनियाद मस्जिद की रखवाना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–132)

मस्जिद की बुनियाद रखते वक़्त की दुआ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–486)

"लेकिन मुनासिब यही है कि मुसलमान मुत्तक़ी परहेज़गार ही मस्जिद की बुनियाद रखें, यानी मस्जिद की नियू खोद कर पहली ईंट जो रखें वह उसके अहल हों, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहि० की दुआए कुरआनी जोकि ख़ान–ए काबा तामीर करते हुए पढ़ते रहे, ज़बान से अदा करें।"

(मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

क्या मस्जिद की बुनियाद रखते ही मस्जिद का हुक्म होगा?

सवालः मस्जिद की पूरी इमारत तामीर होने के बाद मस्जिद कहा जाएगा या सिर्फ़ बुनियाद का पड़ना ही काफ़ी है, अगर बुनियाद ही काफ़ी है तो ऐसी मसाजिद

में जिनकी सिर्फ़ बुनियाद ही पड़ी हो, उसमें वुजू करना, गुस्ल करना, जानवरों को चराना या मेअमारों (इमारत बनाने वाले) का बीड़ी सिगरेट पीना कैसा है?

जवाबः जिसकी वह ज़मीन है अगर उसने मस्जिद बनाने से पहले लोगों को वहां अज़ान, नमाज़, जमाअ़त की इजाज़त दे दी और ये नीयत कर ली कि यहां हमेशा अज़ान, नमाज़, जमाअ़त हुआ करेगी और उसको मस्जिद क़रार दे दिया तो वह शरई मस्जिद बन गई, अब जो चीज़ें मस्जिद में मना हैं वहां भी मना हैं, मस्जिद का पूरा एहतेराम लाज़िम है। (आलमगीरी जिल्द–3 सफ़्हा–338)

और अगर ऐसा नहीं किया है बल्कि नीयत ये है कि तामीर मुकम्मल होने के बाद अज़ान, नमाज़, जमाअ़त शुरू की जाएगी और उसी वक़्त उसको मस्जिद क़रार दिया जाएगा तो उस पर मस्जिद का हुक्म तक्मीले इमारत के बाद जारी होगा। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–498 व आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–155)

मसाजिद की हुदूद वाज़ेह होनी चाहिऐं

बाज़ मसाजिद में तो ज़रूरीयाते मस्जिद वाला हिस्सा अस्ल मस्जिद से बिल्कुल अलग और मुम्ताज़ होता है जिसकी पहचान मुश्किल नहीं होती, लेकिन बाज़ मसाजिद में ये हिस्सा अस्ल मस्जिद से इस तरह मुत्तसिल (मिला हुआ) होता है कि हर शख़्स उसे नहीं पहचान सकता जब तक बानिये मस्जिद सराहतन न बताए कि ये हिस्सा मस्जिद नहीं है उस वक़्त तक उसका पता नहीं चलता।

लिहाज़ा जब किसी शख़्स का किसी मस्जिद में एतेकाफ़ करने का इरादा हो तो उसे सब से पहले काम ये करना

चाहिए कि मस्जिद के बानी या उसके मुतवल्ली से मस्जिद की ठीक ठीक हुदूद मालूम करे, और मस्जिद वालों को भी चाहिए कि वह मस्जिद की हुदूद को हत्तलइम्कान वाज़ेह और मुम्ताज़ रखें, और बेहतर ये है कि हर मस्जिद में एक नक़्शा मुरत्तब कर के लटका दिया जाए, जिसमें हुदूद वाज़ेह कर दी गई हों, वरना कम अज़ कम बीसवें रोज़े को जब मोतकिफ़ीन हज़रात मस्जिद में जमा हो जाऐं तो उन्हें ज़बानी तौर पर समझा दिया जाए कि मस्जिद की हुदूद कहां से कहां तक हैं।

जिन मस्जिदों में वुज़ू ख़ाने अस्ल मस्जिद से बिल्कुल मुत्तसिल होते हैं, वहां आम तौर से लोग वुज़ू ख़ानों को भी मस्जिद का हिस्सा समझते हैं और एतेकाफ़ की हालत में वहां पर बेखटके आते जाते हैं, ख़ूब समझ लेना चाहिए कि इस तरह से एतेकाफ़ फ़ासिद हो जाता है, वुज़ू ख़ाने मस्जिद का हिस्सा नहीं होते, और मोतकिफ़ के लिए वहां शरअी ज़रूरत के बग़ैर जाना जाइज़ नहीं है, लिहाज़ा एतेकाफ़ में बैठने से पहले मुन्तज़िमीने मस्जिद की मदद से वाज़ेह तौर पर ये मालूम कर लेना ज़रूरी है कि मस्जिद की हुदूद कहां ख़त्म हो गई हैं और वुज़ू ख़ाने की हुदूद कहां से शुरू हुई हैं। इसी तरह मस्जिद की सीढ़ियां जिन पर चढ़ कर लोग मस्जिद में दाख़िल होते हैं वह भी उमूमन मस्जिद से ख़ारिज होती हैं, इसलिए मोतकिफ़ को शरअी ज़रूरत के बग़ैर वहां जाना भी जाइज़ नहीं है। बाज़ मसाजिद के सेहन में जो हौज़ बना होता है वह भी मस्जिद से ख़ारिज होता है लिहाज़ा उसके बारे में भी ये मालूम करना ज़रूरी है कि हौज़ के क़रीब मस्जिद की

हुदूद कहां तक हैं? और हौज़ की हुदूद कहां से शुरू होती हैं?

जिन मसाजिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की जगह अलग बनी होती है वह भी मस्जिद से ख़ारिज होती है, मोतकिफ़ को वहां जाना भी जाइज़ नहीं है।

बाज़ मसाजिद में इमाम की रिहाइश के लिए मस्जिद के साथ ही कमरा बना होता है, ये कमरा भी मस्जिद से ख़ारिज होता है, उसमें मोतकिफ़ को जाना जाइज़ नहीं है।

बाज़ मस्जिदों में ऐसा कमरा इमाम की रिहाइश के लिए तो नहीं होता, लेकिन इमाम की तन्हाई की ज़रूरीयात के लिए बनाया जाता है, उस कमरा को भी जब तक बानिये मस्जिद ने मस्जिद क़रार न दिया हो उस वक़्त तक उसे मस्जिद नहीं समझा जाएगा। और मोतकिफ़ को उसमें भी जाना जाइज़ नहीं है, हां अगर बानिये मस्जिद ने उसके मस्जिद होने की नीयत कर ली हो तो फिर मोतकिफ़ उसमें जा सकता है।

बाज़ मसाजिद में अस्ल मस्जिद के बिल्कुल साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह बनाई जाती है, उस जगह को भी जब तक बानिये मस्जिद ने मस्जिद क़रार न दिया हो उस वक़्त तक मोतकिफ़ के लिए उसमें जाना जाइज़ नहीं है।

बाज़ मस्जिदों में मस्जिद की दरियां, सफ़ें, चटाइयां और दीगर सामान रखने के लिए अलग कमरा या कोई जगह बनाई जाती है, उस जगह का हुक्म भी यही है कि जब तक बनाने वाले (बानिये मस्जिद) ने उसे मस्जिद

क़रार न दिया हो, ये जगह मस्जिद नहीं है और मोतकिफ़ उसमें नहीं जा सकता।

इस तफ़सील से वाज़ेह हुआ होगा कि एतेकाफ़ करने के लिए मस्जिद की हुदूद को मुअैय्यन करना किस क़द्र ज़रूरी है, लिहाज़ा मोतकिफ़ को एतेकाफ़ शुरू करने से पहले मुन्तज़िमीने मस्जिद से हुदूदे मस्जिद को अच्छी तरह मुअैय्यन करा लें, फिर जब मस्जिद की हुदूद मालूम हो जाऐं तो उसके बाद एतेकाफ़ के दौरान शरओ़ ज़रूरीयात के बग़ैर उन हुदूद से एक लम्हा के लिए भी बाहर न निकलें, वरना एतेकाफ़ टूट जाएगा।

(अहकामे एतेकाफ़ सफ़्हा–35 अज़ मौलाना मुहम्मद तक़ी उस्मानी पाकिस्तान)

मुहल्ला वालों की ज़िम्मादारी

(1) हर मुहल्ले वालों की ज़िम्मादारी है कि वह पहले से ये तहक़ीक़ करें कि हमारी मस्जिद में कोई शख़्स एतेकाफ़ में बैठ रहा है या नहीं? अगर कोई आदमी न बैठ रहा हो तो फ़िक्र कर के किसी को बिठाऐं।

(2) लेकिन किसी शख़्स को उजरत देकर एतेकाफ़ में बिठाना जाइज़ नहीं, क्योंकि इबादत के लिए उजरत देना और लेना दोनों नाजाइज़ हैं। (शामी)

(3) अगर मुहल्ले वालों में से कोई शख़्स भी किसी मजबूरी की वजह से एतेकाफ़ में बैठने के लिए तैयार न हो तो किसी दूसरे मुहल्ले के आदमी को अपनी मस्जिद में एतेकाफ़ करने के लिए तैयार कर लें। दूसरे मुहल्ले के आदमी के बैठने से भी उस मुहल्ले वालों की सुन्नत इन्शा अल्लाह अदा हो जाएगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–6 सफ़्हा–512)

एतेकाफ़ का रुक्ने आज़म ये है कि इन्सान एतेकाफ़ के दौरान मस्जिद की हुदूद में रहे, और हवाइजे ज़रूरीया के सिवा (जिनकी तफ़सील आगे आ रही है) एक लम्हे के लिए भी मस्जिद की हुदूद से बाहर न निकले, क्योंकि अगर मोतकिफ़ एक लम्हे के लिए भी शरअी ज़रूरत के बग़ैर हुदूदे मस्जिद से बाहर चला जाए तो उससे एतेकाफ़ टूट जाता है। (अहकामे एतेकाफ़ सफ़्हा–33 अज़ मौलाना मुहम्मद तक़ी उस्मानी)

हुदूदे मस्जिद का मतलब

बहुत से लोग हुदूदे मस्जिद का मतलब नहीं समझते, और इस बिना पर उनका एतेकाफ़ टूट जाता है, इसलिए ख़ूब अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि हुदूदे मस्जिद का मतलब क्या है?

आम बोल चाल में तो मस्जिद के पूरे एहाते को मस्जिद ही कहते हैं, लेकिन शरअी एतेबार से ये पूरा एहाता मस्जिद होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि शरअन सिर्फ़ वह हिस्सा मस्जिद होता है जिसे बानिये मस्जिद ने मस्जिद क़रार दे कर वक़्फ़ किया हो।

इसकी तफ़्सील ये है कि ज़मीन के किसी हिस्सा का मस्जिद होना और चीज़ है, और मस्जिद की ज़रूरीयात के लिए वक़्फ़ होना और चीज़। शरअन मस्जिद सिर्फ़ उतने हिस्से को कहा जाएगा जिसे बनाने वाले ने मस्जिद क़रार दिया हो यानी नमाज़ पढ़ने के सिवा उससे कुछ मक़्सूद न हो, लेकिन तक़रीबन हर मस्जिद में कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो शरअन मस्जिद नहीं होता, लेकिन मस्जिद की

ज़रूरीयात के लिए वक़्फ़ होता है, मसलन वुज़ू ख़ाना, गुस्ल ख़ाना, इस्तिंजा ख़ाना की जगह, नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की जगह, इमाम का कमरा, गोदाम, पानी गर्म करने की जगह वग़ैरा, इस हिस्से पर शरअ़न मस्जिद के अहकाम जारी नहीं होते, चुनांचे इन हिस्सों में जानबत (नापाकी) की हालत में जाना भी जाइज़ है, जबकि अस्ल मस्जिद में नापाक का दाख़िल होना जाइज़ नहीं, इस ज़रूरीयात वाले हिस्से में मोतकिफ़ का जाना बिल्कुल जाइज़ नहीं है, बल्कि अगर मोतकिफ़ उस हिस्से में शरअ़ी उज़्र के बग़ैर एक लम्हे के लिए भी चला जाए तो उससे एतेकाफ़ टूट जाता है।

(अहकामे एतेकाफ़ अज़ मौलाना मुहम्मद तक़ी उस्मानी सफ़्हा–33)

मस्अला:– हद्दे मस्जिद वह जगह है जिसको नमाज़ के लिए मुतअ़ैय्यन कर दिया गया हो, वहां बिला गुस्ल जाना मना है, वुज़ू की जगह आम तौर पर ख़ारिजे मस्जिद होती है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–221)

सड़क की तौसीअ़ में मस्जिद का दे देना?

सवाल: हमारे यहां लबे सड़क मस्जिद तामीर शुदा है, यहां की सरकार उस सड़क को कुशादा करना चाहती है जिसके तहत सड़क में आधी मस्जिद चली जाएगी और आधी बाक़ी रह जाएगी। यहां के एक ग़ैर मुस्लिम सेठ साहब ने भी ये मश्वरा दिया है कि मस्जिद के शुमाल में हमारी जगह है, जितनी जगह मस्जिद की जाती है वह रोड (सड़क) में दे दो और उतनी जगह मैं (तुम को मस्जिद के लिए) शुमाल की जानिब देता हूं, तुम लोग

शुमाल की जानिब मस्जिद को कुशादा कर लो।

ये बात भी मद्देनज़र रहे कि हुकूमत मालूम नहीं बाद में किस तरह से पेश आए?

जवाबः जो जगह एक दफ़ा शरऔ मस्जिद बना दी गई वह सारी उम्र के लिए मस्जिद हो गई, उसको फ़रोख़्त करना या उसका तबादला करना या उसका कोई और मकान, दूकान, मदरसा, मुसाफ़िर ख़ाना वग़ैरा बनाना या वहां खेती करना, मुर्दे दफ़न करना बिल्कुल जाइज़ नहीं है। सूरते मस्ऊला में अगर मस्जिद का कुछ हिस्सा हुकूमत (ज़बरदस्ती, जबरन) लेना चाहती है तो उससे बैय वग़ैरा का मआमला न किया जाए और न उससे लड़ाई की जाए, न इश्तिआल अंगेज़ी की जाए और न सेठ साहब से तबादला की बात की जाए। जब हुकूमत अपनी मन्शा के मुताबिक़ जगह ले ले और सेठ साहब अपनी ज़मीन तौसीअ के लिए दे दें और वह उसको कारे ख़ैर समझ कर दें तो उसको लेकर मस्जिद में शामिल कर लें, बाहलते मजबूरी यही सूरत मुनासिब है। दुर्रेमुख़्तार और बहर वग़ैरा में ग़ैर मुस्लिम के वक़्फ़ की बहस भी मज़कूर है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–127 बाब अहकामुलमसाजिद)

मस्अलाः– हत्तलइम्कान मस्जिद को अपनी हालत पर बरक़रार रखने की सअये बलीग़ की जाए और महफ़ूज़ कर दी जाए कि बेअदबी से मस्ऊन और महफ़ूज़ रहे, अगर सामान ज़ाए होने का अंदेशा हो तो उसे दूसरी मस्जिद के लिए हटा लिया जाए, और अगर इमारत तोड़ दिए जाने का यक़ीन हो तो उसे भी तोड़ कर दूसरी

मस्जिद (क़रीब) के लिए रख लिया जाए और अस्ल जगह महसूर कर ली जाए ताकि बेहुरमती से महफ़ूज़ रह सके। अगर मस्जिद की ज़मीन को हुकूमत किसी हाल में भी बाक़ी रखना नहीं चाहती तो अगरचे बसूरते मजबूरी उनके हाथ फ़रोख़्त कर देने की गुन्जाईश है। (इस बात के मजाज़ अस्ल वाक़िफ़ या उसके वरसा हैं, और अगर वारिस मालूम न हों तो अह्ले मुहल्ला हैं) मगर इस सूरत में मस्जिद फ़रोख़्त करने की मिसाल क़ायम हो जाएगी, और दूसरी जगह की हुकूमतों और दूसरी क़ौमें इससे नाजाइज़ फ़ायदा उठाऐंगी। लिहाज़ा अगर नुक़सान क़ाबिले बरदाश्त हो तो फ़रोख़्त न करना बेहतर और क़रीने मसलिहत है। बहालते मजबूरी उसको मन्ज़ूर किया जा सकता है कि हुकूमत उस जगह के एवज़ दूसरी मस्जिद बनवा दे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–183, फ़तावा ख़ैरीया जिल्द–1 सफ़्हा–164 व शामी जिल्द–3 सफ़्हा–513 व जिल्द–3 सफ़्हा–519 तफ़सील देखिए जामेअ़ सग़ीर जिल्द–1 सफ़्हा–109)

सड़क पर मस्जिद की डाट का हुक्म

सवालः मस्जिद तंग होने की वजह से नमाज़ियों के वास्ते ख़ारिजे सड़क पर डाट लगाना जाइज़ है जबकि चुंगी इजाज़त दे दे, सिर्फ़ डाट लगा कर नमाज़ पढ़ने की और ज़मीन (सड़क) चुंगी ही की मिल्क है और राहगीरों को किसी किस्म की तक्लीफ़ न हो, क्योंकि डाट ज़मीन से बारह चौदह फ़िट बुलंद होगी, तो क्या नमाज़ उस डाट पर जाइज़ होगी और जमाअ़त का सवाब मिलेगा या नहीं?

जवाबः सड़क पर डाट लगा कर नमाज़ पढ़ना शरअ़न

दुरुस्त है और जबकि मस्जिद के सेहन के साथ ये डाट मुत्तसिल (मिली हुई) हो और सुफ़ूफ़े मस्जिद वहां तक मुत्तसिल हैं तो जमाअत का सवाब भी मिलेगा। लेकिन ये डाट मस्जिदे शरई के हुक्म में न होगी क्योंकि मस्जिद तहतस्सरा से आसमान तक किसी की मिल्क नहीं होती बल्कि अल्लाह तआला के लिए वक़्फ़ होती है और यहां पर डाट के नीचे सड़क है जो कि सरकारी चुंगी की मिल्क है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–183)

दो मंज़िला मस्जिद का हुक्म

मस्अलाः– दो मंज़िला मस्जिद बना कर आम तौर पर नीचे का हिस्सा बेकार कर दिया जाता है, मामूली सी गर्मी को बहाना बना लिया जाता है, सिर्फ़ ऊपर के हिस्सा में नमाज़ होती है, हालांकि अस्ल मस्जिद नीचे का हिस्सा है और मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह भी है, इसलिए ऐसे हालात में दो मंज़िला मस्जिद बनाना मुनासिब नहीं है। हां अगर हमेशा ही मस्जिद के नीचे के हिस्से में जमाअत हो और जगह की तंगी की वजह से मुक़्तदी छत पर खड़े हो जाएं तो शरअन ये जाइज़ है और इस सुहूलत के लिए दो मंज़िला मस्जिद बनाने या मस्जिद की छत पर साएबान डालने में मुज़ाएक़ा नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–184, रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–686 व तफ़सील फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–150)

मस्अलाः– मस्जिद की छत पर नमाज़ का मकरूह होना उस सूरत में है जबकि छत पर मुहल्ला वाले नमाज

के लिए जगह न बनाएं और उसको ख़ाली छत ही क़रार दें और जब छत पर दूसरी मंज़िल बना दी गई तो अब ये ख़ाली छत के हुक्म में नहीं रही।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–440)

मस्जिद का तबादला करना?

मस्अलाः– अपनी तरफ़ से मस्जिद की ज़मीन का तबादला या बैआना का मआमला (अज़ ख़ुद) न किया जाए और अगर वह ज़मीन न छोड़ें और दूसरी जगह आप के मुनासिब ज़मीन दें या क़ीमत दें तो मजबूरन लेकर दूसरी जगह मस्जिद बना लें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–275)

मस्जिद का लैट्रीन पड़ोसी की दीवार पर डालना?

मस्अलाः– मस्जिद ख़ुदा का घर है उसमें किसी दूसरे की ज़मीन, बग़ैर मालिक की इजाज़त के शामिल कर लेना या उसकी दीवार पर मस्जिद का गाटर या लैट्रीन वग़ैरा रखना या मस्जिद में कोई ऐसा रौशनदान खोलना कि जिससे दूसरे के मकान की बेपरदगी हो शरअ़न ये जाइज़ नहीं, ये हक़ तल्फ़ी है, गुनाह है, अगर मस्जिद में किसी ज़मीन की ज़रूरत हो तो क़ीमत दे कर ख़रीदी जाए, अगर बेपरदगी हो किसी की तो उसका इन्तिज़ाम किया जाए, और जिसकी हक़ तल्फ़ी की गई उससे माज़िरत भी की जाए, वरना आख़िरत की बाज़पुर्स से नजात नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–276)

मस्अलाः– मस्जिद की दीवारें किसी मकान या दूकान की दीवार से मुश्तरक भी न हों अगरचे वह मकान या

दूकान उस मस्जिद पर वक़्फ़ हो।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़हा–180)

तौसीऐ मस्जिद के लिए पड़ोसी का मकान लेना?

मस्अलाः– जो ज़मीन ख़रीद कर वक़्फ़ नहीं की वह मस्जिद की नहीं, उसमें मालिक को तसर्रुफ़ का इख़्तियार है, लेकिन अगर मस्जिद में तंगी हो और उसको बढ़ाने की ज़रूरत हो तो मालिक से क़ीमतन ले ली जाए, अगर मालिक फ़रोख़्त करने पर रज़ामंद हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़हा–178 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–3 सफ़हा–367)

"यानी ज़बरदस्ती हासिल करना जाइज़ नहीं है।"

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

मस्जिद की दीवार में नक़्श व निगार करना?

मस्अलाः– क़िब्ला की दीवार के अलावा मस्जिद में नक़्श व निगार करना दुरुस्त है, लेकिन वक़्फ़ माल से दुरुस्त नहीं है, लेकिन ज़्यादा तकल्लुफ़ात करना (फिर भी) मकरूह है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़हा–173 बहवाला कबीरी सफ़हा–571 व मजमउलअनहर जिल्द–1 सफ़हा–127 व बहरुर्राइक़ जिल्ज–2 सफ़हा–37)

मस्अलाः– दुर्रेमुख़्तार व शामी जिल्द–1 सफ़हा–442 की इबारत से मालूम हुआ कि मस्जिद में अलावा मेहराब के दूसरे हिस्सों यानी छत वग़ैरा में नक़्श–व–निगार करना अपने हलाल रुपया से जाइज़ है, लेकिन मेहराब में यानी जानिबे क़िब्ला की दीवार में ऐसे नक़्श–व–निगार करना जिससे नमाज़ियों की तवज्जोह मुन्तशिर हो मकरूह है,

इस तरह ज़्यादा तकल्लुफ़ के बाद बारीक बारीक नक़्शों और बेल बूटे निकलवाना भी मकरूह है और माले वक़्फ़ से तो उन चीज़ों में से कुछ भी जाइज़ नहीं है।

जो चीज़ तामीर को पुख़्ता और मुस्तहकम करने वाली हो वह हसबे ज़रूरत माले वक़्फ़ से जाइज़ है, बाक़ी ज़ेबाइशी काम में वक़्फ़ माल ख़र्च करना हराम है। अगर मुतवल्ली माले वक़्फ़ को ज़ेबाइश के काम में सर्फ़ करेगा तो वह उस का ज़ामिन होगा। अलबत्ता अगर माले वक़्फ़ ज़्यादा जमा हो जाए और मस्जिद को इमारत की ज़रूरत न हो बल्कि ज़रूरीयाते मस्जिद से वह रुपया क़तअन ज़ायद हो और मुतवल्ली को क़वी अन्देशा हो कि उस रुपये की हिफ़ाज़त किसी तरह नहीं हो सकती और दूसरे ज़ालिम लोग उस रुपये पर क़ब्ज़ा कर के अपनी ज़रूरीयात में सर्फ़ कर लेंगे तो फिर ऐसी मजबूरी के वक़्त उस रुपया को मस्जिद के ज़ेबाइशी काम में भी सर्फ़ करना दुरुस्त है। (मस्जिद की दीवारों पर ऐसे शीशे के बेल बूटे तैयार कराना जिसमें चेहरा और अक्स नज़र आता हो) और ज़ाहिर ये है कि शीशे के बेल बूटे वग़ैरा लगाना ज़ेबाइश ही के लिए है, इमारत के लिए नहीं। अगर नमाज़ी की तस्वीर उन शीशों में नज़र आती है तो उसमें और भी तस्वीर परस्ती की मुशाबहत है।

ऐसी मस्जिद (जिसके नक़्श–व–निगार में आईना लगा हो और तस्वीर नज़र आती हो) नमाज़ जाइज़ है नमाज़ी को चाहिए कि नज़र नीची रखे, ताकि ख़ुशूअ़ हासिल हो और ध्यान न बटने पाए, वरना अगर उस तरफ़ तवज्जोह की और ख़ुशूअ़ न रहा तो नमाज़ मकरूह होगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–180 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–170 बहवाला इब्न माजा जिल्द–1 सफ़्हा–245 व शामी जिल्द–1 सफ़्हा–607 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–140 व किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–457 व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–459)

जूते पहन कर जमाअ़त ख़ाना में दाख़िल होना?

मस्अलाः– मस्जिद की इमारत मुन्हदिम करने के बाद यानी पुरानी तामीर को तोड़ कर नई तामीर के वक़्त मस्जिद की जगह का एहतेराम वैसा ही ज़रूरी है जैसे पहले था, जूते और चप्पल अगर नए और पाक हों तो मुज़ाएक़ा नहीं लेकिन अदब के मक़ाम पर जूते उतार देना अदब का मुक़्तज़ा है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–111 व आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–138)

मस्अलाः– बाज़ जगह जूते रखने के लिए मस्जिद में लकड़ी का बक्स नहीं होता, अगर जूते ख़ुश्क हों नापाकी लगी हुई न हो तो मस्जिद नापाक नहीं होती।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–138 व किफ़ाय– –तुलमुफ़्ती जिल्द– सफ़्हा–150)

दौराने तामीर मस्जिद में जूता पहन कर जाना?

मस्अलाः– महज़ वक़्फ़ करने वाले की नीयत करने और सेहन व दालान की जगह मुतअ़य्यन कर लेने से मस्जिद के अहकाम जारी नहीं हो जाते, क्योंकि सिर्फ़ इतनी बात से मस्जिदीयत ताम नहीं हो जाती, बल्कि जब मस्जिद में अज़ान व जमाअ़त होने लगे तब मस्जिदीयत

ताम हो कर उस पर पूरे अहकाम जारी होते हैं।

पस दौराने तामीर वहां मस्जिद का मलबा ईंट गारा वग़ैरा पड़ा हो, तामीर हो रही हो, मेअ़मार व मज़दूर आ जा रहे हों तो उसका हुक्म और है और जब वहां नमाज़ व जमाअ़त हो रही हो उसका हुक्म और है। जितना हिस्सा नमाज़ व जमाअ़त के लिए मुतअ़य्यन कर दिया गया है और वहां नमाज़ व जमाअ़त होने लगी है उस पर पूरे मस्जिद के अहकाम जारी होंगे, वहां जूता पहन कर जाना भी एहतेराम के ख़िलाफ़ होगा।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–227 बहवाला आलमगीरी जिल्द–4 सफ्हा--93)

मेअ़मारों (इमारत बनाने वाले) का मस्जिद में घुटने खोलना?

सवालः मस्जिद के अन्दर तामीर के दौरान मेअ़मारों को हुक़्क़ा पीना और घुटने खुले रखना कैसा है?

जवाबः घुटने खुले रखना किसी के सामने ख़ारिजे मस्जिद भी मना है चे जाए कि मस्जिद में, मुतवल्ली को चाहिए कि ऐसे मेअ़मरों और मज़दूरों को हिदायत करे कि वह ऐसा न करें। मस्जिद में हुक़्क़ा पीने से भी उनको रोका जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–241)

मस्जिद में मीनार कितने हों?

मसअलाः– मीनार के मुतअ़ल्लिक़ शरीअ़त की तरफ़ से कोई तहदीद व तअ़य्युन नहीं, अलबत्ता मस्जिद की हैअत ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले पहचान लें कि ये मस्जिद है। आम तौर से दो मीनार बनाने का मामूल है, किसी मस्जिद में चार और किसी में इससे जाएद भी हैं,

मगर ये सब किसी शरअ़ी अम्र की वजह से नहीं, न मुमानअ़त है, अलबत्ता बिला वजह पैसा ख़र्च न किया जाए, ख़ास कर वक़्फ़ का पैसा, कि उसमें बहुत एहतियात ज़रूरी है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–165)

मस्अला:– मस्जिद के अन्दर मेहराब में ताक़ बनाना औरतों के भरने की ग़रज़ से मस्जिद की ज़रूरत में दाख़िल नहीं, गुम्बद, मीनार, मेहराब की अगर ज़रूरत हो तो उनका बनाना शरअ़न दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–159 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–119 व अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–84 व फ़तावा आलमगीरी जिल्द–6 सफ़्हा–215 किताबुलकराहीयता)

मस्जिद से मिला कर अपनी तामीर करना?

सवाल: मस्जिद से आगे की सिम्त या बाज़ू में मस्जिद से मुत्तसिल एक शख़्स की ज़मीन है। वह अपनी ज़मीन में इमारत बना रहा है, अगरचे वह ज़मीन उसी की मिलकियत में है मगर वह मस्जिद की इमारत यानी दीवार से ही तामीर शुरू कर रहा है, लेकिन क़ानून के एतेबार से उसको कम अज़ कम तीन फ़िट जगह छोड़ कर इमारत बनाना चाहिए, क्योंकि मस्जिद के रौशनदान और परनाले उसी जगह पर गिरते हैं, लेकिन वह शख़्स इसके लिए रज़ामंद नहीं है तो क्या क़ानून के एतेबार से उसको नोटिस दे कर रोका जा सकता है तहफ़्फ़ुज़े मस्जिद के लिए?

जवाब: मस्जिद की छत का पानी गिरने के लिए जगह का छोड़ना मस्जिद का हक़ है, लिहाज़ा तहफ़्फ़ुज़े मस्जिद

के लिए भी उसको रोकने की ज़रूरत है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–207)

मस्जिदे कबीर की तारीफ़

मस्अला:– चालीस ज़िराअ लम्बी चालीस ज़िराअ चौड़ी, एक कौल में साठ ज़िराअ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–168 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–206)

मस्अला:– जो मस्जिद चालीस गज़ (शरअी) लम्बी और उतनी ही चौड़ी हो वह मस्जिदे कबीर है, और जो इससे छोटी हो वह मस्जिदे सग़ीर है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–182 व इम्दादुल –अहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–444)

मस्जिद का नाम "मस्जिदे हरम" रखना?

सवालः क्या किसी मस्जिद का नाम "मस्जिदे हरम" रख सकते हैं, क्योंकि ये नाम ख़ान–ए काबा का है?

जवाबः गुलाम अहमद क़ादियानी ने यही तल्बीस की थी कि अपना नाम नबीये अकरम (स.अ.व.) का नाम तजवीज़ किया, अपनी बीवी का नाम उम्मुलमोमिनीन (रज़ि0) का नाम तजवीज़ किया और अपनी मस्जिद का नाम सरवरे दो आलम (स.अ.व.) की मस्जिद का नाम तजवीज़ किया, अपने क़ब्रस्तान का नाम मदीना पाक के क़ब्रस्तान का नाम तजवीज़ किया, इस तरह उसने अपनी उम्मत को हज़रत ख़ातिमुन्नबीयीन (स.अ.व.) की उम्मत से बेनियाज़ व बेतअ़ल्लुक बनाने की कोशिश की।

अपनी मस्जिद का नाम आप हज़रात भी मस्जिदे हरम न रखें कि आम मुसलमानों को इससे धोका लगता है,

अगरचे आप हज़रात की नीयत तल्बीस की न हो ता हम धोका और मुग़ालता से बचना ज़रूरी है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–127)

"मस्जिदे गुरबा" नाम रखना?

मस्अलाः– तआरुफ़ की ग़रज़ से नाम रखा जाता है, लिहाज़ा इस वजह से कि उस जगह के अक्सर लोग ग़रीब हैं, या गुरबा ने मस्जिद की तामीर कराई है और ग़रीब लोगों की मस्जिद है, "मस्जिदे गुरबा" नाम रखने में शरअ़ी क़बाहत नहीं है, ऐसा नाम रख सकते हैं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–92)

नाम खुदवा कर मस्जिद पर पत्थर लगवाना?

सवालः मरने वाले की तरफ़ से मस्जिद बनवा कर उसके नाम का पत्थर खुदवा कर लगाना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः ईसाले सवाब के लिए मस्जिद बनवा देना और ऐसी नीयत से पत्थर पर नाम खुदवा कर लगाना कि दूसरों को इस क़िस्म के कामों की रग़बत हो या कोई शख़्स उस पत्थर को देख कर मैय्यत के लिए ख़ुसूसियत से ईसाले सवाब करे तो दुरुस्त है और शोहरत की बिना पर नाम खुदवाना दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–514)

मस्जिद में अपने नाम का पत्थर लगवाना?

सवालः एक जामा मस्जिद तामीर हो रही है अवामी चंदा से, एक शख़्स जो चंदा की फ़राहमी और दीगर कामों में ज़्यादा हिस्सा लेता है वह पत्थर पर तारीख़े संगे बुनियाद और अपना ज़ाती नाम खुदवा कर दीवार में नसब करना चाहता है, सब लोग नाराज़ हैं, क्या उस पत्थर

को उस शख़्स के नाम के साथ नसब करें या नहीं?

जवाबः अगर मस्जिद वाले उन साहब को मस्जिद का मुतवल्ली व मोहतमिम क़रार देलें और उनके इन्तिज़ाम व एहतेमाम से मस्जिद का काम अन्जाम पाए तो उस पत्थर पर इस तरह से इबारत लिख दी जाए कि इस मस्जिद की तामीर फलां साहब के इन्तिज़ाम व एहतेमाम से हुई तो शरअन इसकी गुन्जाइश है। लेकिन ख़ुद उन साहब का मुतालबा करना कि मेरा नाम पत्थर पर खुदवा कर लगाया जाए इख़्लास के ख़िलाफ़ है, जिससे ज़ाहिर होता है वह अपनी नामवरी का ख्वाहिश मंद हैं, ये ख़्वाहिश निहायत ग़लत है, सवाब को ख़त्म करने वाली है, दुनिया में ऐसे शख़्स की शोहरत व तारीफ़ हो जाएगी मगर आख़िरत में अमले ख़ालिस के सवाब से महरूम रहेगा।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–142)

मस्जिद के सेहन में तामीर के बाद कुंवा खुदवाना?

मस्अलाः– जो जगह नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बना कर वक़्फ़ कर दी गई है उस जगह को मुस्तकिल्लन किसी दूसरे काम में लाना ग़रज़े वाकिफ़ के ख़िलाफ़ है, ऐसी जगह हमेशा मस्जिद ही रहती है उसका एहतेराम लाज़िम होता है, अगर उस जगह (तामीर होने के अरसा बाद जब कि वाकिफ़ भी मर चुका है) कुंवा बनाया जाएगा तो वह हमेशा के लिए ग़ैर सलात (नमाज़ के अलावा) के काम में महसूब रहेगी, हालांकि वह नमाज़ के लिए महसूब की गई थी, नीज़ वहां पानी लेने के लिए पाक और नापाक सब जाएंगे। और आम्मतन कुवें पर शोर व शग़ब

होता है, पानी लेने में निज़ाअ़ होता है। बसाऔक़ात पानी लेने वाले अवाम के पैर और बरतन मैल कुचैल में मुलव्वस होते हैं, ये उमूर एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ और मम्नूअ़ हैं, नीज़ उस मस्जिद में तंगी होगी और सुफ़ूफ़ में तफ़रीक़।
(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–502)

मस्जिद तामीर होने के बाद तह ख़ाना बनाना?

मस्अला:– मस्जिद की तामीर के वक़्त तह ख़ाना नहीं बनाया गया तो बाद में मस्जिद के नीचे तह ख़ाना बनाना जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–219 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–3 सफ़्हा–572 व तहतावी जिल्द–2 सफ़्हा–537)

मस्अला:– मस्जिद के गिर जाने का अन्देशा हो तो अज़सरे नौ तामीर कर ली जाए, जो जगह नमाज़ के लिए मुतऐय्यन है वह शरअ़ी मस्जिद है, अब कुर्सी ज़मीन को ऊँचा कर के उसके नीचे दूकान बना कर किराया पर देना दुरुस्त नहीं है, एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ है। किरायादार दूकान में अपने काम करेगा जिसकी मस्जिद में इजाज़त नहीं और मस्जिद को किराया पर देना दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–190)

मस्अला:– मस्जिद बालाई मंज़िल को क़रार देना और नीचे के हिस्सा में दूकानें बना लेना कि ऊपर नमाज़ होती रहे, नीचे ख़रीदो फ़रोख़्त बाज़ारी काम होता रहे, एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ है, ऊपर नीचे सब जगह मस्जिद ही होना चाहिए किसी हिस्सा को मस्जिद की आमदनी का ज़रीआ बना लेना दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–215)

मस्अलाः– जिस हिस्सए ज़मीन को शरअ़ी मस्जिद बनाया जाए। यानी नमाज़ के लिए मुतअ़ैय्यन व मख़्सूस किया जाए वह बालाई व तहतानी (नीचे ऊपर तहतस्सरा से लेकर सुरैय्या तक) सभी जगह मस्जिद हो जाती है, इस तरह उससे हकुलअ़ब्द मुन्क़ता हो जाता है। नीचे दूकान किराया पर चले, ऊपर मस्जिद हो ये ठीक नहीं, जब कि नीचे का हिस्सा भी मस्जिद होगा तो वहां ख़रीद व फ़रोख़्त और तमाम लवाज़िमे बैय का सुदूर होगा, गुफ़्तगू में भी एहतेरामे मस्जिद बाक़ी न रहेगा। पाक व नापाक हर क़िस्म का आदमी भी आएगा।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–162)

मस्जिद के नीचे तह ख़ाना और ऊपर हॉल बनाना?

सवालः हमारे यहां पर सौ साल पुरानी जामा मस्जिद मुन्हदिम कर के अज़ सरे नौ तामीर की गई है, मस्जिद के नीचे तह ख़ाना और मस्जिद के ऊपर वसीअ़ हॉल तामीर किया गया। तह ख़ाना को नमाज़ जमाअ़त के लिए और मस्जिद की बालाई मंज़िल को मदरसा के लिए और तक़रीबाते शादी बियाह, अक़ीक़ा वग़ैरा के मवाक़े पर खाना खिलाना और बारातियों को ठहराने के लिए। नीज़ दीगर कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाए और किराया भी वसूल किया जाएगा ताकि आमदनी में इज़ाफ़ा हो। हुक्मे शरअ़ी से मुत्तला फ़रमाऐं?

जवाबः जिस जगह को मस्जिद बनाई जाए वह नीचे ऊपर से मस्जिद ही होती है, वहां कोई ऐसा काम जो

मस्जिद के एहतेराम के ख़िलाफ़ हो वह मम्नूअ़ है। मस्जिद के बालाई हिस्से या नीचे के हिस्से किसी जगह से भी हकुलअ़ब्द मुतअ़ल्लिक़ नहीं होना चाहिए।

हॉल तक़रीबात के लिए बनाने का मतलब ये है कि तमाम अहले तक़रीबात को उसके इस्तेमाल का हक़ हो और उसमें वह काम भी हों जिनसे मस्जिद को बचाना लाज़िम है, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं, तह ख़ाना मस्जिद का सामान चटाई वग़ैरा रखने के लिए हो तो कोई हरज नहीं है, ये एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–229)

मस्अला:– मस्जिद के ऊपर मदरसा की तामीर करना बवक़्ते ज़रूरते शदीदा गुन्जाईश मालूम होती है मगर ये इजाज़त उस सूरत में है कि इब्तिदा ही से मस्जिद के ऊपर या नीचे मदरसा बनाने का इरादा हो, अगर इब्तिदाअन इरादा न था बल्कि मस्जिद की हुदूद मुतअ़य्यन कर के उस रक़्बा के बारे में ज़बान से कह दिया कि ये मस्जिद है उसके बाद ऊपर मदरसा बनाने का इरादा हो तो जाइज़ नहीं। (अहसनुलमसाइल जिलद–6 सफ़्हा–443 व अलामगीरी जिल्द–2 सफ़्हा–455)

नीचे मदरसा ऊपर मस्जिद

मस्अला:– शरअ़ी मस्जिद की शान ये होती है कि नीचे की मंज़िल और ऊपर की मंज़िल मस्जिद रहे। ये सूरत कि नीचे की मंज़िल मदरसा क़रार दी जाए और ऊपर की मंज़िल मस्जिद रहे और लकड़ी की सीढ़ी लगा कर ऊपर जा कर नमाज़ अदा की जाए शरअ़न दुरुस्त नहीं है। शामी और बह्र में ये मस्अला साफ़ साफ़ मौजूद

है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–222)

नीचे मस्जिद ऊपर रिहाइश गाह

सवालः हमारे यहां अह्ले ख़ैर हज़रात ने अपनी जगह पर मस्जिद क़ाइम की है और मस्जिद के ऊपर रिहाइश गाह भी है, सब लोग रहते भी हैं, क्या वह मस्जिद के हुक्म में मानी जाएगी? वहां पर जमाअ़ते सानिया हो सकती है या नहीं?

जवाबः जब तक वक़्फ़ कर के उससे मिलकियत के हक़ को ख़त्म कर के उसका रास्ता ही अलग न कर दिया जाए और उसमें सब लोगों को आने और नमाज़ पढ़ने का पूरा इख़्तियार न दे दिया जाए वह शरअ़ी मस्जिद नहीं होगी।

ऊपर के हिस्सा में खुद मालिकाना हैसियत से रहें और नीचे के हिस्सा में अज़ान व जमाअ़त होने लगे, इतनी बात उसके मस्जिद होने के लिए काफ़ी नहीं, वहां जमाअ़ते सानिया की इजाज़त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–248)

नीचे दूकान ऊपर मस्जिद?

सवालः ज़ैद अपनी ज़मीन पर चंद दूकानें बनवा कर ऊपरी मंज़िल पर मस्जिद तामीर करवाता है और ये कहता है कि मैंने मस्जिद को ऊपर वाली मंज़िल में तजवीज़ किया है और ये कि मैंने पहले ही नीयत कर ली थी कि निचली दूकानें मेरी मिलकियत होंगी और ऊपर मस्जिद वक़्फ़?

जवाबः सूरते मस्ऊला में ये मस्जिद शरअ़ी नहीं हुई, इसमें नमाज़ पढ़ने से मस्जिद का सवाब नहीं मिलेगा।

अगर ये ज़मीन पहले से मस्जिद के लिए वक़्फ़ थी, ज़ैद की मिलकियत नहीं थी तो ज़ैद को उन दूकान का किराया अपने काम में लगाना हरगिज़ जाइज़ नहीं है, मस्जिद पर सर्फ़ करना वाजिब है, और ये दूकानें मस्जिद ही की होंगी और मस्जिद शरऔ़ी मस्जिद होगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–183, बहवाला आलमगीरी जिल्द–2 सफ़्हा–455, दुर्रेमुख़्तार जिल्द–3 सफ़्हा–370 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–161)

मस्जिद से मुत्तसिल जगह को मस्जिद में दाख़िल करना?

सवालः मस्जिद से मिली जुली शुरू से बनामे मदरसा अलग से एक जगह मुतऔ़य्यन है, क्या उस जगह को मस्जिद में शामिल कर के मदरसा चलाया जा सकता है? बाज़ मरतबा नमाज़ियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से मज़कूरा जगह में इमाम की इक़्तिदा में नमाज़ अदा की जा सकती है या नहीं?

जवाबः अगर वह जगह किसी की मम्लूक है तो मालिक की इजाज़त से मस्जिद में शामिल करना दुरुस्त है, अगर जुदागाना (वक़्फ़) है मदरसा के लिए, तो उसको मस्जिद में शामिल न किया जाए, अगर मस्जिद के लिए वक़्फ़ है तो आपस के मश्वरा से हसबे ज़रूरत मस्जिद में शामिल किया जा सकता है। मजमा ज़्यादा होने के वक़्त अगर वहां तक सुफ़ूफ़ मुत्तसिल हैं तो इमाम की इक़्तिदा में वहां नमाज़ दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–200)

मिस्मार शुदा मस्जिद के सेहन में दूकानें बनाना?

सवालः हमारे यहाँ एक मस्जिद थी जो बिल्कुल

मिस्मार हो चुकी है, अगर मिस्मार शुदा मस्जिद की जगह सेहन को दूकानों में शामिल कर के उनकी छत पर जदीद तामीर कर दी जाए ताकि नमाज़ पढ़ी जा सके और मस्जिद की जगह महफ़ूज़ हो जाए वरना उस जगह पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा का एहतेमाल है, क्योंकि इस वक़्त मिस्मार शुदा मस्जिद की जगह पर ग़लाज़त इकट्ठी हो रही है।

जवाबः जो जगह एक दफ़ा वक़्फ़ कर के नमाज़ के लिए मस्जिद बना दी गई वह हमेशा के लिए मस्जिद हो जाती है, उसको किसी दूसरे काम में लाना हरगिज़ हरगिजर जाइज़ नहीं। इस क़ाएदए कुल्लीया के मातहत उस जगह को महफ़ूज़ रखना और अपने इम्कान की हद तक नमाज़ के लिए आबाद रखना ज़रूरी हैं और दूकानें बनाना जो अस्ल मस्जिद का हिस्सा था उसको दूकानों की सूरत में तामीर कर दिया जाए और छत पर मस्जिद रहे, दुरुस्त नहीं। क़ानूने तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ के मातहत उस जगह को महफ़ूज़ करने और नमाज़ के लिए मख़्सूस करने की पूरी कोशिश की जाए, ख़्वाह इस सूरत से ही क्यों न हो कि वहां चहार दीवारी बना कर ताला डाल दिया जाए और जब नमाज़ पढ़ने का मौक़ा वहां मिले कुफ़ल खोल कर नमाज़ अदा की जाए, अगर पूरी कोशिश के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ की कोई सूरत मुम्किन न हो, उस पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा हो कर वक़्फ़ के बरबाद व बातिल हो जाने का ज़न्ने ग़ालिब हो तो मजबूरन सवाल में दर्ज शुदा सूरत को भी गवारा किया जा सकता है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–270)

मस्जिद का नक़्शा मुकम्मल होने के बाद नीचे दूकान बनाना?

मस्अलाः– जब नक़्शा के मुताबिक़ मस्जिद की तामीर और खुदाई का काम शुरू हो गया है और एक वक़्त की नमाज़ भी बाजमाअत पढ़ी गई तो वह जगह नक़्शा के मुताबिक़ मस्जिद हो गई, अब उसका कोई हिस्सा ख़ारिज नहीं हो सकता, मस्जिद में पानी आ जाने का अंदेशा है तो इस बिना पर कुर्सी बुलंद की जा सकती है, लेकिन नीचे के हिस्सा में (मस्जिद का नक़्शा मुकम्मल होने के बाद) गोदाम या दूकान बना कर किराया पर देना जाइज़ न होगा, अगर काम शुरू होने से पहले पलान में नीचे का हिस्सा ख़ारिजे मस्जिद होता और दूकान बनाई जाती तो उस सूरत में इसकी गुंजाईश थी, अब इसकी गुंजाईश नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–81)

मस्अलाः– मस्जिद की इब्तिदाई तामीर के वक़्त बानिये मस्जिद ने नीयत कर के नक़्शा में दूकानें, कमरे भी शामिल किए हों और मस्जिद के मफ़ाद के लिए वक़्फ़ हों तो बना सकते हैं, और ये शरअी मस्जिद से ख़ारिज रहेंगे। उस जगह हाएज़ा और नापाक जा सकेगा।

(सफ़्हा–512 जिल्द–3)

मगर जब एक बार मस्जिद बन गई और इब्तिदाई तामीर के वक़्त नीचे दूकान और ऊपर के हिस्सा में कमरे शामिल न हों तो मस्जिद के ऊपर का हिस्सा आसमान तक और नीचे का हिस्सा तहतस्सरा तक मस्जिद के और उसी के हुक्म में हो चुका, अब उसका कोई हिस्सा (कोई जुज़्व) मस्जिद से ख़ारिज नहीं किया जा सकता, और

उस जगह मस्जिद की आमदनी के लिए दूकान व कमरे नहीं बना सकते और उस जगह का एहतेराम मस्जिद जैसा है। हाएज़ा व जुनुबी (नापाक) का वहां जाना दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–163 व जदीद फ़िक़्ही मसाइल सफ़्हा–76)

आरज़ी ज़रूरत के लिए बनाई गई मस्जिद का हुक्मः

सवालः पुरानी मस्जिद को तोड़ कर नई मस्जिद बनाने का इरादा किया है, जब तक नमाज़ पढ़ने के लिए आरज़ी तौर पर मस्जिद के एहाता से बाहर एक मस्जिद बनाई गई है जिसको पुख़्ता मस्जिद के तैयार होने पर तोड़ दिया जाएग, तो आरज़ी मस्जिद का क्या हुक्म है?

जवाबः अगर वहां आरज़ी तौर पर मस्जिद तैयार होने तक नमाज़ का इंतिज़ाम कर लिया गया है, उसको वक़्फ़ कर के मस्जिद नहीं बनाया गया तो वह शरअ़ी मस्जिद नहीं बनी, उसका हुक्म वह नहीं जो शरअ़ी मस्जिद का होता है, उसका हाल ऐसा ही है जैसे मकान में किसी जगह नमाज़ पढ़ते हों कि वह हमेशा के लिए मस्जिद नहीं। नीज़ ईदगाह में मस्जिद के सब अहकाम जारी नहीं होते, जब आरज़ी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मौक़ूफ़ कर दिया जाए तो मालिक को अपनी मिल्क में तसर्रुफ़ का इख़्तियार होगा। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–190 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–175)

मस्जिदे ज़िरार क्या है?

मुनाफ़िक़ीन की एक साज़िश का वाक़िआ ये है कि मदीना तैय्यबा में एक शख़्स अबूआमिर नामी ज़मान–ए

जाहिलीयत में नसरानी हो गया था, और "अबूआमिर राहिब" के नाम से मशहूर था, ये वही शख़्स है जिसके लड़के हज़रत हन्ज़ला (रज़ि0) मशहूर सहाबी हैं, जिनकी लाश को फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया, इसलिए ग़सीले मलाइका के नाम से मारूफ़ हुए, मगर उनका बाप अबूआमिर राहिब अपनी गुमराही और नसरानियत पर ता–हयात क़ाइम रहा।

जब रसूलुल्लाह (स.अ.व.) मदीना तैय्यबा तशरीफ़ लाए तो अबूआमिर राहिब हाज़िरे ख़िदमत हुआ और इस्लाम पर एतेराज़ात किए। रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के जवाब पर भी उस बदनसीब को इत्मीनान न हुआ, बल्कि ये कहा कि हम दोनों में जो झूटा हो वह मरदूद और अहबाब व अक़ारिब से दूर हो कर मुसाफ़िरत में मरे। और कहा कि आप के मुक़ाबला में जो भी दुश्मन आएगा उसकी मदद करूंगा। चुनांचे ग़ज़व–ए–हुनैन तक तमाम ग़ज़वात में मुसलमानों के दुश्मनों के साथ क़िताल में शिरकत की, जब हवाज़िन का बड़ा और क़वी क़बीला भी शिकस्त खा गया तो ये मायूस हो कर मुल्के शाम भाग गया, क्योंकि यही मुल्क नसरानियों का मरकज़ था, वहीं जाकर अपने अहबाब व अक़ारिब से दूर मर गया। जो दुआ की थी वह उसके सामने आ गई। जब किसी शख़्स की रुसवाई मुक़द्दर होती है तो वह ऐसे ही काम किया करता है, ख़ुद ही अपनी दुआ से ज़लील–व–ख़्वार हुआ। मगर जब तक ज़िन्दा रहा इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साज़िशों में लगा रहा।

चुनांचे क़ैसर मलिके रोम को इस पर आमादा करने की कोशिश की कि वह अपने लश्कर से मदीना पर चढ़ाई

कर दे, और मुसलमानों को यहां से निकाल दे।

उसी साज़िश का एक मआमला ये पेश आया कि उसने मुनाफ़िक़ीने मदीना को जिनके साथ उसका साज़ बाज़ था ख़त लिखा कि मैं इसकी कोशिश कर रहा हूं कि कैसर मदीना पर चढ़ाई करे, मगर तुम लोगों की कोई इज्तिमाअी ताक़त होनी चाहिए जो उस वक़्त कैसर की मदद करे, इसकी सूरत ये है कि तुम मदीना ही में एक मकान बनाओ, और ये ज़ाहिर करो कि हम मस्जिद बना रहे हैं ताकि मुसलमानों को शुब्हा न हो, फिर उस मकान में तुम अपने लोगों को जमा करो, और जिस क़दर अस्लहा और सामान जमा कर सकते हो वह भी करो, यहां मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपस के मश्वरा से मआमलात तैय किया करो।

उसके मश्विरा पर बारह मुनाफ़िक़ीन ने मदीना तैय्यबा के मुहल्ला कुबा में जहाँ अव्वले हिजरत में रसूलुल्लाह (स.अ.स.) ने क़याम फ़रमाया था और एक मस्जिद बनाई थी, वहीं एक दूसरी मस्जिद की बुनियाद रखी, उन मुनाफ़िक़ीन के नाम भी इब्ने इस्हाक़ वग़ैरा ने नक़्ल किए हैं, फिर मुसलमानों को फ़रेब देने और धोके में रखने के लिए ये इरादा किया कि ख़ुद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से एक नमाज़ उस जगह पढ़वा दें ताकि सब मुसलमान मुत्मइन हो जाऐं कि ये भी एक मस्जिद है जैसा कि इससे पहले एक मस्जिद यहाँ बन चुकी है।

उनका एक वफ़्द रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि कुबा की मौजूदा मस्जिद बहुत से लोगों से दूर है, ज़ईफ़, बीमार आदमियों को वहाँ

तक पहुंचना मुश्किल है, और खुद मस्जिदे कुबा इतनी वसीअ भी नहीं कि पूरी बस्ती के लोग उसमें समा सकें, इसलिए हम ने एक दूसरी मस्जिद इस काम के लिए बनाई है ताकि ज़ईफ़ मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचे, आप उस मस्जिद में एक नमाज़ पढ़ लें ताकि बरकत हो जाए।

रसूलुल्लाह (स.अ.व.) उस वक़्त ग़ज़व–ए–तबूक की तैय्रारी में मशगूल थे, आप (स.अ.व.) ने ये वादा कर लिया कि इस वक़्त तो हमें सफ़र दरपेश है, वापसी के बाद हम उसमें नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन ग़ज़व–ए–तबूक से वापसी के वक़्त जब कि आप (स.अ.व.) मदीना तैय्यबा के क़रीब एक मक़ाम पर फ़रोकश हुए तो आयाते मज़कूरा आप (स.अ.व.) पर नाज़िल हुईं जिनमें उन मुनाफ़िक़ीन की साज़िश खोल दी गई थी, आयात के नाज़िल होने पर रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने अपने चंद असहाब जिनमें आमिर बिन सकन और वहशी क़ातिले हमज़ा (रज़ि0) वग़ैरा शरीक थे, उनको हुक्म दिया कि अभी जा कर उस मस्जिद को ढा दो, और उसमें आग लगा दो, ये सब हज़रात (रज़ि0) उसी वक़्त गए और हुक्म की तामील कर के उसकी इमारत को ढा कर ज़मीन बराबर कर दी, ये तमाम वाक़िआ तफ़सीरे क़ुरतबी और मज़हरी की ब्यान की हुई रिवायात से अख़्ज़ किया गया है।

तफ़सीरे मज़हरी में मुहम्मद इब्न यूसुफ़ सालिही के हवाला से ये भी ज़िक्र किया है कि जब रसूलुल्लाह (स.अ.व.) कुबा से मदीना मनव्वरा में पहुंच गए तो मस्जिदे ज़िरार की जगह ख़ाली पड़ी थी, आप (स.अ.व.) ने आसिम इब्न अदी (रज़ि0) को इसकी इजाज़त दी कि वह उस

जगह में अपना घर बना लें, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह (स.अ.व.) जिस जगह के मुतअल्लिक़ कुरआने करीम की ये आयात नाज़िल हो चुकी हैं मैं तो उस मन्हूस जगह में घर बनाना पसंद नहीं करता, अलबत्ता साबित बिन अक़रम (रज़ि0) ज़रूरतमंद हैं उनके पास कोई घर नहीं, उनको इजाज़त दे दीजिए कि वह यहां मकान बना लें, उनके मश्वरा के मुताबिक़ आप (स.अ.व.) ने ये जगह साबित बिन अक़रम (रज़ि0) को दे दी, मगर हुआ ये कि जब से साबित (रज़ि0) उस मकान में मुक़ीम हुए तो उनके कोई बच्चा नहीं हुआ या ज़िन्दा नहीं रहा।

अह्ले तारीख़ ने लिखा है कि इन्सान तो क्या उस जगह में कोई मुर्ग़ी भी अण्डे बच्चे देने के क़ाबिल न रही, कोई कबूतर और जानवर भी उसमें फला फूला नहीं, चुनांचे उसके बाद से ये जगह आज तक मस्जिदे कुबा के कुछ फ़ासिले पर वीरान पड़ी है।

वाक़िआ की तफ़सील सुनने के बाद आयाते मज़कूरा के मतन को देखिए, पहली आयत में फ़रमाया وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا यानी जिस तरह ऊपर दूसरे मुनाफ़िक़ीन के अज़ाब और ज़िल्लत व रुसवाई का ज़िक्र हुआ है ये मुनाफ़िक़ीन भी उनमें शामिल हैं जिन्होंने मस्जिद का नाम रख कर एक ऐसी इमारत बनाई जिसका मक़्सद मुसलमानों को नुक़्सवान पहुंचाना था।

इस आयत में मस्जिदे मज़कूर के बनाने की तीन ग़रज़ें ज़िक्र की गई हैं, अव्वल ضِرَارًا यानी मुसलमानों को नुक़्सान पहुंचाने के लिए, लफ़्ज़ "ज़रर" और "ज़िरार" दोनों अरबी ज़बान में नुक़्सान पहुंचाने के माना में मुस्तअमल

होते हैं, बाज़ हज़रात ने ये फ़र्क़ ब्यान किया है कि "ज़रर" तो उस नुक़्सान को कहा जाता है जिसमें उसके करने वाले का अपना तो फ़ायदा हो, दूसरों को नुक़्सान पहुंचे। और "ज़िरार" दूसरों को वह नुक़्सान पहुंचाना है जिसमें उस पहुंचाने वाले का अपना कोई फ़ायदा भी नहीं, चूंकि उस मस्जिद का अन्जाम यही होने वाला था कि बनाने वालों को उससे कोई फ़ायदा न पहुंचे, इसलिए यहां लफ़्ज़ ज़िरार इस्तेमाल किया गया।

दूसरी ग़रज़ उस मस्जिद की تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ बतलाई गई है, यानी उनका मक़्सद उस मस्जिद के बनाने से ये भी था कि मुसलमानों की जमाअ़त के दो टुकड़े हो जावें, एक टुकड़ा उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों का अलग हो जाए, और ये कि क़दीम "मस्जिदे क़ुबा" के नमाज़ी घट जाएें और कुछ लोग यहां नमाज़ पढ़ा करें।

तीसरी ग़रज़ اِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ बतलाई गई जिसका हासिल ये है कि उस मस्जिद से काम भी लेना था कि यहां अल्लाह और रसूल (स.अ.व.) के दुश्मनों को पनाह मिले और वह यहां मुसलमानों के ख़िलाफ़ साज़िश किया करें।

मस्जिदे ज़िरार में आग क्यों लगवाई?

इस मजमूआ़ से ये साबित हो गया कि जिस मस्जिद को कुरआन करीम ने मस्जिदे ज़िरार क़रार दिया और रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के हुक्म से उसको ढाया गया और आग लगाई गई।

दरहक़ीक़त न वह मस्जिद थी, न उसका मक़्सद नमाज़ पढ़ने के लिए था, बल्कि मक़ासिद वह तीन थे जिनका

ज़िक्र ऊपर आया है, इससे मालूम हो गया कि आज कल अगर किसी मस्जिद के मुक़ाबला में उसके क़रीब कोई दूसरी मस्जिद कुछ मुसलमान बना लें और बनाने का मक़्सद यही बाहमी तफ़्रिक़ा और पहली मस्जिद की जमाअ़त तोड़ना वग़ैरा अग़राज़े फ़ासिदा हों, तो अगरचे ऐसी मस्जिद बनाने वाले को सवाब तो न मिलेगा बल्कि तफ़रीक़ बैनल——मोमिनीन की वजह से गुनाहगार होगा, लेकिन बई हमा उस जगह को शरअ़ी हैसियत से मस्जिद ही कहा जाएगा, और तमाम आदाब और अहकाम मसाजिद के उस पर जारी होंगे, उसका ढाना, आग लगाना जाइज़ नहीं होगा, और जो लोग उसमें नमाज़ पढ़ेंगे उनकी नमाज़ भी अदा हो जाएगी। अगरचे ऐसा करना फ़ी नफ़्सिही गुनाह रहेगा।

इससे ये भी मालूम हो गया कि इस तरह रिया व नुमूद के लिए या ज़िद—व—एनाद की वजह से जो मुसलमान कोई मस्जिद बना ले, अगरचे बनाने वाले को मस्जिद का सवाब न मिलेगा बल्कि गुनाह होगा, मगर उसको इस्तिलाहे कुरआन वाली मस्जिदे ज़िरार नहीं कहा जाएगा, बाज़ लोग जो इस तरह की मस्जिद को मस्जिद ज़िरार कह देते हैं ये दुरुस्त नहीं, अलबत्ता उसको मस्जिदे ज़िरार के मुशाबेह कह सकते हैं, इसलिए उसके बनाने को रोका भी जा सकता है, जैसा कि हज़रत फ़ारूक़े आज़म (रज़ि0) ने एक फ़रमान जारी फ़रमाया था जिसमें हिदायत की गई थी कि एक मस्जिद के क़रीब दूसरी मस्जिद न बनाई जाए जिससे पहली मस्जिद की जमाअ़त और रौनक़ मुतअस्सिर हो। (तफ़सीरे कश्शाफ़)

इस मस्जिदे ज़िरार के मुतअ़ल्लिक़ दूसरी आयत में

रसूलुल्लाह (स.अ.व.) को ये हुक्म दिया गया है لَاتَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا इसमें क़याम से मुराद नमाज़ के लिए क़याम है, मतलब ये है कि आप इस नाम की मस्जिद में हरगिज़ नमाज़ न पढें।

मस्अलाः– इससे इतना मालूम होता है कि आज भी अगर कोई नई मस्जिद पहली मस्जिद के मुत्तसिल बिला किसी ज़रूरत के महज़ रिया व नुमूद के लिए ज़िद व एनाद की वजह से बनाई जाए तो उसमें नमाज़ बेहतर नहीं, अगरचे नमाज़ हो जाती है।

इसी आयत में आप (स.अ.व.) को ये भी हिदायत दी गई कि आप (स.अ.व.) का नमाज़ पढ़ना उसी मस्जिद में दुरुस्त है जिसकी बुनियाद अव्वल ही से तक़्वा पर रखी गई है, और उसमें ऐसे लोग नमाज़ पढ़ते हैं जिनको पाकी और तहारत में पूरी एहतियात महबूब है, और अल्लाह भी ऐसे मुतह्हरीन को पसंद करता है।

सियाक़े आयत से ज़ाहिर ये है कि मुराद इससे मस्जिदे क़ुबा है, जिसमें उस वक़्त रसूलुल्लाह (स.अ.व.) नमाज़ पढ़ा करते थे, और बाज़ रिवायाते हदीस से भी इसकी ताईद होती है।

(كما رواه ابن مردويه عن ابن عباس وعمرو بن شيبة عن سهل الانصارى و ابن خزيمة فى صحيحه عن عويمر ابن ساعده،از مظهرى)

और बाज़ रिवायात में जो ये आया है कि इससे मुराद मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) है वह उसके मुनाफ़ी नहीं, क्योंकि मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) जिसकी बुनियाद वह्य के मुताबिक़ रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने अपने दस्ते मुबारक से रखी, ज़ाहिर है कि उसकी बुनियाद तक़्वा पर है, और रसूलुल्लाह (स.अ.व.)

से ज़्यादा या बराबर मतह्हर कौन हो सकता है, इसलिए वह भी उसकी मिस्दाक़ ज़रूर है।

(كما رواه الترمذی و صححه عن ابی سعيد الخدریؓ مرفوعاً، از قرطبی)

فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا. आयते मज़कूरा में रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की नमाज़ के लिए उस मस्जिद को अहक्क़ क़रार दिया, जिसकी बुनियाद अव्वल से तक़्वा पर रखी गई जिसके मफ़हूम में मस्जिदे कुबा और मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) दोनों दाख़िल हैं, उस मस्जिद की एक फ़ज़ीलत ये भी बतलाई गई कि उस मस्जिद के नमाज़ी ऐसे लोग हैं जो तहारत का बहुत ज़्यादा ख़्याल और एहतेमाम करते हैं, तहारत के मफ़हूम में इस जगह आम नजासात और गंदगियों से पाकी भी दाख़िल है, और मआसी और अख़्लाक़े रज़ीला से पाकी भी। मस्जिदे कुबा और मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) के नमाज़ी उमूमन इन सब औसाफ़ के साथ मुत्तसिफ़ थे।

फ़ायदा: इससे ये भी मालूम हुआ कि किसी मस्जिद की फ़ज़ीलत का अस्ल मदार तो इस पर है कि वह इख़्लास के साथ अल्लाह के लिए बनाई गई हो, उसमें किसी रिया और नाम व नुमूद का या किसी और ग़रज़े फ़ासिद का कोई दख़ल न हो, और ये भी मालूम हुआ कि नमाज़ियों के नेक, सालेह, आलिम, आबिद होने से भी मस्जिद की फ़ज़ीलत बढ़ जाती है, जिस मस्जिद के नमाज़ी आम तौर पर उलमा, सुलहा, तक़्वा शिआर हों उसमें नमाज़ अदा करने की फ़ज़ीलत ज़्यादा है।

तीसरी और चौथी आयत में इस मस्जिद मक़्बूल के मुक़ाबला में मुनाफ़िक़ीन की बनाई हुई मस्जिदे ज़िरार की

मज़म्मत ब्यान की गई है कि उसकी मिसाल ऐसी है जैसे दरया के किनारे बाज़ औक़ात पानी ज़मीन के हिस्सा को अन्दर से खा लेता है और ऊपर ज़मीन की सतह हमवार नज़र आती है, उस पर अगर कोई तामीर करे तो ज़ाहिर है कि वह फ़ौरन गिर जाएगी, इसी तरह उस मस्जिदे ज़िरार की बुनियाद नापायदार थी, उसका अन्जाम ये हुआ कि वह गिर पड़ी, और जहन्नम की आग में गई, जहन्नम की आग में जाना मजाज़ी माना के लिए भी हो सकता है कि उसके बनाने वालों के लिए उसने जहन्नम का रास्ता हमवार कर दिया, और बाज़ हज़रात ने उसको हक़ीक़त पर भी महमूल किया है कि हक़ीक़तन जब ये मस्जिद गिराई गई है तो जहन्नम में गई। वल्लाहु आलमु!

आगे फ़रमाया कि उनकी ये तामीर हमेशा उनके शक और निफ़ाक़ को बढ़ाती ही रहेगी, जब तक कि उनके कुलूब क़तअ़ न हो जाएं यानी जब तक उनकी ज़िन्दगी ख़त्म न हो जाए उनका शक व निफ़ाक़ और हसद व ग़ैज़ बढ़ता ही रहेगा। (मआ़रिफ़ुलकुरआन जिल्द–4 सफ़्हा–461, ता जिल्द–4 सफ़्हा–465)

मस्अलाः– मस्जिदे ज़िरार जिसकी कुरआने करीम में मज़म्मत है वह है जिसकी बुनियाद से मस्जिदीयत मक़्सूद न हो, और जिसकी बिना से मस्जिदीयत मक़्सूद हो वह मस्जिद है, गो फ़सादे नीयत की वजह से सवाब कम हो।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–461)

मस्जिद की पुरानी ईंटें जूते रखने की जगह लगाना?

सवालः एक छोटी मस्जिद को शहीद कर के बड़ी

बनाई गई, उसके सेहन का फ़र्श पत्थर का था, अब वह पत्थर जूते उतारने की जगह पर लगा दिया गया है। अब लोग एतेराज़ करते हैं कि जिस पत्थर पर सज्दा होता था, आज वह पत्थर जूते उतारने की जगह लगा दिया है जिससे बेहुरमती होती है क्या उस पर जूते उतारना दुरुस्त है या नहीं?

जवाबः वह पत्थर ऐसी जगह न लगाए जाते तो बेहतर होता, जहां जूते निकाले और रखे जाते हैं, क्योंकि ये ख़िलाफ़े ताज़ीम है। ताहम अब जबकि उन पर नमाज़ नहीं पढ़ी जाती तो उनका वह हुक्म नहीं जो मस्जिद के फ़र्श में लगा हुआ था। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-18 सफ़्हा-172 बहवाला आलमगीरी जिल्द-4 सफ़्हा-95 व फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़्हा-166 व दुर्रेमुख़्तार मअ़ शामी जिल्द-1 सफ़्हा-165)

मस्जिद में जूते उतारने की जगह से इक़्तिदा करना?

मस्अलाः- जूते उतारने की जगह तरीक़े आम से ख़ारिजे मस्जिद है, उसके महज़ रास्ता होने की वजह से तो ये इक़्तिदा से मानेअ़ नहीं है। लेकिन ये जूते उतारने की जगह मस्जिद नहीं है, ख़ारिजे मस्जिद है, और ख़ारिजे मस्जिद बक़द्र चार सफ़ों के जगह का ख़ाली रहना भी इक़्तिदा से मानेअ़ है, पस इसका इन्तिज़ाम किया जाए कि उस ख़ाली जगह में तीन चार मुक़्तदी खड़े हो जाया करें। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-15 सफ़्हा-158, बहवाला शामी जिल्द- सफ़्हा-393)

मस्अलाः- मस्जिद में क़स्दन जूते तब्दील करना सख़्त

गुनाह है। और जो चप्पल बेकार पड़े हों और उनका मस्रफ़ फेंकने के सिवा कोई न हो, उनको पहन लेने में कोई मुज़ायका नहीं है।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़हा–152)

मस्अला:– जूता में अगर नजासत लगी न हो तो मस्जिद के अन्दर रख देना जाइज़ है, और अगर चोरी का ख़ौफ़ न हो तो मस्जिद से बाहर रखना बेहतर है। और अगर नापाकी लगी हो तो बगै़र दूर किए हुए जूता को मस्जिद (दाख़िले मस्जिद) में रखना जाइज़ नहीं है।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़हा–444)

हॉस्टल के कमरों का मस्जिद बनाना?

सवाल: एक हॉस्टल में साढ़े ती सौ लड़के रहते हैं उसके अन्दर चार पांच कमरों को तोड़ कर एक मस्जिद बना ली गई जिसको बाक़ायदा मस्जिद जैसी शक्ल व सूरत नहीं दी, मज़कूरा मस्ज़िद में बाक़ायदा नमाज़े पंजगाना बाजमाअत होती है, इमाम व मुअज़्ज़िन का मुकम्मल इन्तिज़ाम है, और उसमें जुमा भी होता है, तो क्या इस मस्जिद के लिए भी वही हुक्म होगा जो कि दीगर मसाजिद के लिए है?

जवाब: उस जगह पर मस्जिदे शरई के अहकाम जारी नहीं होंगे, वहां जमाअ़ते सानिया भी मना नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–252)

मस्अला:– बिल्डिंग में जो कमरा नमाज़ के लिए मख़्सूस कर दिया गया हो, उसका हुक्म मस्जिद का नहीं और न उसमें मस्जिद का सवाब मिलेगा। जमाअ़त का सवाब तो मिलेगा अगर जमाअ़त की जाए।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़हा–138)

बग़ैर इजाज़त मिट्टी लेकर मस्जिद में लगाना?

मस्अला:— ग़ैर मुस्लिम की (या मुस्लिम की) ज़मीन से बग़ैर इजाज़त के मिट्टी लेना और मस्जिद में लगाना जाइज़ नहीं है, ऐसा करने वाले लोग ज़ालिम और गुनहगार हैं। अल्लाह तआला के घर में पाक माल लगाया जाए, हराम माल अल्लाह तआला के यहां मक़्बूल नहीं है, उन लोगों को (जिन्होंने बग़ैर इजाज़त मिट्टी वग़ैरा इस्तेमाल की) इस हरकत से बाज़ आना चाहिए और जिस क़दर मिट्टी ली है वह वापस कर दें या फिर अस्ल मालिक से उसको ख़रीद लें और क़ीमत अदा कर दें, तब मस्जिद में लगाएं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–301)

मस्जिद को हटा कर रास्ता कुशादा करना?

सवाल: हमारे यहां कॉरपोरेशन के ज़िम्मादारों का ख़्याल है कि जो मस्जिद रास्ता में आती है उसकी मुतबादिल जगह अपने सरमाया से ख़रीद कर हमारे नक़्शा के मुताबिक़ मस्जिद तामीर कर देते हैं, कि आप उसमें नमाज़ पढ़ें, हम मज़कूरा मस्जिद जो रास्ता में पड़ती है उसको तोड़ कर रास्ता बनाऐंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है?

जवाब: मस्जिदें सब अल्लाह की हैं न किसी को उनको गिराने का हक़ है और न बदलने का हक़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–231)

मस्जिद को मुन्तक़िल करना?

मस्अला:— जो एक दफ़ा मस्जिदे शरअ़ी बना दी जाए वह हमेशा के लिए मस्जिद रहती है, अब उसको वहां से मुन्तक़िल करना या उस जगह को मकतब के लिए मख़्सूस करना हरगिज़ जाइज़ नहीं है, मस्जिद को बदस्तूर मस्जिद

ही रखा जाए और उसमें अज़ान व जमाअ़त का भी एहतेमाम रहे, जिस तरह से अब तक हिफ़ाज़त रही है उसी तरीक़ा से आइंदा भी हिफ़ाज़त की जाए। मस्जिद को न क़ीमतन देना दुरुस्त है न किसी मकान या ज़मीन के एवज़ देना दुरुसत है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–226 व अहस– नुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–451)

मस्जिद को मदरसा बनाना?

मस्अलाः– जो जगह जब कि वह शरअ़ी मस्जिद बन गई और वहां पर अज़ान व जमाअ़त हो रही है तो अब मसालिहे मज़कूरा (कि मस्जिद के क़रीब ग़ैर मुस्लिमों ने मन्दिर बना लिया है इसलिए उस मस्जिद को एक मदरसा में तब्दील कर दिया जाए और उससे हट कर उसी नाम से एक नई मस्जिद बना दी जाए) की वजह से उसको मदरसा बनाना और वहां से मस्जिद हटा कर उसी के नाम से दूसरी जगह मुन्तक़िल कर देना हरगिज़ जाइज़ नहीं, वह हमेशा हमेशा के लिए मस्जिद है। अज़ान व जमाअ़त के साथ उसको आबाद रखा जाए। मन्दिर या कोई भी इमारत क़रीब होने से नमाज़ में ख़लल नहीं आएगा। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–234)

मस्अलाः– अगर मस्जिद की ज़रूरत हो तो आ़शूरा ख़ाना को मस्जिद बना लेना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–223)

नई आबादी में मस्जिद बनाना?

मस्अलाः– मस्जिद मुसलमानों की अहम ज़रूरत है, जहां आबाद होंगे मस्जिद का एहतेमाम करेंगे और करना भी चाहिए, उस नौआबद मुहल्ला में ज़रूरत हो तो वहां

भी मस्जिद बना ली जाए, मगर उसको आबाद रखने की फ़िक्र व कोशिश भी लाज़िम है। ऐसा न हो कि मस्जिद तो जोश में बना लें और आबाद न रख सकें, इसलिए तबलीग़ कर के मुसलमानों को नमाज़ी बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–191)

बिला ज़रूरत मस्जिद बनाना?

मस्अलाः– मस्जिद अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए बनाना बहुत अज्र व सवाब का काम है, आपस की नाराज़गी की वजह से या एक मस्जिद को वीरान करने के लिए दूसरी मस्जिद बनाना शरअ़न मज़मूम और नापसंद है, लेकिन अगर मस्जिद बना ली गई और वक़्फ़ कर दी गई तो उसको भी आबाद रखने की ज़रूरत है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–238)

मस्अलाः– अगर मस्जिदे क़दीम को नुक़्सान पहुंचाने के लिए अदावत की वजह से दूसरी मस्जिद बनाई जाए तो उससे सवाब नहीं मिलेगा। ऐसा करना शरअ़न क़बीह है, लेकिन अगर शरअ़ी तौर पर वक़्फ़ कर के मस्जिद बना दी गई तो उसको आबाद करना ज़रूरी है, उसको मस्जिदे ज़िरार कह कर मुन्हदिम करना जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–219)

ख़ानदानी एज़ाज़ के लिए मस्जिद बनाना?

मस्अलाः– मस्जिद अल्लाह तआ़ला की ख़ुशनूदी के लिए बनाए तो अज्रे अज़ीम है, किसी दूसरी ग़रज़ के लिए बनाई जाए तो वह मक़्बूल नहीं। इस तरह पर ऐसी जगह बनाना जिससे क़दीम मस्जिद को ज़रर पहुंचे मम्नूअ़ है। नीज़ जिस मस्जिद के ज़िम्मा क़र्ज़ है उसकी अदाएगी

की फ़िक्र मुक़द्दम है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–224)

क़िब्ला क्या है?

दूसरी आयत में रसूले अकरम (स.अ.व.) और सहाब–ए किराम (रज़ि0) को तसल्ली दी गई है कि मुशरिकीने मक्का ने अगरचे आप (स.अ.व.) को मक्का और बैतुल्लाह से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, और मदीना पहुंच कर इब्तिदाई ज़माना में सोलह सत्तरह महीना तक आप (स.अ.व.) को बैतुलमुक़द्दस की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन उसमें आपका कोई नुक़सान नहीं, न आपके लिए ग़मगीन होने की कोई वजह है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला की ज़ाते पाक किसी ख़ास सिम्त में नहीं वह हर जगह है, उसके लिए मशरिक़ व मग़रिब यक्सां हैं, काबा को क़िब्लए नमाज़ बनाऐं या बैतुलमुक़द्दस को, दोनों में कोई ज़ाती ख़ुसूसियत नहीं, बल्कि अम्रेइलाही की तामील ही दोनों जगह सबबे फ़ज़ीलत है:

दादे हक़ रा क़ाबिलीयत शर्त नेस्त
बल्कि शर्ते क़ाबिलीयत दाद हस्त

इसलिए जब काबा की तरफ़ रुख़ करने का हुक्म था उसमें फ़ज़ीलत थी, और जब बैतुलमुक़द्दस के इस्तिक़बाल करने का हुक्म हो गया तो उसमें फ़ज़ीलत है, आप (स.अ.व.) दिलगीर न हों, अल्लाह तआ़ला की तवज्जोह दोनों हालतों में यक्सां है, जब कि बन्दा उसके हुक्म की तामील कर रहा हो।

चंद महीनों के लिए बैतुलमुक़द्दस को क़िब्ला क़रार देने का हुक्म दे कर अमलन और आप (स.अ.व.) ने क़ौलन

इस बात को वाज़ेह कर दिया कि किसी ख़ास मकान या सिम्त को क़िब्ला क़रार देना इस वजह से नहीं कि मआज़ल्लाह, ख़ुदा तआला उस मकान या उस सिम्त में है, दूसरी जगह में नहीं, बल्कि अल्लाह तआला हर जगह, हर सिम्त में यक्सां तवज्जोह के साथ मौजूद है, किसी ख़ास सिम्त को क़िब्लए आलम क़रार देना, दूसरी हिकमतों और मस्लिहतों पर मब्नी है, क्योंकि जब अल्लाह तआला की तवज्जोह किसी ख़ास सिम्त या जगह के साथ मुक़ैय्यद नहीं तो अब अमल की दो सूरतें हो सकती हैं, एक ये कि हर शख़्स को इख़्तियार दे दिया जाए कि जिस तरफ़ चाहे रुख़ कर के नमाज़ पढ़े, दूसरे ये कि सब के लिए कोई ख़ास सिम्त व जिहत मुअैय्यन कर दी जाए, ज़ाहिर है कि पहली सूरत में एक तशत्तुत व इफ़्तिराक़ का मंज़र सामने आएगा कि दस आदमी नमाज़ पढ़ रहे हैं, और हर एक का रुख़ अलग अलग, और हर एक का क़िब्ला जुदा जुदा है, और दूसरी सूरत में तन्ज़ीम व इत्तिहाद का अमली सबक़ मिलता है। इन हिक्मतों की बिना पर सारे आलम का क़िब्ला एक ही चीज़ को बनाना ज़्यादा मुनासिब है, अब वह बैतुलमुक़द्दस हो या काबा, दोनों मुतबर्रक व मुक़द्दस मक़ामात हैं, हर क़ौम और हर ज़माना के मुनासिब अल्लाह तआला की तरफ़ से अहकाम आते हैं। एक ज़माने तक बैतुलमुक़द्दस को क़िब्ला बनाया गया, फिर आंहज़रत (स.अ.व.) और सहाब–ए–किराम (रज़ि0) की दिली ख़्वाहिश के मुताबिक़ इस हुक्म को मनसूख़ कर के काबा को क़िब्ल–ए–आलम बना दिया गया, इरशाद हुआ।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

तर्जुमाः यानी काबा को क़िब्ला बना देने की दिली रग़बत की वजह से बार बार आसमान की तरफ़ मुंह उठा कर देखते हैं कि शायद फ़रिश्ता हुक्म ले आए। हम ये सब देख रहे हैं, इसलिए अब हम आप (स.अ.व.) को उसी क़िब्ला की तरफ़ मुतवज्जेह कर देंगे जिसको आप चाहते हैं, इसलिए अब से आप (स.अ.व.) अपना चेहरा नमाज़ में मस्जिदे हराम की तरफ़ किया करें, और ये हुक्म कुछ आप (स.अ.व.) ही के लिए मख़्सूस नहीं, बल्कि तमाम उम्मत के लिए यही हुक्म दे दिया गया, कि तुम जहां कहीं भी मौजूद हो यहां तक कि ख़ुद बैतुलमुक़द्दस के अन्दर भी हो तो नमाज़ में अपना रुख़ मस्जिदे हराम की तरफ़ किया करो।

अलग़रज़ आयते मज़कूरा وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ने इस्तिक़बाले क़िब्ला की पूरी हक़ीक़त को वाज़ेह कर दिया कि उसका मन्शा बैतुल्लाह या बैतुलमुक़द्दस की मआज़ल्लाह परस्तिश नहीं, और न उन दोनों मकानों के साथ अल्लाह तआला की ज़ाते पाक मख़्सूस है, बल्कि उसकी ज़ात सारे आलम पर मुहीत और हर सिम्त में उसकी तवज्जोह यकसां है, फिर जो किसी ख़ास मकान या सिम्त को मख़्सूस किया जाता है उसमें दूसरी हिकमतें हैं।

(मआरिफुलकुरआन जिल्द–1 सफ़्हा–245, सूरए बक़रा)

क़दीम मस्जिद का रुख़ सही नहीं तो क्या करें?

सवालः पुरानी मस्जिद पर लिन्टर डलवाने का प्रोग्राम है, मस्जिद को जब नापा गया (पैमाइश की गई) तो उसके

अन्दर तक़रीबन छः फ़िट का फ़र्क़ निकला, बिल्कुल क़िब्ला रुख़ नहीं थी, मस्जिद को क़िब्ला रुख़ बनाने के लिए मस्जिद को शहीद कर के दोबारा तामीर कराई जाए या उसी सूरत में बाक़ी रख कर लिन्टर डलवा लिया जाए?

जवाबः नमाज़ तो इतने फ़र्क़ से भी अदा हो जाती है ताहम उस फ़र्क़ को निकालने और सुफ़ूफ़ का रुख़ सही करने के लिए सुफ़ूफ़ के निशानात को सही कर देना भी काफ़ी है, ताकि निशानात पर नमाज़ अदा की जासके। तमाम मस्जिद को गिराने और शहीद करने की ज़रूरत नहीं है। (फ़तावा महमूदियां जिल्द–18 सफ़्हा–232 व इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–445)

मस्अलाः– अगर मामूली क़िब्ला रुख़ में फ़र्क़ हो तब भी मस्जिद को न गिराया जाए। सिम्ते क़िब्ला में तवस्सोअ़ है। मौसमे सर्दी और गर्मी में जहां जहां सूरज गुरूब होता है उन दोनों जगहों के दरमियान नमाज़ पढ़ने से भी नमाज़ अदा हो जाती है। अब तफ़्रिक़ा पैदा न किया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–241)

मस्अलाः– सिम्त मालूम करने की बहुत सी अलामात फ़ुक़हा ने लिखी हैं, कुतुब भी एक दलील है, पस अगर सर्दी व गर्मी में जिस जगह आफ़ताब गुरूब होता है, उसकी तरफ़ रुख़ कर के नमाज़ पढ़ी जाए तो नमाज़ सही हो जाएगी, यानी दोनों मौसमों के जाए गुरूब के दरमियान का हिस्सा जिहते काबा है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–163)

मस्अलाः– अब कुतुब नुमा के ज़रीआ वहां सफ़ों के निशानात सही रुख़ पर लगा दिए जाएं और उन निशानों

के मुवाफ़िक़ जमाअत खड़ी करके नमाज़ पढ़ा करें, तमाम मस्जिद को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है और जो नमाजें अब तक पढ़ी गई हैं, उनका एआदा लाज़िम नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़हा–262)

"पहले ज़माना में क़िब्ला का रुख़ मालूम करने के लिए आज कल की तरह सुहूलीयात नहीं थीं, अगर कहीं पर क़दीम मस्जिद शहीद कर के नई मस्जिद तामीर की जा रही हो तो रुख़ को सही कर लिया जाए। थोड़े बहुत रुख़ को सही करने के लिए बाक़ाएदा मस्जिद को शहीद न किया जाए और हज़रत मुफ़्ती साहब जो मश्वरा देते हैं उस पर अमल कर लिया जाए।"

(रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

मस्जिद का क़िब्ला से मामूली फ़र्क़ का हुक्म

सवालः हमारे यहां एक मस्जिद है जिसकी लम्बाई साढ़े नौ गज़ है, चौड़ाई पौने चार गज़ है, जिसमें ये मस्जिद क़िब्ला रुख़ से तीन हाथ हटी हुई है। उत्तर की तरफ़ दीवार को जब पच्छिम तीन हाथ ली जाए तब उसका रुख़ सही होगा और जिहत में से दक्षिण क़िब्ला रुख़ ज़्यादा हटाए तो उसका क्या हुक्म है?

जवाबः जिस मक़ाम पर ज़मान–ए–क़दीम की मसाजिद न हों और क़वाइदे शरईया के मुवाफ़िक़ क़िब्ला का रुख़ मुअैय्यन करने वाले मुसलमान भी न हों। चाँद, सूरज, सितारों को देख कर भी वाक़िफ़ कार मुसलमान रुख़ मुतअैय्यन न कर सकते हों और आलाते रसदीया के ज़रीआ क़ल्ब का इत्मीनान हो जाए तो उसी तरह रुख़ मुअैय्यन

कर के उसके मुवाफ़िक़ नमाज़ अदा करते रहें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–259 व किफ़ाय–तुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–132)

ग़लत बुनियाद पर मस्जिद की तामीर का हुक्म

सवालः एक पुरानी मस्जिद की जदीद तामीर के वक़्त कुतुब नुमा से देखा गया तो आठ फ़िट का फ़र्क़ क़िब्ला में आ रहा है, क्या ऐसी सूरत में साबिक़ा बुनियाद पर जदीद तामीर कर ली जाए या कुतुब नुमा से क़िब्ला दुरुस्त करना ज़रूरी है?

नीज़ कितने फ़िट के फ़र्क़ से इन्हिराफ़ समझा जाएगा और नमाज़ दुरुस्त न होगी? फ़िट की तअ़यीन फ़रमाएें?

जवाबः (1) दीदा व दानिस्ता इन्हिराफ़ के साथ तामीर हरगिज़ न की जाए, हो सकता है कि इब्तिदाअन साबिक़ा मस्जिद बनाने के वक़्त पूरा लिहाज़ क़िब्ला का न हो सका हो, कोई ज़रीआ़ उस वक़्त सही इल्म का न हो। अब जबकि सही इल्म का ज़रीआ़ मौजूद है और दीगर मसाजिद को भी देख लिया जाए, कुतुब नुमा से भी अंदाज़ा कर लिया जाए तब तामीर की जाए।

(2) क़स्दन बिल्कुल इन्हिराफ़ न किया जाए, सही इल्म न होने की सूरत में शुमाल व जुनूब की क़ौस बना कर निस्फ़ क़ौस तक इन्हिराफ़ हो गया तो भी नमाज़ को दुरुस्त कहा जाएगा, मस्जिद बड़ी और छोटी होने से उस इन्हिराफ़ में भी फ़र्क़ हो सकता है। फ़िट की तअ़यीन दुश्वार है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–140)

मस्अलाः– नमाज़ की सफ़ों में टेढ़ापन कमरा की वजह से हो, न कि क़िब्ला की वजह से तो उसमें नमाज़ अदा

करना बिला शुब्हा दुरुस्त है। अगरचे सफ़ें टेढ़ी होंगी मगर रुख़ सही होगा, इसलिए कि ये टेढ़ापन कमरा की तामीर के लिहाज़ से है, क़िब्ला रुख़ के लिहाज़ से नहीं, सो इसमें मुज़ायक़ा नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–259)

मस्जिद में मेहराब बनाना?

सवालः मस्जिदों में जो मेहराब बनाए जाते हैं ये शरअ़न जाइज़ है या नहीं?

जवाबः कुतुबे फ़िक़्ह में इबारात मुख़्तलिफ़ हैं, बाज़ से मालूम होता है कि हुज़ूर पुरनूर (स.अ.व.) और सहाब–ए किराम (रज़ि0) के ज़माना से मेहराब का सुबूत है, बाज़ से मालूम होता है कि ताबईन (रह0) के ज़माना से इसका रिवाज शुरू हुआ है, इसी तरह कुतुबे तारीख़ से भी मुख़्तलिफ़ अक़वाल ज़ाहिर होते हैं, फ़ुक़हा मेहराब में खड़े हो कर नमाज़ पढ़ाने को मकरूह लिखते हैं, लेकिन नफ़्से मेहराब बनाने को मकरूह नहीं लिखते हैं, बल्कि मेहराब से बाहर खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने और मेहराब में सज्दा करने को भी जाइज़ लिखते हैं, अला हाज़लक़यास मेहराब के दूसरे अहकाम को भी ज़िक्र फ़रमाते हैं, इस मजमूआ से मालूम होता है कि मसाजिद में मेहराब बनाना जाइज़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–162 बहवाला कबीरी जिल्द–2 सफ़्हा–347)

मस्अलाः– क़िब्ला की दीवार में, बिल्कुल दरमियान में जो मेहराब नुमा बनाया जाता है मेहराब से वह मुराद होता है, ताकि इमाम के दरमियान दोनों तरफ़ सफ़ों की मिक़्दार बराबर रहे। (निज़ामुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–321)

मस्अला:– इमाम के क़दम (एड़ियां) बाहर दर से होंगे तो कराहत न रहेगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–147)

मेहराब बनाने से मस्जिद के गिरने का ख़तरा?

सवालः किसी मस्जिद को वुस्अ़त देने की वजह से मेहराब अगर दरमियान में न रह जाए और दीवार तोड़ कर मेहराब दरमियान में बनाने से अगर मस्जिद के गिर जाने का अंदेशा हो तो क्या हुक्म है?

जवाबः अगर दीवार तोड़ कर दरमियान में मेहराब बनाना मस्जिद के गिर जाने के ख़तरा से दुश्वार है तो बग़ैर मेहराब बनाए ही इमाम दरमियान में खड़ा हो जाया करे, इस तरह कि दोनों तरफ़ मुक़्तदी बराबर हों।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–22)

क्या मेहराब दाख़िले मस्जिद है?

सवालः क्या मस्जिद की मेहराब शामिले मस्जिद है या नहीं? और लोगों की कसरत के वक़्त इमाम मेहराब के अन्दर दाख़िल हो कर नमाज़ पढ़ा सकता है या नहीं?

जवाबः मेहराब तो दाख़िले मस्जिद है मगर इसके बावजूद इमाम को इस तरह खड़ा होना चाहिए कि उसके पैर पूरे ख़ारिजे महराब हों या कुछ हिस्सा ख़ारिजे मेहराब हो अगरचे दाख़िले मेहराब खड़े हो कर नमाज़ पढ़ाने से भी नमाज़ अदा हो जाएगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–208)

मेहराब के बजाए सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ाना?

सवालः एक मस्जिद के अन्दर का सेहन तीन सफ़ों

का है और इमाम साहब के पास मेहराब तक पंखे की हवा नहीं पहुंचती तो क्या इमाम साहब सफ़े अव्वल में खड़े हो कर नमाज़ पढ़ा सकते हैं?

जवाबः अगर मुक़्तदियों को तंगी न हो, सब मस्जिद में समा जाएं तो बजाए मेहराब के सफ़े अव्वल में मेहराब की सीध में इमाम खड़ा हो जाए, तब भी मुज़ाएक़ा नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–223)

मस्अलाः– मस्जिद की साबिक़ा मेहराब को भी वुस्अत के लिहाज़ से मुन्तक़िल कर सकते हैं (मस्जिद की तौसीअ़ के वक़्त) मेहराब बीच में होनी चाहिए, ताकि दोनों तरफ़ की सफ़ बराबर रहे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–210)

मेहराब में आफ़ताब की तस्वीर बनाना?

मस्अलाः– मेहराब में नक़्श–व–निगार और आफ़ताब की तस्वीर (फ़ोटो) बनाना मना और मकरूह है, इससे नमाज़ी के ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ में ख़लल आता है, लेकिन आफ़ताब की तस्वीर के सामने खड़े रह कर नमाज़ पढ़ने को आफ़ताब पस्ती के मुशबेह व मुमासिल क़रार देना सही नहीं है।

तस्वीर ग़ैर ज़ीरूह की हो तो मकरूह नहीं है, क्योंकि उसकी इबादत नहीं की जाती, (अगर किसी मस्जिद की मेहराब में आफ़ताब की तस्वीर बनी हुई है तो) उस तस्वीर के सामने नमाज़ पढ़ने से परस्तिश और मुशाबहत का हुक्म आयद नहीं होगा, मगर ख़ुशूअ़ ख़ुज़ूअ़ में ख़लल अन्दाज़ होने की वजह से ऐसी तसावीर का नमाज़ी के सामने होना मम्नूअ़ और मकरूह होगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़हा–170 बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़हा–607)

बड़ी मस्जिद की सुफ़ूफ़ को दायें बायें से कम करना?

सवालः जामा मस्जिद की चौड़ाई तक़रीबन चार सौ फ़िट से ज़ाइद है, जब जमाअ़त खड़ी होती है लोग दौड़ते हुए दायें बायें जानिब सफ़े अव्वल में जा मिलते हैं, इस तरह बाज़ मरतबा उनकी एक रकअ़त भी फ़ौत हो जाती है, और नमाज़ियों में बीमार, बूढ़े ज़ईफ़ भी होते हैं, सफ़े अव्वल के पूरा करने में लम्बी सफ़ होने की वजह से परेशानी होती है। नमाज़ियों की राय है कि सफ़ को एक ख़ास हद तक महदूद बना दिया जाए और दोनों जानिब बाक़ी हिस्सा छोड़ दिया जाए ताकि इमाम साहब के पीछे नमाज़ी एक ख़ास हद तक खड़े हों। और अगर दूसरी सफ़ भी लग जाए तो उसके मुताबिक़ उसी के सीध में क़ाइम की जा सके। क्या इसकी इजाज़त है?

जवाबः जो हिस्सा एक मरतबा मस्जिद बना दिया गया है दायें बायें उसको मस्जिद से ख़ारिज करने की तो किसी सूरत में इजाज़त नहीं वह हमेशा के लिए मस्जिद है, अलबत्ता उज़्रे मज़कूरा की वजह से दोनों जानिब कुछ ख़ाली जगह छोड़ दी जाए और इमाम वस्त (बीच) ही में रहे। और दूसरी फ़िर तीसरी सफ़ भी सफ़े अव्वल की तरह हो जाए तो उसकी वजह से दूसरी तीसरी सफ़ वाले नमाज़ में सफ़े अव्वल की फ़ज़ीलत से तो ज़रूर महरूम रहेंगे, लेकिन फ़ज़ीलते जमाअ़त बिला तरद्दुद हासिल हो जाएगी, लेकिन इस सूरत में मकरूह होने में इख़्तिलाफ़

है। हां अगर रकअ़त फ़ौत होने का ख़ौफ़ हो मसलन इमाम रुकूअ़ में हो तो फिर दूसरी सफ़ में शरीक हो जाना मकरूह नहीं बल्कि रकअ़त हासिल करने के लिए ऐसा करना अफ़ज़ल है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–188 बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–383)

मस्जिद के बजाए मकान में सफ़ का छोटी बड़ी होना?

सवालः एक मकान है जिसमें नमाज़ बाजमाअ़त होती है मगर मकानियत की वजह से सफ़ें छोटी बड़ी बिछाई जाती हैं तो इस तरह नमाज़ बाजमाअ़त व जुमा पढ़ सकते हैं।

जवाबः मकान के रुख़ पर सुफ़ूफ़ का होना ज़रूरी नहीं, क़िब्ला पर सुफ़ूफ़ क़ाइम की जाएं, अगरचे बाज़ छोटी बाज़ बड़ी हो जाएं, पंज–वक़्ता नमाज़ दुरुस्त है।

अगर वहां (मकान में) हर एक को शिरकते नमाज़ की इजाज़त हो, कोई रुकावट न हो तो वहां जुमा भी दुरुस्त है। अगर वहां पर मस्जिद नहीं है तो मस्जिद बनाने की कोशिश की जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–217)

मस्अलाः– जगह की तंगी के सबब पहली सफ़ छोटी हो, दूसरी तीसरी सफ़ें बड़ी हों तो हरज नहीं, जाइज़ है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–229)

इमाम का मस्जिद के वस्त में खड़ा होना?

मस्अलाः– इमाम को ऐसी जगह खड़ा होना चाहिए कि उसके शुमाल व जुनूब में हुदूदे मस्जिद के अन्दर अन्दर दोनों तरफ़ नमाज़ी बराबर हों, यही हुक्म बरामदा

व सेहने मस्जिद का है, अगर उस मस्जिद की मेहराब बिल्कुल वस्त में है और बरामदा व सेहन में किसी जानिब इज़ाफ़ा है तो अस्ल मस्जिद की मेहराब की सीध में बरामदा व सेहन में खड़ा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि बरआमदा व सेहन में जो जगह वस्त हो वहां खड़ा हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–152)

मस्जिद की ज़मीन में मदरसा के लिए मकाना बनाना?

सवालः मुहल्ला की मस्जिद के क़ब्ज़ा में वक़्फ़ एक ज़मीन है, अरकाने मदरसा का ख़्याल है कि उस ज़मीन को मदरसा के पैसों से किराया के तौर पर ले लिया जाए और माहाना ज़मीन का किराया जो तैय हुआ है मस्जिद के सरफ़ा में ले लिया जाए, फिर मदरसा अपने पैसों से मस्जिद की ज़मीन पर तामीर कर के उस इमारत को किराया पर दे और जो किराया वसूल हुआ है मदरसा अपने सरफ़ा में ले, अरबाबे मदरसा का ख़्याल है कि ज़मीन पट्टा पर मुअैय्यन मुद्दत के लिए लिखवा ली जाए और उस पर इमारत बना कर आमदनी की सूरत की जाए, तो क्या मदरसा के ट्रस्ट से मौक़ूफ़ा ज़मीन को पट्टा पर लिखवाया जा सकता है?

जवाबः अगरचे मस्जिद को उस मौक़ूफ़ा उफ़्तादा ज़मीन की ज़रूरत फ़िलहात नहीं है, लेकिन आइंदा तौसीअ़ वग़ैरा के मौक़ा पर ज़रूरत हो सकती है और उस पर मदरसा का मकान बन जाने के बाद उसको हासिल करना मुश्किल है और क़ानूनी एतेबार से भी दुश्वार है इसलिए पट्टा पर तवील मुद्दत के लिए किराया पर देने की इजाज़त न

होगी, नीज़ जबकि मौकूफ़ा ज़मीन पर मदरसा की रक़म से इमारत बनेगी तो मस्जिद का वक़्फ़ मदरसा के वक़्फ़ के साथ मुख़्तलफ़ हो जाएगा, ये भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए इस क़िस्म का मआमला न किया जाए।

अगर फ़िलवाक़ेअ उफ़्तादा ज़मीन मस्जिद के किसी मस्रफ़ की न हो, न आइंदा उसकी ज़रूरत की तवक़्क़ो हो, किराया के क़ाबिल भी न हो, बेकार महज़ हो, नीज़ फ़िना–ए–मस्जिद (मुतअल्लक़ा मस्जिद) का हुक्म न रखती हो तो अह्ले मुहल्ला के इत्तिफ़ाक़ से उसे फ़रोख़्त कर के उसके एवज़ दूसरी जगह ख़रीद ली जाए, बशर्तेकि दूसरे के क़ब्ज़ा में जाने से मस्जिद व नमाज़ियों को ज़रर और तकलीफ़ पहुंचने का अंदेशा न हो।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–244)

मस्जिद की बची हुई ज़मीन पर दर्सगाह बनाना?

सवालः मस्जिद की बची हुई ज़मीन पर मदरसा की दर्सगाहें, और मुदर्रिसीन व तलबा के रहने के घर बना सकते हैं या नहीं?

जवाबः जो जगह मस्जिद की है उसमें अगर तलबा के रहने या तालीम के लिए इमारत बनाऐं तो उस जगह का किराया मुनासिब तजवीज़ कर लिया जाए और मदरसा की तरफ़ से वह मस्जिद को अदा कर दिया करें।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–95 व फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–231)

मदरसा के ज़ेरे तौलियत मस्जिद का हुक्म?

सवालः जो मस्जिद मदरसा के ज़ेरे तौलियत हो उसका

इन्तिज़ाम व इन्सिराम मदरसा के मुतअ़ल्लिक़ है, मदरसा ही की जानिब से इमाम व मुअज़्ज़िन का तक़र्रुर अमल में आता है, मदरसा की तरफ़ से ही उसकी मरम्मत वग़ैरा पर मसारिफ़ किए जाते हैं, क्या मस्जिद के तंग हो जाने की वजह से उसकी तौसीअ़ के लिए मदरसा की ज़मीन लेकर मस्जिद की तौसीअ़ की जा सकती है?

जवाबः जो ज़मीन मसालेहे मदरसा के लिए हो और अह्ले मदरसा के नज़दीक मस्जिद की तौसीअ़ की ज़रूरत हो तो उस ज़मीन को दाख़िले मस्जिद कर के तौसीअ़ की इजाज़त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–259)

मदरसा का रास्ता मस्जिद में को?

मस्अलाः– अगर मदरसा मस्जिद से ही मुतअ़ल्लिक़ है और उसका दरवाज़ा दूसरी जानिब नहीं किया जा सकता तो मजबूरन मस्जिद में को आने जाने की इजाज़त होगी। ऐसी हालत में मस्जिद से मुरूर (जाने) की शामी ने इजाज़त दी है। अगर दूसरी जानिब को रास्ता बन सकता हो तो दूसरी जानिब रास्ता बना दिया जाए, यही अह्वत है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–245)

मस्जिद के दालान में मदरसा?

सवालः मस्जिद के शुमाली व जुनूबी दालानों में मदरसा अरबी की शाख़ के नाम से क़ाइम है, जिसमें तलबा पढ़ते हैं और उलमा पढ़ाते हैं, लेकिन उसको औक़ाफ़ वाले पसंद नहीं करते और हटाना चाहते है, क्या ये अमल शरअ़न सही है?

जवाबः अगर ये वाक़िफ़ की मन्शा और रज़ामंदी से है

तो उसको हरगिज़ न हटाया जाए, वरना किराया का मआमला कर लिया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–237)

मस्जिद की आमदनी मदरसा पर सर्फ़ करना?

सवालः मस्जिद की आमदनी तक़रीबन दो हज़ार है मगर उस रक़म को मुन्तज़िमीन मदरसा के इख़राजात में सर्फ़ कर देते हैं। और मस्जिद की मरम्मत और रौशनी वग़ैरा का काम चंदा या चर्मे कुबानी से करते हैं, क्या इस तरह करना जाइज़ है?

जवाबः ये सूरत जाइज़ नहीं, मस्जिद की आमदनी मदरसा में ख़र्च न की जाए। क़ीमत चर्मे क़ुर्बानी तन्ख़्वाह या मरम्मत वग़ैरा में ख़र्च करना दुरुस्त नहीं है। ऐसा करने से उतनी मिक़्दार का ज़मान लाज़िम होगा।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–199)

मस्अलाः– मदरसा के पैसा से जो चीज़ ख़रीदी गई वह मदरसा ही की ज़रूरत में इस्तेमाल की जाए, इसी तरह मस्जिद के पैसा से ख़रीदी हुई चीज़ मस्जिद ही की ज़रूरत में इस्तेमाल की जाए, अगर ऐसी चीज़ जिस मक़्सद के लिए ख़रीदी गई थी अब वह मक़्सद ख़त्म हो गया, मसलन मदरसा की ज़रूरत नहीं रही और मस्जिद के लिए या इमाम साहब के लिए ज़रूरत हो तो मदरसा से ख़रीद कर इस्तेमाल करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–203)

मस्अलाः– जो ज़मीन दूकानें बनाने के लिए मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दी है उसको फ़रोख़्त कर के उसकी रक़म को मदरसा के तालीमी काम में ख़र्च करने की

इजाज़त नहीं, अगरचे वह मदरसा उसी मस्जिद से मुतअल्लिक हो। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–173)

मदरसा की ज़मीन में मस्जिद बनाना?

सवालः मदरसा में मस्जिदे शरई बनाना ज़रूरीयाते मदरसा में शामिल हो कर मस्जिदे शरई हो जाएगी या नहीं?

जवाबः अगर कोई क़रीब में दूसरी मस्जिद नहीं जिसमें अह्ले मदरसा नमाज़ अदा कर सकें या मस्जिद तो मौजूद है मगर तंग है कि सब उसमें समा नहीं सकते या वहां नमाज़ पढ़ने के लिए जाने से मदरसा की मस्लिहत फ़ौत होती हैं मसलन वक़्त का ज़्यादा हरज होता है या मदरसा की हिफ़ाज़त नहीं रहती वग़ैरा वग़ैरा तो मदरसा की ज़मीन में मस्जिद ज़रूरीयाते मदरसा में दाख़िल है। ऐसी हालत में वह मस्जिद मस्जिदे शरई होगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–466)

मस्जिद की वक़्फ़ ज़मीन में मदरसा बनाना?

सवालः एक शख़्स ने मस्जिद के नाम मकान कर दिया था, कमेटी उस मकान से किरायादार को निकाल कर वहां मदरसा तामीर कराने लगी है और जो कुछ मस्जिद की आमदनी थी वह ख़त्म हो गई, क्या ये जाइज़ है?

जवाबः मस्जिद के वक़्फ़ शुदा मकान पर मदरसा तामीर करा के मस्जिद की आमदनी ख़त्म करना जाइज़ नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–255)

वीरान शुदा मस्जिद की जगह पर मदरसा बनाना?

सवालः हमारे यहां एक मस्जिद बिल्कुल मिस्मार हो

गई है, अब सिर्फ़ ज़मीन बाक़ी है दूसरी कोई अलामत बाक़ी नहीं है, लोग उस ज़मीन की बेहुरमती करते हैं, तो क्या उस जगह पर मदरसा बना दिया जाए?

जवाबः मस्जिद की ज़मीन पर इमारत रहे या न रहे वह जगह क़यामत तक मस्जिद के हुक्म में रहेगी, लिहाज़ा उसका अदब व एहतेराम और ताज़ीम व तकरीम वाजिब है और बेहुरमती हराम है और जब तक मदरसा का इन्तिज़ाम न हो जमाअ़त ख़ना छोड़ कर किसी और जगह बच्चों को तालीम दी जा सकती है, अगर मस्जिद तामीर न कर सकते हों तो कम अज़ कम चहारदीवारी बना कर उसका एहाता कर लिया जाए ताकि मस्जिद की बेहुरमती न हो, वरना आस पास के सब मुसलमान गुनहगार होंगे और उसकी वजह से किसी आफ़त में मुब्तला होने का अंदेशा है, मस्जिद की जगह में मदरसा बनाने की शरअ़न इजाज़त नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–85 बहवाला दुर्रेमुख़्तार व शामी जिल्द–3 सफ़्हा–513)

मस्जिद में इमाम के लिए कमरा बनाना?

मस्अलाः– इमाम वग़ैरा के लिए मस्जिद में कमरा बनाना मस्जिद ही की ज़रूरीयात में दाख़िल है जैसे गुस्ल ख़ाना वग़ैरा मस्जिद की ज़रूरीयात में दाख़िल है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–208)

मस्जिद की छत पर इमाम के लिए कमरा बनाना?

सवालः एक मस्जिद तीन मंज़िला है, उसमें इमाम व मुअज़्ज़िन के रहने की कोई जगह नहीं है, नीज़ मस्जिद के एहाता में भी कोई ऐसी जगह नहीं है कि कमरा बना

सकें तो क्या मस्जिद की छत पर इमाम के लिए कमरा या दीनी मदरसा व रिहाइश गाहे तलतबा बनाना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः इजाज़त नहीं है और मस्जिद की छत पर मुसाफ़िर ख़ाना बनाने की भी इजाज़त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–218 बहवाला बह्रुर्राईक जिल्द–5 सफ़्हा–251)

मस्अलाः– मस्जिद की छत पर इमाम साहब के लिए कमरा बनाना जाइज़ नहीं है, हां गुस्ल ख़ाना, वुज़ू ख़ाना, इस्तिंजा ख़ाना वगै़रा जो ख़ारिजे मस्जिद (फ़िनाए मस्जिद) के दरजा की इमारत हो उसकी छत पर इमाम साहब के लिए कमरा बनाया जा सकता है इसलिए जो जगह एक मरतबा ऐ़न मस्जिद हो जाती है, यानी महज़ नमाज़ व ज़िक्र, इबादाते ख़ालिसा मुहसिना के लिए है वह क़यामत तक के लिए तहतस्सरा से लेकर अनाने समा तक मस्जिद हो जाती है।

(निज़ामुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–313 बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–441 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3सफ़्हा–112)

इमाम का मअ़ अहल व अ़याल एहात–ए मस्जिद में रहना?

मस्अलाः– एहात–ए–मस्जिद में इमाम व मुअज़्ज़िन के लिए कमरा बना हो तो उसमें इमाम व मुअज़्ज़िन का रहना दुरुस्त है, लेकिन बच्चों के साथ रहने में उमूमन बेपरदगी होती है, इस्तिंजा की जगह अलग नहीं होती और बच्चों के शोर व शग़ब की वजह से नमाज़ियों को तक्लीफ़ और हरज भी होगा, इसलिए मम्नूअ़ होगा, अगर

सह ख़राबियां न हों तो जाइज़ है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–95)

इमाम का कमरा दाख़िले मस्जिद कर के ऊपर कमरा बनाना?

सवालः मस्जिद से मिला हुआ इमाम साहब का कमरा है जो इस वक़्त ख़ारिजे मस्जिद है, लेकिन अब मस्जिद की तौसीअ़ का इरादा है तो क्या इमाम साहब के कमरा को नीचे से मस्जिद में शामिल कर लें और ऊपर के हिस्सा में रहें तो कैसा है?

जवाबः अगर उस कमरा को नमाज़ के लिए मस्जिद में दाख़िल कर के मस्जिद क़रार दिया जाए तो बालाई हिस्सा पर भी ऐसा कमरा बनाना दुरुस्त नहीं, जिसमें इमाम साहब क़याम करें। अगर उसको मस्जिद बनाना मक़्सूद नहीं, सिर्फ़ ये मक़्सूद है कि वक़्ते ज़रूरत वहां भी नमाज़ी खड़े हो जाया करें और ऊपर वाले हिस्सा में इमाम साहब रहें तो ये दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–212)

इमाम का मस्जिद में पलंग बिछा कर लेटना?

सवालः जिस मस्जिद में इमाम के रहने के लिए कमरा न हो तो वहां इमाम मस्जिद में चारपाई पर लेट सकता है या नहीं?

जवाबः मस्जिद के एहतेराम के ख़िलाफ़ है और दूसरों के लिए मूजिबे तवह्हुश है, आज कल मस्जिद में चारपाई बिछाने को मस्जिद की बेअदबी तसव्वुर किया जाता है, ऐसे मसाइल में उर्फ़ेआम का लिहाज़ करना चाहिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–228 व अहस–

–नुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़हा–452)

मस्जिद की चीजों का इमाम व मुअज़्ज़िन के लिए इस्तेमाल करना?

मस्अलाः– मस्जिद में दो क़िस्म की चीज़ें होती हैं, पहली क़िस्म मुहल्ला वाले देते हैं, वह अगर इमाम साहब को अपने कमरा में इस्तेमाल की इजाज़त दें तो दुरुस्त है।

दूसरी क़िस्म मुन्तज़िमीन मस्जिद के लिए ख़रीदते हैं, अगर वह इजाज़त दें तो उनकी इजाज़त से दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–202)

इमाम का मस्जिद में तिजारत करना?

मस्अलाः– मस्जिद में जहां नमाज़ पढ़ी जाती है वहां कपड़ा वग़ैरा रख कर तिजारत करना मकरूहे तहरीमी है। अगर इमाम उससे बाज़ आए तो वह अलाहिदगी का मुस्तहिक़ है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–178)

"लेकिन अगर वह इमाम अपने कमरा में तिजारत करे या ख़ारिजे मस्जिद में तो जाइज़ है।" (रफ़अ़त)

मस्अलाः– मस्जिद के कमरा में जाने का दरवाज़ा मस्जिद से अलाहिदा बाहर सड़क की तरफ़ से हो तो उसमें औरत के साथ रहना मना नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–173)

मस्जिद का ग़ल्ला फ़रोख़्त करने वाला ज़ामिन है

मस्अलाः– मस्जिद का ग़ल्ला एक आदमी ने फरोख़्त कर दिया और पैसों का ज़िम्मादार फ़रोख़्त करने वाला हो गया कि पैसे आ जाएंगे, लेकिन ख़रीदार ने पैसे नहीं दिए तो फरोख़्त करने वाला मस्जिद को क़ीमत दे और

ख़रीदार से वसूल करे या मआफ़ करे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–242)

मस्जिद के दरख़्त के फल का हुक्म?

सवालः मस्जिद के अन्दर फल का दरख़्त है तो ये फल किस के लिए है, और अगर उस मस्जिद में तब्लीग़ी जमाअत पहुंच जाए तो ये फल उनको खिला सकते हैं या नहीं?

जवाबः ज़ाहिर है कि वह दरख़्त मस्जिद का है, फल की क़ीमत मस्जिद में दे दी जाए, फिर जिसको दिल चाहे खिला दिया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–243)

मस्जिद की बलाई मंज़िल पर सुफ़रा का क़याम करना?

मस्अलाः– मस्जिदे शरई और उसके ऊपर का हिस्सा भी मस्जिदे शरई के हुक्म में है उसको मुसाफ़िर ख़ाना के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, मस्जिद की हुरमत बाक़ी नहीं रहेगी। सफ़ीरों के लिए मस्जिद के अलावा कोई क़याम गाह न हो तो उन सुफ़रा को ठहराया जा सकता है, जो मस्जिद का कमा हक़्क़हू अदब व एहतेराम कर सकते हों, और जो एहतियात नहीं करते उनको इजाज़त न दी जाए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–96)

मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ कहां से पढ़ी जाए?

सवालः एक शाही मस्जिद है उसका बैरूनी एहाता बहुत वसीअ होने की वजह से अस्ल मस्जिद के हुदूद अलाहिदा हैं। ऐसी सूरत में मस्जिद में दाख़िल होने की

दुआ कौन से दरवाज़े से दाख़िल होते वक़्त पढ़ी जाए?

जवाबः जो जगह नमाज़ के लिए मुतअैय्यन और वक़्फ़ है कि वहां नापाकी की हालत में जाना जाइज़ नहीं ख़्वाह मुसक़्क़फ़ (छत वाली) हो या ग़ैर मुसक़्क़फ़ (बग़ैर छत वाली) हो, वहां पैर रखते वक़्त दुआ पढ़ी जाए। जो जगह मस्जिद के मुसक़्क़फ़ हिस्सा या ग़ैर मुसक़्क़फ़ हिस्स से मुत्तसिल है और नमाज़ के लिए मुतअैय्यन नहीं और नापाकी की हालत में वहां जाना मना नहीं, वह शरअ़न मस्जिद नहीं अगरचे एहाता में दाख़िल हो, वहां दाख़िल होते वक़्त दुआ नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–216 व आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–140)

मस्अलाः– मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त पहले दायाँ पाँव अन्दर दाख़िल करना चाहिए और बाहर निकलते वक़्त पहले बायाँ पाँव बाहर निकालना सुन्नत है। और दाख़िल होते वक़्त ये दुआ करे। اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ. और मस्जिद से निकलते वक़्त ये पढ़े। اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ.

(मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–248)

मस्जिद में आते और जाते वक़्त सलाम करना?

सवालः (1) अगर मस्जिद में कोई न हो तो उस सूरत में मस्जिद में दाख़िल होते हुए या निकलते हुए सलाम करना कैसा है? (2) बाज़ मरतबा मस्जिद के कुल हाज़िरीन नमाज़ में मशगूल होते हैं आने वाला सलाम करता है, या कुछ नमाज़ में कुछ वुज़ू में और कुछ नमाज़ के इन्तिज़ार में, इस सूरत में दाख़िल होने वाला सलाम करता है, ऐसा करना कैसा है? (3) यही सूरत निकलते

वक़्त होती है कि जाने वाला सलाम कर के चला जाता है जबकि लोग अपनी अपनी सुन्नतों में मशगूल होते हैं?

जवाबः (1) ये तरीक़ा ठीक है, इस तरह कहना चाहिएः– السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ मगर ये दाख़िल होते वक़्त तो साबित है, निकलते वक़्त किसी किताब में नहीं देखा है। (2) ये भी मकरूह है, रद्दुलमुहतार में ये मस्अला मौजूद है। (3) ये भी मकरूह है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–379)

मस्अलाः– मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त सलाम करना चाहिए, बशर्तेकि लोग बैठे हों, तिलावत या दर्स वग़ैरा में मशगूल न हों, और अगर मशगूल हों तो मना है। अगर मस्जिद में कोई न हो या नमाज़ पढ़ते हों और वह न सुन सकें तो ऐसी सूरत में आहिस्ता से कहना चाहिएः– السلام علينا من ربّنا وعلٰى عبادالله الصالحين.

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–156 बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–576, आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–139 व निज़ामुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–310 व अहसनुफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–155, दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–578)

तब्लीग़ी निसाब मस्जिद के माईक पर पढ़ना?

सवालः मस्जिद में अज़ान और किसी आलिम की तक़रीर के लिए माईक लगाया गया, अब अगर उस पर क़ुरआने करीम, नअ़ते मुस्तफ़ा, नज़्म या तब्लीग़ी निसाब वग़ैरा पढ़ी जाए तो जाइज़ है या नहीं, जब कि उस वक़्त कुछ लोग नमाज़ भी पढ़ते रहते हैं?

जवाबः तब्लीग़ी निसाब उन लोगों को सुनाना मक़्सूद होता है जो वहां पर मौजूद हों अगर बग़ैर माईक के

आवाज़ उन तक पहुंच जाती है तो फिर क्यों माईक पर उनको सुनाया जाता है, इसलिए उस मक़्सद के लिए माईक इस्तेमाल न करें ख़ास कर जब कि नमाज़ियों को उससे परेशानी होती हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–135)

मस्जिद में पैसा देने वालों का ऐलान करना?

सवालः मस्जिद में चंदा देने वालों का नाम अगर माईक पर लिया जाए ताकि दूसरों को भी रग़बत हो, तो यह जाइज़ है या नहीं?

जवाबः दुरुस्त है, लेकिन इसका ख़्याल रहे कि मस्जिद को कमाई की जगह और कमाई का ज़रीआ न बनाऐं, मस्जिद से अलाहिदा इसका इन्तिज़ाम कर लिया जाए, लेकिन अगर एलान कराने वाले का मक़्सद ये है कि मेरा नाम सब को मालूम हो जाए कि उसने इतना पैसा दिया है तो ये मक़्सद ग़लत है। शोहरत और नामवरी की नीयत से मस्जिद में पैसा देना अल्लाह तआला के यहां मक़्बूल नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–410)

फ़ीस दे कर ऐलान कराना?

सवालः गाँव के लोग अपनी किसी चीज़ की बाबत मस्जिद के लाउड स्पीकर पर ऐलान करायें जब कि मस्जिद की कमेटी ऐलान कराने की फ़ीस लेती हो तो क्या हुक्म है?

जवाबः अह्ले मस्जिद को उसके इस्तेमाल पर मुआवज़ा लेना दुरुस्त है, देने वाला रज़ामंदी से मुआवज़ा देता है तो नफ़्से इस्तेमाले माईक के मुआवज़ा में मुज़ाएक़ा नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–210)

मस्जिद के माईक पर चंदा देने वाले का नाम पुकारना?

मस्अलाः– मस्जिद के माईक पर इस तरह ऐलान करने में तरग़ीब भी है और मुफ़्सिदह भी है, तरग़ीब तो ज़ाहिर है, मुफ़्सिदा दो तरह है, एक इस तरह कि उस नाम बनाम ऐलान की वजह से लोग तारीफ़ करेंगे, इस तारीफ़ की वजह से बाज़ आदमी चंदा देंगे ताकि हमारा नाम भी बोला जाए और लोग सुन कर हमारी भी तारीफ़ करें, सो ये नीयत इख़्लास के ख़िलाफ़ है जिससे सवाब ज़ाये हो जाता है। दूसरे इस तरह मुफ़्सिदह है कि जिसने चंदा कम दिया है उसको शर्मिंदगी होगी और लोग हिक़ारत की नज़र से देखेंगे, आर दिलाएँगे, ये नाजाइज़ है। इसलिए ऐलान की ये सूरत क़ाबिले एहतेराज़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–8 सफ़्हा–214)

मस्जिद में गुम शुदा चीज़ का ऐलान करना?

मस्अलाः– अगर कोई चीज़ मस्जिद में पड़ी हुई मिले उसका ऐलान मस्जिद में करना जाइज़ है, बाहर किसी की कोई चीज़ गुम हुई हो, उसकी तलाश के लिए (दाख़िले) मस्जिद में उसका ऐलान करना जाइज़ नहीं है। आंहज़रत (स.अ.व.) ने उस शख़्स के लिए बद्दुआ फ़रमाई हैः– لا ردالله علیک यानी खुदा करे तेरी गुम शुदा चीज़ न मिले।

मस्अलाः– मस्जिद में वाक़ेअ मदरसा के लिए कुर्बानी की खालें जमा करने का ऐलान जाइज़ है, एक दो बार कर दिया जाए, मगर ये याद रहे कि उस ऐलान की वजह से किसी नमाज़ी की नमाज़ में ख़लल न पड़े।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–143)

मस्अलाः— मस्जिद में बग़ैर ऐलान के तलब व तफ़्तीश दुरुस्त है, ऐलान करना हो तो वुज़ू ख़ाना या दरवाज़–ए मस्जिद में ऐलान करे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–354)

मस्अलाः— गुम शुदा बच्चे का ऐलान इन्सानी जान की अहमियत के पेशेनज़र जाइज़ है और जो चीज़ें मस्जिद में मिली हों जैसे किसी की घड़ी वग़ैरा उसका ऐलान जाइज़ है कि फ़लां चीज़ मिली है जिसकी हो ले ले। नीज़ जो लाउडस्पीकर मस्जिद में इस्तेमाल होता हो उसको गुनाह के काम के लिए इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–144, मआरिफ़ुस्सुनन जिल्द–1 सफ़्हा–312, किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–459)

मस्जिद के माईक पर ऐलान जबकि उसके फूल मीनारों पर हैं?

सवालः मस्जिद का माईक लोगों के चंदा से ख़रीद किया गया है और ख़रीदने वालों की नीयत ये थी कि ऐलान किया करेंगे, माईक मस्जिद के कमरा में रखा हुआ है और उसके लाउडस्पीकर के फूल मस्जिद के मीनारों पर हैं तो क्या ऐलान करना जाइज़ है?

जवाबः अगर अज़ान के अलावा कोई और ऐलान करना चाहते हैं तो उस जगह ऐलान न करें, मसलन किसी गुम शुदा चीज़ को तलाश करना हो या किसी और बात की ख़बर देनी हो, जिसका तअल्लुक़ नमाज़ और मस्जिद से न हो तो ख़ारिजे मस्जिद ये काम करें। मीनारों पर माईक के फूल उसके लिए इस्तेमाल न करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–159, निज़ामुलफ़तावा

जिल्द–1 सफ़्हा–301)

मस्अलाः– दाख़िले मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा का ऐलान तो नमाज़ियों की इत्तिला के लिए सही है, मगर गुम शुदा चीज़ की तलाश के लिए मस्जिद में ऐलान जाइज़ नहीं है। (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–143)

माइक पर मस्जिद के अन्दर से अज़ान देना?

सवालः हमारे यहां मस्जिद में अज़ान के लिए लाउड–स्पीकर मस्जिद के अन्दर सफ़े अव्वल में दाहिनी जानिब अलमारी में नसब कर दिया गया है, अज़ान मस्जिद के अन्दर पहली सफ़ की जगह पर खड़े हो कर पढ़नी पड़ती है। क्या मस्जिद के अन्दर अज़ान देना मकरूह है?

जवाबः मस्जिद के अन्दर अज़ान मकरूह होने की वजह ये है कि वहां से आवाज़ दूर तक नहीं पहुंचती है जिससे अज़ान का मक़सद पूरी तरह हासिल नहीं होता, इसलिए बुलंद जगह पर अज़ान देना मुस्तहब है ताकि दूर तक आवाज़ पहुंचे। फ़ी नफ़्सिही अज़ान कोई ऐसी चीज़ नहीं कि एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ हो। सूरते मस्ऊला में अज़ान की आवाज़ माईक से दूर तक पहुंचेगी और मक़सद पूरी तरह हासिल हो जाएगा।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–233)

एक से ज़ाएद मस्जिदों में माईक पर अज़ान?

मस्अलाः– जब एक मस्जिद के माईक से सब गाँव में अज़ान की अवाज़ पहुंच जाती है और नमाज़ के औक़ात क़रीब ही क़रीब हैं तो दूसरी मस्जिद में लगाना बेज़रूरत है, इसके लिए मस्जिद का पैसा सर्फ़ न किया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–159)

मस्जिद के माईक का अज़ान के अलावा इस्तेमाल?

सवालः मस्जिद के लाउडस्पीकर में सुब्ह के वक़्त हदीस शरीफ़ पढ़ी जाती है जबकि मस्जिद में कोई शख़्स नहीं होता, घरों में मर्द व औरत ध्यान से नहीं सुनते, ऐसी सूरत में पढ़ना कैसा है?

जवाबः जबकि मस्जिद में कोई आदमी मौजूद नहीं रहे और अपने अपने मकानों में मर्द व औरत अपने कामों में मश्गूल हैं, कोई मुतवज्जेह नहीं तो ऐसी हालत में लाउडस्पीकर पर हदीस शरीफ़ सुनाना बेमहल है, इससे परहेज़ किया जाए।

मस्अलाः– मस्जिद में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनकी तालीम के लिए उनको तक़रीर की मश्क़ कराना और नअ़त पढ़वाना भी दुरुस्त है।

मस्अलाः– मुहल्ला में जो घरों में तब्लीग़ होती है उसका ऐलान भी दुरुस्त है। गुमशुदा बच्चे का ऐलान मस्जिद से ख़ारिज किया जाए।

मस्अलाः– मस्जिद में अगर कोई जलसा हो तो उस वक़्त हम्द व नअ़त और तक़रीर, वाज़ के लिए मस्जिद के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर लें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–221 व 226)

मस्जिद में टेप रिकार्डर से वाज़ सुनना?

मस्अलाः– फ़ी–नफ़्सिही रेडियो या टेप रिकार्डर से अगर तिलावते कलामे पाक या वाज़ की आवज़ आए तो उसका सुनना मस्जिद और ग़ैर मस्जिद सब जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर मस्जिद में ये तरीक़ा (कि रेडियो या टेप

मस्जिद में रख कर तिलावते कुरआन या किसी मुक़र्रिर की तक़रीर सुनना) शुरू कर दिया जाए तो अंदेशा है कि हर क़िस्म की चीज़ों के लिए मकानात की तरह मस्जिद में रेडियो टेप रिकार्डर का इस्तेमाल होने लगेगा, और जाइज़ व नाजाइज़ की तमीज़ बाक़ी न रहेगी। इसलिए मस्जिद में ऐसी चीज़ों से एहतेराज़ किया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–253)

मस्जिद में कुर्सी बिछा कर वाज़ करना?

मस्अलाः– मिम्बर न हो तो कुर्सी या मोंढा बिछा कर उस पर बैठ कर वाज़ व तक़रीर करना दुरुस्त है। नीज़ वाज़ व तक़रीर के लिए मस्जिद में लाउडस्पीकर इस्तेमला करना भी जाइज़ हे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–248)

मस्अलाः– अहकामे शरईया ब्यान करने के लिए मस्जिद में जलसा करना दुरुस्त है, मुक़र्रिर वाइज़ को चाहिए कि निहायत मतानत और संजीदागी से अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (स.अ.व.) का इरशाद हाज़िरीन को सुनाऐं और समझाऐं और सामेईन को भी चाहिए कि निहायत अदब व एहतेराम से सुनें और अमल करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–474)

"जल्सा में शोर व गुल, तअ़न व तशनीअ़ और हर वह अमल जो एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ हो न किया जाए।" (मो0 रफ़अ़त क़ासमी)

शबे बराअत में मस्जिद के माईक पर तक़रीरें करना?

मस्अलाः– मस्जिद में तक़रीर और दर्स ख़्वाह बड़ी

रातों में हो या छोटी रातों में इसके दौरान सिर्फ़ अन्दर के माईक पर लाउडस्पीकर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आवाज़ मस्जिद तक महदूद रहे, और अह्ले मुहल्ला को जिनमें बीमार भी होते हैं, तश्वीश न हो, इसलिए जिन को सुनाना मक़्सूद हो उनको तरग़ीब दे कर मस्जिद में लाया जाए। (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–145)

मस्जिद की रक़्म से बैट्री भरवाना?

सवालः मस्जिद में स्पीकर की बैट्री भरवाते हैं, उसमें जो सर्फ़ा होता है क्या उसको मस्जिद के जमा शुदा रुपया से अदा कर सकते हैं?

जवाबः अगर मस्जिद की ज़रूरत के लिए ये सर्फ़ा है तो मस्जिद के लिए जमा शुदा रुपया से उनको पूरा करना दुरुस्त है, वरना इसका इंतिज़ाम अलाहिदा के किया जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–168)

मस्जिद में तौलिया वग़ैरह रखना?

मस्जिद में तौलिया व आईना रखना ये सब तकल्लुफ़ात हैं, जो लोग अपने मकानात में तकल्लुफ़ के साथ रहते हैं अपने इन्तिज़ाम से मस्जिद में भी ये चीज़ें रखते हैं, फ़ी–नफ़्सिही ये चीज़ें न ज़रूरी हैं कि मस्जिद की तरफ़ से उनका इंतिज़ाम किया जाए, न मम्नूअ़ हैं कि उनको हराम कहा जाए। अस्ल तो ये है कि अपने मकान से वुज़ू कर के आदमी मस्जिद में जाए, अगर मस्जिद ही में वुज़ू करना हो तो अपना तौलिया साथ ले जाए।

वुज़ू के बाद आईना देखना न कोई शरअ़ी चीज़ है न उर्फ़ी, इस आदत को छोड़ देना बेहतर है। मिम्बर पर ग़िलाफ़ भी एक तकल्लुफ़ की चीज है, दरोदीवार को

कपड़े पहनाने की हदीस शरीफ़ में मुमानअत भी आई है, हां अगर गर्मी व सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ मक़्सूद हो तो मुज़ाएक़ा भी नहीं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–132)

मस्अलाः– मस्जिद की सामने वाली दीवार में कोई भी ऐसा काम आईना, तुग़रा, नक़्श व निगार जिससे नमाज़ पढ़ने वाले की तवज्जोह उसकी तरफ़ हो मकरूह है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–141)

मस्जिद के अन्दर पाएदान रखना?

मस्अलाः– फ़तावा आलमगीरी सफ़्हा–70 जिल्द औव्वल से मालूम होता है कि मस्जिद के फ़र्श की हिफ़ाज़त के लिए मस्जिद में पाएदान, गुडरी और बोरिया बिछाना और उससे पैर पोंछना दुरुस्त है, क्योंकि कभी पैर भीगा हुआ होता है और उससे मस्जिद की दरी (सफ़, गद्दे वग़ैरा) पर धब्बा पड़ जाता है, लिहाज़ा मस्जिद में पाएदान रख दिया जाए तो मम्नूअ़ न होगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–84)

मस्जिद में उगालदान रखना?

मस्अलाः– लुआब दानी यानी उगालदान सुब्ह व शाम वक़्तन फ़वक़्तन साफ़ की जाती हो, बदबूदार न रहती हो तो मस्जिद में रख सकते हैं, वरना इजाज़त न होगी, और मजबूरी के वक़्त ही इस्तेमाल की जाए, मजबूरी न हो तो बाहर जा कर थूकना चाहिए या रूमाल में थूक लेना चाहिए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–120 व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–653)

माहे रमज़ान में मस्जिद को सजाना?

मस्अलाः– रमज़ानुलमुबारक में नमाज़ी हमेशा से ज़ाएद

होते है। उनकी राहत व सुहूलत के लिहाज़ से हसबे ज़रूरत रौशनी में कुछ इज़ाफ़ा किया जाए तो जाइज़ और मुस्तहसन है, हां सिर्फ़ मस्जिद की रौनक़ के लिए हद से ज़ाएद रौशनी करना नाजाइज़ और सख़्त मना है, ख़िलाफ़े शर्अ़ उमूर से मस्जिद की रौनक़ नहीं बढ़ती, बल्कि बेहुरमती होती है, मस्जिद की ज़ीनत और रौनक़ उसकी सफ़ाई, ख़ुशबू, नीज़ नमाज़ियों की ज़्यादती, अच्छी पौशाक पहन कर, ख़ुशबू लगा कर, ख़ुशूअ़ व ख़ुजूअ़ से नमाज़ पढ़ने और बा–अदब बैठने में है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–160)

दरबारे इलाही में दुनिया के काम

मस्अला:– मस्जिद में जहां बइत्मीनान जगह मिल जाए बैठ जाए, न नमाज़ियों की गर्दन फांदी जाए, न जगह के लिए शोर व हंगामा किया जाए, न सफ़ में घुस कर जहां जगह न हो, न मुसल्ली को तकलीफ़ देने की कोशिश की जाए, न नमाज़ पढ़ने वालों के आगे से गुज़रने की जुर्अत की जाए, न उंगली वग़ैरा चटख़ाई जाए कि उनकी मुमानअ़त आई है। हर ऐसी हरकत से जो ख़िलाफ़े अदब और शरीअ़त की निगाह में नापसंदीदा है इज्तिनाब किया जाए, मौक़ा हो तो ज़िक्र व शग़ल और नवाफ़िल में वक़्त गुज़ारे, वरना ख़मोश बा–अदब बैठा रहे।

(फ़तावा आलमगीरी जिल्द–6 सफ़्हा'215)

दुनिया की बातों से इज्तिनाब

आदाबे मस्जिद में से एक अदब ये भी है कि उसमें दुनियवी बातें करने से एहतिराज़ किया जाए, वह बातें जाइज़ हों ख़्वाह नाजाइज़। इस ज़माना में इस गुनाह में

अवाम व ख़्वास दोनों ही कम व बेश मुब्तला हैं, इसलिए ज़रा तफ़सील से बयान किए जा रहे हैं। ये इस क़द्र अहम मस्अला है कि कुरआन पाक ने अपने मोअजिज़ाना पैराया में इसे ब्यान किया। इरशादे रब्बानी है:

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰہِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰہِ اَحَدًا. (سورۂ جن-۲)

"बिला शुब्हा मस्जिदें अल्लाह तआला की हैं पस अल्लाह तआला के साथ किसी और को मत पुकारो।"

(सूरए जिन्न–2)

मुफ़स्सिरीन ने इस आयत के ज़िम्न में मस्जिद में दुनिया की गुफ़्तगू का मस्अला खोल कर लिखा है और इसको वाज़ेह किया है कि ये घर अल्लाह तआला की याद, उसकी तस्बीह व तक़्दीस और इबादत के लिए मख़्सूस है।

इस आयत में भी इस तरफ़ इशारा किया गया है कि मस्जिदों में सिर्फ़ ज़िक्रुल्लाह ही की क़िस्म की चीज़ें होनी चाहिऐं क्योंकि यहां بُیُـــوتٍ (बुयूतिन) से मसाजिद मुराद हैं और ये बात ज़ाहिर है कि उनकी क़द्र व मंज़िलत भी इसी में है कि दुनियावी बातों से परहेज़ किया जाए। वहां पहुंच कर ध्यान सबसे कट कर अल्लाह तआला पर हो।

रहमते आलम (स.अ.व.) की पेशीनगोई और उम्मत को हिदायत

मैंने ये इसलिए नक़्ल किया ताकि अस्ल मस्अला खुल कर अह्ले इल्म के सामने आ जाए और उनको कोई इश्काल पैदा न हो सके, वरना सब को मालूम है कि रहमते आलम (स.अ.व.) के ज़माना में इनका क्या एहतेराम था और आप (स.अ.व.) के ख़ुलफ़ा व अस्हाब (रज़ि0) ने इस एहतेराम को कैसे निभाया, हदीसों से मालूम होता है

कि अहदे नबवी (स.अ.व.) में ऐसी बातों का आम मुसलमानों को वह्म व गुमान भी न था, आंहज़रत (स.अ.व.) ने इनको पेशीनगोई के तौर पर फ़रमाया था कि एक ज़माना आएगा कि दुनिया की बातें मस्जिदों में होने लगेंगी। फिर आप (स.अ.व.) ने ताकीदन फ़रमाया था कि उस ज़माने में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। इरदशाद फ़रमाया था:

فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. (مشكوة شريف ج-١ ص-٧١)

"उन लोगों में (जो मस्जिदों में दुनिया की बातें करें) मत बैठना क्योंकि उनकी अल्लाह तआ़ला को कोई ज़रूरत नहीं।"

(मिश्कात शरीफ़ जिल्द-1 सफ़्हा-71)

गोया दुनिया की बातें ख़ान-ए-ख़ुदा में इस क़दर मबग़ूज़ हैं कि इस बड़े ख़तरा की आप (स.अ.व.) ने अपनी उम्मत को सैकड़ों साल पहले इत्तिला दी और फिर ताकीद फ़रमा दी कि इस गुनाह के काम से बचना और हरगिज़ इसकी जुर्अत न करना।

फ़क़ीह अबुल्लैस (रह0) ने भी हज़रत अली (रज़ि0) से एक रिवायत नक़्ल की है जिसमें बताया गया है कि लागों पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है कि इस्लाम का बजुज़ नाम के और कुरआन का सिवाए निशान के और कुछ बाक़ी नहीं रहेगा, उनकी मस्जिदें बनी तो होंगी लेकिन ज़िक्रुल्लाह से वीरान होंगी।

(तंबीहुलग़ाफ़िलीन सफ़्हा-101)

इन रिवायातों को पढ़ कर डर मालूम होता है कि क्या अजब जिस ज़माना की ये पशीनगोई की गई थी वह हमारा यही ज़माना हो। इसलिए अरबाबे इल्म व दानिश

ख़ूब ग़ौर कर लें और आम मुसलमान अपने आमाल पर गहरी नज़र डालें।

कौन नहीं जानता कि मस्जिद दरबारे इलाही और जलवा गाहे रहमत है, फिर ऐसे मुक़द्दस और पुरजलाल दरबार में दुनिया की बातें नामुनासिब, नाज़ेबा, अक़्ल व ख़िरद से बईद और मज़मूम हो सकती हैं हर शख़्स समझ सकता है। (इस्लाम का निज़ामे मसाजिद सफ़्हा–196)

रूए ज़मीन पर वह जगह जो अल्लाह तआला की नज़र में सब से प्यारी और सब से बेहतर है, वह वही घर है जिसको हम "मस्जिद" के मुख़्तसर लफ़्ज़ से ताबीर करते हैं और उसके मुक़ाबला में बाज़ार को सब से बुरी जगह क़रार दिया गया है। आख़िर बात क्या है, यही न कि बाज़ार दुनियवी धंधों के अड्डे होते हैं, जहां दुनिया अपनी बिसात बिछाए रौनक़ अफ़रोज़ रहती है और शोर व गुल, हू हड़प और हंगामा उसका लाज़िमा है।

ग़ौर कीजिए जब इस मबग़ूज़ तरीन जगह के लवाज़िम इस मोहतर व मुक़द्दस दरबार में किए जाऐंगे जो इन्दल्लाह महबूब तरीन है तो ये कितना बड़ा ज़ुल्म होगा, अल्लाह तआला सब को दीन के समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

मस्जिद में दुनियवी बातें करना?

मस्अलाः– मस्जिद में दुनियवी बातों में मशग़ूल होना ख़तरनाक है जिसके मुतअल्लिक़ आंहज़रत (स.अ.व.) ने पेशीनगोई फ़रमाई कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुनियवी बातें मस्जिदों में होने लगेंगी, उनके साथ न बैठो, ख़ुदा को ऐसों की ज़रूरत नहीं।

(मिश्कात शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–70)

आंहज़रत (स.अ.व.) ने फ़रमायाः दुनियवी बातें करना नेकियों को खा जाता है जिस् तरह कि आग लकड़ी को खा जाती है, यानी जला देती है।

एक हदीस शरीफ़ में है कि जब कोई मस्जिद में दुनियवी बातें करने लगता है तो फ़रिश्ते उसको कहते हैं: "ऐ अल्लाह के वली ख़ामोश हो जा" फिर अगर बात करता है तो फ़रिश्ते कहते हैं: "ऐ अल्लाह के दुश्मन चुप हो" फिर (भी) अगर बात करता है तो फ़रिश्ते कहते हैं: "तुझ पर लानत हो अल्लाह की, ख़ामोश रह।"

(किताबुल मदख़ल जिल्द–2 सफ़्हा–55)

अगर मस्जिद में बक़स्दे गुफ़्तगू न बैठे, इत्तिफ़ाक़न कोई दुनियावी बात ज़रूरी आहिस्ता से कर ले तो मुज़ाएक़ा नहीं, ताहम बचना बेहतर है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–161 व इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–441)

मस्अलाः– मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों के पास इस तरह बातें करना कि उनकी नमाज़ में सह्व (ग़लती) हो, और नुक़्सान आने का ख़तरा हो, मकरूह है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–107 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–602)

मस्अलाः– मस्जिद में नाजाइज़ कलाम ऊँची आवाज़ से मकरूहे तहरीमी है। (किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–455 व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–456)

मस्अलाः– मस्जिद में दुनिया की बातें करने के लिए बैठना नाजाइज़ है, अलबत्ता अगर नमाज़ वग़ैरा इबादात के लिए मस्जिद में आने के बाद कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो मुबाह कलाम करना ऐसे तरीक़ा पर कि दूसरे

इबादत करने वालों को अज़ीयत न हो दुरुस्त है और ग़ैर मुबाह कलाम जैसे फ़हश गुफ़्तगू और झूटे क़िस्से किसी तरह दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–507 व आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–151)

मस्अलाः– ख़ैर ख़ैरियत पूछ लेना और कोई ज़रूरी बात करना, इसकी तो मुमानअत नहीं, लेकिन लायानी क़िस्से लेकर मस्जिद में बैठने की इजाज़त नहीं।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–142 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–170)

मस्जिद में बैठ कर मश्वरा करना?

मस्अलाः– बिला शोर व शग़ब के इस तरह बैठ कर मश्वरा कर सकते हैं कि मस्जिद का अदब मलहूज़ रहे और किसी की नमाज़ में ख़लल न आए, मस्जिद की ज़रूरीयात मसलन तक़र्रुरे इमाम व तअ़यीने औक़ाते नमाज़ वग़ैरा के मुतअल्लिक़ मश्वरा करना दुनिया की बात नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–162)

मस्अलाः– दुनियावी कलाम ब–ज़रूरत हो तो मस्जिद में जाइज़ है बशर्तेकि मस्जिद में इसी ग़रज़ से न आया हो, बिला ज़रूरत मकरूह है, इसकी सख़्त वईद आई है।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–452)

मस्जिद में नअ़त शरीफ़ पढ़ना?

मस्अलाः– मस्जिद में बैठ कर या खड़े होकर रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की शाने मुबारक में नअ़त पढ़ सकते हैं जब कि मज़मून सही हो, और कोई ख़ारिजी मुफ़्सिदा भी न हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–163)

मस्अलाः– जिन क़सीदों या अश्आ़र में मुसलमानों की

मज़म्मत न ब्यान की गई हो और उनमें बेहूदा गोई न हो, उनका मस्जिद में पढ़ना जाइज़ है, मगर ऐसे क़सीदा और अश्आर न ही पढ़े जाऐं तो ज़्यादा अच्छा है।

ज़्यादा बेहतर ये है कि ऐसे अश्आर पढ़े जाऐं जिनके सुनने से दुनिया की रग़बत कम होती हो और दिल में सोज़ व गुदाज़ पैदा होता हो, गिरयावज़ारी का मैलान बढ़े और दिल इश्क़े इलाही की तरफ़ माएल हों, ऐसे अश्आर ज़्यादा भी पढ़े जाऐं तो जाइज़ है। (गुनिया सफ़हा–104 व किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़हा–459)

मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त करना?

सवालः यहां पर मदरास के एलाक़ा में अगर कोई किताब फ़रोख़्त करनी होती है तो मस्जिद में आ कर तक़रीर करते हैं और किताब के फ़ज़ाइल ब्यान करेंगे और अख़ीर में किताब की क़ीमत बता कर मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त शुरू करेंगे। और ऐसे ही एक साहब ने नक़्श तैयार कर के मिम्बर के ऊपर रख दिया और फ़ज़ाइल ब्यान कर के मस्जिद में फ़रोख़्त कर दिए। मस्जिद के अन्दर ये अमल कैसा है?

जवाबः मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त इस तरह भी नाजाइज़ है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–163 व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़हा–441)

मस्अलाः– ख़ारिजे मस्जिद ख़रीद व फ़रोख़्त जाइज़ है। मस्जिद के अन्दर यानी दाख़िले मस्जिद लेन देन का मआमला मसलन ख़रीद व फ़रोख़्त या मज़दूरी वग़ैरा का मआमला तैय करना मकरूह है, लेकिन हिबा वग़ैरा करना मकरूह नहीं है, बल्कि अक़्दे निकाह तो मस्जिद में मुस्तहब

है। (किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–456)

मस्अलाः– मस्जिद में छिपकली मारना नहीं चाहिए, उसको वहां से निकाल कर मारा जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–163)

ख़ान–ए–काबा की तस्वीर मस्जिद में लगाना?

मस्अलाः– हुज़ूर पुरनूर (स.अ.व.) के रौज़–ए मुबारक और ख़ान–ए–काबा की तस्वीर (जिसमें जानदार की तस्वीकर न हो) मस्जिद में लगा सकते हैं, मगर सामने न लगाऐं जिससे नमाज़ियों की नज़र उस पर जाए, नीज़ ऊँचाई पर लगाऐं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–259)

मस्अलाः– नमाज़ की रूह ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ है और ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ और ख़ुदा की तरफ़ दिल की तवज्जोह के बग़ैर बेजान है, मस्जिद की मेहराब और क़िब्ला की दीवार पर नक़्श व निगार (बेल बूटे) होंगे तो नमाज़ी की तवज्जोह उसकी तरफ़ होगी और ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ में ख़लल अंदाज़ होंगे, इसलिए मना है, बल्कि फ़ुक़हा (रह0) यहां तक लिखते हैं कि इर्द गिर्द की दीवार का नक़्श व निगार उसके क़रीब वाले नमाज़ियों के ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ में मुख़िल होगा।

मस्अलाः– जो ख़ूब सूरती नक़्श व निगार, फ़्रेम और कैलेंन्डर वग़ैरा नमाज़ी को ग़ाफ़िल करने वाली और ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ में मुख़िल हो उनसे बचना ज़रूरी है, नीज़ मस्जिद में रंगीन बल्ब लगाना लटकाना इबादत गाह को तमाशा गाह बनाने के मुतरादिफ़ है इसलिए कराहत से ख़ाली नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–235 बहवाला नूरी शरह मुस्लिम जिल्द–1 सफ़्हा–208 व जज़्बुलकुलूब

सफ़हा–616)

मस्अलाः– मस्जिद में ऐसे नक़्शे और कतबे लगाना (जिसमें ख़ान–ए–काबा या मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) का फोटो वग़ैरा हो) या मस्जिद की दीवार पर ऐसे नक़्श व निगार करना जिससे नमाज़ियों का ध्यान उसकी तरफ़ जाए मकरूह है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–243)

मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) के फ़ोटो की तरफ़ रुख़ कर के दुरूद शरीफ़ पढ़ना?

मस्अलाः– हर नमाज़ के बाद नक़्शे की जानिब रुख़ कर के हाथ बांध कर दुरूद शरीफ़ पढ़ने का ये तरीक़ा किसी शरओ़ी दलील से साबित नहीं है, न कुरआने करीम में है, न हदीस शरीफ़ में है, न सहाब–ए–किराम (रज़ि0) ने ये तरीक़ा इख़्तियार किया, न मुहद्दिसीन ने, न फ़ुक़हाए मुज्तहिदीन ने, नमाज़ में जो दुरूद शरीफ़ पढ़ा जाता है वह अफ़ज़ल है, नमाज़ से पहले या बाद में जब दिल चाहे जिस क़दर भी तौफ़ीक़ हो बड़े अदब व एहतेराम से बैठ कर दुरूद शरीफ़ पढ़ना बहुत बड़ी सआ़दत है और बरकत की चीज़ है। आंहज़रत (स.अ.व.) का बहुत बड़ा हक़ है। हदीसे पाक में बड़ी फ़ज़ीलत आई है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–244)

तस्वीर वाली किताब मस्जिद में पढ़ना?

सवालः कोई किताब जिसमें तस्वीर होती है, मसलन हुदा डाएजेस्ट वग़ैरा को मस्जिद में बैठ कर पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? जब कि तस्वीर रुपये, पैसे और माचिस पर भी होती है और ये चीज़ें जेब में रहती हैं?

जवाबः पैसा, रुपया, दियासलाई (माचिस) पर जो

तसावीर होती हैं, उमूमन वह बहुत छोटी होती हैं, बाज़ औक़ात तो ये भी मालूम नहीं होता कि ये जानदार की तस्वीर है या कोई फूल वग़ैरा। ऐसी छोटी तसावीर की चीज़ के हुक्म में तख़्फ़ीफ़ है। नीज़ पैसा रुपया ज़रूरत की चीज़ें हैं कि बग़ैर इसके चारए कार नहीं, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इसको अपने पास रखने पर आदमी मजबूर होता है, नीज़ इससे बचना दुश्वार है क्योंकि बग़ैर तस्वीर के पैसा रुपया नायाब है। नीज़ उन तसावीर को देखने की तरफ़ कोई तवज्जोह नहीं होती, उनमें जाज़िबीयत नहीं।

किताबों की तसावीर की ये शान नहीं, उनको पैसा रुपय की तसावीर पर क़यास नहीं किया जाएगा, इसलिए उनमें तख़्फ़ीफ़ को तलाश न करें, मस्जिद को ऐसी चीज़ों से बचाना चाहिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–159)

मस्जिद में मरहूम के लिए ख़त्म पढ़ना?

मस्अलाः– जो ख़त्म बुज़ुर्गों से साबित है उसको पढ़ना, या ख़त्म पढ़ कर बुज़ुर्गों (वग़ैरा) को सवाब पहुंचाना दुरुस्त है, लेकिन किसी को इस (पढ़ने) पर मजबूर न किया जाए, जिसका दिल चाहे शरीक हो और जिसका दिल न चाहे न शरीक हो, नीज़ अपनी तरफ़ से कोई चीज़ ऐसी न मिलाई जाए जो साबित न हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–418)

सहरी के लिए मस्जिद की छत पर नक़्क़ारा बजाना?

मस्अलाः– सहरी के लिए मकान की छत पर नक़्क़ारा

बजाने की इजाज़त है, मस्जिद में या मस्जिद की छत पर नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–232)

"यानी ख़ारिजे मस्जिद, इमाम साहब के कमरा की छत पर या वुजू ख़ाने वग़ैरा की छत पर सहरी में उठाने के लिए नक़्क़ार बजा सकते हैं।"

(रफ़अत)

मस्जिद की छत पर चढ़ कर शिकार खेलना?

मस्अला:– मस्जिद की छत पर शिकार के लिए चढ़ना मना है और ऐसी तरह खेलना कि जानवर मस्जिद में गिरे और मस्जिद मुलव्वस हो, ये भी मना है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–254)

मस्अला:– नफ़्से शिकार करना कबूतर का जाइज़ है मगर मस्जिद का एहतेराम भी लाज़िम है, लिंहाज़ा मस्जिद में कबूतर इस तरह न पकड़ें कि जिससे मस्जिद की बेहुरमती हो। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़हा–471)

मस्जिद में न जाने की क़सम खाना?

सवालः चंद लोग मस्जिद में खुराफ़ात की बातें कर रहे थे, मैंने उनको मना किया तो वह लड़ने लगे, जिस पर मैं ने क़सम खा ली कि मस्जिद में नहीं जाऊँगा। तो मेरे लिए क्या हुकम है?

जवाबः आप ने ग़लती की जो ऐसी क़सम खा ली। आप मस्जिद में जाऐं, फिर अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करें। कफ़्फ़ारा ये है कि दस मिस्कीनों को दो वक़्त पेट भर कर खाना खिलाऐं या दस ग़रीबों को कपड़ा दें, अगर इतनी वुस्अ़त न हो तो तीन रोज़े मुसलसल रखें और आइंदा इस क़िस्म की चीज़ न करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–4 सफ़्हा–161)

मस्जिद की दीवार में दूकान की अलमारी बनाना?

सवालः– एक मस्जिद लबे सड़क है जिसका फ़र्श क़द्दे आदम से भी दो फुट ज़्यादा ऊँचा है, मस्जिद की एक दूकान छोटी सी है, अगर वुस्अ़त देने के लिए एक छोटी सी अलमारी बना दी जाए, नीज़ ये अलमारी मस्जिद के फ़र्श से नीचे की तरफ़ होगी, क्या ये जाइज़ है?

जवाबः जो जगह शरअ़न मस्जिद होती है वह नीचे ऊपर सब मस्जिद होती है, मस्जिद की दीवार में इस तरह अलमारी बनाना कि वह मस्जिद के फ़र्श के नीचे पड़ती हो और उसको किराया पर देना और ज़रीअ़ए आमदनी बनाना शरअ़न दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–166)

मस्अला:– मस्जिद की तामीर कर्दा दीवार में तख़्ता वग़ैरा लगाने से नुक़्सान न पहुंचता हो (कि दीवार कमज़ोर हो जाए या कोई और नुक़्सान न पहुंचे तो) कुरआने पाक और दीनी कुतुब मुतालआ के लिए वहां रखना दुरुस्त है। (यानी तामीर होने के बाद अलमारी वग़ैरा बनाना।)

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–227)

मस्जिद से निकलने के लिए तयम्मुम करना?

सवालः मस्जिद में सोने वाले को एहतेलाम हो जाए तो निकलते वक़्त उसको तयम्मुम करना ज़रूरी है या नहीं?

जवाबः मस्जिद से निकलने के लिए तयम्मुम ज़रूरी नहीं, अलबत्ता अगर किसी आरज़ा की वजह से उस वक़्त

निकलना दुश्वार हो तो तयम्मुम ज़रूरी है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़हा–512 व किफ़ाय–तुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़हा–106 व आलमगीरी जिल्द–1 सफ़हा–39)

क्या मस्जिद में पहुंच कर पहले बैठे?

मस्अला:– सुन्नत यही है कि मस्जिद में जाते ही बग़ैर बैठे तहीयतुल मस्जिद की दो रकअ़तें अदा करे और अगर पहले बैठ गया तो ये तर्के औला होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़हा–216)

मस्अला:– औला और मुस्तहब ये है कि मस्जिद में दाख़िल होने के वक़्त अगर वुज़ू है और वक़्त में गुंजाइश है तो पहले दो रकअ़त तहीयतुल मस्जिद पढ़े फिर बैठे। और ये जो रिवाज पड़ गया है कि मस्जिद में दाख़िल हो कर पहले बैठ कर फिर तहीयतुल मस्जिद वग़ैरा पढ़ते हैं, इसकी कुछ अस्ल नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़हा–236 बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़हा–635 व बुख़ारी जिल्द–1 सफ़हा–63 व मुस्लिम जिल्द–1 सफ़हा–248)

मस्अला:– बैठने से क़ब्ल तहीयतुल मस्जिद पढ़ना अफ़ज़ल है, मगर बैठने से साक़ित नहीं होता, इसलिए बैठने के बाद अगर जल्दी जमाअ़त शुरू हो गई तो ये फ़र्ज़ तहीयतुल मस्जिद के क़ाइम मक़ाम हो जाएंगे, अगर जमाअ़त में ताख़ीर है तो उठ कर तहीयतुल मस्जिद अदा करे। (अहसनुलफ़तावा जिल्द–3 सफ़हा–482)

मस्अला:– सुनन व नवाफ़िल पढ़ने के लिए घर अफ़ज़ल है, लेकिन अगर रास्ता में या घर में ये ख़ौफ़ हो कि दिल

परेशान हो जाएगा और ख़ुशूअ़ हासिल न होगा, या तकल्लुम बकलामे ग़ैर ज़रूरी की वजह से नुक़्सान सवाब में होगा तो ऐसी सूरत में मस्जिद में पढ़ना अफ़ज़ल है, इसलिए कि ज़्यादा तर लिहाज़ ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ का है जिस जगह ये हासिल हो वह अफ़ज़ल है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–227 बहवाला दुर्रेमुख़्तार बाबुल वित्र जिल्द–1 सफ़्हा–638)

मस्अलाः– मस्जिद की फ़ज़ीलत अन्दर व बाहर (सेहन व दालान वग़ैरा) सब बराबर है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–226 बहवाला दुर्रेमुख़्तार फ़ी अहकामिलमस्जिद जिल्द–1 सफ़्हा–615)

तहीयतुल मस्जिद का हुक्म

मस्अलाः– मस्जिद में दाख़िल होने पर दो रकअ़त पढ़ ले तो वह तहीयतुल वुज़ू और तहीयतुल मस्जिद दोनों के क़ाइम मक़ाम हो जाऐंगी, बल्कि मस्जिद में दाख़िल होते ही कोई भी नमाज़ पढ़ ली तो तहीयतुल मस्जिद अदा हो गया, इसी तरह वुज़ू की तरी ख़ुश्क होने से क़ब्ल कोई भी नमाज़ पढ़ ले तो तहीयतुल वुज़ू अदा हो जाएगा। (अहसनुलफ़तावा जिल्द–3 सफ़्हा–481)

मस्अलाः– अस्र के बाद ग़ुरूब तक कोई नफ़्ल नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं, अलबत्ता ग़ुरूब के बाद मग़रिब की नमाज़ से क़ब्ल दो रकअ़त नफ़्ल मुख़्तसर तौर पर पढ़ना जाइज़ है मगर अफ़ज़ल ये है कि नमाज़े मग़रिब से पहले नफ़्ल न पढे, इसमें किसी सूरत की तख़्सीस नहीं।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द–13 सफ़्हा–480 बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–349)

मस्अलाः– औकाते मकरूहा के सिवा जब भी मस्जिद में दाख़िल हो तहीयतुल मस्जिद मसनून है, वक़्ती नमाज़ों के साथ उसका कोई तअल्लुक़ नहीं, बल्कि पंज–वक़्ता नमाज़ के लिए मस्जिद में दाख़िल होते ही बैठने से क़ब्ल या बैठने के बाद जल्द ही अगर वक़्ती फ़र्ज़ या सुन्नत शुरू कर दें तो ये नमाज़ तहीयतुल मस्जिद के क़ाइम मक़ाम होगी, मुस्तक़िल तहीयतुल मस्जिद का हुक्म सिर्फ़ उसी सूरत में है जब बिला नीयते नमाज़ मस्जिद में दाख़िल हो, अलबत्ता अगर नमाज़ की नीयत से दाख़िल हुआ मगर जमाअत में ताख़ीर है और सुन्नतें वग़ैरा भी जल्द पढ़ने का क़स्द नहीं तो तहीयतुल मस्जिद मुस्तक़िल पढ़े। (अहसनुल फ़तावा जिल्द–3 सफ़्हा–483)

मस्अलाः– वक़्त मकरूह न हो तो (मस्जिद में पहुंच कर तहीयतुल मस्जिद) पढ़ी जा सकती है, जमाअत शुरू होने से पहले फ़राग़त हो सकती है तो पढ़े, वरना छोड़ दे। (नीज़) मस्जिद में बार बार जाने वाले के लिए एक मरतबा दो रकअत तहीयतुल मस्जिद पढ़ लेना काफ़ी है, हर मरतबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–226 व किताबुलफ़िक्ह जिल्द–1 सफ़्हा–527)

मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा?

मस्अलाः– मदीना मुनव्वरा में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की जगह मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) के मुत्तसिल जानिबे शर्क़ में थी।

मस्जिद पांच नमाज़ों के लिए बनाई जाती है, उसमें नमाज़े जनाज़ा बिला उज़्र पढ़ना कराहियत से ख़ाली नहीं,

अगर मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा बिला कराहियत के जाइज़ होती तो हुज़ूर (स.अ.व.) उसके लिए मुस्तकिल एक जगह न बनवाते, बल्कि मस्जिद ही काफ़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुज़ूर (स.अ.व.) ने मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) की तामीर ख़त्म होते ही एक मुस्तक़िल जगह नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के लिए बनवाई।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़हा–387 बहवाला फ़तहुलबारी जिल्द–3 सफ़हा–160 व अत्तलीकुस्सबीह जिल्द–2 सफ़हा–239)

मस्अलाः– नमाज़े जनाज़ा अगर मस्जिद में हो रही हो तो इस्लाह की ख़ातिर जमाअत से अलाहिदगी इख़्तियार कर ले तो बेहतर है।

मस्अलाः– बावजूद मस्अला बताने के अगर लोग रिवाजन नमाज़े जनाज़ा (दाख़िले) मस्जिद में पढ़ते हों तो शिरकते जमाअत से और इमामत से माज़ूरी ज़ाहिर कर दी जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़हा–298 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़हा–141)

मस्अलाः– बिला उज़्र और बग़ैर मजबूरी के जनाज़ा को मस्जिद में दाख़िल करना मना है और मकरूह है, क्योंकि तलवीस का डर है, यानी बाज़ मरतबा जनाज़ा से ख़ून वग़ैरा निकल जाता है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–5 सफ़हा–105 व जिल्द–1 सफ़हा–374, तफ़सील देखिये बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–1 सफ़हा–177 व मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़हा–319 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़हा–141 व शामी जिल्द–1 सफ़हा–827 व इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़हा–460)

जनाज़ा मस्जिद से बाहर इमाम और मुक़्तदी मस्जिद के अन्दर?

सवालः जनाज़ा को मस्जिद से बाहर इस तरह पर रखते हैं कि क़िब्ला की तरफ़ वाली दीवार में एक बड़ी खिड़की है, वह खोल कर उसके सामने जनाज़ा मस्जिद से बाहर रख कर इमाम साहब मअ़ जमाअ़त के नमाज़े जनाज़ा पढ़ा लेते हैं, क्योंकि जुमा के दिन में इतने आदमी नमाज़े जनाज़ा के लिए मस्जिद से बाहर कहां समा सकते हैं?

जवाबः सूरते मस्ऊला में दुर्रेमुख़्तार में तो कराहत ही को मुख़्तार कहा है, मगर अल्लामा शामी (रह0) ने बाज़ जुज़्ईयाते फ़िक़्हीया से इसमें तवस्सोअ़ लिखा है।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़हा–457)

"मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) शरीफ़ में भी यही तरीक़ा है कि इमाम मेहराब से बाहर ख़ारिजे मस्जिद क़िब्ला रुख़ कमरा में जनाज़ा को रख कर नमाज़े जनाज़ा होती है, कुछ लोग इमाम के साथ ख़ारिजे मस्जिद होते हैं और बाक़ी हज़रात मस्जिद में यानी जनाज़ा दाख़िले मस्जिद नहीं होता, और मस्जिदे हराम में ख़ान–ए–काबा की दीवार के पास जनाज़ा रखा जाता है, क्योंकि वहां पर मजबूरी है कि अगर जनाज़ा को ख़ारिजे मस्जिद किया जाए तो मुक़्तदी इमाम से आगे हो जाऐंगे।"

(मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

मसाजिद के शहीद करने पर सज़ा फ़ौरन क्यों नहीं?

सवालः ग़ैर क़ौम को अल्लाह तआला बुज़ुरगों की

दरगाहों को शहीद करने पर फ़ौरन सज़ा देता है, लेकिन मसाजिद के शहीद करने पर उन लोगों को फ़ौरन सज़ा क्यों नहीं देता?

जवाबः कुराअन व अहादीस से कहां साबित है कि वलीयुल्लाह की दरगाह को शहीद करने पर अल्लाह तआला फ़ौरन सज़ा देता है। 1947 ई0 से अब तक मश्रिक़ी पंजाब में कितने औलिया अल्लाह (रहिमहुल्लाह) की दरगाहें शहीद कर दी गईं, और भी जगह जगह ऐसा हुआ है मगर फ़ौरन सज़ा नहीं दी गई है, ये भी अल्लाह तआला की हिकमत है, और जहां फ़ौरन सज़ा दी गई है वह भी अल्लाह तआला की हिकमत है, मसाजिद को शहीद करने पर फ़ौरन सज़ा नहीं दी गई है वह भी अल्लाह तआला की हिकमत है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–14 सफ़्हा–50)

मस्जिद पर क़ब्ज़ा कर के घर बना लेना?

मस्अलाः– जिस जगह के वक़्फ़ और मस्जिद होने का सुबूत हो जाए फिर चाहे वह मुद्दते दराज़ तक वीरान, ग़ैर आबाद और ख़स्ता हाली में पड़ी रही हो, तब भी वह जगह मस्जिद है और ता–क़यामत मस्जिद के हुक्म में रहेगी और उस जगह को मस्जिद के अलावा खाने पीने, सोने के काम में लेना नाजाइज़ और हराम है, ग़ासिब की हिमायत करने वाले भी गुनहगार होंगे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–100)

मस्जिद का बीमा कराना?

सवालः मस्जिद का बीमा कराना कैसा है, क्योंकि यहां की मस्जिद गुज़श्ता फ़साद में जला दी गई थी,

मस्जिद का सामान वगै़रा भी?

जवाबः अगर मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ की कोई सूरत नहीं तो मजबूरन बीमा कराना दुरुस्त है, मगर उससे हासिल होने वाली सूदी रक़म मस्जिद में सर्फ़ न की जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–229)

मस्अलाः– जो रक़म बीमा के ज़िम्न में अदा की गई है वह रक़म मस्जिद, मदरसा और इबादतगाह की होगी और ज़ाएद रक़म गुरबा को तक़्सीम करना होगी।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–127)

मस्जिद के ख़ादिम के साथ रिआयत करना?

सवालः मस्जिद का क़दीम मुलाज़िम काम करते करते बूढ़ा हो गया, अब थोड़ा थोड़ा काम करता है, तो उसको पूरी तन्ख़्वाह मस्जिद से दी जा सकती है या नहीं?

जवाबः उसकी ताक़त के मुवाफ़िक़ काम भी तजवीज़ कर दिया जाए, इतनी मुराआत की गुंजाइश है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–229)

क्या ख़ादिमे मस्जिद की औलाद को वरासत का हक़ है?

सवालः (1) हमारे यहां मस्जिद में ज़ैद के दादा और वालिद ब–हैसियते मुअज़्ज़िन व इमाम मुक़र्रर थे, उनके इन्तिक़ाल के बाद ज़ैद उस जगह को संभाल न सका, लिहाज़ा मुअज़्ज़िन व इमाम दूसरे हज़रात मुक़र्रर हो गए अलबत्ता ज़ैद के लिए वही मुराआत जो उसके बाप दादा के लिए थी बहाल रही। लेकिन अब क़स्बा वालों ने ज़ैद की नाज़ेबा हरकतों की बिना पर तमाम मुराआत ख़त्म कर दी हैं शरअ़न क्या हुक्म है?

(2) ज़ैद के बाद दादा के लिए जो कमरा मस्जिद की तरफ़ से था, उसमें ज़ैद की अब भी रिहाइश है, क्या ये शरअन जाइज़ है?

जवाबः (1) मस्जिद के किसी ख़ादिम (मुअज़्ज़िन या इमाम) की अगर मुराआत मस्जिद की ख़िदमत की वजह से की जाती है तो वह इसी ख़ादिम की ज़ात बल्कि ख़िदमत तक महदूद रहती है, उसमें वरासत जारी नहीं होती कि ख़ादिम के इंतिक़ाल के बाद वरसा भी इस्तेहक़ाक़ की बिना पर मुराआत का मुतालबा करें।

(2) ये रिहाइश भी दादा और वालिद को मस्जिद की ख़िदमत की वजह से दी गई थी, अब जबकि ख़िदमत ख़त्म हो गई बल्कि ख़िदमत करने वाले भी ख़त्म हो गए तो मौजूदा औलाद को ब–हैसियते वारिस उसका हक़ नहीं पहुंचेगा।

नीज़ मस्जिद की ज़मीन, जाएदाद, बाग़, दूकान, मकान जो चीज़ भी मस्जिद की मिल्क हो, ख़्वाह किसी ने वक़्फ़ की हो या मस्जिद के लिए ख़रीदी गई हो, उस पर भी किसी का ग़ासिबाना क़ब्ज़ा जाइज़ नहीं है, उसका वागुज़ार कराना ज़रूरी है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–217)

मस्जिद में हदीस लिख कर लगाना?

सवालः तख़्त–ए सियाह पर हदीसें लिख कर मस्जिद के दाख़िली दरवाज़े के पास लगा देते हैं और अपने लिए दुआए ख़ैर की गुज़ारिश भी कर देते हैं, तो क्या किसी फ़र्द या जमाअत का अपनी इस्लाह और ख़ैर की दुआ कराना अहकामे रब्बी या हदीस लिखने से पहले किसी फ़र्द या जमाअत का नाम लिखना मना है?

जवाबः किसी फ़र्द या जमाअ़त का अपने लिए दुआए ख़ैर के लिए दरख़्वास्त करना मना नहीं है। हदीस शरीफ़ लिख कर दुआ की दरख़्वास्त करना कि अल्लाह तआ़ला हम को भी अमल की तौफ़ीक़ दे, ये भी मना नहीं है। नाम चाहे आख़िर में लिखा जाए या पहले, मगर इस तरह नाम लिखने से उस लिखने वाले फ़र्द या जमाअ़त की तशहीर भी होती जिसकी बिना पर लोग तारीफ़ करते हैं। ऐसा न हो कि काम का मक़्सूद तारीफ़ ही तक महदूद रह जाए, रज़ाए ख़ुदावंदी और इशाअ़ते हदीस व अहकाम मक़्सूद न रहे, या उसके साथ नाम आवरी भी मक़्सूदियत के दर्जा में आ जाए। जैसा कि कसरत से इश्तिहारी लोगों का हाल देखने में आता है। अल्लाह पाक इस मुसीबत से महफ़ूज़ रखे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–241)

मस्जिद की दीवार पर इश्तिहार लगाना?

मस्अलाः– मस्जिद के दरवाज़ों और दीवारों पर इश्तिहार चिपकाना दो वजह से नाजाइज़ है। एक ये कि मस्जिद की दीवार का इस्तेमाल ज़ाती मक़्सद के लिए हराम है, चुनांचे फ़ुक़्हा ने लिखा है कि मस्जिद पर किसी के लिए ये जाइज़ नहीं कि मस्जिद की दीवार पर अपने मकान का शहतीर (गाटर) या कड़ी रखे।

दूसरी वजह ये है कि मसाजिद की ताज़ीम और सफ़ाई का हुक्म दिया गया है। और मस्जिद पर इश्तिहार लगाना उसकी बेअदबी है और गंदा करना भी है। क्या कोई शख़्स गवरनर हाउस के दरवाज़े पर इश्तिहार लगाने की जुर्अत कर सकेगा? और क्या अपने मकान के दरोदीवार

पर मुख़्तलिफ़ नौअ़ के इश्तिहार लगाए जाने को पसंद करेगा? (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–146)

मस्अलाः– मस्जिद (जहां नमाज़ पढ़ी जाती है दाख़िले मस्जिद) के सेहन या किसी भी हिस्सा को तिजारत गाह न बनाया जाए, कारोबारी अशिया वहां न रखी जाएं। नीज़ सहर व इफ़्तार के नक़्शा में नीचे दूकान की मुश्तहरी के लिए इश्तिहार लिखवाए जाते हैं, ऐसे नक़्शा को मस्जिद के बैरूनी दरवाज़ा और दीवार पर लगा दिया जाए तो मुज़ाएका नहीं, ताकि इफ़्तार व सहर का इल्म भी हो सके और दूकान की मुशतहरी भी हो जाए। और मस्जिद को गुज़रगाह न बनाया जाए, न मर्दों के लिए और न औरतों के लिए, औरतों को नमाज़ के लिए भी मस्जिद में आने से रोक दिया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–209)

मसाजिद में इश्तिहार वाले कैलेन्डर व जंत्री लगाना?

मस्अलाः– आज कल बाज़ जंत्रियां ऐसी शाये की जाती हैं जिनमें औक़ाते नमाज़ व दीनी मज़ामीन और आयाते कुरआनी के टुकडे दर्ज किए जाते हैं और उसकी तबाअ़त में इक़्तिसादी सुहुलत के लिए तिजारती इश्तिहार भी दर्ज कर दिए जाते हैं जिनकी मिक़्दार दूसरे मज़ामीन के मुक़ाबला में बहुत कम होती है, तो ऐसे कैलेन्डरों का अस्ल मक़्सद दावत व इशाअ़ते दीन है, इश्तिहारात की हैसियत ज़ैली होती है, उसका एतेबार न होगा।

(फ़िक़्ही मसाइल जिल्द–7 सफ़्हा–289)

"लेकिन इसका ख़्याल रहे कि कैलेन्डर व जंत्री

वगैरा पर जानदार की तस्वीर न हो और नमाज़ी के सामने क़िब्ला की दीवार पर न लगाया जाए ताकि नमाज़ी के ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में किसी क़िस्म का फ़र्क़ न आए।" (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

ग़ैर मुस्लिम के पास मस्जिद की अमानत ज़ाए हो गई?

सवालः मस्जिद के मुतवल्ली को अपने पास मस्जिद के पैसे रखने में हिफ़ाज़त का यक़ीन नहीं था और कोई दूसरा मुसलमान भी अमानत रखना क़बूल नहीं करता था, इसलिए मुहल्ला वालों के हुक्म पर मुतवल्ली ने मस्जिद की रक़म काफ़िर के पास रखी, वह उस वक़्त मालदार था और अमानत रखने में मरजऐ ख़ास व आम था, अब काफ़िर मुफ़्लिस हो गया और मस्जिद के पैसे उसके पास से हलाक हो गए, न कोई उसके पास जाएदाद है कि जिससे वसूल हो सके। तो क्या अह्ले मुहल्ला या मुतवल्ली पर ज़मान लाज़िम होगा?

जवाबः मुतवल्ली को अगर पैसे ज़ाए होने का अंदेशा था और कोई दूसरी सूरत भी हिफ़ाज़त की नहीं थी और अह्ले मुहल्ला के हुक्म से मुतवल्ली ने वह पैसे ग़ैर मुस्लिम के पास रख दिए और उस काफ़िर से वसूलयाबी की काफ़ी तवक़्क़ो थी तो फिर मुतवल्ली पर ज़मान लाज़िम नहीं और न अह्ले मुहल्ला पर लाज़िम है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–181)

मस्जिद में चोरी हो तो क्या मुतवल्ली पर ज़मान होगा?

सवालः एक मस्जिद में जिस कमरा में सामान था

उस पर ताला लगा हुआ था, चोरों ने आसानी से तोड़ कर चोरी कर ली, क्या मुतवल्लिये मस्जिद पर कोई जुर्म आएद होता है?

जवाबः मसाजिद के सदर दरवाज़े पर उमूमन ताला नहीं लगाया जाता, ताकि जो शख़्स जब भी दिल चाहे मस्जिद में आकर इबादत कर सके, नीज़ हर मस्जिद में मुहाफ़िज़ भी मुक़र्रर नहीं होता, बल्कि औक़ाते नमाज़ में मुअज़्ज़िन आता है, मस्जिद की सफ़ाई और सफ़ें बिछाने का काम करता है, अगर यही सूरत आपके यहां भी है तो कमरा पर (जहां पर मस्जिद का सामान वग़ैरा रखा है) ताला होना ही हिफ़ाज़त के लिए काफ़ी है। मुतवल्ली पर कोई ज़मान नहीं है, हां अगर वह जगह चोरों की है और चोरी के वाक़िआत मस्जिद वग़ैरा में पेश आते रहते हैं और सिर्फ़ मस्जिद के कमरा पर ताला लगा हुआ होना काफ़ी नहीं समझा जाता तो फिर दूसरा हुक्म होगा।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–177)

मस्जिद की अमानत चोरी हो जाए तो ज़मान का हुक्म?

सवालः एक शख़्स के पास मस्जिद की अमानत रखी हुई थी जो चोरी हो गई, कुछ वापस आ गई, उसने मस्जिद की अमानत कुछ दी और कुछ नहीं दी तो क्या उसको देना लाज़िम है या नहीं?

जवाबः अगर अमानत को अपने माल में मख़लूत कर के रखा था तो पूरी अमानत को उस से लेना चाहिए, अगर अलग रखा था और बावजूद पूरी हिफ़ाज़त के वह चोरी हो गई तो उससे पूरी रक़म लेने का हक़ नहीं है,

जितनी वापस आ गई हो वह ले ली जाए।

(फ़तवा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–171)

मस्जिद की हुदूद से बाहर सफ़ व शामियाना मस्जिद की आमदनी से?

सवालः जुमअतुलवदाअ़ और ईदैन के मौक़ा पर अन्दर सेहन वग़ैरा भर जाता है, मस्जिद के बाहर सरकारी सड़क पर लोग नमाज़ अदा करते हैं तो क्या मस्जिद की आमदनी से किराया पर शामियाना, दरियाँ (फ़र्श वग़ैरा) बिछवाई जाती हैं तो क्या हुदूदे मस्जिद से बाहर मस्जिद की कमेटी पर ये फ़र्ज़ आएद होता है कि शामियाने और दरियों का इंतिज़ाम मस्जिद की आमदनी से करे?

जवाबः ये इंतिज़ाम भी उसी मस्जिद के नमाज़ियों के लिए है, इसलिए कोई हरज नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–181)

तवाइफ़ की तामीर कर्दा मस्जिद में नमाज़?

सवालः अगर कोई तवाइफ़ या ज़ंख़ा वग़ैरा कोई मस्जिद तामीर कराए तो उसमें नमाज़ पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः हामिदन व मुसल्लियन, मकरूह है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–481, फ़तावा रशीदिया जिल्द–2 सफ़्हा–18 व 23)

मस्अलाः– ज़ानिया की बनाई हुई मस्जिद हुक्मन मस्जिद हो गई, यहाँ तक वरसा का हक़ उससे मुनक़तअ़ हो गया और उसमें किसी का तसर्रुफ़ ख़िलाफ़े वक़्फ़ नाजाइज़ हो गया, न उसको ढा सकते हैं न उसको बेच कर दूसरी मस्जिद में उसकी क़ीमत लगा सकते हैं, लेकिन उसमें नमाज़ पढ़ने से सवाब कामिल न मिलेगा, फ़र्ज़ ज़िम्मा से

साकित हो जाएगा। (इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–441 व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–433)

फ़ाहिशा की चीज़ मस्जिद में इस्तेमाल करना?

सवालः एक तवाइफ़ औरत की गुज़र औक़ात खाना, पीना हराम कमाई पर है, लेकिन वह सूत कात कर या छालिया कतर कर उस पैसा से मस्जिद में सफ़ें या लोटे देती है तो क्या ले सकते हैं?

जवाबः ऐसे लोटों और सफ़ों का इस्तेमाल मस्जिद में दुरुस्त है, क्योंकि ये ऐन हराम की कमाई से ख़रीद कर नहीं दिए हैं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–203 किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–111)

तन्ख़्वाह लेकर मस्जिद में तालीम देना?

मस्अलाः– जो शख़्स मसालेहे मस्जिद के लिए मसलन हिफ़ाज़ते मस्जिद के लिए या दूसरी जगह न होने की वजह से मजबूरन मस्जिद में बैठ कर तालीम दे उस को जाइज़ है और महज़ पेशा बना कर मस्जिद में बैठना और तालीम देना नाजाइज़ है और एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–186 इम्दादुल–
–अहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–441)

मस्जिद के एक हिस्सा में तालीम देना?

सवालः मस्जिद के नीचे के हिस्सा में नमाज़ होती है और फ़ौक़ानी (ऊपर के) हिस्सा में बच्चे पढ़ते हैं, मगर मस्जिद बनाते वक़्त इसका ख़्याल नहीं था कि उसमें बच्चे पढ़ेंगे, बल्कि उसका शुमार मस्जिद ही में था। क्या जमाअत फ़ौक़ानी हिस्सा में की जा सकती है? और उस हिस्सा में बच्चों की तालीम दे सकते हैं या नहीं?

जवाबः वह मस्जिद जिस तरह से उसके नीचे का हिस्सा मस्जिद है, उसी तरह ऊपर का हिस्सा भी मस्जिद है। जमाअ़ते सानी ऊपर न की जाए, बच्चों की तालीम के लिए किसी दूसरी जगह का इंतिज़ाम किया जाए, अगर कोई दूसरी जगह न हो तो मजबूरन बच्चों को दीनी तालीम मस्जिद में देना दुरुस्त है, मगर इतने छोटे बच्चे न हों जिनको पाकी नापाकी की तमीज़ न हो, मसलन गंदे पैर मस्जिद में रखें या पेशाब कर दें। और ये भी ज़रूरी है कि एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ कोई काम न किया जाए मसलन बच्चों को सख़्त अलफ़ाज़ और कड़कदार आवाज़ से डांटना, मारना, सज़ा देना।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–130 व अह–सनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–458)

मस्जिद में तालीम की हुदूद

मस्अलाः– अगर कुरआने करीम और दीनी तालीम के लिए कोई जगह नहीं तो मस्जिद में तालीम की गुंजाइश है, लेकिन मस्जिद का एहतेराम लाज़िम है, न वहां शोर व शग़ब किया जाए, न वहां कोई काम ख़िलाफ़े एहतेरामे मस्जिद किया जाए। नमाज़ के औक़ात मुतअ़ैय्यन हैं, वह औक़ात तालीम के नहीं। जिस वक़्त औक़ाते मुतअ़ैय्यना में लोग नमाज़ पढ़ते हों, तालीम की ऐसी सूरत इख़्तियार नहीं करना चाहए जिससे नमाज़ में ख़लल आए।

मस्अलाः– धान वग़ैरा मस्जिद में न सुखाए जाऐं, नीज़ ऐसे बच्चों को न लेटने दें और न बैठने दें जो पेशाब कर के मस्जिद और चटाई वग़ैरा को नापाक कर दें, उनके लिए मस्जिद के ख़ारिज में इंतिज़ाम किया जाए। (फ़तावा

महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–138 व जिल्द–10 सफ़हा–151)

मस्जिद का कुरआने पाक इस्तेमाल करना?

मस्अलाः– जो कुरआन शरीफ़, पारे, मस्जिद में वक़्फ़ कर के रखे गए उनको हर शख़्स मस्जिद में इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह मदरसा के तलबा हों चाहे दूसरे नमाज़ी हों। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–138)

"लेकिन अपने घर या दूसरी मस्जिद में या मदरसा में ले जाना जाइज़ नहीं है।"

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)

मस्अलाः– कुरआने करीम जिसने मस्जिद में रखा है, ज़ाहिर है कि मस्जिद के लिए वक़्फ़ किया है कि जिस शख़्स का दिल चाहे मस्जिद में आ कर तिलावत करे, उसको मकान ले जाकर मुस्तक़िल्लन रखने की इजाज़त नहीं है। अगरचे उसके बदले में आप दूसरा कुरआन शरीफ़ मस्जिद में रख दें। शैए मौक़ूफ़ा पर एवज़ देकर मालिकाना क़ब्ज़ा का हक़ नहीं, अगर आप को वैसा ही हासिल करना है तो जो उस कुरआन पर पता लिखा है वहां से मंगवा लें। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़हा–296)

मस्अलाः– जो कुरआन व पारे या कुतुब वग़ैरा जिस मस्जिद के लिए वक़्फ़ हों उनको दूसरी जगह ले जाने की इजाज़त नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़हा–296)

मस्अलाः– मस्जिद के वक़्फ़ कुरआने करीम बेचना जाइज़ नहीं है। ज़रूरत से ज़ाएद हों और काम में न आते हों तो क़रीब की ज़रूरत मंद मस्जिद में दे दिये जाएं। मस्जिद को जब ज़रूरत न हो तो लेना ही नहीं चाहिए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़हा–77)

मस्अलाः— मस्जिद के वक़्फ़ कुरआन को अपने कुरआन से बदलना जाइज़ नहीं है, मस्जिद में बैठ कर इस्तिफ़ादा करना जाइज़ है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–108)

मस्जिद के कुरआन के पारे घर ले जाना?

सवालः मस्जिद में कुरआन बसूरते पारे रखे जाते हैं, उन्हें घरों में ख़त्मे कुरआन के वास्त ले जाना कैसा है?

जवाबः मस्जिद में पारे देने का मक़्सद ये हो कि लोग उन्हें अपने मकान पर ले जाएं और उससे फ़ाएदा उठाऐं, तो इस सूरत में घर ले जाने में (ख़त्म शरीफ़ के लिए) मुज़ाएक़ा नहीं। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–256)

मस्अलाः— कुरआन शरीफ़ मस्जिद से उठा कर लाना जाइज़ नहीं, अगर कोई उठा लाया तो उसको दोबारा मस्जिद में या उसकी जगह दूसरा कुरआन शरीफ़ रख दे। (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–151)

मस्जिद के कुरआन तलबा को देना?

सवालः मसाजिद में लोग उमूमन बिला इजाज़त कुरआन मजीद काफ़ी तादाद में रख जाते हैं जो वैसे ही रखे रहते हैं, उन्हें न कोई उठाता है और न तिलावत करता है, बिलआख़िर बोसीदा हो जाने के बाद उनको दफ़्न करना पड़ता है, अगर ये कुरआन करीम नादार बच्चों को दे दिए जाऐं जो मकतब वग़ैरा में पढ़ते हैं?

जवाबः सिकी की मिल्क में देना जाइज़ नहीं, न ही मदरसा में दिए जा सकते हैं, अलबत्ता बहालते इस्तिग़ना (ज़रूरत न होने की वजह से) दूसरी क़रीब तर मस्जिद की तरफ़ मुन्तक़िल करने की इजाज़त है।

अगर मस्जिद से बाहर लिख कर लगा दिया जाए

कि यहां कुरआन शरीफ़ बिला इजाज़त रखना मम्नूअ़ है, कोई रखेगा तो वह मदरसा में या किसी मिस्कीन को दे दिया जाएगा। फिर भी कोई रख जाए तो मुन्तज़िम को मदरसा में या किसी मिस्कीन को देने का इख़्तियार है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़हा–456)

मस्जिद में बग़ैर इजाज़त सरकारी बिजली इस्तेमाल करना?

सवालः सरकारी लाइन से बग़ैर इजाज़त लाइन ले कर (तार डाल कर) मस्जिद में शबे क़द्र वग़ैरा में रौशनी करना कैसा है, क्या ये चोरी है?

जवाबः हां ऐसा करना चोरी है, नाजाइज़ है और इस क़िस्म की रौशनी करने का गुनाह उन लोगों पर होगा जिन्होंने ऐसा किया है, ख़्वाह मस्जिद की कमेटी ने ऐसा किया हो या किसी दूसरे शख़्स ने ऐसा किया हो, सब बराबर है।

और इस गुनाह से बचने की सूरत ये है कि अंदाज़ा कर के जितनी बिजली (बग़ैर इजाज़त) ख़र्च हुई हो उतनी बिजली के पैसे किसी हीला से मोहकमा को दे दें।

(निज़ामुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़हा–304)

"बदमआमलगी, क़ानूनी चोरी होने की वजह से इज़्ज़त व आबरू का हर वक़्त ख़तरा है जिससे हिफ़ाज़त भी वाजिब है। पस तर्के वाजिब का भी मज़ीद गुनाह होगा, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है।" (मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी)

मस्अलाः– मस्जिदों में ज़रूरत से ज़्यादा क़ुमक़ुमे (बल्ब, लाइट वग़ैरा) लगाना इस्राफ़ के हुक्म में है और

ज़रूरत के मुताबिक़ लगाना जाइज़ है। (निज़ामुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–314, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–442)

मसाजिद की आमदनी मोहकम–ए औक़ाफ़ से छिपाना?

सवालः मोहकम–ए औक़ाफ़ सारे हिन्दुस्तान में जारी है, ये मसाजिद व मक़ाबिर और उनसे मुतअल्लिक़ जाएदाद की हिफ़ाज़त करता है और उसके लिए इंतिज़ामिया फ़ीसद के हिसाब से वसूल करता है, इस बारे में सवाल ये है कि किसी मस्जिद की दूकानों और मकानों की आमदनी मुनासिब है, इख़राजात पूरे हो जाते हैं, कमेटी कुल आमदनी औक़ाफ़ को नहीं बतलाती ताकि औक़ाफ़ को ज़्यादा देना न पड़े तो क्या ये चोरी है और इस तरह करना जाइज़ है? नीज़ इस तरह की बची हुई रक़म मस्जिद में लगा सकते हैं?

जवाबः ऐसा पैसा मस्जिद की तामीर और दीगर कामों में सर्फ़ कर देना शरअ़न मुबाह है, बाक़ी चूंकि ये क़ानूनन चोरी है जिससे बचना वाजिब है इसलिए मुबाह की वजह से वाजिब को तो नहीं छोड़ा जाएगा और ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

(निज़ामुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–303)

मिट्टी का तेल मस्जिद में जलाना?

मस्अलाः– मिट्टी के तेल को मस्जिद में जलाना मना है, हां अगर कोई और तेल है जिसमें बदबू नहीं या मिट्टी ही के तेल को किसी तरह ऐसा साफ़ कर लिया है कि बदबू नहीं रही तो मस्जिद में जलाना भी दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–460 व जिल्द–6 सफ़्हा–163)

मस्अला:– अस्ल ये है कि बदबू से मलाइका को बहुत अज़ीयत होती है, और इंसानों को भी। इसलिए बदबूदार चीज़ मस्जिद में लाना मना है, अगर मिट्टी का तेल मस्जिद से बाहर रखा जाए इस तरह कि बदबू मस्जिद में न आए तो दुरुस्त है। उसकी रौशनी का मस्जिद में आना मना नहीं है बल्कि बदबू का आना मना है, चाहे वुज़ू की जगह रखें, चाहे बैरूनी दरवाज़ा की दीवार वग़ैरा पर जहां मुनासिब समझें रख कर (ख़ारिजे मस्जिद) जला सकते हैं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़हा–173 व आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़हा–151)

मस्अला:– बउज़्र मस्जिद में लालटेन (मिट्टी के तेल की) जलाना जाइज़ है।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़हा–461)

मस्जिद में चराग़ कब तक जले?

मस्अला:– जब आदमियों के आने की तवक़्क़ो न रहे तो चराग़ बुझा देना चाहिए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़हा–462 व इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़हा–447)

मस्अला:– जो शख़्स मस्जिद के लिए मोम बत्ती वग़ैरा दे, उससे दरयाफ़्त कर लिया जाए कि अगर मस्जिद की ज़रूरत से ज़ाएद हो तो उसको फ़रोख़्त कर के मस्जिद की दीगर ज़रूरीयात में सर्फ़ करने की इजाज़त है या नहीं? अगर वह इजाज़त दे दे तो फिर कोई इश्काल नहीं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–176 व जिल्द–1 सफ़हा–471)

"यानी ज़ाएद मोम बत्ती वाक़िफ़ की इजाज़त से बेच कर मस्जिद की दूसरी ज़रूरत में ख़र्च कर

सकते हैं।" (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)

मस्अलाः– मस्जिद में नापाक तेल की रौशनी करना मकरूह है। (रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़हा–619)

मस्अलाः– मस्जिद का चराग़ अपने घर में लाना जाइज़ नहीं, अलबत्ता अपना चराग़ मस्जिद में ले जाना जाइज़ है। (आलमगीरी जिल्द–1 सफ़हा–170)

मस्अलाः– जब तक आम्मतन लोग नमाज़ पढ़ते हों, मस्जिद में चराग़ जलाया जाए और वुज़ू ख़ाना व गुस्ल ख़ाना वग़ैरा, नीज़ रास्ता में भी हसबे ज़रूरत चराग़ जलाया जा सकता है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़हा–149 व आलमगीरी जिल्द–1 सफ़हा–170)

मस्अलाः– नमाज़ के बाद मस्जिद का चराग़ जलता हो तो उसकी रौशनी में पढ़ना पढ़ाना तिहाई रात तक जाइज़ है, इससे ज़्यादा मस्जिद का चराग़ पढ़ने पढ़ाने के लिए जलाना दुरुस्त नहीं है।

(बहरुर्राइक़ जिल्द–5 सफ़हा–250)

मस्अलाः– मस्जिद का फ़र्श नमाज़ व जमाअ़त के लिए बिछाना दुरुस्त है, अगर फ़र्श हर वक़्त बिछा रहता हो और पीर साहब और उनके मुरीदीन मजलिस जमा कर उस पर बैठ जाऐं तो मुज़ाएक़ा नहीं, लेकिन अगर नमाज़ के बाद फ़र्श को लपेट दिया जाता हो, फिर ऐसे वक़्त में मजलिस जमा कर बैठने के लिए मुस्तक़िल्लन मस्जिद के फ़र्श को इस्तेमाल न किया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़हा–149)

मस्जिद का तेल फ़रोख़्त करना?

मस्अलाः– मस्जिद में चराग़ जलाने के लिए तेल और

पंखे व झाड़ू वग़ैरा जो मुसलमान देते हैं अगर मस्जिद में देने वालों की तरफ़ से इसकी (फ़रोख़्त करने की) इजाज़त है तो दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–204)

मस्जिद का तेल वग़ैरा इमाम को इस्तेमाल करना?

मस्अलाः– अगर मस्जिद में देने वाले ये कह कर (इमाम को) देते हैं कि ये अश्या हम ने आप को दी हैं, आप अपने घर में ले जा कर इस्तेमाल कर लें तो इमाम को इस्तेमाल करना दुरुस्त है और देने वाले के अलावा अगर दूसरे मुक़्तदी इजाज़त देते हैं तो उनकी इजाज़त ग़ैर मोतबर है।

अगर देने वाले देते हैं और ये समझते हैं कि मस्जिद की अश्या में इमाम को शरअ़न इसका हक़ हासिल होता है तो उनका ये ख़्याल ग़लत है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–205 व जिल्द–2 सफ़्हा–472 व जिल्द–1 सफ़्हा–471 व इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–447)

मस्जिद का तेल या ढेला अपने घर ले जाना?

मस्अलाः– बाज़ आदमी मस्जिद के चराग़ में से अपने हाथ, पैरों में तेल लगाते हैं और बाज़ मस्जिद के अन्दर के ढेले ले जा कर अपने घर पर रख लेते हैं, वहीं पर इस्तिंजा में इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों बातों की इजाज़त नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–164)

मस्जिद का सामान फ़रोख़्त करना?

सवालः– अगर मस्जिद में बालटी, फ़र्श वग़ैरा ज़ाएद हों तो उनको बेच कर इख़्राजात में लगा सकते हैं या नहीं?

जवाबः जो चीज़ें मस्जिद की ज़रूरत के लिए मस्जिद

के पैसा से ख़रीदी गई हैं, उनको मस्जिद की ज़रूरत के लिए फ़रोख़्त कर के मस्जिद ही के काम में सर्फ़ करना दुरुस्त है। और जो चीज़ें किसी ने मस्जिद में दी हैं उनको देने वाले की इजाज़त से फ़रोख़्त कर के मस्जिद के काम में लगाना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–304)

मस्अलाः– मस्जिद का जो सामान वक़्फ़ है उसकी बैअ़ (फ़रोख़्त करना) नाजाइज़ है और जो वक़्फ़ नहीं बल्कि मस्जिद के लिए वक़्ती ज़रूरत के मातहत किसी ने दिया है या ख़रीदा गया है, ज़रूरत पूरी होने पर उसकी बैअ़ जाइज़ है। जो मस्जिद वीरान हो चुकी है उसके सामान को किसी क़रीब की आबाद मस्जिद में सर्फ़ कर दिया जाए और मस्जिद की जगह को महफ़ूज़ कर दिया जाए ताकि बेहुरमती न हो। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–199 बहवाला रद्दुलमुहतारं जिल्द–3 सफ़्हा–575)

मस्अलाः– अगर वह बाक़ाएदा शरई मस्जिद है तो वह हमेशा हमेशा के लिए वक़्फ़ है, उसकी ज़मीन को फ़रोख़्त करना या आरियत पर देना नाजाइज़ है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–211 व जिल्द–18 सफ़्हा–213)

मस्जिद का पुराना सामान ख़रीदना?

सवालः एक कच्ची मस्जिद को गिरा कर पक्की बनाना चाहते हैं, जो सामान उससे उतरा है तो क्या वह दूसरी मस्जिद के लिए फ़रोख़्त किया जाए या हर शख़्स ख़रीद सकता है?

जवाबः बेहतर ये है कि बिऐनिहि वही सामान मस्जिद में लगाया जाए, अगर बिऐनिहि उसको मस्जिद में लगाना

दुश्वार हो तो उसको अह्ले मुहल्ला या हाकिम की राय से फ़रोख़्त कर के उसकी क़ीमत से उसके मिस्ल सामान ख़रीद कर उसको मस्जिद में लगा दिया जाए। ख़रीदार की कोई क़ैद नहीं कि वह मस्जिद के लिए ख़रीदे, बल्कि उसको हर शख़्स ख़रीद सकता है, फिर वह चाहे मस्जिद में लगाए या अपने मकान वग़ैरा में।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–208 व जिल्द–18 सफ़्हा–215 व जिल्द–15 सफ़्हा–311 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–123)

ग़ैर आबाद मस्जिद का सामान मदरसा या मुसाफ़िर ख़ाना में देना?

मस्अलाः– जो मस्जिद ग़ैर आबाद हो चुकी है कि वहां नमाज़ पढ़ने की कोई सूरत नहीं रही तो उस जगह को महफ़ूज़ कर दिया जाए। मुफ़्ता बिही क़ौल के मुताबिक़ वह हमेशा मस्जिद ही रहेगी, उसका सामान दूसरी मस्जिद में मुन्तक़िल कर दिया जाए, अगर वहां कारआमद न हो तो अरबाबे हल्लो अक़्द की राय से उसको फ़रोख़्त कर के क़ीमत दूसरी मस्जिद में (जो क़रीब है) सर्फ़ कर दी जाए, लेकिन मस्जिद का सामान बिला क़ीमत मदरसा या मुसाफ़िर ख़ाना वग़ैरा में सर्फ़ करना दुरुस्त नहीं अगरचे वह मस्जिद के क़रीब ही हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–504)

ग़ैर आबाद मस्जिद को फ़रोख़्त करना या किराया पर देना?

सवालः हमारे यहां से मुसलमानों के चले जाने से बहुत सी मसाजिद वीरान हो गई हैं, क्या उन्हें फ़रोख़्त

कर सकते हैं?

जवाबः वक़्फ़ की बैअ़ (बेचना) नाजाइज़ है। वक़्फ़ का मालिक कोई नहीं जो उसको फ़रोख़्त कर सके। अगर मुसलमान मौजूद नहीं रहे तो मस्जिद के ज़िम्मादार को फ़रोख़्त करने का फिर भी इख़्तियार नहीं है। मस्जिद की जगह को अगर महफ़ूज़ कर दिया जाए तो बेहतर है। मस्जिद के वक़्फ़ पर अगर गै़र लोग ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा कर के उसको मुआवज़ा दें तो मुआवज़ा लेकर दूसरी मस्जिद बना लेना दुरुस्त है। गै़रआबाद मस्जिद का सामान फ़रोख़्त करने के बजाए ऐसी मस्जिद में मुन्तक़िल कर दिया जाए जहां वह कारआमद हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–183)

मस्अला:– अगर उन मसाजिद के आबाद करने की कोई सूरत नहीं और सामान ज़ाए हो रहा है तो उस सामान को दूसरी मसाजिद में लगा दिया जाए और उन गिरी हुई मसाजिद की चहारदीवारी बना कर इस तरह घेर दिया जाए कि उनकी हिफ़ाज़त हो जाए, अगर चहार दीवारी बनाने के लिए पैसा न हो तो उस गिरे हुए मलबा ईंट वग़ैरा से बना दें या उसको फ़रोख़्त कर के उसकी क़ीमत से बना दें, उसकी क़ीमत किसी दूसरे काम में सर्फ़ न करें, बल्कि मसाजिद ही की ज़रूरीयात में सर्फ़ करें। और मसाजिद को किराया पर देना भी दुरुस्त नहीं है, हसबे कुदरत वागुज़ार करने की कोशिश की जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा--213)

मसालेहे मसाजिद की ज़मीन फ़रोख़्त करना?

मस्अला:– जो ज़मीन मस्जिद के मसारफ़ के लिए

वक़्फ़ हो चुकी है उसकी बैअ़ नाजाइज़ है, इसकी इजाज़त नहीं कि उसको फ़रोख़्त कर के उससे ज़्यादा आदमनी की ज़मीन ख़रीद ली जाए। अलबत्ता मस्जिद की ज़मीन पर किसी का ग़ासिबाना क़ब्ज़ा हो जाए और उसकी वागुज़ारी कराना मुम्किन न हो तो मजबूरन मुआवज़ा ले कर दूसरी ज़मीन ख़रीद कर वक़्फ़ कर दी जाए, या वक़्फ़ शुदा ज़मीन क़ाबिले इन्तिफ़ाअ़ न रहे तो तब भी इजाज़त है कि उसको फ़रोख़्त कर के उसकी क़ीमत से दूसरी ज़मीन ले कर उसको वक़्फ़ कर दी जाए, फिर ज़मीन, मकान, दूकान जो भी मस्जिद की थी और उस मजबूरी की वजह से फ़रोख़्त कर दी गई थी और अब वह मस्जिद की नहीं और ख़रीदार ने उसमें कोई ग़ैर इस्लामी हरकत की तो वह ख़ुद उसका ज़िम्मादार है न कि मुन्तज़िमीन।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–219 बहवाला शामी जिल्द–3 सफ़्हा–507 व फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–497)

मस्जिद की रक़म से वुज़ू का पानी गर्म करना?

मस्अलाः– जो रक़म मस्जिद की मसालेह के लिए जमा हो, उस रुपया से नमाज़ियों के लिए सर्दी के ज़माना में पानी गर्म करना दुरुस्त है, ताकि वह बाआसानी वुज़ू कर लिया करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–190)

मस्अलाः– मस्जिद की छत से उतरी हुई लकड़ी वग़ैरा से मस्जिद के नमाज़ियों के लिए पानी गर्म करना दुरुस्त है जबकि वह सामान बेकार हो।

(फ़ताव महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–204)

मस्जिद का गर्म पानी बेनमाज़ियों को इस्तेमाल करना?

मस्अलाः– जो पानी मस्जिद में नमाज़ियों के लिए गर्म किया जाए बेनमाज़ियों का उसको मुंह धोने या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, बहुत बेग़ैरती है, मकान पर भी पानी न ले जाऐं। एहात–ए मस्जिद ही में वुजू करें, इशा के बाद का बचा हुआ गर्म पानी भी किसी दूसरे काम में इस्तेमाल न करें, अगरचे सुब्ह तक वह पानी ठंढा हो जाएगा, फिर गर्म करने की ज़रूरत पेश आएगी।

गर्म पानी पाकी हासिल करने के लिए है, ख़्वाह जिस्म की तहारत हो या कपड़े की, पस अगर कपड़े पर नजासत लग गई तो गुस्ल के साथ उसको भी धोने की इजाज़त है, मुस्तक़िल्लन कपड़े उस पानी से न साफ़ करें।

औला बात तो ये है कि अपने घर से वुजू कर के आऐं, लेकिन हर एक के लिए इसका इंतिज़ाम आसान नहीं, नीज़ मस्जिद में पानी गर्म करने और वुजू व गुस्ल के नज़्म का उर्फ़ आम हो चुका है इसलिए मस्जिद की तरफ़ से इंतिज़ाम करना भी ग़लत नहीं, बल्कि नमाज़ियों की सुहूलत का ज़रीआ है जिससे उनकी नमाज़ व जमाअत की पाबंदी होती है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–203)

मस्जिद का गर्म पानी घर ले जाना?

सवालः एक शख़्स ने अपने पैसे से मस्जिद तामीर की और उसकी ज़रूरीयात मस्लन चटाई, लोटे और मरम्मते

मस्जिद के लिए मकान और दूकान मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दी है, उसकी आमदनी हमेशा मज़कूरा ज़रूरीयाते मस्जिद पर ख़र्च होती है, मुहल्ला वाले तक़ाज़ा करते हैं कि उसकी आमदनी को गर्म पानी के मसारिफ़ पर ख़र्च किया जाए, बाज़ जगह का रिवाज हो गया है कि अह्ले मुहल्ला मस्जिद में पानी गर्म करते हैं नमाज़ियों के लिए, हर बे–नमाज़ी उससे गुस्ल करता है और बाज़ लोग घरों में भी ले जाते हैं। बे–नमाज़ी का गुस्सल करना और उस पानी को घरों में ले जाना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः जब वाक़िफ़ पानी गर्म करने की इजाज़त नहीं देता बल्कि सराहतन मना करता है तो (वाक़िफ़ के वक़्फ़ की आमदनी से) पानी गर्म करने में उस आमदनी को ख़र्च करना दुरुस्त नहीं, वहां अगर वाक़िफ़ इजाज़त दे दे तो जाइज़ है और जो लोग अपने दाम ख़र्च कर के नमाज़ियों के लिए पानी गर्म करते हैं उनको इख़्तियार है कि वह किसी बेनमाज़ी को इस्तेमाल न करने दें, नीज़ किसी को अपने घर न ले जाने दें, और जो शख़्स बिला इजाज़त उनकी अपने घर ले जाएगा गुनहगार होगा क्योंकि ये पानी मस्जिद के रुपये से गर्म नहीं होता, बल्कि अह्ले मुहल्ला ख़ुद गर्म करते हैं, दार व मदार अह्ले मुहल्ला की इजाज़त पर है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–455)

मस्जिद के टैंक का पानी घर ले जाना?

सवालः मस्जिद के टैंक का पानी अपनी ज़रूरीयात के लिए घर ले जाना कैसा है?

जवाबः ये पानी कुवें के पानी की तरह नहीं है कि हर

शख़्स को लेने का इख़्तियार हो, बल्कि ये घड़े में रखे हुए पानी की तरह है कि मालिक ने अपनी ज़रूरीयात के लिए घड़े में भर के रखा है, वह उस पानी का मालिक हो गया, किसी को बग़ैर उसकी इजाज़त के ले लेने का हक़ नहीं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–127 व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–447)

मस्जिद का सेहन धूप व बारिश में अगर ख़ाली रहे?

सवालः एक मस्जिद जिसका सेहन काफ़ी लम्बा चौड़ा है, गर्मी व बरसात के मौसम में नमाज़ियों को सेहन में नमाज़ अदा करना मुश्किल हो जाता है, अब उस सेहन को बरामदा की शक्ल देना चाहते हैं कि शुमाली और मश्रिक़ी हिस्सा में थोड़ा सा बरामदा बना दिया जाए और बीच में सेहन ग़ैर मुसक़्क़फ़ (बग़ैर छत के) छोड़ दिया जाए ताकि मौसमे गरमा व बरसात में लोग दोनों बरामदा में नमाज़ अदा करें लेकिन बीच में सेहन जो कि बयालीस फ़ुट है वहां नमाज़ियों की सफ़ें न हुआ करेंगी बल्कि वह ख़ाली जगह रहा करेंगी, तो क्या इस सूरत में शुमाली और तश्रिक़ी जानिब बरामदा बना दिया जाए या नहीं?

जवाबः इस तरह बरआमदा बाहमी मश्वरा कर के हसबे ज़रूरत बनाना दुरुस्त है, अन्दरूनी मस्जिद की सुफ़ूफ़ से बरामदा की सुफ़ूफ़ का इत्तिसाल रहेगा (यानी मस्जिद के अन्दर की सफ़ों से बाहर की सफ़ें मिली रहेंगी) सख़्त धूप और बारिश के वक़्त अगर सेहन ख़ाली रहे और अन्दरूरी मस्जिद नीज़ बरामदा में नमाज़ी खड़े हों तो भी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–233)

मस्जिद में चेहल क़दमी करते हुए वज़ीफ़ा पढ़ना?

मस्अलाः– वज़ीफ़ा पढ़ने वाले बाद नमाज़े फ़ज्र व अस्र अन्दरूने मस्जिद टहल टहल कर वज़ीफ़ा पढ़ते हैं, टहलना वज़ीफ़ा का जुज़्व नहीं है, अफ़ज़ल और बेहतर ये है कि एक जगह तन्हाई में बैठ कर यक्सूई से वज़ीफ़ा पढ़ा जाए, अगर जमाअत का वक़्त क़रीब हो और नींद का असर हो जिससे ये ख़्याल हो कि एक जगह बैठ कर इंतिज़ार करने से नींद आ जाएगी या इसी क़िस्म की कोई और ज़रूरत हो तो मस्जिद में टहलने में मुज़ाएक़ा नहीं, लेकिन मुस्तक़िल्लन टहलने के लिए मस्जिद को तजवीज़ करना, बादे फ़ज्र हो या बादे अस्र या किसी और वक़्त, मस्जिद की ग़ायत और वज़्अ के ख़िलाफ़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–484)

मस्अलाः– तस्बीह चलते फिरते टहलते हर तरह से पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन बिला ज़रूरत मस्जिद में टहलना नहीं चाहिए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–107 व अहकामुलकुरआन जिल्द–2 सफ़्हा–223)

मस्अलाः– मस्जिद में चलते फिरते आहिस्ता ज़िक्र करना दुरुस्त है और मूजिबे सवाब है। बाज़ार (मवाज़ेअे लग़्व) में बुलंद आवाज़ से तिलावत करना कि लोग अपने अपने काम में मश्ग़ूल हों और कोई तिलावत न सुनता हो दुरुस्त नहीं है। (आहिस्ता आहिस्ता बग़ैर आवाज़ के ज़िक्र व तिलावत कर सकता है।)

(फ़तावा महमूदिया जिलद–15 सफ़्हा–182)

मस्जिद में रीह ख़ारिज करना?

मस्अला:— एहतियात और अदब ये है कि मस्जिद में क़स्दन रीह ख़ारिज न करे, बल्कि मस्जिद से बाहर जा कर ख़ारिज करे, अगर सोते या जागते में बिला क़स्द हो जाए तो माज़ूरी है। ऐसे शख़्स को जिसके लिए दूसरी जगह सोने की मौजूद हो बिला शदीद ज़रूरत के मस्जिद में सोना मकरूह है। (और ये जो बाज़ जुहला ने मशहूर कर दिया है कि मस्जिद में ख़ारिज होने वाली रीह को फ़रिश्ते अपने मुंह में लेकर बाहर फेंकते हैं सरासर ग़लत है) फ़रिशतों का ऐसी बदबूदार चीज़ से अज़ीयत पाना तो हदीसे पाक से साबित है, लेकिन उसका मुंह में लेकर बाहर फेंकना किसी दलीले शरओ़ से साबित नहीं हैं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–207 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–687)

मस्अला:— मस्जिद में इख़राजे रीह को फ़ुक़हा (रह0) ने मना लिखा है, ऐसी हालत में जिसको ख़ुरूजे रीह की बीमारी हो, ऐसे शख़्स को बार बार मस्जिद से निकलना होगा या कराहत का इरतिकाब कसरत से करना होगा, लिहाज़ा अह्वत (बहुत ज़्यादा एहतियात) यही है कि ऐसा शख़्स (मस्जिद में) एतेकाफ़ न करे, बल्कि अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करता रहे। उसको आरज़ू और तमन्ना का अज्र मिलेगा। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–480)

मस्अला:— मस्जिद में नफ़्ली एतेकाफ़ बग़ैर रमज़ान के भी हो सकता है और ऐसे मोतकिफ़ को भी मस्जिद में क़याम करना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–486)

मस्जिद के सामने सड़क पर बाजा वग़ैरा बजाना?

मस्अलाः– शाहराहे आम पर हर शख़्स को गुज़रने का हक़ है, लेकिन ऐसी हरकत करना जिससे आस पास वालों को या अह्ले मुहल्ला व अह्ले मस्जिद को ख़ुसूसन नमाज़ के वक़्त में अज़ीयत पहुंचे मना है, हुस्ने तदबीर से अगर फ़हमाइश कर दी जाए या किसी ज़ी–असर आदमी के ज़रीए से (बाजा ढोल, ताशा, शहनाई वग़ैरा के बजाने वालों को) मना करवा दिया जाए कि मस्जिद के सामने न बजाऐं तो बेहतर है, वरना फ़ितना व फ़साद से इज्तिनाब करना चाहिए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–486)

मस्अलाः– (अगर बाज़ न आऐं ग़ैर मुस्लिम तो) उस वक़्त मुसलमानों को सिर्फ़ दिल से ग़ैर मुस्लिमों के इस फ़ेल पर नफ़रत व हिक़ारत करना काफ़ी है। मुक़ाबला किसी का न करें।

(इमादादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–452)

नापाक कपड़ा मस्जिद में रखना?

मस्अलाः– नजिस कपड़ा मस्जिद में न रखे, अगर उस वक़्त किसी की मारफ़त वह कपड़ा बाहर भेजना या ख़ुद रखना दुश्वार हो तो मजबूरन मस्जिद में इस तरह रखना कि तलवीस न हो दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–218 व किताबु–लफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–457)

मस्जिद के फ़र्श के क़रीब कपड़े धोना?

मस्अलाः– जो जगह मस्जिद नहीं है यानी उस पर नमाज़ नहीं पढ़ी जाती वहां इस तरह कपड़े धोना कि

दूसरों को अज़ीयत न हो और मस्जिद के फ़र्श पर इस्तेमाल शुदा पानी या उसकी छींटे न जाऐ दुरुस्त है और इसमें इमाम वग़ैरा सब बराबर हैं, मगर जो शख़्स मस्जिद ही में रहता है उसको दूसरी जगह कपड़े धोने के लिए जाने में दिक़्क़त है इसलिए उसके हक़ में तवस्सोअ़ है और ज़ाएद तवस्सोअ़ है बनिस्बत दूसरे लोगों के, वह बसुहूलत दूसरी जगह जा सकते हैं या अपने घर में धो सकते हैं, उनके दूसरी जगह जाने में मस्जिद की निगरानी या किसी अहम काम में ख़लल नहीं आता।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–468)

मस्अला:– (दाख़िले) मस्जिद के सेहन या दीवार पर कपड़े सुखाना जाइज़ नहीं, मुअज़्ज़िन और ख़ादिम के लिए अगर कोई जगह कपड़े सुखाने की न हो तो मस्जिद से बाहर मुल्हक़ जगह में सुखा सकते हैं।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–445)

ख़ारिजे मस्जिद बैअ़ व शिरा करना?

मस्अला:– मस्जिद में बैअ़ व शिरा (ख़रीद व फ़रोख़्त) एहतेरामे मस्जिद के मुनाफ़ी है, (लेकिन जूते उतारने की जगह, गुस्ल ख़ाना, हुजरा व मकान जो मसालेहे मस्जिद या उसकी ज़रूरी बात के लिए तामीर कराया गया हो) शरअन मस्जिद में नहीं और उसका एतहेराम ज़रूरी नहीं लिहाज़ा वहां बैअ़ व शिरा शरअ़न दुरुस्त है, बशर्तेकि नमाज़ियों को तकलीफ़ न होती हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–461)

मस्जिद में तिजारत करना?

मस्अला:– जो जगह नमाज़ के लिए वक़्फ़ की गई है

उस जगह को कारोबार, तिजारत वग़ैरा के लिए मुतअ़ैयन करना वहां तिजारत करना हरगिज़ हरगिज़ जाइज़ नहीं, जो जगह नमाज़ के लिए नहीं है (ख़ारिजे मस्जिद) और मस्जिद के मसालेह के लिए वक़्फ़ है और उस जगह को दूकान वग़ैरा बनाने में मस्जिद के एहतेराम और उसकी तामीर वग़ैरा में फ़र्क़ न आए तो उसको मस्जिद की आमदनी व आबादी के लिए किराये पर देना दुरुस्त है, मस्जिद का अन्दरूनी हिस्सा या सेहन हो, सब का (यानी दाख़िले मस्जिद का) एक ही हुक्म है, किसी जगह भी वहां तिजारत करना या किराया पर देना शरअ़न दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–303 व जिल्द–1 सफ़्हा–492)

टोप पहन कर मस्जिद में जाना?

मस्अलाः– मस्जिद दरबारे ख़ुदावंदी है और नमाज़ इबादत है, इबादत के लिए दरबारे ख़ुदावन्दी में ऐसा लिबास पहन कर हाज़िर होना चाहिए जो अल्लाह तआ़ला को पसंद हो और वह लिबासे मसनून है, यानी ख़ुदा के महबूब हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) का लिबास और आप (स.अ.व.) के मुत्तबिईन का लिबास, ऐसा लिबास पहन कर हाज़िर नहीं होना चाहिए जिससे अल्लाह तआ़ला नाख़ुश होते हैं, यानी जिस लिबास से हुज़ूर (स.अ.व.) ने मना फ़रमाया है और हमारे यहां वह ख़ुदा के नाफ़रमानों यानी कुफ़्फ़ार और फ़ुस्साक़ का लिबास है, अंग्रेज़ी टोप वग़ैरा भी इसमें दाख़िल है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–172)

मस्जिद में दरख़्त लगाना?

मस्अलाः– मस्जिद में दरख़्त लगाने से अगर नमाज़ियों

को कोई मन्फ़अत हो तो दुरुस्त है और अगर कोई मन्फ़अत न हो या कुफ़्फ़ार के साथ तशब्बोह हो तो नाजाइज़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–470 व रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–215)

मस्अलाः– अगर फूल का दरख़्त मस्जिद में लगाया ताकि नमाज़ियों को उससे राहत पहुंचे तो उसका फूल तोड़ कर बाहर न ले जाएं, वहीं लगा रहने दें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–204)

मस्अलाः– अगर एहात–ए मस्जिद में कोई क्यारी हो तो वहां फूल का दरख़्त लगाना या गमले में रखना ख़ुशबू के लिए दुरुस्त है, मगर जो जगह नमाज़ के लिए मुतअ़य्यन है उसको फूल के पौदों से मश्गूल न करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–490)

मस्जिद की ज़रूरत के लिए सेहन के दरख़्त काटना?

मस्अलाः– मस्जिद का सेहन नमाज़ के लिए है, वहां दरख़्त लगाना ही ठीक नहीं, इल्ला ये कि मस्जिद के मसालेह का तक़ाज़ा हो तो दूसरी बात है, मसलन वहां पानी का असर हो कि वह पानी दरख़्तों में जज़्ब हो सकता है। अगर मसालेहे मस्जिद का तक़ाज़ा ये है कि सेहन को दरख़्तों से साफ़ कर दिया जाए तो शरअ़न उसकी इजाज़त है, इसमें किसी को ज़िद नहीं करनी चाहिए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–192 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–76)

मस्अलाः– मस्जिद के दरख़्त की बैअ़ मस्जिद में जाइज़ नहीं, क्योंकि मस्जिदें नमाज़ व जमाअ़त के लिए मुतअ़य्यन

की गई हैं, इसलिए वहां ख़रीद व फ़रोख़्त करना दुरुस्त नहीं है, अलग हट कर (ख़ारिजे मस्जिद) की जाए अगरचे वह दरख़्त मस्जिद ही का हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–195)

मसाजिद को सजाना?

सवालः शबे बराअत और शबे क़द्र में मस्जिद को फूल पत्ती वग़ैरा से सजाना कैसा है जबकि सजाने की नीयत उन तेवहारों की वजह से ख़ुशी मनाना है न कि बिदअ़त करना?

जवाबः शबे क़द्र व शबे बराअत के लिए शरीअ़त ने इबादत, नवाफ़िल, तिलावत, ज़िक्र, तस्बीह, दुआ इस्तिग़फ़ार की तरग़ीब दी है, फूल वग़ैरा से सजाने की तरग़ीब नहीं दी। तेवहार हिन्दुवाना लफ़्ज़ है और ये सजाना भी उनका ही तरीक़ा है इससे बचना चाहिए।

لاَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (الحديث ابو داؤد شريف)

अलबत्ता मस्जिदों में ख़ुशबू की तरग़ीब आई है ताकि नमाज़ियों को अज़ीयत न पहुंचे बल्कि राहत पहुंचे, इन मख़्सूस मुतबर्रक रातों में मस्जिदों में जमा हो कर इज्तिमाई हैसियत से जागना मकरूह व मम्नूअ़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–413)

दस मुहर्रम को मिठाई मस्जिद में तक़सीम करना?

मस्अलाः ये कोई शरई चीज़ नहीं और न क़ुरआन व हदीस से साबित है, इसको शरई चीज़ समझना ग़लत है। अलबत्ता बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि दसवीं मुहर्रम को रोज़ा रखना बहुत सवाब है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–413)

रजब के कूँडे मस्जिद में?

सवालः रजब के महीना में कूँडों में शीरीनी, खीर वग़ैरा भरते हैं, उनको मुतबर्रक हो जाने के ख़्याल से उन कूँडों को घरों में इस्तेमाल नहीं करते, वह मस्जिदों में दे दिए जाते हैं, तो क्या उनको फ़रोख़्त कर के उनकी क़ीमत मसाजिद में सर्फ़ कर सकते हैं?

जवाबः उन कूँडों की अस्ल शरअ़न कुछ नहीं है, अगर बनीयते सवाब दें तो हसबे नीयते मुअ़ती उनका इस्तेमाल मस्जिद में दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–158)

क़रीब क़रीब मस्जिदों में अज़ान का हुक्म?

मस्अलाः– अगर दो मस्जिदें क़रीब क़रीब हों, तब भी दोनों मस्जिदों में अलाहिदा अलाहिदा अज़ान मसनून है, सिर्फ़ एक पर इक्तिफ़ा करना ख़िलाफ़े सुन्नत है और जो लोग ऐसा करेंगे वह तारिके सुन्नत होंगे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–61 व जिल्द–15 सफ़्हा–195)

मस्अलाः– मुतअ़द्दद मसाजिद में अज़ान हो तो पहली अज़ान का जवाब देना ज़रूरी है, बाक़ी अज़ानों का जवाब देना अफ़ज़ल है, मुहल्ला की अज़ान हो या ग़ैर मुहल्ला की। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–289 बहवाला मराक़ियुलफ़लाह सफ़्हा–117)

अज़ान के बाद मस्जिद से निकलना?

सवालः अज़ान के बाद बिला ज़रूरत दूसरी मस्जिद में जा कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः अगर उस शख़्स पर दूसरी मस्जिद की जमाअ़त

का तवक़्क़ुफ़ है कि अगर ये न जाए तो वहां जमाअत न हो, तब तो उसको दूसरी जगह जा कर नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं वहीं जा कर नमाज़ पढ़े। और अगर उस पर तवक़्क़ुफ़ नहीं तो ऐसी हालत में मस्जिद से निकलना बिला ज़रूरत मकरूह है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–68 व अहसनुल–फ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–450)

क़रीब क़रीब मसाजिद का हुक्म

मस्अला:– कुर्ब व जवार में मुतअद्दद मसाजिद हों तो उन मस्जिदों में जो क़रीब हो वह अफ़ज़ल है उसको बिलइल्तिज़ाम नमाज़ उसमें पढ़ना चाहिए, और अगर ये सब उसी मुहल्ला की हों तो उन सब में जो सब से पहले की क़दीम मस्जिद हो वह अफ़ज़ल है, और अगर क़दीम होने में भी सब बराबर हों, या क़दीम होना मालूम न हो तो जो सब से ज़्यादा क़रीब है वह अफ़ज़ल है।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–459)

मस्अला:– अस्ल ये है कि मुहल्ला की मस्जिद जो अपने घर से ज़्यादा क़रीब हो, उसका हक़ ज़्यादा है उसको छोड़ कर दूर की मस्जिद में जाना बिला वजह जाइज़ नहीं हैं। (इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–453 व फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–151 व दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–617)

मस्अला:– पंजवक़्ता नमाज़ मुहल्ला की मस्जिद में अफ़ज़ल है, उसको छोड़ कर क़स्दन जामा मस्जिद में (कि वहां पर सवाब ज़्यादा मिलेगा) न जाए, अलबत्ता किसी काम से जामा मस्जिद की तरफ़ गया हो और वहां

नमाज़ का वक़्त आ जाए तो उस हालत में जामा मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ ले और उस वक़्त उसका सवाब मुहल्ला की मस्जिद से ज़्यादा होगा, और जुमा की नमाज़ जामा मस्जिद ही में अफ़ज़ल है और ईदैन की जंगल में अफ़ज़ल है। (इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–444)

शाही मसाजिद को तफ़रीह गाह बनाना?

सवालः शाही ज़माना की मसाजिद जो फ़न्ने तामीर में निराली है, वह मसाजिद तफ़रीह गाह बन गई है, मुस्लिम व गैर मुस्लिम, वक़्त बे वक़्त मस्जिद में घूमते रहते हैं, तो क्या मस्जिद को तफ़रीह गाह बनाना अज़ रूए शर्अ कैसा है?

जवाबः ये सूरतेहाल मस्जिद की मन्शा व एहतेराम के सख़्त ख़िलाफ़ है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–196 बहवाला मिश्कात शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–68)

मस्अलाः– मस्जिद को तफ़रीहगाह और सैर व सियाहत का मौज़ूअ बनाना ही जाइज़ नहीं, और फिर मस्जिद में फ़ोटो लेना इन सब से बदतर बात है, इसलिए ये फ़ेल कई हराम उमूर का मजमूआ है, मस्जिद के एहतेराम के मुनाफ़ी है, इंतिज़ामिया का फ़र्ज़ है कि उसका इन्सिदाद करे। (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–147)

मस्अलाः– मस्जिद में तस्वीरें उतारना, अख़्बार पढ़ना, टेलीवीज़न वालों का फ़िल्म बनाना, नारे बाज़ी करना, मस्जिद में ये तमाम उमूर नाजाइज़ हैं।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–158)

मस्अलाः– (वैसे) मस्जिद में हिन्दू और ईसाई और दीगर ग़ैर मुस्लिमों का दाख़िला ममनूअ नहीं है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–122)

तब्लीग़ी जमाअ़त के लिए मस्जिद की चीज़ों का इस्तेमाल करना?

मस्अलाः– ये जमाअ़तें दीनी काम नमाज़ वग़ैरा ही के लिए निकलती हैं और मसाजिद में क़याम करती हैं उनके इस काम से बहुत बड़ा नफ़ा है जिसका इन्कार नहीं किया जा सकता। इन जमाअ़तों को मस्जिद में रहने, ठहरने, अपनी किताब सुनाने की इजाज़त दे दी जाए और उनके साथ पूरा तआ़उन किया जाए। इन जमाअ़तों का क़याम नमाज़ के लिए है, मक़्सदे नमाज़ के ख़िलाफ़ किसी ग़लत या ग़ैर मक़्सद के लिए नहीं, इसलिए अगर ये मस्जिद का लोटा, चटाई, नल, डोल, रस्सी वग़ैरा इस्तेमाल करें तो इसमें रुकावट न डाली जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–268)

मस्जिद में तब्लीग़ी तालीम कहां की जाए?

मस्अलाः– अगर नमाज़ और वज़ीफ़ा में ख़लल आए तो इस तरह तालीम करना मना है, मगर तालीमी सिलसिला भी बहुत अहम और मुफ़ीद है, इसलिए दोनों सिलसिले जारी रखें, ऐसी सूरत इख़्तियार की जाए कि अगर मस्जिद बड़ी हो तो उसके किसी गोशा में या बरामदा या सेहन में (जबकि नमाज़ी अन्दर सुन्नत वग़ैरा पढ़ रहे हों) तालीम हो तो दोनों सिलसिले जारी रह सकते हैं। नीज़ तालीम में फ़ज़ाइल के साथ साथ तहारत, वुज़ू, नमाज़, रोज़ा वग़ैरा के अहकाम व ज़रूरी मसाइल भी हों, महज़ फ़ज़ाइल पर इक्तिफ़ा न किया जाए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–101 व जिल्द–3

सफ़्हा–164 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–127)

मस्जिद के हौज़ की पैमाइश

सवालः मस्जिदों में जो हौज़ बनाई जाती है उस हौज़ की गहराई और लम्बाई व चौड़ाई शरऔ गंज़ और मुरव्वजा मीटर के हिसाब से कितनी कितनी होनी चाहिए?

जवाबः दस गज़ लम्बाई और दस गज़ चौड़ाई काफ़ी है और यहां शरऔ गज़ मुराद है जिसको अरबी में ज़िराअ कहते हैं, सरकारी गज़ अरबी दो ज़िराअ़ का होता है यानी सरकारी पांच गज़ लम्बाई और उतनी ही चौड़ाई होगी और गहराई की कोई ख़ास मिक़्दार नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–196)

मस्जिद की नई तामीर में क़दीम जमाअ़त ख़ाना की जगह हौज़ बनाना?

मस्अलाः– अगर किसी जगह एक मरतबा मस्जिद तामीर हो चुकी हो, उसके बाद किसी वक़्त किसी ज़रूरत की वजह से उस मस्जिद को शहीद कर के मस्जिद की नई तामीर की जाए तो जो जगह दाख़िले मस्जिद थी, अब उसके नीचे या ऊपर कमरा या हौज़ वग़ैरा बनाना जाइज़ नहीं है, हां मस्जिद बिल्कुल नई बन रही हो और बिल्कुल नई तामीर के पलान में या कोई जगह शरऔ मस्जिद से ख़ारिज हो, और वह जगह नई तामीर के वक़्त शरऔ मस्जिद में दाख़िल की जा रही हो और उस नई जगह के पलान में मसालेहे मस्जिद के लिए हौज़ या कमरा बनाना शामिल हो तो ऐसी सूरत में बनाने की गुंजाइश है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–241 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–3 सफ़्हा–513 किताबुलवक़्फ़)

मस्अलाः— नीज़ दोनों मस्जिदें बिल्कुल मुत्तसिल हैं और अह्ले मुहल्ला दोनों मस्जिदों को एक करना चाहते हैं तो एक कर सकते हैं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द—10 सफ़्हा—240)

हौज़ में पैर वग़ैरा धोना?

मस्अलाः— वह हौज़ जो दह दर दह (यानी दस हाथ लम्बी और दस हाथ चौड़ी) है वह इन चीज़ों से नापाक नहीं होगी, लेकिन अदब और सलीक़ा ये है कि कुल्ली हौज़ में न की जाए बल्कि नाली में की जाए और मिस्वाक को भी नाली में (हाथ वग़ैरा में पानी लेकर) धोई जाए हौज़ में न डूबाई जाए, नीज़ पैर भी इस तरह धोए जाएं कि पानी नाली में गिरे और हौज़ में उनका पानी न गिरे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द—10 सफ़्हा—150)

मस्अलाः— मस्जिद के नल से अह्ले मुहल्ला को पानी लेना दुरुस्त है, मगर एहतियात से नल इस्तेमाल करें, अगर ख़राब हो जाए तो उसकी मरम्मत भी करा दिया करें, ये बात न हो कि पानी तो मुहल्ला वाले भरें और मरम्मत मस्जिद के ज़िम्मा रहे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द—15 सफ़्हा—178)

हौज़ की जगह कमरा तामीर करना?

सवालः मस्जिद में वुज़ू के लिए हौज़ है, अगर हौज़ के बजाए टंकी लगवा कर हौज़ को ख़त्म कर के एक इमारत बना दें ताकि उसके किराया से मस्जिद की ज़रूरीयात पूरी होती रहें तो क्या शरअन मुतवल्ली को इसका हक़ है?

जवाबः अगर नमाज़ियों को वुज़ू करने की तंगी न हो

और जो काम हौज़ से लिया जाता है वह सुहूलत से टोंटी से हासिल हो, नीज़ इमारत बनाने से मस्जिद की हवा और रौशनी में रुकावट न हो तो मस्जिद के मफ़ाद के पेशे नज़र वहां के समझदार आदमियों के मश्वरा से ऐसा करना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–170)

नोटः मस्जिद में हौज़ दाख़िले मस्जिद तो होती नहीं, लेकिन उसका रास्ता दाख़िले मस्जिद होता है, जब मस्जिद के हौज़ की जगह कमरा या दूकान वग़ैरा बनाई जाएगी तो रास्ता दाख़िले मस्जिद होगा जो शरअ़ी लिहाज़ से सही नहीं होगा, मसालेहे मसाजिद यानी ज़रूरीयाते मस्जिद में तो वह इस्तेमाल में लाएं कि मस्जिद का सामान वग़ैरा या इमाम वग़ैरा का कमरा बना दिया जाए, लेकिन दाख़िले मस्जिद रास्ता न हो।

(रफ़अ़त क़ासमी गुफ़िरलहू)

जमाअ़त ख़ाना के नीचे हौज़ बनाना?

मस्अलाः– क़दीम मस्जिद की तौसीअ़ के वक़्त जो जगह जमाअ़त ख़ाना में शामिल की जाए उसके नीचे का हिस्सा पहले से हौज़ बनाने की नीयत होने की वजह से बतौरे हौज़ रखा जा सकता है (पुरानी मस्जिद का हिस्सा हौज़ में न आने पाए) और हौज़ के ऊपर का हिस्सा जो जमाअ़त ख़ाना में शामिल है उसमें सफ़ें नमाज़ के लिए क़ाइम की जा सकती हैं, मस्जिद का सवाब मिलेगा और वहां एतेकाफ़ भी दुरुस्त है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–103)

मस्जिद की जगह में कार पारकिंग बनाना?

सवालः हमारे यहां मस्जिद बनाने का प्रोग्राम है और यहां के क़ानून के मुताबिक़ कार पारकिंग (मस्जिद की जगह में) होना लाज़िमी है, और ये जगह मस्जिद की चहार दीवारी के अतराफ़ में होती है और उसके बग़ैर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं मिलती, मालूम ये करना है कि मस्जिद के पैसे जो बैंक में जमा हैं, उस पर जो सूद मिलता है तो क्या वह रक़म कार पारकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं?

जवाबः सूरते मस्ऊला में नमाज़ियों की कार रखने की जगह लाज़मी है तो मालदार हज़रात ये काम अपनी हलाल कमाई से कर सकते हैं और करना चाहिए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–125)

मस्जिद पर हुकूमत का क़ब्ज़ा करना?

सवालः क्या किसी हुकूमत को ये हक़ हासिल है कि वह किसी मस्जिद को ज़ब्त कर ले और फिर उसको नक़द रुपया लेकर या शराइत पर वागुज़ारी करे जिसकी रू से मस्जिद पर हुकूमत का तसल्लुत रहे?

जवाबः मस्जिद ख़ुदा का घर है और ख़ुदा ही उसका मालिक है, वह किसी इन्सान की मिल्क नहीं। कुरआन पाक में फ़रमाने इलाही है: "وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ" यानी यक़ीनन मस्जिदें ख़ास ख़ुदा की हैं।

और जब वह ख़ुदा की मिल्क हैं और उसकी इबादत के लिए मख़्सूस हैं तो किसी हुकूमत को उनके ऊपर मुख़ालिफ़ाना तसल्लुत और क़ब्ज़ा और ज़ब्त करने का हक़ नहीं, हुकूमत इन्सानी अम्लाक पर क़ब्ज़ा करे तो

करे, ख़ुदा की मिल्क पर क़ब्ज़ा नहीं कर सकती, और अगर जब्र व इस्तिबदाद से क़ब्ज़ा कर ले तो वह क़ब्ज़ा शरअ़न नाजाइज़ और कलअ़दम होगा, और उसको लाज़िम होगा कि उसे वागुज़ार कर दे। वागुज़ारी के एवज़ में कोई रकम वसूल करने या कोई शराइत आएद करने का हुकूमत को कोई हक़ नहीं है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–7 सफ़्हा–71)

मस्जिद शहीद कर के रास्ता बनाना?

सवालः सिंगापूर में एक शहर के दरमियान में कई मसाजिद हैं, हुकूमत उसको ख़ूब सूरत शहर बना रही है। रास्तों में मस्जिदें, गिरजा घर, मन्दिर व मकानात हैं, हुकूमत उनको मुन्हदिम कर के उसके एवज़ दूसरी जगह देती है तो क्या मस्जिद को तोड़ना और उसके एवज़ दूसरी जगह लेना शरअ़न जाइज़ है?

जवाबः जो जगह एक दफ़ा मस्जिद के हुक्म में आ जाए फिर उसकी इमारत रहे या न रहे, उसमें नमाज़ पढ़ी जाती हो या न पढ़ी जाती हो वह जगह क़यामत तक मस्जिद के हुक्म में रहगी, उसको बजुज़ इबादत के किसी और काम में इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, उसके किसी हिस्सा को बेचना, किराया पर देना, रिहन रखना या उसके वुरसा को वापस कर देना (दाख़िले मस्जिद को) जाइज़ नहीं है, लिहाज़ा सूरते मस्ऊला में मस्जिद के किसी हिस्सा को रास्ता में शामिल नहीं किया जा सकता।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–91 जिल्द–2 सफ़्हा–177 व बहरुर्राइक़ जिल्द–2 सफ़्हा–74 बहवाला शामी जिल्द–3 सफ़्हा–531)

"अपनी तरफ़ से कोशिश तो मस्जिद को बचाने की की जाए, लेकिन अगर हुकूमत वग़ैरा से मजबूर हो जाऐं तो ख़ून ख़राबा न करें, क्योंकि हुकूमत से टकराव आसान नहीं है, इसलिए दूसरी जगह जो मिल रही है उसको हासिल कर लें। और अगर मुम्किन हो तो साबिक़ा मस्जिद का मलबा वग़ैरा भी इस्तेमाल में ले आऐं ताकि बेहुरमती न हो। वल्लाहु आलम!"

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)

कुछ रास्ता मस्जिद में लेना?

मस्अला:– अगर रास्ता बड़ा है, कुछ हिस्सा मस्जिद में लेने से तंगी नहीं होगी, तो मश्वरा कर के बक़द्रे ज़रूरत मस्जिद में ले सकते हैं, शरअ़न इजाज़त है। इस पर सब को रज़ामंद होना चाहिए। इतनी जगह न लें कि रास्ता तंग हो जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–167)

मस्अला:– अगर वह रास्ता किसी की मिल्क नहीं है, आम लोगों के चलने के लिए है और मस्जिद में तंगी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और उस बढ़ाने से गुज़रने वालों को तंगी व परेशानी नहीं होगी, और न ही किसी का रास्ता रुकेगा तो मस्जिद को बक़द्रे ज़रूरत बढ़ा लिया जाए। अगर उसके लिए किसी की ममलूका ज़मीन मस्जिद में शामिल करना चाहें, वह बिला क़ीमत न दे तो उससे ख़रीद कर मस्जिद में शामिल कर लें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–175)

नमाज़ के लिए औरतों का मस्जिद में जाना?

मस्अला:– आंहज़रत (स.अ.व.) के मुबारक ज़माना में

औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त थी और साथ ही ये इरशाद भी था कि:

بیوتھن خیر لھن (مشکوٰۃشریف ص-۹٦)

"यानी उनके घर उनके लिए मस्जिद से बेहतर हैं।" (मिश्कात शरीफ़ सफ़्हा-96)

उम्मे हमीद (रज़ि0) एक जांनिसार ख़ातून ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह (स.अ.व.) मुझे आप के पीछे नमाज़ पढ़ने का बहुत शौक़ है। आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम्हारे लिए बंद कोठरी में नमाज़ पढ़ना सेहन की नमाज़ से बेहतर है और सेहन की नमाज़ बरआमदा की नमाज़ से बेहतर है।

उसके बाद उम्मे हमीद (रज़ि0) ने अंधेरी कोठरी नमाज़ के लिए मुतअैय्यन कर ली और वफ़ात तक वहीं नमाज़ पढ़ती रहीं, मस्जिद में न गईं।

(तरग़ीब जिल्द-1 सफ़्हा-180)

जब हज़रत उमर (रज़ि0) का दौर आया, औरतों की हालत में तब्दीली (उम्दा पौशाक, ज़ेब व ज़ीनत और ख़ुशबू का इस्तेमाल वग़ैरा) देख कर आप (रज़ि0) ने जो औरतें मस्जिद में आया करती थीं रोक दिया था, तो तमाम सहाबए किराम (रज़ि0) ने इस बात को पसंद फ़रमाया किसी ने ख़िलाफ़ नहीं किया, अलबत्ता बाज़ औरतों ने हज़रत आइशा (रज़ि0) से इसकी शिकायत की तो उम्मुल--मोमिनीन सिद्दीक़ा (रज़ि0) ने भी फ़ैसलए फ़ारूक़ी से इत्तिफ़ाक़ करते हुए फ़रमाया: अगर आंहज़रत (स.अ.व.) इन औरतों को देखते जो अब औरतों में नज़र आती है तो आंहज़रत (स.अ.व.) भी ज़रूर औरतों को मस्जिद में

आने से मना फ़रमाते।

(सहीह बुख़ारी जिल्द–1 सफ़हा–120 व मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़हा–183)

फुयूज़ व बरकात के हुसूल का ज़र्री मौक़ा था और मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) की फ़ज़ीलत और नमाज़े बाजमाअ़त अदा करने की शरीअ़त में सख़्त ताकीद है, बावजूद इसके औरतें मस्जिद की हाज़िरी से रोक दी गई तो मौजूदा दौर में क्या हुक्म होना चाहिए?

दुर्रेमुख़्तार मअ़ शामी जिल्द–1 सफ़हा–529 में है कि मकरूह है औरतों को जमाअ़त में शरीक होना, चाहे जुमा और ईदैन हों या मजलिसे वाज़ हो, चाहे वह उमर रसीदा हो चाहे जवान, रात हो या दिन, ज़माना की ख़राबियों की वजह से मुफ़्ता बिही मज़हब यही है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़हा–232 व जिल्द–7 सफ़हा–56 व आलमगीरी जिल्द–1 सफ़हा–56 व किफ़ाय–तुलमुफ़्ती जिल्द–5 सफ़हा–392 व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़हा–465)

आवाज़ वाली घड़ी मस्जिद में लगाना?

मस्अला:– इस घड़ी का मक़सदे अस्ली भी वक़्त ही मालूम करना है और सितार बाजा की तरह आवाज़ सुनना मक़सद नहीं, लेकिन गाना बजाना आम होने की वजह से इसकी आवाज़ में इस तरह का लिहाज़ कर लिया गया है कि अगर कोई बाजा की आवाज़ न सुनना चाहे बल्कि उससे नफ़रत करता हो तो वह भी बेइख़्तियार उसको सुने, इसको सितार वग़ैरा की तरह बिल्कुल नाजाइज़ तो नहीं कहा जाएगा। हां जरूर किसी क़द्र तशब्बोह पैदा हो

जाएगा, इसलिए ऐसी घड़ी के मुक़ाबले में वह घड़ी क़ाबिले तरजीह होगी जिसमें आवाज़ न हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–149)

मस्अलाः– घड़ी घन्टा में पन्द्रह पन्द्रह मिनट बाद टन टन की आवाज़ होती है इससे उन लोगों को जो दूर होते हैं या जिनकी निगाह कमज़ोर है, वक़्त मालूम करने में सुहूलत होती है, इस बिना पर ऐसी आवाज़ वाली घड़ी मस्जिद में रखने की इजाज़त है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–131 व इम्दादुल–फ़तावा जिल्द–2 सफ़्हा–743 व इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–438)

नक़्श–ए–औक़ाते नमाज़ दूसरी मस्जिद में मुन्तक़िल करना?

मस्अलाः– अगर अस्ल मालिक ने मुतऐय्यन तौर पर इसी मस्जिद के लिए नक़्श–ए–औक़ात को वक़्फ़ किया है और वह वक़्फ़ सही भी हो गया तो उसको फिर दूसरी मस्जिद में मुन्तक़िल करना जाइज़ नहीं है, लिहाज़ा इमाम और मुक़्तदियों को चाहिए कि उस नक़्शा से काम लें ताकि वाक़िफ़ की नीयत पूरी हो और उसके सवाब में इज़ाफ़ा हो।

नफ़्से वक़्फ़ का सवाब बहरहाल उसको हासिल है, हां अगर ख़ुदा नख़्वास्ता मस्जिद ग़ैर आबाद हो जाए तो फिर दूसरी मस्जिद में उसको मुन्तक़िल करना दुरुस्त होगा, और क़ुरआने करीम को जिस मस्जिद पर वक़्फ़ किया जाए उसको दूसरी मस्जिद में मुन्तक़िल करने का मस्अला रद्दुलमुहतार जिल्द–2 सफ़्हा–580 में मज़कूर है

उसी के ज़रीआ सूरते मस्ऊला का हुक्म तहरीर किया गया है, अगर वह नक़्शा वक़्फ़ नहीं हो तो उसको मुन्तक़िल करने में कोई इश्काल नहीं है।

(फ़तावा महमूदियां जिल्द–10 सफ़्हा–159)

मस्जिद की जगह बग़ैर किराया के देना?

मस्अलाः– मस्जिद की वक़्फ़ जगह मस्जिद के लिए है, लिहाज़ा किसी इदारा को मुफ़्त बग़ैर किराया के देना जाइज़ नहीं है, किराया लिया जाए और उसे मस्जिद के मफ़ाद में इस्तेमाल किया जाए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–76)

मस्जिद के कमरे किराया पर देना?

मस्अलाः– मस्जिद के एहाता में जो हुजरे होते हैं वह उमूमन मस्जिद के इमाम और ख़ुद्दामे मस्जिद के लिए होते हैं, लिहाज़ा उनको उसी काम में लिया जाए, किराया पर नहीं दे सकते, अगर ज़ायद कमरे हों तो तालीम के काम में लिए जाऐं, हां अगर बानी और वाक़िफ़ ने किराया के लिए और मस्जिद की आमदनी के लिए बनाए हों तो किराया पर दे सकते हैं, बशर्तेकि मस्जिद को ज़रूरत न हो और उससे मस्जिद की बेहुरमती न होती हो, और नमाज़ियों को हरज और तश्वीश न होती हो, और किरा–यादार के लिए आमदोरफ़्त का रास्ता (दाख़िले मस्जिद से) अलग हो वरना किराया पर भी नहीं दे सकते।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–99 व सफ़्हा–124)

मस्अलाः– मस्जिद की आमदनी बढ़ाने के लिए मस्जिद की क़िब्ला जेहत दीवार को पीछे हटा कर मस्जिद की जगह (दाख़िले मस्जिद) में दूकानें बनाना दुरुस्त नहीं है,

मस्जिद की क़िब्ला जेहत दीवार भी मस्जिद के हुक्म में है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–176 बहवाला बहरुर्राइक़ जिल्द–5 सफ़्हा–251)

मस्जिद की ज़मीन में खेलना?

मस्अलाः– मस्जिद या क़ब्रस्तान के लिए वक़्फ़ शुदा ज़मीन का हुक्म बहैसियते एहतरामे मस्जिद के हुक्म में नहीं है। (जब तक क़ब्र या मस्जिद न बनाई गई हो) हर जाइज़ काम वहां दुरुस्त है और हर नाजाइज़ काम वहां नाजाइज़ है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–206)

मस्अलाः– मस्जिद की (ख़ाली ज़मीन ख़ारिजे मस्जिद) जगह अखाड़े के लिए मुफ़्त देना जाइज़ नहीं, किराया पर दी जा सकती है, बशर्तेकि मस्जिद को उसकी ज़रूरत न हो और मस्जिद की बेहुरमती न होती हो, वरना किराया पर भी देना जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–98)

मस्जिद की सीढ़ी वग़ैरा इस्तेमाल करना?

सवालः– मुतवल्लिये मस्जिद की इजाज़त से मस्जिद की सीढ़ी वग़ैरा घर ले जा कर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं?

जवाबः जो चीज़ मस्जिद के पैसे से ख़रीदी गई और दूसरे लोग अपनी ज़रूरत के लिए मस्जिद से मांगते हैं, तो उनको आम तौर पर वह चीज़ न दी जाए, हां अगर मसालेहे मस्जिद का तक़ाज़ा है तो दे सकते हैं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–207)

मस्जिद का सामान मांगना?

सवालः मस्जिद का सामान मसलन सिमेंन्ट कलई,

रौग़न वग़ैरा थोड़ा बहुत मांग ले तो जाइज़ है या नहीं?

जवाबः मस्जिद की चीज़ बिला उजरत और बिला क़ीमत लेने का हक़ नहीं है, न इजाज़त से, न बिला इजाज़त। जो चीज़ उजरत पर देने के लिए हो उसको उजरत पर लेना दुरुस्त है, और जो चीज़ फ़रोख़्त करने के लिए हो उसको क़ीमत दे कर लेना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–236)

मस्जिद का सामान किराया पर देना?

सवालः मस्जिद की इंतिज़ामिया कमेटी ने इख़राजात के मुकम्मल करने के लिए मस्जिद की आमदनी से कुछ बरतन ख़रीदे जो शादी और दीगर तक़रीबात में किराया पर दिए जाते हैं, इस तरह पर किराया वसूल करना और मदरसा व मस्जिद के इंतिज़ामात में लाना शरअ़न दुरुस्त है?

जवाबः शरअ़न इसमें कोई क़बाहत नहीं है, वह किराया मज़कूरा ज़रूरीयात में सर्फ़ करना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–238)

मस्जिद में सोना?

मस्अलाः– मस्जिद में इमाम हो या मुहल्ला का कोई शख़्स भी हो, जब दूसरी जगह मौजूद है तो फिर मस्जिद में सोना और वह भी रोज़मर्रा सोना मकरूह है इससे बचना चाहिए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–156 व फ़तावा आलमगीरी जिल्द–5 सफ़्हा–320 व फ़ैज़ुलबारी जिल्द–2 सफ़्हा–49)

मस्अलाः– मस्जिद में सोना मकरूह है, अपने मकान पर सोया करें, मुतवल्ली को मस्जिद में सोने की इजाज़त देने का भी हक़ नहीं है। जो शख़्स मोतकिफ़ हो या

मुसाफ़िर हो उसके लिए गुंजाइश है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–164 व किफ़ाय-तुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–113)

मस्अलाः– मस्जिद नमाज़ की जगह है, सोने और आराम करने की जगह नहीं है। जो मुसाफ़िर परदेसी हो या कोई मोतकिफ़ हो उसके लिए गुंजाइश है। तब्लीग़ी जमाअतें उमूमन परदेसी होते हैं या फिर वह मस्जिद में रात को रह कर तस्बीह व नवाफ़िल में बेशतर मशगूल रहते हैं, कुछ देर आराम भी कर लेते हैं, इस तरह अगर उनके साथ मक़ामी आदमी भी शब गुज़ारी करें तो नीयते एतेकाफ़ कर लिया करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–222 व जिल्द–1 सफ़्हा–468 व दुर्रेमुख़्तार मअ शामी जिल्द–1 सफ़्हा–619)

मस्अलाः– नमाज़ियों का मस्जिद में औक़ाते नमाज़ के अलावा लेट जाना और सो जाना अगर इत्तिफ़ाक़ी तौर पर हो तो मुबाह है, लेकिन मस्जिद को ख़्वाब गाह बना लेना उनके लिए दुरुस्त नहीं है। (किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–114 व इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–436)

मस्अलाः– तब्लीग़ी जमाअत वाले अगर मुसाफ़िर हैं, और मस्जिद की सफ़ाई व अदब व एहतेराम का लिहाज़ करते हैं तो मस्जिद में उनके सोने की गुंजाइश है, बाहर (ख़ारिजे मस्जिद) जगह हो तो वहां सोना और वहीं खाना पीना अच्छा है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–121 व फ़तावा आलमगीरी जिल्द–6 सफ़्हा–215)

मस्अलाः– मुस्तक़िल्लन मस्जिद को मकान बनाना और वहां रिहाइश इख़्तियार करना नहीं चाहिए, ये मकरूह

और एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर किसी पर नींद का ग़लबा हो और उसकी जमाअत छूटती हो या नमाज़ क़ज़ा हो जाती है और मस्जिद में सोने से नमाज़ बाजमाअत की पाबंदी नसीब होती है या तहज्जुद की तौफ़ीक़ होती है या मस्जिद की हिफ़ाज़त मक़्सूद है या कोई और दीनी ज़रूरत है जो बग़ैर मस्जिद में सोए हासिल नहीं होती तो उसके लिए इजाज़त भी है। बाज़ सहाब–ए–किराम (रज़ि0) भी दीनी ज़रूरत के लिए मस्जिद में सोते थे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–480 बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–444 व फ़तावा आलमगीरी जिल्द–6 सफ़्हा–415)

मस्अला:– मस्जिद में सोना मोतकिफ़ और मुसाफ़िर के लिए जाइज़ है, दूसरों के लिए मकरूह है। जो लोग मस्जिद में सोएँ उनको मस्जिद की चटाइयों पर कपड़ा वग़ैरा बिछा लेना चाहिए ताकि पसीना से फ़र्श ख़राब न हो और नींद की हालत में नापाक होने का ख़तरा न रहे।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–141)

मस्अला:– मस्जिद में सोना ख़िलाफ़े औला है गो जाइज़ है और जब सोना जाइज़ है तो नींद की हालत में रीह के निकलने में गुनाह न होगा। (इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–463 व अहसनुल– फ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–447)

मस्जिद में गंदा देहनी से इज्तिनाब

बदन और कपड़ों के साथ मुंह भी साफ़ होना चाहिए, ऐसा न हो कि बोलने और मुंह खोलने के साथ मस्जिद के कुछ हिस्सों में बदबू फैल जाए और नमाज़ियों के लिए अज़ीयत की वजह बन जाए, मस्जिद में आने से पहले

अच्छी तरह मुंह साफ़ कर लिया जाए, कोई ऐसी चीज़ न खाई पीई जाए जिससे बदबू पैदा होती है।

हदीस शरीफ़ में मिसवाक की ताकीद और उसकी फ़ज़ीलत जो ब्यान की गई है, उसकी बड़ी वजह यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसके दरबार में हाज़िरी पाकीज़गी और नफ़ासत के साथ हो, ताकि मुनाजात और सरगोशी में पूरा पूरा अदब मलहूज़ रहे। आंहज़रत (स.अ.व.) ने अपनी ज़िन्दगी में मुंह की सफ़ाई का बड़ा एहतेमाम फ़रमाया, खुद तो ये हाल था कि कोई वुज़ू बग़ैर मिस्वाक के नहीं होता था, यूं भी आप (स.अ.व.) बकसरत मिस्वाक करते। आप (स.अ.व.) ने अपनी उम्मत को भी इसकी तरग़ीब फ़रमाई है। एक दफ़ा फ़रमाया कि अगर मेरी उम्मत पर शाक़ न होता तो मैं ये हुक्म देता कि हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करें।

एक दूसरी हदीस में है कि मिस्वाक मुंह की सफ़ाई है और अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी। इसी सफ़ाई का नतीजा है कि आप (स.अ.व.) ने ऐसी चीज़ खा कर मस्जिद में जाने से रोका है कि जिसकी बू जल्द ख़त्म नहीं होती, जैसे कच्ची प्याज़, लहसुन, मूली और इसी तरह की दूसरी चीज़ें। (इस्लाम का निज़ामे मसाजिद सफ़्हा–219)

जिसके ज़ख़्म से बदबू आती हो उसका मस्जिद में आना?

मस्अलाः– ऐसे शख़्स को जिसके ज़ख़्म से बदबू आती हो और दूसरों को अज़ीयत पहुंचती हो, मस्जिद में जाना मना है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–173 बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–691 व आपके मसाइल जिल्द–3

सफ़्हा–151)

"अस्ल मन्शा ये है कि मस्जिद में आदमी ऐसी हालत में न आए कि उसके मुंह या बदन के किसी हिस्से से भी बदबू आ रही हो, ख़्वाह वह खाने पीने की चीज़ों की वजह से या जिस्म व लिबास वग़ैरा की गंदगी की वजह से।" (रफ़अ़त)

क्या नाक की बदबू वाला मस्जिद में आ सकता है?

सवालः एक शख़्स को पैदाइशी तौर पर नाक की बीमारी है जिसकी वजह से बदबू आती रहती है, इलाज व मुआलजा से कोई फ़ाएदा न हो तो ऐसे शख़्स का मस्जिद में जाना कैसा है?

जवाबः हदीस शरीफ़ में है कि जो शख़्स इस बदबूदार दरख़्त से खाये वह हमारी मस्जिद के क़रीब न आए कि मलाइका ईज़ा पाते हैं जिससे इन्सान ईज़ा पाते हैं।

(बुख़ारी शरीफ़ वग़ैरा)

हदीस मुअ़ल्लल है ब–ईज़ाए इन्सान व मलाइका, इसलिए जिसके जिस्म के किसी हिस्सा की बू से लोगों को नागवारी और अज़ीयत होती है, उसे मस्जिद में नहीं आना चाहिए। और एतेकाफ़ में नहीं बैठना चाहिए। फ़ुक़हा रहिमहुल्लाह फ़रमाते है कि जिस शख़्स के बदन में ऐसी नागवार बदबू पाई जाए जिसकी वजह से आदमियों को अज़ीयत होती हो तो उसको निकाल देना चाहिए।

(इस्लाम का निज़ामे मसाजिद सफ़्हा–219)

उसको भी मस्जिद में आने से इज्तिनाब करना चाहिए कि मस्जिद फ़रिश्तों की आमद की जगह है, उनको और

दूसरे लोगों को अज़ीयत होगी, अलबत्ता अगर बदबू ख़फ़ीफ़ हो, तकलीफ़ देह और नागवारी की हद तक न हो तो नमाज़े पंजगाना के लिए दाफ़ेअे बदबू इत्र वग़ैरा ख़ुशबू लगा कर आ सकता है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़हा–245)

मस्अलाः– हर ईज़ा रसां को ख़्वाह वह ज़बान से तकलीफ़ पहुंचाए मस्जिद में आना मना है और वह भी जिसको गंदा देहनी यानी मुंह की बदबू का मरज़ हो जिससे नमाज़ियों को तकलीफ़ हो।

(किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़हा–454)

मस्अलाः– लहसुन और प्याज़ के बारे में आंहज़रत (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि अगर खाना ही है तो उनको पका कर खाओ, ताकि उनकी बू मर जाए।

(अबूदाऊद जिल्द–2 सफ़हा–180)

"प्याज़ व लहसुन की तरह हुक़्क़ा, बीड़ी, सिगरेट, नस्वार, गंधक, मिट्टी का तेल और हर बदबूदार चीज़ का यही हुक्म है, इसलिए हुक़्क़ा, सिगरेट व सिगार वग़ैरा इस्तेमाल करने वालों के लिए ज़रूरी है कि मुंह अच्छी तरह साफ़ कर लें और ख़ूब अच्छी तरह से मिस्वाक कर लें मस्जिद में आने से पहले, ताकि हदीस शरीफ़ पर अमल हो सके।" (रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

मस्अलाः– मस्जिद में बदबूदार रंग करना मकरूहे तहरीमी है, मस्जिद को हर बदबूदार चीज़ से महफ़ूज़ रखना चाहिए। यहां तक कि कच्ची प्याज़ व लहसुन खा कर बग़ैर मुंह साफ़ किए बदबूदार मुंह लेकर मस्जिद में

आने को हज़रत नबीये करीम (स.अ.व.) ने मना फ़रमाया है, फुक़हा ने भी मकरूह लिखा है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–202)

"पहले ज़माना में रंग पेंट वग़ैरा में बदबू काफ़ी अरसा तक रहा करती थी, बदबू न हो तो इस्तेमाल करने में कोई मुज़ाएक़ा नहीं, इसी तरह मस्जिद में बीड़ी सिगरेट और हुक़्क़ा पी कर बग़ैर मुंह साफ़ किए दाख़िल न होना चाहिए, इससे ये बात ख़ुद समझ में आती है कि जब मुंह में बदबू दाख़िल होने की इजाज़त नहीं है तो मस्जिद में बीड़ी सिगरेट पीना कितना बड़ा जुर्म होगा।"

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)

ख़ारिशी व जुज़ामी का मस्जिद में आना?

मस्अलाः– किसी मरज़ को फ़ी–नफ़्सिहि मुतअ़द्दी समझना (कि लग जाएगा) ग़लत है। हज़रत नबीये करीम (स.अ.व.) ने इससे मना फ़रमाया है, लेकिन जो शख़्स ऐसे मरज़ में मुब्तला हो कि लोग उससे नफ़रत करते हों, और उनके अक़ीदे ग़लत हो जाने या ग़लत अक़ीदों के पुख़्ता हो जाने का अंदेशा है तो उस शख़्स (मरीज़) को इसका लिहाज़ रखना ज़रूरी है। वह अपने मकान से वुज़ू करके जाए, अगर मस्जिद में जाने से भी लोगों में नफ़रत पैदा हो या उसके जिस्म से बदबू आती हो या रुतूबत टपकती हो तो उसको अपने मकान पर ही नमाज़ पढ़नी चाहिए, मस्जिद में न जाए, जमाअ़त उससे साक़ित है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–128)

मस्अलाः– अगर कोढ़ का असर ख़ून में नहीं, बदन

से रुतूबत नहीं निकलती, बदबू नहीं आती तो मस्जिद में जा कर नमाज़ पढ़ना और जमाअत में शरीक होना दुरुस्त है, हां अगर नमाज़ियों में वह्शत पैदा हो और उसकी वजह से लोग मस्जिद में आना छोड़ दें और मस्जिद के गैर आबाद होने का अंदेशा हो तो उस मरीज़ को ख़ुद ही इसका लिहाज़ा रखते हुए अपने मकान पर नमाज़ अदा कर लेनी चाहिए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–16 सफ़्हा–214)

ग़ैर मुस्लिम का मस्जिद में दाख़िल होना?

मस्अलाः– जब तक नापाक होने का इल्म न हो, और दूसरी भी कोई चीज़ मुज़र्रत रसां और मुफ़्सिदह न हो तो गैर मुस्लिम को मस्जिद में दाख़िल होने की इजाज़त है। अह्ले मस्जिद पर गुनाह नहीं होगा। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–251 व बह्र जिल्द–5 सफ़्हा–251)

मसाजिद में छोटे बच्चों को लाना?

मस्अलाः– मस्जिद में छोटे बच्चों को लाने की इजाज़त नहीं, मस्जिद का अदब व एहतेराम बाक़ी न रहेगा, और लाने वाले को भी इत्मीनाने क़ल्ब न रहेगा, नमाज़ में खड़े होंगे मगर ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ न होगा, बच्चों की तरफ़ दिल रहेगा। आंहज़रत (स.अ.व.) का इरशाद है कि अपनी मस्जिदों को बच्चों और पागलों से बचाओ।

(इब्न माजा जिल्द–1 सफ़्हा–55)

मस्अलाः– मस्जिद में बच्चों के दाख़िल करने से मस्जिद के नजिस होने का अंदेशा हो तो हराम है वरना मकरूह।

(अलअशबाह सफ़्हा–557)

मस्अलाः– हां अगर बच्चा समझदार हो, नमाज़ पढ़ता हो, मस्जिद के अदब व एहतेराम का लिहाज़ रखता हो

तो कोई हरज नहीं, ग़ालिबन इसी बिना पर हदीस शरीफ़ में सात साल की क़ैद मौजूद है। वह नाबालिग़ बच्चों की सफ़ में खड़ा रहे। अगर सफ़ में एक ही बच्चा है तो बालिग़ों में खड़ा हो सकता है मकरूह नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–121 व आप के मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–143)

मस्अलाः– बच्चा के चालीस दिन का हो जाने के बाद बाज़ लोग उसे मस्जिद में ला कर लिटाते हैं और फिर कुछ मिठाई तक़्सीम करते हैं, ये रस्म बेअस्ल, लग्व और क़ाबिले तर्क है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–208)

मस्जिद का दरवाज़ा बंद करना कैसा है?

सवालः ज़ैद एक मस्जिद में इमाम है, बाद नमाज़े इशा मस्जिद के किवाड़ बंद कर लेता है और जो किवाड़ बंद करने के बाद नमाज़ी आता है तो ज़ैद नहीं खोलता क्या किसी हदीस शरीफ़ में है?

जवाबः दुर्रेमुख़्तार में है कि मस्जिद का दरवाज़ा बंद करना मकरूह है। लेकिन अगर मस्जिद के सामान के गुम होने का अंदेशा है तो सिवाए औक़ाते नमाज़ के दरवाज़ा मस्जिद का बंद करना दुरुस्त है। और शामी में है कि ये अम्र अह्ले मुहल्ला की राए पर है, जिस वक़्त वह मुनासिब समझें सिवाए औक़ाते नमाज़ के दरवाज़ा बंद कर दिया करें। सूरते मज़कूरा में इमामे मस्जिद का नमाज़ियों के लिए दरवाज़ा न खोलना ख़िलाफ़े शरीअत है और दरवाज़ा बंद कर के फिर खोलना अगरचे नमाज़ियों की ज़रूरत से हो कहीं साबित नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–149 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–614 व

किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–461)

मस्अला:– अगर नमाज़ के वक़्त जानवरों के अन्दर आ जाने का डर हो तो इस तरह बंद रखा जा सकता है कि नमाज़ी दरवाज़ा खुद खोल कर मस्जिद में आ सकें और नमाज़ियों की ये शिकायत बाक़ी न रहे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–104)

"आज कल हालात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं कि दिन दहाड़े चोरी व क़त्ल व ग़ारतगरी हो रही है, अगर किसी जगह पर ऐसा ही माहौल हो तो नमाज़ व जमाअत के बाद फ़ौरन किवाड़ बंद कर लिया करें और नमाज़ियों को भी चाहिए कि वह औक़ात की पाबंदी करें ताकि जान व माल की हिफ़ाज़त भी रहे और नमाज़ भी जमाअत से अदा होती रहे।"

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)

मस्अला:– जब कि मस्जिद का सामान महफ़ूज़ नहीं तो उसकी हिफ़ाज़त के लिए मस्जिद में ताला डालना शरअन दुरुस्त है, बल्कि ज़रूरी है, मगर हर नमाज़ के वक़्त वहां सब के आने और सब के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–195 व आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–140 व बहर जिल्द–2 सफ़्हा–33)

दरिया बुर्द गाँव की मस्जिद के सामान का हुक्म

सवालः जमुना के किनारे गांव जो कि सब दरिया में डूब गया, सिर्फ़ चंद मकान और एक मस्जिद बाक़ी है।

हुकूमत ने उस गांव को दूसरी जगह बसा दिया है जिसमें तीन मस्जिदें हैं। अब क़दीम मस्जिद वीरान है उसके सामान को किसी मस्जिद में इस्तेमाल कर सकते हैं?

जवाबः जब तक क़दीम मस्जिद मौजूद है उसके सामान को कहीं मुन्तक़िल न करें, बल्कि उसी मस्जिद को आबाद करें। और अगर किसी वक़्त वह भी दरिया बुर्द हो जाए और वहां पर पानी का क़ब्ज़ा हो जाए, फिर उसका सामान और रुकूम बाहमी मश्वरा से जिस मस्जिद में ज़रूरत हो वहां मुन्तक़िल कर दें, अगर मश्वरा में इत्तिफ़ाक़ न हो या सब मस्जिदें बराबर हों तो फिर तीनों में तक़सीम कर दें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–244)

पुरानी मस्जिद के गिर कर बह जाने का अंदेशा हो?

सवालः हमारे यहां एक मस्जिद है जो पानी चढ़ने की वजह से शहीद होने लगी है, अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो ईंट वग़ैरा सब पानी में बह जाएंगी, लिहाज़ा अगर ईंटें वहां से उठा कर दूसरी जगह मस्जिद बना दी जाए तो क्या हुक्म है?

जवाबः अगर मस्जिद मुन्हदिम हो रही है और वहां पर पानी का क़ब्ज़ा हो रहा है और मस्जिद की ईंटें वग़ैरा के ज़ाए हो जाने का क़वी अंदेशा है तो वहां से ईंट वग़ैरा उठा कर दूसरी जगह मस्जिद बना लें।

(फ़तवा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–228)

मस्जिद के पैसे से मस्जिद के लिए बाल्टी ख़रीदना?

मस्अलाः– मसालेहे मस्जिद के लिए जो वक़्फ़ हो

उसकी आमदनी से गुस्ल के लिए बालटी ख़रीदना और गुस्ल ख़ानए मस्जिद में रख देना ताकि नमाज़ी ज़रूरत के वक़्त उससे गुस्ल कर लिया करें, जाइज़ है, इसी तरह अगर कोई शख़्स बालटी ही ख़रीद कर मस्जिद के गुस्लख़ाना में रख दे, तब भी दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–227)

मस्जिद की आमदनी से जनाज़ा की चार पाई ख़रीदना?

सवालः मस्जिद में मुर्दों को नहलाने के लिए तख़्ता और क़ब्रस्तान ले जाने के लिए चारपाई मुहैय्या की जाती है तो क्या वह मसाजिद की मौक़ूफ़ा जाएदाद की आमदनी में से बनाना जाइज़ है या नहीं? क्योंकि वक़्फ़ मसाजिद की ज़रूरीयात के मसारिफ़ के लिए होता है और ये चीज़ें अह्ले मुहल्ला और आम मुसलमानों की सुहूलत के लिए होती हैं, इसका मस्जिद से कोई तअल्लुक़ नहीं होता, तो क्या इन उमूर में वक़्फ़ की आमदनी का सर्फ़ करना जाइज़ होगा या नहीं?

जवाबः नाजाइज़ है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–231 बहवाला आलमगीरी जिल्द–2 सफ़्हा–462)

मस्जिद के गुस्ल ख़ाना व गुज़रगाह में दूकानें बनाना?

मस्अलाः– जो हिस्सए ज़मीन एक दफ़ा मस्जिद बन जाए वह हमेशा के लिए मस्जिद ही रहता है, उसको मस्जिद से ख़ारिज कर के दूकान वग़ैरा बनाना दुरुस्त नहीं।

जूते उतारने की जगह को (जो हिस्सा दाख़िले) मस्जिद नहीं था पुख़्ता फ़र्श में दाख़िल करना अगर वाक़िफ़ या

क़ाइम मक़ामे वाक़िफ़ की इजाज़त से नहीं था बल्कि वैसे ही किसी एक या मुतअद्दद आदमियों ने दाख़िल कर लिया था तो वह हिस्सा शरअ़ी मस्जिद नहीं बना। (जूते उतारने की जगह को मस्जिद के सेहन में शामिल कर लिया था) मस्जिद के मसालेह के लिए अस्हाबुर्राए हज़रात के मश्वरा से उतना हिस्सा (जो कि ख़ारिजे मस्जिद है) दूकान के लिए अलग कर लेना दुरुस्त है ताकि मस्जिद के लिए आमदनी और हिफ़ाज़त का इंतिज़ाम बसुहूलत हो सके।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–189)

ग़ुस्ल ख़ाना और वुज़ू ख़ाना की छत का हुक्म

मस्अला:– सेहन का जो हिस्सा नमाज़ के लिए तजवीज़ किया गया है उसके ऊपर की छत तो मस्जिद है, लेकिन वुज़ू ख़ाना, इस्तिंजा ख़ाना के ऊपर की जो छत है वह शरअ़ी मस्जिद नहीं है, उस पर मस्जिद के अहकामात जारी नहीं होंगे, अगर इत्तिफ़ाक़िया कभी दो चार आदमी जमाअ़त से रह गए, मसलन सफ़र से ऐसे वक़्त आए कि जमाअ़त हो चुकी है तो उनको वहां जमाअ़त करना मम्नूअ़ व मकरूह नहीं है, लेकिन इसकी आदत न डाली जाए।

जो मस्जिद बन चुकी (यानी तामीर मुकम्मल हो चुकी है फिर बाद में) उसके नीचे तह ख़ाना या इस्तिंजा ख़ाना या कमरा वग़ैरा बनाने की इजाज़त नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–245)

क्या मस्जिद के सेहन का एहतेराम ज़रूरी है?

सवालः मस्जिद के सेहन का कुछ हिस्सा जो हुदूदे मस्जिद में बग़ैर मरम्मत व पलास्टर वग़ैरा के है नाहमवार होने की वजह से यहां बाक़ायदा नमाज़ नहीं पढ़ी जाती

तो क्या उसका एहतेराम ज़रूरी है?

जवाबः जिस हिस्सए ज़मीन को मस्जिद क़रार दिया गया है वह मरम्मत न होने के बावजूद क़ाबिले एहतेराम है, उसमें कोई ऐसा काम न किया जाए जो आदाबे मस्जिद के ख़िलाफ़ हो। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–204)

मस्जिद से मुतअ़ल्लिक़ बैतुलख़ला बनाना?

मस्अलाः– हज़रत नबीये करीम (स.अ.व.) के मुबारक वक़्त में मस्जिद में नाली, लोटा, हौज़, कुवाँ, नल, पानी, गुस्ल ख़ाना, खिड़की, पंखा, बिजली वग़ैरा किसी चीज़ का इंतिज़ाम नहीं था, मस्जिद की छत भी ऐसी थी कि धूप या बारिश भी उसमें को आती थी, ग़रज़ बहुत सादा जगह थी, उसमें दरी व चटाई भी न थी, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद से मुतअ़ल्लिक़ की जाती रही हैं, यहां तक कि बाज़ इलाक़ों में मेहमान ख़ाना भी मस्जिद से मुतअ़ल्लिक़ होता है और उसमें बिस्तर वग़ैरा होते हैं, मस्जिद में इमाम व मुअज़्ज़िन के रहने के लिए भी कमरा होता है जिसमें बच्चे तालीम पाते हैं, बाज़ जगह पेशाब ख़ाना और बैतुलख़ला भी नमाज़ियों की सुहूलत के लिए होता है। ख़ास कर बड़े शहरों में जहां कसरत से बाहर के आदमी ज़्यादा आते हों, अगर ज़रूरत रफ़ा करने की जगह वहां न हो तो उनको बड़ी दुश्वारी होती है। अगर बाहर के आदमी ज़्यादा न आते हों बल्कि आम्मतन मक़ामी आदमी नमाज़ पढ़ते हों जिनको अल्लाह तआ़ला ने घर दिया है और वहां सब ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं तो फिर महज़ शान व शौकत के लिए ऐसी चीज़ें मसाजिद से मुतअ़ल्लिक़ जगह में न बनाई जाएं, अगर किसी को

इत्तिफ़ाक़िया ज़रूरत पेश आ ही जाए तो वक़्ती तौर पर अपनी जानी पहचानी जगह पर ज़रूरत रफ़ा कर सकता है।

मस्जिद के क़रीब ऐसी जगह बैतुलख़ला न बनाया जाए कि बदबू मस्जिद में आए और नमाज़ियों और मलाइका को अज़ीयत हो। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–197 व अहसनुलफ़तावा ज़िल्द–6 सफ़्हा–464)

अगर ग़ुस्ल ख़ाना में जाने का रास्ता मस्जिद में से हो?

मस्अलाः– अगर ग़ुस्ल ख़ाना तक जाने का रास्ता बजुज़ मस्जिद से गुज़रने के और कोई नहीं है तो नापाक आदमी तयम्मुम कर के वहां को जाए और कोशिश कर के ग़ुस्ल ख़ाना का रास्ता किसी और तरफ़ को बनाया जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–197)

मस्जिद के पैसे से बैतुलख़ला बनाना?

मस्अलाः– जिस तरह ग़ुस्ल ख़ाना, वुज़ू ख़ाना, मस्जिद के पैसे से बनाया जाता है, उसी तरह मुअज़्ज़िन व इमाम के लिए बैतुलख़ला बनाने की ज़रूरत हो तो वह भी दुरुस्त है। नीज़ वुज़ू, इस्तिंजा व ग़ुस्ल के लिए पानी का इंतिज़ाम भी मस्जिद के पैसे से दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–227)

मस्जिद से मुत्तसिल बैतुलख़ला?

मस्अलाः– मस्जिद से ख़ारिज पाख़ाना बनाना जाइज़ है, दीवार दरमियान में होने की वजह से नमाज़ में भी कोई ख़राबी न होगी, लेकिन ऐसी जगह पाख़ाना बनाना जिससे नमाज़ियों को बदबू की तकलीफ़ हो और हर वक़्त मस्जिद में बदबू आया करे और मस्जिद की जानिब पाख़ाने

के रौशनदान खोलना एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा बेहतर ये है कि अगर गुंजाइश हो तो किसी दूसरी जगह मस्जिद से अलग पाख़ाना बनाना चाहिए और रौशनदान भी मस्जिद की तरफ़ न खोलना चाहिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–214)

मस्अला:– जिस जगह बैतुलख़ला बनाने से मस्जिद के एहतेराम में ख़लल भी नहीं आता और बदबू भी न पहुंचे तो उस जगह बैतुलख़ला बनाना शरअन दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–196)

मस्जिद की ज़रूरत के लिए गुस्ल ख़ानों को मुन्तक़िल करना?

मस्अला:– मस्जिद की पाकीज़गी और नमाज़े बाजमाअत में सुहूलत पैदा होने के लिए गुस्ल ख़ानों को बाहर (ख़ारिजे मस्जिद) मुन्तक़िल कर देना दुरुस्त है, जिस तरह क़दीम गुस्ल ख़ानों पर मस्जिद का रुपया ख़र्च हुआ है अगर उसी तरह इन गुस्ल ख़ानों को बाहर मुन्तक़िल करने पर मस्जिद का रुपया ख़र्च हो तो क्या इश्काल है? यानी कोई हरज नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–192)

मस्अला:– मस्जिद के गुस्ल ख़ाना में पाख़ाना करना मना है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–165)

वुज़ू ख़ाना के पास पेशाब ख़ाना बनाना?

मस्अला:– ये नमाज़ियों की ज़रूरत के लिए है, अगर कुछ दूर हो तो ठीक है ताकि मस्जिद में न आए और वुज़ू करने वालों को अज़ीयत न हो और ज़रूरत भी पूरी होती रहे। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–245)

मस्अला:– मस्जिद के गुस्ल ख़ानों का पानी इस तरह

पर निकलना कि वहां पर कीचड़ हो जाए और चलने वालों को तकलीफ़ हो। (ऐसा करना) नहीं चाहिए। अगर अन्दरूने एहाता पानी की जगह है जिसके ज़रीए रास्ता महफ़ूज़ रह सके तो रास्ता को बचाना चाहिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–215)

मस्जिद में जो चीज़ दी जाए वह किसका हक़ है?

मस्अलाः– मस्जिद में खाने पीने की जो चीजें दी जाती हैं वह इमाम व मुअज़्ज़िन के लिए दी जाती हैं उनका ही हक़ है, अगर मस्जिद के लिए कोई और चीज़ दी जाए मसलन सफ़, लोटा, जाए नमाज़ वग़ैरा तो वह मस्जिद की है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–177)

मस्अलाः– ख़तना वग़ैरा के मौक़ा पर अगर रस्म के तौर पर लाज़िम समझ कर मस्जिद में कुछ दिया जाए तो न लिया जाए, अगर ख़ुशी के तौर पर इमाम या मुअज़्ज़िन को कुछ दिया जाए तो मुज़ाएक़ा नहीं, और जिस को दिया जाए उसी का हक़ है, अगर मस्जिद के लिए कोई चीज़ दी जाए तो मस्जिद का ही हक़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–401)

मस्जिद के पंखे इमाम के मकान में लगाना?

सवालः मस्जिद में किसी साहब ने पंखे दिए जिनको इमाम और मुअज़्ज़िन की रिहाइशगाह में लगा दिया गाय, क्या ऐसा करना जाइज़ है?

जवाबः अगर मस्जिद के अन्दर लगाने के लिए पंखे दिए थे तो उन्हें मस्जिद से बाहर किसी काम में लाना जाइज़ नहीं है और अगर मुत्लक़ मस्जिद के नाम पर

दिए तो जाइज़ है है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–463)

एक मस्जिद की चटाई दूसरी मस्जिद में देना?

मस्अला:– अगर मस्जिद में चंद चटाइयाँ ज़ायद मौजूद हैं और हिफ़ाज़त की कोई सूरत नहीं, ख़राब और ज़ाए हो रही हैं तो ज़ायद चटाइयां ऐसी मसाजिद में बिछा देना दुरुस्त है जहां ज़रूरत हो, मुतवल्ली और दीगर अह्लुलराए हज़रात के मश्वरा से दे सकते हैं, बिला मश्वरा न दें ताकि कोई फ़ितना पैदा न हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–186 व जिल्द–1 सफ़्हा–490 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–163)

मस्जिद की चीज़ों को आरियतन देना?

मस्अला:– मस्जिद की मटकियां, लोटे, गिलास, पंखे, साइबान वगै़रा को आरियतन बियाह, शादी या ग़मी में देना या ले जाना नाजाइज़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–204 व अहसनुल–
–फ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–450)

मस्अला:– मस्जिद का साइबान नाच में दे दिया गया हो तो उस साइबान के नीचे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, उसको धूप वग़ैरा के वक़्त मस्जिद में लगाना चाहिए और आइंदा किसी महफ़िले नाच वग़ैरा के लिए न दिया जाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–115)

मस्अला:– नाजाइज़ आमदनी से जो किराया आए वह मस्जिद में ख़र्च न किया जाए, नीज़ मस्जिद का सामान (देग वग़ैरा) नाजाइज़ तक़रीब में किराया पर न दिये जाऐं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–8 सफ़्हा–175)

मस्जिद की जायदाद को कम-किराया पर ले कर ज़्यादा पर देना?

मस्अलाः— अगर मस्जिद के किरायादार ने उस जाएदाद में कोई तसर्रुफ़ नहीं किया, बल्कि जिस तरह से ली थी, उसी तरह दूसरे को दे दी तब तो ये मुनाफ़ा नाजाइज़ है, उसका सदक़ा करना वाजिब है, अगर उस जाएदाद की कोई इस्लाह या मरम्मत की और फिर दूसरे शख़्स को किराया पर दी है तो मुनाफ़ा जाइज़ है। (जितनी रक़म उसको मरम्मत वग़ैरा में लगी है सिर्फ़ वही वसूल कर सकता है।)

और उसके लिए ये भी नाजाइज़ है कि वह जाएदाद किसी ऐसे आदमी को किराया पर दे जिसके रहने और काम करने से उस जाएदाद को नुक़्सान पहुंचे मसलन उसको आटा पीसने वाले को न दे या लोहार को न दे, क्योंकि चक्की और लोहार को भट्टी से दूकान व मकान की दीवारों और छत और बुनियादों को नुक़्सान पहुंचता है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–199 बहवाला आलमगीरी जिल्द–4 सफ़्हा–435)

मस्अलाः— आप को ये हक़ नहीं कि मस्जिद की दूकान रुपये लेकर किसी को दूकान पर क़ब्ज़ा दें, बल्कि मुतवल्ली के कहने के मुवाफ़िक़ ख़ाली कर दें, वह जिस को चाहेंगे किराया पर दे देंगे और जो किराया मस्जिद के लिए मुनासिब होगा मुक़र्रर कर लेंगे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–154)

मस्अलाः— मस्जिद की जगह सीनेमा के लिए किराया पर देना जाइज़ नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–318)

सूदी कारोबार के लिए मस्जिद की दूकान देना?

मस्अलाः– अगर कोई साहब सूदी कारोबार के लिए कह कर मस्जिद की दूकान किराया पर लेते हैं तो मस्जिद की दूकान व मकान किराया पर न दिए जाऐं। (चाहे किराया कितना ही माकूल मिले।)

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–221)

मस्जिद को जान के अंदेशा से छोड़ना?

मस्अलाः– जिस शख़्स को एक मस्जिद में जाने से जान का या इज़्ज़त का ख़तरा हो, वह दूसरी मस्जिद में जा कर नमाज़ अदा कर ले। हसबे ज़रूरत व मस्लिहत एक से ज़ाएद मसाजिद में भी नमाज़े जुमा दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–238)

मस्अलाः– अगर मुहल्ला की मस्जिद का इमाम सहीहुल–अक़ीदा है और भी कोई शरई या तबई मानेअ़ उसमें मौजूद नहीं तो अपनी मस्जिद छोड़ कर दूसरी जगह जाना सही नहीं है। (अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–449)

क्या मस्जिद का जंगला सुतरा के हुक्म में है?

मस्अलाः– अगर जंगला की सलाख़ें मस्जिद की ज़मीन से एक हाथ यानी दो बालिश्त की मिक़्दार ऊँची हैं, नीज़ उंगली के बराबर मोटी हैं तो मर्दों व औरतों को उसके सामने से गुज़रना जबकि मस्जिद में जंगला के बराबर कोई शख़्स नमाज़ पढ़ रहा हो ख़्वाह तन्हा ख़्वाह जमाअ़त के साथ बिला कराहत जाइज़ है, अगर सलाख़ें मस्जिद की ज़मीन से एक हाथ नहीं बल्कि कम ऊँची हैं तो ऐसी हालत में क़रीब हो कर सामने से गुज़रना गुनाह

है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़हा–213 बहवाला बहरुर्राइक़ जिल्द–1 सफ़्हा–15)

नोटः आज कल जंगला वग़ैरा सलाख़ों के बजाए चपटी पत्ती यानी "गिरिल" के चल गए हैं वह भी उसी हुक्म में हैं जबकि उसको मोड़ने पर उंगली के बराबर मोटाई हो जाए। हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम ने यही बताया है। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी)

मस्अलाः– बड़ी मस्जिद और जंगल में तो नमाज़ी से इतने फ़ासिला पर गुज़रना नाजाइज़ है जहां तक सज्दा की जगह पर नज़र रख कर नमाज़ी की नज़र न पहुंचे और बड़ी मस्जिद वह है जिसका अर्ज़ कम अज़ कम चालीस हाथ हो। (इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–452)

मस्जिद में बिजली का पंखा लगाना?

मस्अलाः– मस्जिद में गर्मी के वक़्त नमाज़ियों की राहत व इत्मीनान के लिए बिजली का पंखा चलने की वजह से नमाज़ में कोई ख़लल नहीं आएगा, बिला तरद्दुद नमाज़ दुरुस्त होगी और ऐसी मनफ़अत व राहत का इंतिज़ाम करना शरअन मम्नूअ नहीं, नीज़ बिजली की रौशनी में भी नमाज़ में ख़राबी नहीं आती।

मस्अलाः– जब कि पंखा वक़्फ़ कर के मस्जिद में लगा दिया है तो उसको निकाल कर किसी दूसरी मस्जिद में लगाना दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–197 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–116)

मस्जिद की रौशनी में अपना वज़ीफ़ा पढ़ना?

मस्अलाः– नमाज़ के लिए जब तक रौशनी रहने का मामूल हो उस वक़्त तक उस रौशनी में कुरआन शरीफ़

और वज़ीफ़ा वग़ैरा पढ़ना बिला शुब्हा दुरुस्त है और उसके बाद यानी जब रौशनी व चराग़ बंद कर दिया जाता हो, उस वक़्त तेल देने वाले की इजाज़त से रौशनी करना और उसमें कुरआन शरीफ़ वग़ैरा पढ़ना दुरुस्त है, बग़ैर इजाज़त यह काम नहीं करना चाहिए। और अगर तेल वक़्फ़ की आमदनी से ख़रीदा गया है मगर वाक़िफ़ ने शर्त नहीं की कि तमाम रात मस्जिद में चराग़ रौशन रहे तब भी कुरआन शरीफ़ वग़ैरा पढ़ने के लिए अलावा नमाज़ के वक़्त के चराग़ को रौशन करना दुरुस्त नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–160 बहवाला बहर जिल्द–2 सफ़्हा–459)

मस्अला:– मुन्तज़िमीन या आम नमाज़ी मस्जिद का हीटर आम ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल करें तो दुरुस्त है, ख़ास कर आदमी अपनी तिलावत के वक़्त इस्तेमाल न करे। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–202)

मस्अला:– मस्जिद की बिजली वग़ैरा नमाज़ के औक़ात में इस्तेमाल करनी चाहिए, दीगर औक़ात में अह्ले चंदा मना कर सकते हैं। (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–141)

एक मस्जिद का पाईप दूसरी मस्जिद में देना?

मस्अला:– जब कि पाईप मस्जिद में वक़्फ़ कर दिया गया तो वाक़िफ़ का इख़्तियार जाता रहा, अब अगर उस मस्जिद में उसकी ज़रूरत नहीं है और न आइंदा ज़रूरत होगी और पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा, ये अंदेशा है तो उसे फ़रोख़्त कर के क़ीमत मस्जिद के काम में ले ली जाए। दूसरी मस्जिद वाले यहां से ख़रीद सकते हैं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–241)

मस्जिद की आमदनी उसकी ज़रूरत से ज़ाएद हो तो क्या करें?

मस्अला:— हर मस्जिद की रक़म असालतन उसी मस्जिद में सर्फ़ की जाए, अगर उस मस्जिद में ज़रूरत न हो और आइंदा भी ज़रूरत मुतवक़्क़े न हो या रक़म की हिफ़ाज़त दुश्वार हो और ज़ाए होने का क़वी अंदेशा हो तो फिर क़रीब की मस्जिद में और उसके बाद बईद की मस्जिद में हसबे ज़रूरत व मसालेहे मस्जिद की तामीर, सर्फ़ा, पानी, रौशनी, तन्ख़्वाहे इमाम व मुअज़्ज़िन में सर्फ़ करना दुरुस्त है।

जब तक ये मसारिफ़ मौजूद हों तो मस्जिद के अलावा दीगर मवाक़ेअ मसलन मदारिस व मकातिब की तामीर या वहां के मुलाज़िमीन की तन्ख़्वाहों या तालीम पाने वाले तलबा के वज़ीफ़ों में हरगिज़ सर्फ़ न करें, अगर मसाजिद में सर्फ़ करने की दूर, नज़दीक की कोई सूरत न रहे तो फिर दीनी मदारिस व मकातिब के मवाक़ेअ मज़कूरा में सर्फ़ करना दुरुस्त होगा। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–251 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–187 बहवाला शामी जिल्द–3 सफ़्हा–515)

मस्अला:— बेहतर ये है कि ज़ाएद रक़म से उस मस्जिद के मुतअ़ल्लिक़ दीनी मदरसा क़ाइम कर दिया जाए जिससे मस्जिद की आबादी में इज़ाफ़ा हो और रक़म ज़ाए होने से बच जाए।

(नीज़) क़रीब की मुहताज मस्जिद में जमाअ़त के मश्वरा से रक़म दी जा सकती है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–242 बहवाला शामी जिल्द–3 सफ़्हा–514)

मस्जिद के दालान को दफ़्तर बनाना?

मस्अला:– जो दालान मस्जिद की मसालेह के लिए वक़्फ़ है उसके किसी हिस्सा को दूसरे काम में लाना दुरुस्त नहीं, अगर ज़रूरते मज़कूरा के लिए (यानी "अन्जुमन इस्लाहुलमुस्लिमीन भोपाल" का दफ़्तर पहले शहर में एक मकान में था वहां से हटा कर मस्जिद के दालान में वह दफ़्तर क़ाइम किया गया) इस्तेमाल करना है तो किराया पर लिया जा सकता है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–238)

तालीम देने के लिए औरतों का मस्जिद में से गुज़रना?

सवालः– मस्जिद के तीनों तरफ़ दालान हैं, मश्रिक़ी दालान में एक मदरसा चल रहा है, जिसमें पढ़ाने वाली औरतों का हर हालत में मस्जिद में से आना जाना होता है, क्या शरअ़न ये सही है?

जवाबः नापाकी की हालत में मस्जिद में से हो कर गुज़रना दुरुस्त नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि मस्जिद से अलग (ख़ारिजे मस्जिद) जाने आने के लिए रास्ता बनाया जाए ताकि मस्जिद की बेहुरमती न हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–238)

मस्जिद की आमदनी से तालीम देना?

मस्अला:– अगर वह मदरसा उसी मस्जिद के ताबे है यानी बानी ने मस्जिद बनाई और उसके ताबे ही मदरसा बनाया और हिदायत की कि ये मदरसा मस्जिद के ताबे रहेगा और मस्जिद की आमदनी से मदरसा चलाया जाएगा तो शरअ़न ये दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–14 सफ़्हा–148)

मस्जिद में नमाज़ के लिए जगह रोकना?

मस्अलाः– अगर कोई शख़्स आकर मस्जिद में किसी जगह बैठ गया। फिर कोई फ़ौरी ज़रूरत पेश आई जिसको पूरा करते ही लौट कर आएगा मसलन थूकना, नाक साफ़ करना, वुज़ू करना वग़ैरा और जाते वक़्त अपनी जगह कपड़ा रख कर चला गया तो इसमें कोई मुज़ाएक़ा नहीं और दूसरे शख़्स को उसकी जगह बैठना भी नामुनासिब है। और अगर शुरू ही से कपड़ा रख दे और अपने कारोबार में मश्गूल रहे और नमाज़ के वक़्त आ कर अपनी जगह पर क़ब्ज़ा जमाए, ये ग़ैर मुस्तहसन है। ऐसी हालत में दूसरे शख़्स को अगर तंगी की वजह से जगह मुयस्सर न आए तो उस कपड़े को हटा कर बैठना दुरुस्त है, मगर हाथ से न हटाए, वरना उसकी ज़मान में दाख़िल हो जाएगा, अगर तंगी न हो बल्कि वुस्अ़त हो तो दूसरी जगह बैठ जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–195 बहवाला माक़ियुलफ़लाह जिल्द– सफ़्हा–359)

मस्अलाः– अमीर आदमी या किसी और के लिए ईदगाह या मस्जिद की सफ़े अव्वल में जगह रोकने का हक़ नहीं, जो शख़्स पहले आ कर जहां बैठ जाए वह उसी की जगह हो गई, उसको उठाने का भी (किसी को) हक़ नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–153, अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–457)

मस्अलाः– मस्जिद के हर लोटे से हर नमाज़ी को वुज़ू करने का हक़ है, इसी तरह मस्जिद के हर हिस्सा में हर नमाज़ी को नमाज़ पढ़ने का हक़ हासिल है। इसलिए कोई

शख़्स किसी ख़ास लोटे के इस्तेमाल से या किसी ख़ास हिस्सा में नमाज़ पढ़ने से अपनी खुसूसियत की बिना पर किसी नमाज़ी को मना नहीं कर सकता। अलबत्ता इसमें कोई मुज़ाएक़ा नहीं कि खुद किसी ख़ास लोटे से उसके अच्छा या बड़ा या किसी वस्फ़ की बिना पर वुज़ू किया करे, किसी और लोटे से न करे, बिला वजहे शरई मस्जिद के किसी ख़ास हिस्सा को नमाज़ के लिए मुतअ़य्यन करना मना है कि ये तख़्सीस बिला मुख़स्सिसे शरई होगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़हा–220)

मस्अला:– मस्जिद का लोटा मस्जिद के बाहर न ले जाएं जब कि एहातए मस्जिद में ज़रूरत पूरी होने का इंतिज़ाम है। नीज़ मस्जिद का मुसल्ला भी ख़ारिजे मस्जिद इस्तेमाल न करें, ख़ास कर बैठ कर बातें करने के लिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–202)

मस्जिद में इफ़्तार करना?

मस्अला:– मस्जिद में खाना पीना मकरूह है, मगर ज़रूरत के वक़्त बिला कराहत जाइज़ है और तर्के जमाअ़त यानी जमाअ़त न मिलने का अंदेशा भी उज़्र है, इसलिए अगर मस्जिद से बाहर कोई ऐसी जगह न हो जहाँ इफ़्तार कर सकें तो मस्जिद ही में इफ़्तार कर लेना चाहिए, जाइज़ है। बशर्तेकि मस्जिद को मुलव्वस न किया जाए। (इसके लिए) कोई कपड़ा वग़ैरा ऐसा बिछा लिया जाए जिससे मस्जिद की हिफ़ाज़त रहे और बेहतर ये है कि उस वक़्त इफ़्तार से कुछ पहले एतेकाफ़ की नीयत कर के मस्जिद में दाख़िल हो, क्योंकि इमाम मुहम्मद (रह0) के नज़दीक एक साअ़त का भी एतेकाफ़ दुरुस्त है।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़हा–454 व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़हा–457)

मस्जिद की आमदनी से इफ़्तार कराना?

मस्अला:– रमज़ान शरीफ़ में मसाजिद की आमदनी (मस्जिद की मुलहक़ा दूकानों व मकानाते मौकूफ़ा) से नमाज़ियों को इफ़्तार की इजाज़त जब ही हो सकती है जब कि वाकिफ़ ने इफ़्तार की इजाज़त दी हो, तो उसकी आमदनी से उसी मस्जिद में इफ़्तार के लिए सर्फ़ करने की इजाज़त है, वाकिफ़ की इजाज़त न हो तो दुरुस्त नहीं, हां अगर वाकिफ़ के ज़माना से इफ़्तार का दस्तूर बराबर चला आ रहा हो तो भी दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–180)

मस्अला:– मस्जिद में (अपने ख़र्च से) इफ़्तार या सहरी करना दुरुस्त है, लेकिन जहां तक मुम्किन हो मस्जिद को मुलव्वस न किया जाए, या जो जगह क़रीबे मस्जिद हो (ग़ैर मोतकिफ़ के लिए ख़ारिजे मस्जिद) वहां खाया पिया जाए तो बेहतर है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़हा–509)

मस्जिद की आमदनी से हाफ़िज़ को इनआम देना?

सवाल: ख़त्म तरावीह और शबीना के मौक़ा पर उसी आमदनी से हुफ़्फ़ाज़ को इनआमात तक़्सीम किए जाते हैं हालांकि वक़्फ़ कुनिन्दगान में से किसी की तहरीर में इन मद्दात में ख़र्च का कोई इशारा नहीं?

जवाब: तरावीह में कुरआने करीम सुनाने वालों को रुपया देना दुरुस्त नहीं, हां अगर वह हमेशा का इमाम

भी हो और उसको रमज़ानुलमुबारक में अस्ल तन्ख़्वाह से कुछ ज़ाएद दिया जाए तो उसी मस्जिद के औक़ाफ़ से देने की इजाज़त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–180)

मस्जिद में ठहरना और पंखा इस्तेमाल करना?

सवालः मस्जिद में कौन लोग क़याम कर सकते हैं, नीज़ मस्जिद के अन्दर रात भर पंखा चला कर बिजली इस्तेमाल करना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः जो शख़्स मोतकिफ़ हो या मुसाफ़िर हो और उसका कहीं ठिकाना न हो, उसको मस्जिद में ठहरने की इजाज़त है, और जो शख़्स नमाज़े तहज्जुद व फ़ज्र की नमाज़ के एहतेमाम की ख़ातिर मस्जिद में रहे, उसके लिए भी इजाज़त है, लेकिन अपने लिए मस्जिद को आराम गाह न बनाया जाए।

मस्जिद का पंखा और मस्जिद की रौशनी अस्लन नमाज़ के लिए है, जब तक नमाज़ी आम्मतन नमाज़ पढ़ते हैं, उस वक़्त तक इस्तेमाल करें, अगर अलावा नमाज़ के दीगर मक़ासिद के लिए इस्तेमाल करें तो उसके मुआवज़ा में मस्जिद की ख़िदमत भी कर दिया करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–201 व किता–बुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–460)

मस्जिद की छत पर नमाज़?

सवालः बाज़ मस्जिदों में ज़ुहर व अस्र की नमाज़ मस्जिद के नीचे के दर्जे में होती है और गर्मी की वजह से मग़रिब व इशा की नमाज़ मस्जिद की छत पर होती है जब कि मस्जिद की छत पर मेहराब नहीं है?

जवाबः अस्ल मस्जिद नीचे का हिस्सा है और छत ताबेअ़ है। मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह है। अस्ल मस्जिद छोड़ कर छत पर नमाज़ पढ़ना ख़िलाफ़े सुन्नत है, अलबत्ता अगर जगह की क़िल्लत हो तो छत पर खड़े होने में कोई मुज़ाएक़ा नहीं और जब गर्मी नाक़ाबिले बरदाश्त हो, तब भी छत पर खड़े होने की गुन्जाइश है और मेहराब का न होना मुज़िर नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–201 व जिल्द–1 सफ़्हा–488)

मस्अलाः– मस्जिद की छत पर गर्मी की शिद्दत की वजह से जमाअ़त करना मकरूह है, अगर नमाज़ियों की कसरत की वजह से नीचे जगह न हो तो ज़ाएद नमाज़ी ऊपर छत पर जा सकते हैं (यानी नमाज़ पढ़ सकते हैं) इस सूरत में कराहत न होगी क्योंकि ये मजबूरी है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–449 व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–462)

मस्अलाः– मस्जिद वही है जो वक़्फ़ हो, जो वक़्फ़ न हो वह मस्जिद नहीं है, उसमें जमाअ़त करने से जमाअ़त का सवाब तो मिलेगा, मगर मस्जिद का सवाब न मिलेगा, बग़ैर वक़्फ़ किए मकान में नमाज़ की इजाज़त देने से मस्जिद नहीं होती, और बग़ैर मस्जिद के भी अगर जमाअ़त हो तो सत्ताईस नमाज़ों का सवाब मिलता है और मस्जिद का सवाब इसके अलावा है।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–448)

मस्जिद के सेहन में नमाज़े बा–जमाअ़त का हुक्म

सवालः मस्जिद के सेहन में फ़र्ज़ नमाज़ बाजमाअ़त

बिला कराहत गर्मी की शिद्दत की वजह से पढ़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि ज़ैद कहता है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने कभी मस्जिद के सेहन में नमाज़ नहीं पढ़ी। ज़ैद का क़ौल कहां तक दुरुस्त है?

जवाबः ज़ैद का ये क़ौल ग़लत है। मस्जिद के दो हिस्से मुसक़्क़फ़ और ग़ैर मुसक़्क़फ़। (छत वाले और खुले हिस्से) में जमाअ़त जाइज़ और सही है। और फ़ुक़हा रह0 ने मस्जिद सैफ़ी और मस्जिद शतवी दोनों को मस्जिद कहा है और दोनों में जमाअ़त बिला कराहत सही है और ये हर दो नाम ख़ुद दलील हैं इसकी कि एक हिस्सा ग़ैर मुसक़्क़फ़ में गर्मियों में और दूसरे हिस्सा मुसक़्क़फ़ में सर्दियों में नमाज़ होती है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–125 बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–531)

मस्अलाः– मस्जिद के सेहन में नमाज़ व जमाअ़त बिला तरद्दुद सही व दुरुस्त है।

(फ़तवा महमूदिया जिल्द–16 सफ़्हा–319)

मस्अलाः– नमाज़ की हालत में मस्जिद के सेहन से अन्दर मस्जिद के जाने में नमाज़ फ़ासिद हो जाती है (क्योंकि) ये अमले कसीर होता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–57 बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–584)

मस्अलाः– मस्जिद के दरों में दो चार आदमियों को सफ़ बना कर खड़ा होना भी दुरुस्त है, एक आदमी को तन्हा नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मकरूह है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–246)

मस्जिद में एक दो सफ़ छोड़ कर इमाम का खड़ा होना?

सवालः मस्जिद काफ़ी बड़ी है और नमाज़ी एक दो सफ़ के बकद्र होते हैं, इस सूरत में अगर इमाम साहब अपनी अस्ल जगह यानी मेहराब के बजाए एक दो सफ़ छोड़ कर जमाअत ख़ाना के दरमियान में खड़े रहें तो कैसा है?

जवाबः पूरा जमाअत ख़ाना मकाने वाहिद के हुक्म में है, लिहाज़ा इमाम साहब सूरते मस्ऊला में एक दो सफ़ छोड़ कर खड़े रहें तो खड़े रह सकते हैं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़हा–248)

मस्अलाः– मस्जिद में जगह तंग हो तो इमाम के दाएँ बाएँ मुक़्तदी खड़े हो जाएं, लेकिन इमाम को ज़्यादा आगे नहीं होना चाहिए बल्कि इस क़द्र आगे हो जाए कि इमाम के पैर मुक़्तदियों के पैरों से आगे रहें यानी ऐड़ी मुक़्तदियों से आगे रहे। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़हा–243)

मस्जिद में ज़िक्रे जेहरी करना?

मस्अलाः– कोई शख़्स मशाइख़े हक़्क़ा में से किसी से बैअत हो, और उन्होंने ज़िक्रे जेहरी की तालीम दी हो तो तालीम के मुताबिक़ अपना अपना अलग अलग ज़िक्रे जेहरी कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद में ज़िक्रे जेहरी से नमाज़ियों को तश्वीश और तकलीफ़ होती हो तो ऐसी सूरत में मस्जिद में ज़ोर ज़ोर से ज़िक्र करना जाइज़ नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़हा–238 व आदा–बुलमसाजिद सफ़हा–16)

मस्अलाः– अगर नमाज़ियों और सोने वालों को परेशानी

न हो तो ऊंची आवाज़ से ज़िक्र करना अफ़ज़ल है जिससे ज़ाकिरीने इलाही का क़ल्ब बेदार हो, नींद उड़ जाए और ताअ़ते इलाही के लिए चुस्ती आ जाए।

(किताबुलफ़िक़्ह जिल्द-1 सफ़्हा-455)

मस्जिद की दीवारों पर आयाते कुरआनी लिखना?

मस्अला:- मस्जिद के अन्दुरूनी और बैरूनी हिस्सा में कुरआन शरीफ़ की आयत और क़ाबिले ताज़ीम इबारत लिखना मम्नूअ़ है। बेअदबी के एहतेमाल की वजह से फ़ुक़हा रह0 लिखने की इजाज़त नहीं देते हैं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-10 सफ़्हा-243 बहवाला दुर्रेमुख़्तार सफ़्हा-440 व शामी जिल्द-1 सफ़्हा-620 व किताबुलफ़िक़्ह जिल्द-1 सफ़्हा-461)

मस्जिद में सियासी तक़रीरें?

हमारे ज़माना में सियासी तक़रीरों का रिवाज मस्जिदों में आम होता जा रहा है और वह भी आदाबे मस्जिद का लिहाज़ न करते हुए, ये चीज़ भी पसंदीदा नहीं है, ऐसी ग़ैर ज़िम्मादारी की बातें जो कहीं भी कहनी जाइज़ नहीं है, उनका मस्जिद में कहना क्योंकर जाइज़ हो सकता है, हदीस में है कि मस्जिदों को बच्चों और झगड़ों, बुलंद आवाज़ों, इजराए हुदूद और तलवार खींचने से बचाओ।

(इब्न माजा, बाब मा यक्रहु फ़िलमसाजिद)

और आज कल मस्जिदों में जो सियासी जलसे होते हैं उनमें तक़रीबन ये तमाम चीज़ें कम व बेश पाई जाती हैं, और इन से बढ़ कर "आज़ारे मुस्लिम" जुज़्वे तक़रीर है जिससे इज्तिनाब ज़रूरी है।

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

दीनी बातें अगर मस्जिद में कही जाएं तो कोई मुज़ाएका नहीं, बल्कि बड़ी हद तक ये अग़राज़ व मक़ासिदे मस्जिद में दाख़िल हैं। या ऐसी सियासी बातें जिनका दीन से लगाव हो, मुसलमानों से कही जा सकती हैं, कि अहदे नबवी में मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) इन बातों का मरकज़ रह चुकी है, मगर आदाब और एहतेराम व इकराम बहरहाल ज़रूरी है। इब्न माजा वाली हदीस में ये बात गुज़री कि मस्जिद में बुलंद आवाज़ी न होने पाए। सहाब–ए किराम (रज़ि0) का अमल इस बात में जैसा रहा वह मशअ़ले राह बनाया जा सकता है कि वह दरबारे नबवी (स.अ.व.) के हलक़ा बगोश थे।

हज़रत साइब बिन यज़ीद (रज़ि0) ब्यान करते हैं: मैं एक दिन मस्जिद में सोया हुआ था, कंकरी मार कर किसी ने जगा दिया, देखा तो फ़ारूक़े आज़म (रज़ि0) थे। आप ने दो शख़्सों की तरफ़ इशारा किया वह मस्जिद में शोर गुल कर रहे थे, और फ़रमाया इनको पकड़ लाओ मैंने हसबुलहुक्म उन दोनों को उनकी ख़िदमत में ले जा कर हाज़िर कर दिया, आप (रज़ि0) ने उनसे पूछा कहां रहते हो? उन लोगों ने ताइफ़ का नाम लिया, ये सुन कर आप (रज़ि0) ने फ़रमाया अगर तुम मदीना मुनव्वरा के होते तो सज़ा देता, तुम मस्जिदे रसूल (स.अ.व.) में शोर व गुल करते हो, जाओ आज सिर्फ़ इस वजह से मआफ़ किया जाता है कि बाहर के रहने वाले हो।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–67)

हज़रत उमर (रज़ि0) इस मआमले में बहुत सख़्त थे,

मस्जिद की मामूली बेहुरमती भी कभी बरदाश्त नहीं करते थे, चनांचे लड़कों को भी मस्जिद में खेलते देखते तो दुर्रा से ख़बर लेते और इशा बाद भी मस्जिद की पूरी ख़बर गीरी रखते।

निसाई में है कि एक दफ़ा आप ने किसी की बुलंद आवाज़ी सुन ली, उस पर आप ने तेज़ हो कर फ़रमाया, तुम को मामूल है कि कहां हो?

(तफ़सीर इब्ने कसीर जिल्द–3 सफ़्हा–393)

इस बाब में इख़्तिलाफ़ है कि बुलंद आवाज़ी मुतलक़न हराम है या मुक़ैयद तौर पर, अक्सरीयत की राय तफ़सली है कि अगर दीनी व दुनयवी ज़रूरत हो जिसमें मुसलमानों का मफ़ाद है तो जाइज़ है वरना नाजाइज़ है।

(इस्लाम का निज़ामे मसाजिद सफ़्हा–197)

मस्अलाः– मस्जिद के अदब व एहतेराम के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बेपरवाही बरतते हैं, ये काम (सियासी जलसे वग़ैरा) मस्जिद में करने के लाइक़ नहीं, लिहाज़ा ख़ालिस दीनी मजाजिस के सिवा दूसरी आज कल की सियासी मीटिंगें शरअी मस्जिद से बाहर किसी और जगह मुनअक़िद करनी चाहिऐं।

हज़रत उमर (रज़ि0) ने मस्जिद के बाहर किनारे पर एक चबूतरा तामीर करवा दिया था और ऐलान कर दिया था कि जिसको अश्आर पढ़ना हो या बुलंद आवाज़ से बोलना हो या कोई और काम करना हो तो वह चबूतरा पर चला जाए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–105 बहवाला मिश्कात शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–71 व आलमगीरी जिल्द–6 सफ़्हा–251 किताबुलकराहीयत)

मस्अला:– मस्जिदें दुनियावी एलेक्शनों के लिए नहीं बनाई गई, ऐसे काम मस्जिद में न किए जाएं, जो ऐसा करते हैं वह ग़लती पर हैं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–187)

मस्अला:– मस्जिद में तब्लीग़ या वाज़ का जलसा या मश्वरा के लिए इज्तिमा करना जाइज़ है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–144)

मस्जिद में कुर्सी पर वाज़ कहना?

सवाल: मस्जिद में अक्सर उलमा कुर्सी पर बैठ कर वाज़ कहते हैं, क्या ये जाइज़ है?

जवाब: मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–287 में हज़रत नबीये करीम (स.अ.व.) का मस्जिद में कुर्सी पर तशरीफ़ फ़रमा कर दीन की बातें इरशाद फ़रमाना मज़कूर है।

अलअदबुलमुफ़्रिद सफ़्हा–210 में भी इमाम बुख़ारी रह० ने इसको ज़िक्र फ़रमााय है, और जो चीज़ हदीस शरीफ़ से साबित है उस पर एतेराज़ करना अदमे वाक़िफ़ीयत की वजह से है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–489)

मस्अला:– मस्जिद के टाट (दरी वग़ैरा) को मस्जिद से बाहर ले जाना और किसी जलसा में इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं है। (किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–107)

मस्जिद के लिए मस्जिद में चंदा करना?

सवाल: हमारे यहां हर जुमा को नमाज़ के बाद जमाअत ख़ाना में कपड़ा फैला कर चंदा करते हैं, तो बराए मस्जिद, मस्जिद में चंदा करना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: बेहतर और मुनासिब सूरत ये है कि मस्जिद से बाहर (ख़ारिजे मस्जिद) चंदा किया जाए, या मस्जिद

में किसी बोर्ड पर चंदा की अपील (दरख़्वास्त) लिख कर लगा दी जाए, अलबत्ता अगर इस तरह चंदा करने से ख़ातिर ख़्वाह कामियाबी न होती हो, और जुमा के दिन चंदा करने से मस्जिद का ज़्यादा फ़ायद होता हो तो इस शर्त के साथ बराए मस्जिद, मस्जिद में चंदा करने की गुंजाइश है कि नमाज़ियों को तकलीफ़ न हो, उनकी गर्दन न फांदे, नमाज़ पढ़ने वाले के सामने से न गुज़रे, मस्जिद में शोर व शग़ब न हो, मस्जिद के एहतेराम के ख़िलाफ़ काम न हो। और लोगों के सामने किसी को शर्म व ग़ैरत में डाल कर ज़बरदस्ती चंदा वसूल न किया जाए। इन शराइत की रिआयत ज़रूरी है, इनकी रिआयत न हो सके तो मस्जिद में चंदा न किया जाए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–9 सफ़्हा–239, शामी जिल्द–1 सफ़्हा–772)

मस्अला:– आम हालात में मस्जिद में मदारिस के लिए चंदा न करना चाहिए, मस्जिद में शोर व गुल होगा, नमाज़ियों को नमाज़ में ख़लल होगा, मस्जिद की बेएहतिरामी होगी, लिहाज़ा मस्जिद में चंदा न किया जाए, अलबत्ता अगर कोई ख़ास हालत हो; मस्जिद में शोर व गुल न हो, नमाज़ियों को तकलीफ़ और ख़लल न हो तो गुंजाइश है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–9 सफ़्हा–240 व इम्दादुलफ़तावा जिल्द–2 सफ़्हा–641)

क़ज़ा नमाज़ मस्जिद में पढ़ना?

मस्अला:– क़ज़ा नमाज़ को मस्जिद में पढ़ने को मकरूह लिखा है, यानी मकरूहे तहरीमी और दलील यही है कि नमाज़ को वक़्त से मुअख़्ख़र करना मासियत है, इसलिए इसको ज़ाहिर न करे। और अल्लामा शामी (रह0) ने इसके

मुतअ़ल्लिक़ ये लिखा है कि ग़रज़ यही है कि क़ज़ा नमाज़ का इज़्हार न करे, बल्कि इस तरह क़ज़ा पढ़े कि किसी को ख़बर न हो, अगर मस्जिद में भी क़ज़ा पढ़ने से किसी को मालूम न हो कि ये नफ़्लें पढ़ रहा है या फ़र्ज़ तो मस्जिद में भी क़ज़ा दुरुस्त है।

ग़रज़ ये है कि इस तरह क़ज़ा पढ़े कि हत्तलवुस्अ़ किसी पर इज़्हार न हो।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–329 बहवाला दुर्रेमुख़्तार बाबुलक़ज़ा जिल्द–1 सफ़्हा–695)

मस्जिद में क़ुर्बानी करना?

मस्अला:– जो हिस्सा मस्जिद में है यानी नमाज़ के लिए वक़्फ़ है और वहां नमाज़ पढ़ते हैं, उस जगह (दाख़िले मस्जिद) ज़िब्ह करना हराम है, इसलिए कि नापाक ख़ून से मस्जिद गंदी हो जाएगी।

एहात–ए–मस्जिद में जहां जूते उतारते हैं वहां भी ज़िब्ह करने की मुमानअ़त है, क्योंकि वह जगह इसलिए (ज़िब्ह करने के लिए) वक़्फ़ नहीं है, दूसरी जगह ज़िब्ह किया जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–295)

"दाख़िले मस्जिद और ख़ारिजे मस्जिद ज़िब्ह न किया जाए, क्योंकि मसाजिद ज़िब्ह वग़ैरा के कामों के लिए नहीं हैं।" (मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

मस्अला:– क़ुर्बानी में मस्जिद का बोरिया इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं है, बल्कि ये कर लें कि पुराने बोरिये को मस्जिद के मुतवल्ली से नए बोरिये के एवज़ ख़रीद लिया जाए, ख़रीदने के बाद वह पुराना बोरिया तुम्हारी मिल्क हो जाएगा, मस्जिद की मिल्क नहीं रहेगा।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़हा–455)

मस्अलाः– आशूरा के दिन (दसवीं मुहर्रम को) मस्जिद में जमा हो कर नवाफ़िल पढ़ना आंहज़रत (स.अ.व.) से साबित नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़हा–191)

मस्जिद में दी हुई चीज़ों को नीलाम करना?

सवालः मस्जिद में लोग मुर्ग़ा, अण्डा, कपड़ा वग़ैरा ख़ुदा के नाम पर दे देते हैं, फिर उसकी नीलामी होती है तो क्या ये दुरुस्त है, जब कि बाज़ मरतबा नीलामी छुड़ा कर फिर उस चीज़ को मस्जिद में दे देते हैं, बार बार ऐसा ही किया जाता है?

जवाबः नीलामी का ये तरीक़ा उस चीज़ को अपनी मिल्म बनाने के लिए नहीं, बल्कि नीलाम ख़रीदने से मक़्सूद मस्जिद की इम्दाद करना है (तो दुरुस्त है) अगर इसमें नाम व नुमूद मक़्सूद न हो तो ये दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–218)

मस्अलाः– मस्जिद में शीरीनी (मिठाई वग़ैरा) तक़्सीम करने के लिए लोग भेजते हैं, अगर सदक़ा बता कर ये चीज़ें दी जाऐं तो उनके मुस्तहिक़ ग़ुरबा हैं और अगर मुअज़्ज़िन वग़ैरा के लिए दी जाऐं तो मुअज़्ज़िन वग़ैरा मुस्तहिक़ हैं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–204)

मस्जिद का मल्बा नीलाम करना?

सवालः मस्जिद का फ़र्श पुराना हो गया, उसको तोड़ कर नया फ़र्श लग रह है, तो फ़र्श का मल्बा ईंट रोड़े वग़ैरा नीलाम कर सकते है? और ख़रीदने वाला बुनियादों में भर सकता है?

जवाबः उसको ख़रीदना और बुनियादों में इस्तेमाल

करना शरअन दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–24 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–123)

मस्अलाः– बेच कर उसकी क़ीमत मस्जिद के वक़्फ़ में शामिल कर ली जाए या उस रक़म से कोई चीज़ जो मस्जिद के लिए कारआमद हो ख़रीदने की इजाज़त है, इसी तरह (पुराने मलबा को) मस्जिद के मकान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पलीदी से बचाया जाए यानी बैतुलख़ला, पेशाब ख़ाना, गुस्ल ख़ाना वग़ैरा में न लगाया जाए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–105 बहवाल दुर्रेमुख़्तार मअ़ शामी जिल्द–1 सफ़्हा–165 व किफ़ाय–तुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–123)

अपने मकानात फ़रोख़्त करना जिससे मस्जिद वीरान हो जाए?

सवालः कई साल से मुहल्ला और मस्जिद आबाद रही, अब किसी वजह से मुसलमान एक एक कर के घरों को ग़ैर–मुस्लिम के हाथ फ़रोख़्त करके जा रहे हैं। ये सिलसिला यूंही जारी रहा तो मस्जिद वीरान हो जाएगी, मस्जिद का ख़्याल न करते हुए इस तरह मकानात फ़रोख़्त करना कैसा है?

जवाबः जहां तक जवाज़े बैअ़ का तअल्लुक़ है वह तो ज़ाहिर है कि मालिक को अपनी मिल्क फ़रोख़्त करने का हक़ हासिल है और बतरीक़े शरई ईजाब व क़बूल से बैअ़ सही हो जाएगी, लेकिन हालात की नज़ाकत को देखते हुए उनको इसका लिहाज़ करना चाहिए कि बग़ैर मजबूरी के ऐसा न करें, मजबूरी की हालत में तो हिजरत भी साबित है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–235)

मस्जिद की रक़म से दूसरे के घर की दीवार बनवाना?

मस्अलाः– मस्जिद की रक़म से दूसरे की दीवार पर बग़रज़े परदा दीवार तामीर करना नाजाइज़ है, हां मस्जिद की दीवार पर तामीर कर दी जाए तो जाइज़ है। और अगर मस्जिद की दीवार पर परदा क़ाइम करने की सूरत न हो सकती हो तो मुहल्ला वाले मालिके मकान की दीवार के लिए (अगर ग़रीब है) अपने पास से इतनी इआनत कर दें कि वह अपनी दीवार पर परदा क़ाइम कर सके।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–121)

मस्जिद में अक़्दे निकाह व कुरआन ख़्वानी के लिए बिजली का इस्तेमाल करना?

मस्अलाः– अस्ल मस्अला तो यही है कि इन कामों के लिए रौशनी का इंतिज़ाम खुद ही कर लें, मस्जिद की बिजली और पंखों को इस्तेमाल न करें, हद तो ये है मस्जिद में बिजली जलाने का जो वक़्त मुक़र्रर है उसके अलावा दीगर औक़ात में कुराअन शरीफ़ की तिलावत या दीनी किताबों के मुतालआ के लिए भी मस्जिद की बिजली और पंखे चलाने की इजाज़त नहीं है, मम्नूअ है।

लेकिन आज कल ग़लत दस्तूर हो जाने की वजह से बिजली जलाने और पंखे चलाने की इजाज़त न देने पर झगड़े और फ़साद का अंदेशा हो तो जितनी देर बिजली ख़र्च हो मुआवज़ा ले लिया जाए तो इसकी गुंजाइश है या वह ख़ुद ही दे दें। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–107)

मस्अलाः– मसाजिद में अक़्द यानी निकाह ख़्वानी मुस्तहब है। (किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–456 व रद्दुल–

मुहतार जिलद–1 सफ़हा–619)

मस्अलाः– मस्जिद की बिजली मस्जिद ही के लिए ख़ास है, किसी ऐसे काम के लिए उसका इस्तेमाल जाइज़ नहीं जो मसालेहे मस्जिद में दाख़िल नहीं, गो वह काम अपनी जगह कितनी ही नेकी का हो, जब मस्जिद की चीज़ों का इस्तेमाल दूसरी मस्जिद में भी जाइज़ नहीं तो आम जगहों (मुहल्ला में जलसा वग़ैरा) के लिए क्योंकर रवा होगा, मुन्तज़िमा की ऐसी बेमौक़ा बल्कि ख़िलाफ़े शर्अ इजाज़त का कुछ एतेबार नहीं।

मस्अलाः– इमाम व मुअज़्ज़िन का कमरा चूंकि मुत–अल्लक़ाते मस्जिद में से है, उनके लिए मस्जिद की बिजली मुन्तक़िल करना जाइज़ है, इसी तरह मदरसा भी अगर मस्जिद के ताबे है और आम तौर पर लोगों को इसका इल्म है और चंदा देने वाले भी इसकी तस्रीह नहीं करते कि उनका चंदा मदरसा में ख़र्च न किया जाए तो ऐसी सूरत में मुल्हक़ा मदरसा में भी बिजली दी जा सकती है, और अगर मदरसा ताबे नहीं तो उसको मस्जिद की बिजली (बग़ैर क़ीमत) देना जाइज़ नहीं, मस्जिद की कोई चीज़ किसी दूसरी जगह ख़्वाह वह दूसरी मस्जिद ही हो, मुन्तक़िल करना जाइज़ नहीं है। (अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़हा–446)

ग़ैर–मुस्लिम का मस्जिद में लोटे या इफ़्तारी देना?

मस्अलाः– अगर ग़ैर–मुस्लिम मस्जिद में लोटे या इफ़्तारी किसी सवाब की नीयत से देता है और मसलिहत के ख़िलाफ़ भी नहीं तो वुज़ू के लिए (मुफ़्त) उनका लेना दुरुस्त है, इसी तरह इफ़्तारी भी लेना जब कि सवाब की

नीयत से देता है तो लेना दुरुस्त है, बशर्तेकि किसी दूसरी मसलिहत के ख़िलाफ़ न हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–462)

मस्जिद के लोटे ज़ाती काम में लेना?

मस्अलाः– मस्जिद के लोटों को तमाम कामों में इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, सिर्फ़ वुज़ू, इस्तिंजा, गुस्ल में इस्तेमाल करें, पानी पीने या कहीं मामूली कपड़ा नमाज़ के लिए धोने की गुंजाइश है, मस्जिद से बाहर अपने मकान में ले जाना और इस्तेमाल करना मना है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–136)

मस्जिद के फ़र्श पर वुज़ू करना?

मस्अलाः– मस्जिद के फ़र्श पर जोकि नमाज़ के लिए मुक़र्रर है, वुज़ू के लिए नहीं है। अगर नाली वुज़ू के लिए मौजूद है तो वहां वुज़ू करें, वरना मस्जिद के फ़र्श से अलाहिदा (ख़ारिजे मस्जिद) जा कर वुज़ूर करें, गरज़ वुज़ू का मुस्तामल पानी मस्जिद के फ़र्श पर डालना मना है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–137 व किता–बुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–461)

मस्जिद तामीर होने के बाद वुज़ू की जगह बनाना?

सवालः एक मस्जिद में सेहन के अन्दर वुज़ू करने की कोई जगह नहीं थी, एक अरसा दराज़ के बाद जिन साहब ने मस्जिद तामीर कराई थी (बानिसये मस्जिद) ऐन सेहन के अन्दर वुज़ू करने की जगह पुख़्ता बनवा दी है, इसका क्या हुक्म है?

जवाबः जो जगह नमाज़ पढ़ने के लिए मुतअैयन कर के वक़्फ़ कर दी गई वहां वुज़ू की जगह पुख़्ता बनवाना

जिसकी वजह से उतनी जगह महबूस (रोक दी) हो जाए कि वहां नमाज़ न पढ़ी जा सके दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–257)

मस्जिद पर बोर्ड लगा कर किराया वुसूल करना?

सवालः मस्जिद आम शाहराह पर है, उसके ऊपर बोर्ड बग़रज़े इश्तिहार लगाए गए हैं, जिनसे कुछ आमदनी में इज़ाफ़ा हो जाता है, न मालूम मुतवल्ली आइंदा किस किस क़िस्म का बोर्ड लगवा कर मस्जिद की बेहुरमती करेंगे?

जवाबः मस्जिद की ज़रूरीयात पूरी करने के लिए दूकानें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन खुद मस्जिद को किराया पर चलाना और उससे रुपये कमाना जाइज़ नहीं, और जो कुछ वजूहे एतेराज़ पेश की हैं वह भी अहम हैं। उनको नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए मस्जिद के मुन्तज़िमीन साहब को चाहिए कि वह हरगिज़ ऐसा मआमला न करें। अगर बोर्ड बग़रज़े इश्तिहार लगा दिया गया है तो उसको उतार कर मआमला ख़त्म कर दें, ख़ास कर ऐसी हालत में जब कि मस्जिद की ज़रूरीयात पूरी करने के लिए वहां के अह्ले हिम्मत आमादा और ख़्वास्तगार हैं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–172 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–9 सफ़्हा–25 व. दुर्रेमुख़्तार जिल्द–3 सफ़्हा–12)

मख़्लूत माल से बनाई हुई मस्जिद का हुक्म?

सवालः जब हमारे मुहल्ला की पुरानी बोसीदा मस्जिद को शहीद कर के नई बनाने का मस्अला दरपेश हुआ तो क़रीब व दूर से चंदा की तीस तीस हज़ार की दो रुकूम

हासिल हुईं जिनको बैंक में पांच पांच साल के लिए फ़िक्सड डिपाज़िट में जमा करा दिया गया। मुहल्ला वालों के इसरार पर काम जल्द शुरू करने की वजह से रक़म मीआद से पहले निकाली गई जिसकी वजह से सिर्फ़ मबलिग़ पन्द्रह हज़ार रुपये बैंक से सूद मिला। इस तरह मबलिग़ पचहत्तर हज़ार रुपये से तामीरी काम शुरू करा दिया गया। मुहल्ला वालों के एतेराज़ के बाद भी सूद का रुपया अलग नहीं किया गया, और सब रुपया तामीर में लग गया।

इस तरह सूद के पन्द्रह हज़ार रुपये मस्जिद की तामीर में लग गए। इस वजह से चंद लोगों ने नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया है, इसके लिए शरअ़ी मस्अला व अहकामात से मुत्तला फ़रमाने की ज़हमत गवारा फ़रमाएं। फ़क़त

जवाबः 1068 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलजवाबः हुवल मुवफ़्फ़िक़। बैंक वाले सूद का शरअ़न ये हुक्म था कि वह रक़म बिला नीयते सवाब मुहताज व नादार मुसलमानों को दे दी जाती "لان سبيل الكسب الخبيث التصدق الخ (ردالمحتار)" इस रक़म का मस्जिद में लगाना दुरुस्त नहीं था, "لان الطيب لا يقبل الا الطيب." अब भूल या ना समझी की वजह से जब लगाई जा चुकी है तो अब उसकी तलाफ़ी की सूरत यही है कि मस्जिद के नाम पर पन्द्रह हज़ार रुपया चंदा कर के ख़बीस लगाई गई रक़म के बदले मुहताज मुसलमानों में तक़्सीम कर दी जाए, इस तरह मस्जिद अपनी जगह बाक़ी रहेगी और उसमें नमाज़ अदा करना बिला कराहत दुरुस्त होगा। मस्जिद को कोई नुक़्सान पहुंचाना या उसमें नमाज़ बंद करना दुरुस्त न होगा।

❑❖❑

मस्अलाः– हराम रुपये से कोई चीज़ ख़रीदने में तफ़्सील है, बाज़ सूरतों में बैअ़ बिल्कुल नाजाइज़ है और उस चीज़ में हुरमत आ जाती है, और बाज़ सूरतों में उस चीज़ में हुरमत नहीं आती और बैअ़ दुरुस्त होती है।

अगर हराम रुपये को पहले मुतअ़ैयन कर के और उसकी जानिब इशारा कर के उसके एवज़ ज़मीन वग़ैरा ख़रीदी और मस्जिद वग़ैरा बनवाई है तब तो वह ज़मीन उसकी मिल्क में नहीं आई और वह मस्जिद मस्जिद ही नहीं हुई और अगर बिला तअ़ैयुन व इशारा के ज़मीन ख़रीदी है और फिर वह हराम रुपया क़ीमत में अदा कर दिया या किसी दूसरे हलाल रुपया को मुतअ़ैयन कर के ज़मीन वग़ैर ख़रीदी लेकिन क़ीमत में हराम रुपया अदा किया या हराम रुपया मुतअ़ैयन कर के ख़रीदी लेकिन फिर क़ीमत में कोई हलाल रुपया दे दिया तो इन सब सूरतों में बैअ़ दुरुस्त होगी और फिर बाक़ाएदा उसको वक़्फ़ कर दिया है तो वह मस्जिद हो गई, उसमें नमाज़ दुरुस्त है। पहली सूरत में जब कि बैअ़ दुरुस्त नहीं हुई तब भी उसके साथ ऐसा मआमला करना जोकि मस्जिद के एहतेराम के ख़िलाफ़ है, जाइज़ नहीं, अलबत्ता वहां पर नमाज़ मकरूह है और तावक़्ते कि पूरी तहक़ीक़ न हो उसको मस्जिद ही कहा जाएगा। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–170 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–5 सफ़्हा–142)

यक्जा एक सौ तीस मसाइल

मस्अलाः– सरकारी टंकी से मस्जिद में पानी लेना अगर ख़िलाफ़े क़ानून न हो, बल्कि मियूँस्पल्टी की तरफ़ से इजाज़त हो तो जाइज़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–188)

मस्अलाः– मस्जिद में तिलावत बुलंद आवाज़ से करना जब कि नमाज़ियों को मुश्किल हो जाइज़ नहीं है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–457)

मस्अलाः– मस्जिद में अपना घरेलू सामान न रखें कि ये एतेराज़ की चीज़ है; अगर मस्जिद में सेहदरी, वुज़ू ख़ाना वग़ैरा हो तो वहां रखें (यानी ख़ारिजे मस्जिद) मस्जिद में ऐसी किताबें जिनसे नमाज़ी फ़ाएदा उठाऐं मस्जिद में रख लें तो हरज नहीं।

मस्अलाः– मस्जिद में दीनी किताबें पढ़ना, दीनी मालूमात के लिए ख़त लिखना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–198)

मस्अलाः– मुसाफ़िर के लिए मस्जिद की चटाई लेटने के लिए इस्तेमाल करना फ़तावा की रू से दुरुस्त है और तक़्वा की रू से एहतियात औला है, हराम नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–479)

मस्अलाः– मस्जिद की किताब को मकान पर रख कर मुतालआ करना इमाम का (जब दुरुस्त है कि) चंदा देने वालों को इत्तिला कर दे कि मैंने आपके पैसों से कितबें ख़रीदी हैं, मैं उनका मकान पर रख कर मुतालआ करता हूं। उनको एतेराज़ न हो तो बस काफ़ी है, अगर चंदा देने वालों ने इमाम को पैसों का मालिक बना दिया था तो फिर किसी क़िस्म का भी एतेराज़ नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–198)

मस्अलाः– मस्जिद के किसी हिस्सा को अपनी ज़ाती ज़रूरत व फ़ाएदा के लिए मख़्सूस कर लेना जाइज़ नहीं

है, यहां तक कि नमाज़ के लिए भी अपनी जगह मख़्सूस करने का हक़ नहीं कि वहां किसी को खड़ा होने से और नमाज़ पढ़ने से रोके।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–166)

मस्अला:– मस्दिज की मौक़ूफ़ा ज़मीन अगर काश्त के लिए या किराया पर दी जा सकती हो तो काश्त कर के या किराया पर देकर उसकी आमदनी मस्जिद की ज़रूरीयात में सर्फ़ की जाए, वरना उस ज़मीन में दरख़्त लगा कर फल फ़रोख़्त कर के मस्जिद में सर्फ़ करें।

मस्अला:– जो जगह नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई हो, वहां इमाम या किसी और के लिए कमरा बनाना दुरुस्त नहीं (यानी दाख़िले मस्जिद में)

मस्अला:– जो ज़मीन मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दी गई वहां दूसरी मस्जिद बनाने का हक़ नहीं, न उसको दूसरी मस्जिद के लिए फ़रोख़्त किया जा सकता है, न उसका रुपया लिया जा सकता है। हां अगर ख़ुदा न ख़्वास्ता पहली मस्जिद वीरान हो जाए, वहां पर मुसलमान बाक़ी न रहें, और जहां ज़मीन है वहां मुसलमान मौजूद हों और उनको मस्जिद की ज़रूरत हो तो उस ज़मीन पर दूसरी मस्जिद बना लेना दुरुस्त है और वहां नमाज़ दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–176)

मस्अला:– दाख़िले मस्जिद में थूकना और रेन्ट निकालना यानी नाक साफ़ करना हराम है, इसलिए थूक, रेन्ट और बलग़म से मस्जिद का पाक रखना वाजिब है, ख़्वाह फ़र्श पर हो या दीवार पर, और ख़्वाह चटाई के ऊपर हो या नीचे। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको साफ़ करना

वाजिब है, और इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि मस्जिद का फ़र्श मिट्टी का हो या पत्थर वग़ैरा का, या उस पर फ़र्श वग़ैरा बिछा हो। (किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–458)

मस्अलाः– नाक छींक कर मस्जिद की दीवार से उंगली साफ़ करना ख़िलाफ़े तहज़ीब है और दूसरों के लिए बाइसे अज़ीयत और मस्जिद से बेएतेनाई है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–206)

मस्अलाः– मस्जिद में कंघी करना दुरुस्त है, जब कि बाल न गिरे। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़्हा–481)

मस्अलाः– मस्जिद के पास जब रक़म निसाब के बराबर हो तो उसमें ज़कात लाज़िम नहीं, नीज़ कोई नाजाइज़ आमदनी का मस्जिद या मदरसा में ख़र्च करना दुरुस्त नहीं, ऐसी आमदनी का सदक़ा करना ज़रूरी है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–14 सफ़्हा–142)

मस्अलाः– मस्जिद का पैसा जो दूकानों के किराया और शादी के मौक़ा पर हासिल होता है उससे इमाम साहब की तन्ख़्वाह देना और मस्जिद के हम्माम व ग़ुस्ल ख़ाना में सर्फ़ करना शरअन दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–14 सफ़्हा–221)

मस्अलाः– मस्जिद में कोई चीज़ दस्तयाब हुई, मस्जिद में इस क़दर ऐलान कर दिया गया कि अब मालिक के मिलने की तवक़्क़ो नहीं रही, तो उसको ऐसे ग़रीब को दे दें जो मुस्तहिक़्क़े ज़कात हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–155)

मस्अलाः– मस्जिद की चटाई (सफ़ वग़ैरा) जिस पर नमाज़ अदा की जाती है, हाथ से खोलनी चाहिए, पैरों से

ठोकर मार कर खोलना बेअदबी है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–165)

मस्अलाः– नापाक हाइज़ा का फ़र्शे मस्जिद, अन्दरूने मस्जिद दाख़िल होना जाइज़ नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–158 व शामी जिल्द–1 सफ़्हा–441)

मस्अलाः– मस्जिद की तौहीन करना, मज़ाक़ उड़ाना, उसको गाली देना बहुत ख़तरनाक है। इससे ईमान सलामत नहीं रहता, ऐसे शख़्स को तौबा लाज़िम है। आइंदा हरगिज़ इस क़िस्म का कोई लफ़्ज़ न कहे जिससे मस्जिद की तौहीन होती हो। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–469)

मस्अलाः– अगर तालाब दस हाथ लम्बा और दस हाथ चौड़ा हो तो वह नापाक नहीं, उसकी गीली मिट्टी नापाक नहीं, उससे मस्जिद को भी लीपा जा सकता है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–216)

मस्अलाः– मस्जिद की दीवार पर तयम्मुम करना मकरूह है, लेकिन अगर कर लिया तो दुरुस्त हो जाएगा, बशर्तेकि जिस चूना या मिट्टी से मस्जिद की लिपाई की गई है वह चूना या मिट्टी पाक हो, उसमें नापाकी मिली हुई न हो।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–440)

मस्अलाः– दाख़िले मस्जिद में नसवार सूंघना और तम्बाकू खाना ख़िलाफ़े औला है, जोकि कराहते तंज़ीही से ख़ाली नहीं। (इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–462 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–107)

मस्अलाः– लोगों की कसरत की वजह से ख़ारिजे मस्जिद में इमाम की इक़्तिदा में नमाज़ अदा करें तो

उनको मस्जिद का सवाब मिलेगा, जब कि सुफ़ूफ़ मिली हुई हों। (इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–457)

मस्अला:– मस्जिद में नमाज़ियों के लिए पानी का इंतिज़ाम करने में कोई हरज नहीं है।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–452)

मस्अला:– मस्जिद में हवा के लिए जंगले खोलना जाइज़ है, मगर कनीसा व गिरजा घर की तर्ज़ पर न हों बल्कि मस्जिदों की तर्ज़ पर हों।

(इम्दादुलअहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–452)

मस्अला:– अगर कोई शख़्स जमाअ़त में शरीक होने की नीयत से मस्जिद में आए और इत्तिफ़ाक़ से उसको जमाअ़त न मिल सके तो अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल व करम से उसको जमाअ़त में शरीक होने वालों के बराबर सवाब इनायत फ़रमाता है, लेकिन शर्त ये है कि वह क़स्दन देर कर के जमाअ़त में शरीक होने से न रह जाए। (मज़ाहिरे हक़ जिल्द–2 सफ़्हा–104 हदीस न0–10)

मस्अला:– जिस मस्जिद में जमाअ़त का इंतिज़ाम हो और नमाज़ का वक़्त मुतअ़ैयन हो और इमाम भी मुक़र्रर हो उसमें जमाअ़ते सानिया मकरूह है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–106)

मस्अला:– बाबे इक़्तिदा में ईदगाह और नमाज़े जनाज़ा की जगह का हुक्म मस्जिद का सा है।

(आलमगीरी जिल्द– सफ़्हा–70)

मस्अला:– किसी एहाता में ऐसी मस्जिद है कि दरवाज़ा बंद कर लेने के बाद भी घर वालों से उसमें जमाअ़त हो जाती है तो ये मस्जिद, मस्जिदे जमाअ़त के हुक्म में है,

अलबत्ता अगर ये शक्ल है कि एहाता के दरवाज़ा के बंद होने के बाद जमाअत नहीं होती है गो अवाम को वहां नमाज़ की इजाज़त हो और दरवाज़ा खुले रहने पर जमाअत भी हो जाया करती है तो भी ये मस्जिद के हुक्म में नहीं है। (आलमगीरी जिल्द–1 सफ़हा–70)

मस्अला:– इमाम नीचे हो और उसकी छत पर मुक़्तदी हों तो ये जाइज़ है, बशर्तेकि मुक़्तदी इमाम से आगे न हो, इमाम का आगे होना ज़रूरी है।

(दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़हा–614)

मस्अला:– मुहल्ला की मस्जिद में जब कोई मुअज़्ज़िन न हो तो नमाज़ी को अज़ान पुकारना चाहिए और नमाज़ पढ़ना चाहिए, गो वह तन्हा हो, क्योंकि उस पर मस्जिद का हक़ है। (गायतुलऔतार जिल्द–1 सफ़हा–303)

मस्अला:– मुहल्ला में चंद मस्जिदें हों तो क़दीम तर में नमाज़ पढ़नी चाहिए, अगर फ़ासिला बराबर हो, वरना क़रीब तर में। (ऐज़न)

मस्अला:– ईदगाह, जनाज़ा गाह की ताज़ीम व तकरीम मस्जिद जैसी करनी चाहिए, पाख़ाना, पेशाब और वती से बचाना चाहिए। (तहतावी अलद्दुर्र जिल्द–1 सफ़हा–439)

मस्अला:– मुसीबत की वजह से मस्जिद में बैठना मकरूह है, ऐसे ही मस्जिद की छत पर भी।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़हा–619)

मस्अला:– अज़ान होने के बाद मस्जिद से निकलना मकरूह है, मगर ये कि वह दूसरी मस्जिद का इमाम व मुअज़्ज़िन या मुन्तज़िमन हो तो मुज़ाएका नहीं। कोई शख़्स फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ कर जमाअत के वक़्त मस्जिद में आया,

अगर इशा या ज़ुहर की जमाअत है तो नफ़्ल की नीयत से मिल जाए। (रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–619)

मस्अला:– फ़िनाए मस्जिद वह जगह है कि उसके और मस्जिद के दरमियान कोई रास्ता नहीं है। (ऐज़न)

इक़्तिदा के बाब में फ़िनाए मस्जिद का हुक्म मस्जिद जैसा है। (ऐज़न)

मस्अला:– शारेअ़े आम की मस्जिद जिसमें पाबंदी से जमाअत नहीं होती है मस्जिद ही के हुक्म में है मगर उसमें एतेकाफ़ जाइज़ नहीं है।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–619)

मस्अला:– फ़िनाए मस्जिद, ख़ानक़ाह, मस्जिदे मदरसा (मदरसा का जो कमरा नमाज़ के लिए मख़्सूस है) हौज़ के किनारे जो जगह नमाज़ के लिए मुतअ़ैयन है, बाज़ार में ज़ो चबूतरा नमाज़ पढ़ने के लिए है, ये तमाम मस्जिद के हुक्म में नहीं हैं, हाइज़ा वग़ैरा दाख़िल हो सकती हैं।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–615)

मस्अला:– मस्जिद में क़बीह अश्आर पढ़ना मकरूह है, मगर हम्दो नात और नसीहत आमेज़ अशआर की इजाज़त है, जब कि ज़ाकिर व नमाज़ी का हरज न हो।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–619)

मस्अला:– ज़िक्र बुलंद आवाज़ से मस्जिद में मकरूह है, मगर दर्से फ़िक़्ह दे सकता है, बशर्तेकि नमाज़ियों को ईज़ा न हो, यही हुक्म दर्से हदीस व तफ़सीर का है।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–618)

मस्अला:– बवक़्ते ज़रूरत ग़रीब और घर वाला भी मस्जिद में सो सकता है मगर इज्तिनाब मुस्तहसन है।

(आलमगीरी जिल्द–6 सफ़्हा–215)

मस्अलाः– दुनिया का जो भी काम हो मस्जिद में करना मकरूह है। (ऐज़न)

मस्अलाः– मूली, लहसुन और प्याज़ वग़ैरा बदबूदार चीज़ कच्ची खा कर बग़ैर मुंह की बू साफ़ किए मस्जिद में आना मकरूह है। (ऐज़न)

मस्अलाः– जिस शख़्स के कपड़े, बग़ल और जिस्म से बदबू आती हो और उससे दूसरों को अज़ीयत होती हो तो ऐसे शख़्स को दुख़ूले मस्जिद से रोका जा सकता है। (ऐज़न)

मस्अलाः– एक शख़्स ने वसीयत की कि ये रुपये फ़लां मस्जिद की तामीर में लगाए जाएं, तो अफ़ज़ल ये है कि जिसके लिए वसीयत की है उसी पर ख़र्च हो, लेकिन अगर दूसरी मस्जिद पर सर्फ़ कर दिया गया तो ये भी जाइज़ है। (फ़तावा अब्दुलहई जिल्द–3 सफ़्हा–103 बहवाला सिराजिया)

मस्अलाः– दाईमी सूद ख़ोर की बनाई हुई मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मकरूह है। (फ़तावा अब्दुलहई जिल्द–1 सफ़्हा–73)

मस्अलाः– कुफ़्फ़ार का माल जो किसी ने मक्र व फ़साद और चोरी से हासिल किया हो, उससे मस्जिद बनाना जाइज़ नहीं है। (ऐज़न)

मस्अलाः– मस्जिदे रुफ़्फ़ाज़ (राफ़िज़ी) में नमाज़ अदा करना दुरुस्त है। (फ़तावा अब्दुलहई जिल्द–1 सफ़्हा–95)

मस्अलाः– सिर्फ़ "आमीन" पुकार कर कहने वालों को मस्जिद से निकाल देना दुरुस्त नहीं।

(फ़तावा अब्दुलहई जिल्द–1 सफ़हा–72)

मस्अलाः– बनी हुई मस्जिद में सामान रखने के लिए कमरा बनाना जाइज़ नहीं है और न कोई मस्कन।

(फ़तावा अब्दुलहई जिल्द–1 सफ़हा–295)

मस्अलाः– इमाम मस्जिद में है, और उसकी इक़्तिदा मस्जिद से बाहर किसी छत वगैरा पर भी की जाए जो मस्जिद के पहलू में है और मस्जिद और उसकी छत के दरमियान कोई रास्ता नहीं है तो ये जाइज़ है।

(मब्सूत लिरसुरख़्सी जिल्द–1 सफ़हा–210)

मस्अलाः– अपने ज़ाती माल से मस्जिद की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ाना जाइज़ है, मगर ख़िलाफ़े औला है। (आलमगीरी जिल्द–6 सफ़हा–214)

मस्अलाः– अगर मौकूफ़ा घर से मस्जिद में दाख़िल होने का कोई रास्ता है, तो इमामे मस्जिद उस रास्ता से आ सकता है। (आलमगीरी जिल्द–6 सफ़हा–214)

मस्अलाः– मुअज़्ज़िन के लिए जाइज़ है कि मस्जिद के मौकूफ़ा कमरा में रहे। (ऐज़न)

मस्अलाः– मस्जिद से मुत्तसिल इमामे मस्जिद का कोई अपना मम्लूका घर है या किराया का, और वह ये चाहे कि उससे आने के लिए मस्जिद की दीवार में रास्ता खोले तो इसकी उसको इजाज़त है। (ऐज़न)

मस्अलाः– मस्जिद में दर्स व तदरीस जाइज है, अगरचे उसके बोरिये और उसकी चटाइयां इस्तेमाल में हों। (ऐज़न)

मस्अलाः– एक मस्जिद को अहले मुहल्ला ने (किसी शरअी मजबूरी की वजह से) दीवार दे कर दो कर दिया और हर एक के लिए अलग इमाम मुकर्रर कर दिया,

मगर मुअज़्ज़िन एक ही रखा तो इसमें कोई मुज़ाएका नहीं लेकिन औला ये है कि मुअज़्ज़िन भी दो हों, गो अह्ले मुहल्ला का ये फ़ेल (एक मस्जिद की दो) बुरा है।

(ऐज़न जिल्द–6 सफ़्हा–215)

मस्अलाः– जमाअ़त बढ़ाने के लिए अह्ले मुहल्ला को इख़्तियार है कि दो मुस्तक़िल मस्जिदों को एक कर दें।

(ऐज़न)

मस्अलाः– दो मस्जिदों को एक करना तज़कीर व तदरीस के लिए जाइज़ नहीं है, गो ये काम मस्जिद में जाइज़ हैं। (आलमगीरी जिल्द–6 सफ़्हा–215)

मस्अलाः– इख़राजे रीह मस्जिद में न हो, ख़ुरूजे रीह के वक़्त अदब ये है कि मस्जिद से निकल जाए। (ऐज़न)

मस्अलाः– बेवुज़ू मस्जिद में दाख़िल होना जाइज़ है।

(आलमगीरी जिल्द–6 सफ़्हा–215)

मस्अलाः– दाख़िले मेहराब का हुक्म मस्जिद का है।

(ऐज़न)

मस्अलाः– कोई आ रहा था रास्ता में उसको सख़्त सर्दी लग गई जिससे हलाकत का अंदेशा हो गया वह मस्जिद में चला आया और महसूस किया कि आग जला कर गर्मी हासिल न की गई तो जान या उज़्व का ख़तरा है तो ऐसी हालत में वह मस्जिद की लकड़ी जला सकता है, किसी दूसरे की हो तो उसे भी जला सकता है, दोनों की मौजूदगी में मस्जिद की लकड़ी जलाना अच्छा है। (ऐज़न)

मस्अलाः– फ़ितन–ए आम्मा के ख़तरा से ग़ल्ला और घर के दूसरे सामान का मस्जिद में बंद करना जाइज़ है।

(ऐज़न)

मस्अला:— मस्जिद में बैठ कर तावीज़ बेचना जिसमें तौरेत, इन्जील या कुरआन पाक की आयतें लिखी हों जाइज़ नहीं है। (ऐज़न)

मस्अला:— किसी ने मस्जिद से गुज़रने की नीयत की, और दाख़िल हो कर वस्त में पहुंच गया, फिर उसने नदामत मसहूस की तो उसको चाहिए कि दो रकअ़त नमाज़ पढ़े फिर निकले, अगर नापाक था तो फ़ौरन निकल आए। (ऐज़न)

मस्अला:— मस्जिद में तंगी पैदा हो जाए तो लोगों को सिमट कर बैठने के लिए कहना और उनका सिमट कर बैठना जाइज़ है। (ऐज़न)

मस्अला:— सख़्त गर्मी की वजह से मस्जिद की छत पर जमाअ़त पढ़ना मकरूह है, अलबत्ता नीचे गुंजाइश बाक़ी न रहे तो छत पर जा कर इक़्तिदा कर सकता है। (ऐज़न)

मस्अला:— वक़्फ़ की आमदनी से अज़ान के लिए मीनार उस वक़्त बनाना जाइज़ है जब ऐसा करना ज़रूरी हो मसलन ये कि अह्ले मुहल्ला को आवाज़ न पहुंचती हो, वरना जाइज़ नहीं। (ऐज़न)

मस्अला:— तालिबे इल्म अपनी किताबों में मस्जिद की घास ले कर निशान लगाए तो ये मआ़फ़ है।

(आलमगीरी जिल्द–6 सफ़्हा–216)

मस्अला:— तामीरे मस्जिद के लिए जमा शुदा रुपये में से अगर किसी ने अदा करने की उम्मीद पर अपने काम में ख़र्च कर दिया जो उसको न करना चाहिए था, अब उसको चाहिए कि अपने किसी साथी को ख़बर कर के जो जानता था अदा कर दे, और अगर ख़ामोशी से उसने

मस्जिद का माल अपने काम में ख़र्च किया था तो क़ाज़ी को इत्तिला दे कर अदा करे और क़ाज़ी न हो तो यूं भी अदा करे तो فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ बरीयुज़्ज़िम्मा हो जाएगा।

(बह्रुर्राइक़ जिल्द–5 सफ़्हा–251)

मस्अलाः– बनी हुई मस्जिद तोड़ कर मज़बूत व मुस्तहकम बनाना अह्ले मुहल्ला के लिए उस वक़्त जाइज़ है जब बानिये मस्जिद अह्ले मुहल्ला में से हो, वरना नहीं। (बह्रुर्राइक़ जिल्द–5 सफ़्हा–251)

मस्अलाः– मस्जिद के औक़ाफ़ से मदरसा में ख़र्च करना दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा अब्दुलहई जिल्द–2 सफ़्हा–136)

मस्अलाः– इमाम व मुअज़्ज़िन की तक़र्रुरी व इंतिख़ाब में अगर बानिये मस्जिद और अह्ले मुहल्ला में इख़्तिलाफ़ हो जाए तो अगर अह्ले मुहल्ला का मुन्तख़ब कर्दा इमाम व मुअज़्ज़िन बानिये मस्जिद के मुन्तख़ब कर्दा इमाम व मुअज़्ज़िन से बेहतर हो तो उसी को चुना जाएगा, क्योंकि अह्ले मुहल्ला ही को इमाम व मुअज़्ज़िन का नफ़ा व ज़रर है। (कबीरी सफ़्हा–57)

मस्अलाः– मस्जिद के लिए तेल और चटाई दोनों के ख़रीदने का सवाब बराबर है, हां उनमें जिसकी मस्जिद की ज़्यादा ज़रूरत है उसका ख़रीदना ज़्यादा अच्छा है।

(ऐज़न)

मस्अलाः– अपनी मस्जिद में जमाअ़त छूट गई, इसलिए जमाअ़त की उम्मीद पर दूसरी मस्जिद में गया, उसका ये फ़ेल अफ़ज़ल है, मगर मस्जिदे हराम, मस्जिद नबवी (स.अ.व.) और मस्जिद अक़सा बहरहाल ख़ुद अफ़ज़ल हैं (यानी उनको छोड़ कर दूसरी मस्जिद में न जाऐंगे)।

(कबीरी सफ़हा–569)

मस्अलाः– अपनी मस्जिद छोड़ कर जमाअ़त के लिए गया, मगर वहां भी जमाअ़त न मिली तो फिर अपनी ही मस्जिद अफ़ज़ल है। (ऐज़न)

मस्अलाः– मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी, मगर कोई दूसरा आदमी न आया कि जमाअ़त हो, ऐसी हालत में मुअज़्ज़िन जमाअ़त के लिए अपनी मस्जिद छोड़ कर दूसरी मस्जिद में न जाएगा, बल्कि तन्हा भी पढ़ना पड़े तो भी अपनी ही मस्जिद में वह नमाज़ अदा करे। (ऐज़न)

मस्अलाः– अज़ान हुई, नमाज़ी आए, मगर इमाम न आया तो उन्ही में से एक इमामत करेगा, ये इमाम के न आने की वजह से जमाअ़त के लिए दूसरी मस्जिद में नहीं जाऐंगे। (ऐज़न)

मस्अलाः– अपनी मस्जिद में किसी की तकबीरे ऊला या एक दो रकअ़त छूट जाए, और दूसरी मस्जिद में उसको उनके पा लेने की उम्मीद हो तो भी उनको इजाज़त नहीं है कि अपनी मस्जिद छोड़ कर दूसरी मस्जिद में जाऐं। अगर जमाअ़त का कुछ हिस्सा भी अपनी मस्जिद में मिल गया तो उसने फ़ज़ीलत पाली। (ऐज़न)

मस्अलाः– अपने मुहल्ला की मस्जिद का इमाम जब ज़ानी या सूद ख़ोर हो तो ऐसी हालत में अपनी मस्जिद छोड़ कर दूसरी मस्जिद में जा सकता है। या इसी तरह की कोई और नापसंदीदा आदत या ऐब उस इमाम में है तो भी दूसरी मस्जिद में जा सकता है। (या ऐब इमाम का ऐसा हो जो शरअ़न भी नागवारी का बाइस हो।)

(कबीरी सफ़हा–569)

मस्अलाः– हर तरह की बदबू से मस्जिद को महफ़ूज़ रखना वाजिब है। (ऐज़न)

मस्अलाः– अगर रफ़ए फ़साद के लिए ग़ैर मुक़ल्लिदीन ने दूसरी मस्जिद बनवाली तो तोड़ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये मस्जिदे ज़िरार के हुक्म में नहीं है, हां अगर मक़्सूद तफ़रीक़ व फ़साद हो तो वह ज़िरार के हुक्म में होगी।

(फ़तावा अब्दुलहई जिल्द–2 सफ़्हा–59)

मस्अलाः– ताड़ी पी कर मस्जिद जाना, गो नशा न हो मम्नूअ़ है और ऐसे शख़्स को मस्जिद से निकलवा देना दुरुस्त है। (फ़तावा अब्दुलहई जिल्द–2 सफ़्हा–176)

मस्अलाः– सफ़र से वापसी में मस्जिद में उतरे और दो रकअ़त नमाज़ पढ़े। (कबीरी सफ़्हा–410)

मस्अलाः– बानिये मस्जिद मरम्मत, इमारत, फ़र्श, चटाई, क़ंदील, अज़ान, इक़ामत और इमामत का ज़्यादा हक़दार है, ऐसे ही बानी की औलाद और उसका ख़ानदान, उसके मरने के बाद। (कबीरी सफ़्हा–571)

मस्अलाः– बानी को यह हक़ सलाहियत की शर्त के साथ है, वरना उसकी राय को दख़ल होगा।

(आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–70)

मस्अलाः– मस्जिद की दीवार या छत पर तयम्मुम जाइज़ है, मगर बेअदबी से ख़ाली नहीं।

(ऐज़ान जिल्द–3 सफ़्हा–134)

मस्अलाः– ज़कात का माल मस्जिद में लगाना दुरुस्त नहीं है। (आलमगीरी जिल्द–3 सफ़्हा–243)

मस्अलाः– मस्जिद का कोई हिस्सा न तो हुसूले आमदनी का ज़रीआ बनाया जा सकता है और न मस्कन।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–3 सफ़्हा–512)

मस्अला:– उजरत दे कर भी कोई चाहे कि मस्जिद की दीवार से फ़ाएदा उठाए तो ये जाइज़ नहीं है, ख़्वाह कोई भी फ़ाएदा उठाने वाला हो।

(ऐज़न जिल्द–1 सफ़्हा–513)

मस्अला:– मस्जिद की छत पर वती, पेशाब और पाख़ाना करना मकरूहे तहरीमी है।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–614)

मस्अला:– बग़ैर उज़्रे शरओ़ी मस्जिद को रास्ता बनाना मकरूहे तहरीमी है, अलबत्ता बवक़्ते मजबूरी व ज़रूरते शदीद गुज़रना जाइज़ है, मगर इसकी आदत क़रीब बफ़िस्क़ है। (ऐज़न)

मस्अला:– जिन मुसल्लों पर अल्लाह तआ़ला के नाम हों उनका बिछाना और इस्तेमाल करना मकरूहे तहरीमी है। (आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–70)

मस्अला:– मस्जिद में नजासत दाख़िल करना हराम है, ऐसे ही जिस शख़्स के बदन पर नजासत लगी हो उसका मस्जिद में दाख़िल होना हराम है।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–614)

मस्अला:– मस्जिद में जुनुबी (नापाक मर्द) हैज़ और निफ़ास वाली औरत का दाख़िल होना हराम है।

(आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–70)

मस्अला:– मस्जिद के अन्दर कुवाँ खोदना मना है, हां पहले से हो तो छोड़ दिया जाएगा। (मस्जिद से बाहर ज़रूरत के लिए खोदना चाहिए।)

(आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–70)

"मस्जिद के अन्दर का मतलब है वह जगह जो नमाज़ के लिए मख़्सूस होती है, जैसे मस्जिद का अन्दुरूनी हिस्सा और सेहन, मस्जिद के एहाता के अन्दर इनके अलवा जो जगह है वह भी बाहर का हिस्सा कहा जाता है।" (मुअल्लिफ़)

मस्अलाः— मस्जिद में नापाक मिट्टी लगाना और उस को नापाक मिट्टी से लीपना नाजाइज़ है।

(रद्दुलमुहतार जिल्द—1 सफ़हा—614)

मस्अलाः— मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त जाइज़ नहीं है। मोतकिफ़ को सिर्फ़ भाव करने की इजाज़त है मगर बैअ़ न हो। (ऐज़न) (अलामगीरी जिल्द—1 सफ़हा—70)

मस्अलाः— कोई शख़्स अगर मस्जिद में किसी ख़ास जगह आकर बैठता है, उस जगह दूसरा आकर बैठ गया तो उसको वह उठा नहीं सकता।

(रद्दुलमुहतार जिल्द—1 सफ़हा—230)

मस्अलाः— मस्जिद में बग़ैर तहारत दाख़िल होना मकरूह है। (बह्रुर्राइक़ जिल्द—5 सफ़हा—251)

मस्अलाः— मस्दिंज में फ़स्द लगवाना और इस तरह पेशाब करना कि पेशाब किसी बरतन में रखा जाए, तब भी जाइज़ नहीं है। (रद्दुलमुहतरी जिल्द—1 सफ़हा—614)

मस्अलाः— मस्जिद में जूता पहन कर दाख़िल होना जिससे तल्वीसे मस्जिद का अंदेशा हो जाइज़ नहीं है।

(सफ़हा—615 ऐज़न)

मस्अलाः— गंदे मछेरों का मस्जिद में दाख़िल होना मकरूह है, इसी तरह जुज़ाम वाले का। इनको दुख़ूले मस्जिद से रोकना भी जाइज़ है। (फ़तहुलबारी लि इब्न

हजर रह0 जिल्द–2 सफ़हा–234)

मस्अलाः– अबाबील या चमगादड़ अपनी बीटों (पाख़ाना) से जब मस्जिद को गंदा कर रही हों तो उनको बच्चों समेत निकाल फेंकना जाइज़ है।

(अलमगीरी जिल्द–6 सफ़हा–215)

मस्अलाः– पागल और बच्चा का मस्जिद में दाख़िल होना अगर तल्वीस का गुमान ग़ालिब हो तो हराम है वरना मकरूहे तंज़ीही है। (रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़हा–615)

मस्अलाः– मस्जिद को हर घिन वाली चीज़ से पाक व साफ़ रखना वाजिब है।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़हा–618)

मस्अलाः– मस्जिद में सिलाई करना मकरूह है, लेकिन अगर वह मस्जिद की निगरानी के लिए बैठा हो और उस सिलसिले में सिलाई भी करता हो तो कोई मुज़ाएक़ा नहीं। (अलामगीरी जिल्द–1 सफ़हा–70)

मस्अलाः– दीवार, फ़र्श और मस्जिद की चटाई पर थूकना या बलग़म डालना जाइज़ नहीं है।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़हा–618)

मस्अलाः– मस्जिद में नापाक गारे की अस्तरकारी मकरूह है। (रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़हा–614)

मस्अलाः– उजरत पर किताबत करने वाले कातिब के लिए मस्जिद में किताबत मकरूह है, हाँ बग़ैर उजरत या अपने लिए लिखे तो जाइज़ है।

(आलमगीरी जिल्द–1 सफ़हा–70)

मस्अलाः– मस्जिद की दीवारों और मेहराब पर लिखना कुरआन पाक की आयतों का मकरूहे तंज़ीही है क्योंकि

मस्जिद के मुन्हदिम होने की सूरत में तौहीन का अंदेशा है। (ऐज़न) कतबों या रुक्ओं का मस्जिद के दरवाज़े पर लटकाना या चिपकाना मकरूह है। (ऐज़न)

मस्अलाः— बवक़्ते ज़रूरत गोबर मिली हुई मिट्टी का लगाना जाइज़ है। (रद्दुलमुहतार, ऐज़न)

मस्अलाः— मस्जिद का सामान रखने के लिए मस्जिद के साथ हुजरा बनाना जाइज़ है।

(आलमगीरी जिल्द—1 सफ़हा—70)

मस्अलाः— जो मुअ़ल्लिम उजरत पर बच्चों को पढ़ाता हो और वह गर्मी या किसी और मजबूरी से मस्जिद में बैठे तो मकरूह नहीं है। (ऐज़न) और बाज़ लोगों ने कातिब की तरह मकरूह कहा है। (ऐज़न)

मस्अलाः— मस्जिद में नमाज़ के अलावा दूसरे दीनी काम के लिए बैठना जाइज़ है, लेकिन अगर इसकी वजह से कोई चीज़ ग़ायब होगी तो तावान देना होगा। (ऐज़न)

मस्अलाः— मस्जिद में किसी एक जगह को अपने लिए मख़्सूस कर लेना मकरूह है।

(रद्दुलमुहतार जिल्द—1 सफ़हा—620)

मस्अलाः— मस्जिद में कोई नमाज़ी कहीं बैठ जाए तो बग़ैर ज़रूरते शरई उसको छेड़ना और वहाँ से उठाना जाइज़ नहीं है। हाँ अगर आम नमाज़ियों को उससे तकलीफ़ हो तो उसे उठाया जा सकता है। (ऐज़न)

मस्अलाः— बसूरते तन्गी ग़ैर मुहल्ला वाले को मस्जिद में आने से रोका जा सकता है। किसी के बैठने से सफ में ख़लल हो तो नमाज़ियों को हक़ है कि उसे उठा दें।

(रद्दुलमुहतार जिल्द—1 सफ़हा—620)

मस्अलाः– अगर मस्जिद में तंगी हो जाए तो आम नमाज़ियों से चाहे वह ज़िक्र व शग़ल में मस्रूफ़ हों, सिमट कर बैठने की फ़हमाइश करना जाइज़ है।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–620)

मस्अलाः– मस्जिद में नमाज़ी की गर्दन फाँदना मकरूह है। (ऐज़न)

मस्अलाः– आज कल मस्जिद में पाक व साफ़ जूता पहनना भी बेअदबी है। (इज़न)

मस्अलाः– दुनिया की बातें मस्जिद में नेकियों को इस तरह चबा डालती हैं जैसे चौपाये घास को या जैसे आग लकड़ी को। (कश्शाफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–387)

मस्अलाः– दुनिया की बातों के लिए मस्जिद में बैठना जाइज़ नहीं है। (अलमगीरी जिल्द–6 सफ़्हा–215)

मस्अलाः– जो मस्जिद में चोरी का आदी हो जाए तो ज़रूरी है कि उसको सज़ा दी जाए और सख़्त सज़ा और साथ ही कैद में डाल दिया जाए यहाँ तक कि वह तौबा करे। (आलमगीरी जिल्द–3 सफ़्हा–107)

मस्जिद में इज़ाफ़ा कर के उसमें नमाज़े जनाज़ा

मस्अलाः– जो हिस्सा पहले से मस्जिद है, उसमें जमाअते सानिया और नमाज़े जनाज़ा मकरूह है, और जिस हिस्सा का मस्जिद में बाद में (नमाज़े जनाज़ा के लिए) इज़ाफ़ा हुआ है अगर मस्जिद में उस जगह का इज़ाफ़ा बनीयते मस्जिद किया गया है तब उस पर मस्जिद के अहकाम जारी करेंगे, यानी वहाँ पर नापाक का जाना मना होगा और जमाअते सानिया मकरूह होगी।

अगर बनीयते मस्जिद इज़ाफ़ा नहीं किया गया, बल्कि

इस ग़रज़ से वह हिस्सा बढ़ा दिया गया है कि ज़रूरत के वक़्त वहाँ बैठ कर बच्चे पढ़ लिया करेंगे या नमाज़ी ज़्यादा हो जाऐं तो वहां भी खड़े हो जाया करें, लेकिन वह हिस्सा, हिस्सए मस्जिद नहीं है तो उस पर मस्जिद के अहकाम ज़ारी न होंगे, वहाँ नापाक का जाना, जमाअते सानिया, नमाज़े जनाज़ा वग़ैरा सब चीज़ें दुरुस्त हैं, इसकी तहक़ीक़ कि उस हिस्सा का इज़ाफ़ा मस्जिद की नीयत से किया गया है या नहीं, वाक़िफ़ और बानी से की जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़हा–471)

मस्जिद में क़ब्रें शामिल करना?

मस्अलाः– क़ब्रों की ज़मीन मम्लूक है या वक़्फ़ है, और ये कि क़ब्रें नई हैं या पुरानी, कि मैय्यत बिल्कुल मिट्टी बन चुकी है। अगर ज़मीन मम्लूक है और क़ब्रें बहुत पुरानी हैं तो मालिक की इजाज़त से उसको मस्जिद में शामिल करना दुरुस्त है। और अगर क़ब्रें इतनी पुरानी नहीं तो मस्जिद में शामिल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस से क़ब्रों और मौता की तौहीन होती है, नीज़ मौता की तरफ़ सज्दा करना लाज़िम आएगा। और अगर ज़मीन वक़्फ़ है और क़ब्रें पुरानी नहीं तब भी शामिल करना जाइज़ नहीं है। और अगर क़ब्रें पुरानी हो चुकीं कि मैय्यत बिल्कुल मिट्टी बन गई, नीज़ वहाँ मुर्दों को दफ़्न नहीं किया जाता हो तो उसको मस्जिद में शामिल करना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–1 सफ़हा–489 व जिल्द–10 सफ़हा–173 बहवाला ज़ैलई जिल्द–1 सफ़हा–246 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़हा–84)

मस्अलाः– अगर वह ज़मीन जिस में क़ब्रें हैं किसी

की मम्लूक है तो मालिक की इजाज़त से उस जगह की क़ब्रें बराबर कर के मस्जिद में शामिल करना दुरुस्त है, और उन क़ब्रों की ईंटों को भी मालिक की इजाज़त से मस्जिद में सर्फ़ करना जाइज़ है, बशर्तेकि क़ब्रें इतनी पुरानी हों कि अब उनमें मैय्यत मौजूद न हो, बल्कि मिट्टी बन चुकी हो। और अगर वह जगह क़ब्रों के लिए वक़्फ़ हो तो उसको मस्जिद में शामिल करना दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–173)

मस्अलाः– मस्जिद के एहाता में, मस्जिद की वक़्फ़ ज़मीन में मैय्यत को दफ़नाना दुरुस्त नहीं है। जो ज़मीन मस्जिद के लिए वक़्फ़ हो, उस पर सिवाए मसालेहे मस्जिद के और कोई तसर्रुफ़ जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–93 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–108)

मस्जिद के रुपया से क़ब्रस्तान के लिए ज़मीन ख़रीदना

सवालः मस्जिद के क़रीब ज़मीन होने की वजह से क़ब्रस्तान की नीयत से मुतवल्ली साहब ने क़ब्रस्तान के लिए ख़रीद ली मस्जिद के रुपया से?

जवाबः उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए जितना रुपया मस्जिद का ख़र्च हुआ वह सब रुपया मुसलमान चंदा कर के मस्जिद को दे दें और उस ज़मीन को क़ब्रस्तान ही रखें। मस्जिद के रुपया से क़ब्रस्तान के लिए ज़मीन ख़रीदने का हक़ नहीं है, लिहाज़ा मस्जिद का रुपया वसूल होना ज़रूरी है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–257)

मस्जिद के अतराफ़ में मस्जिद से ऊँचा मकान बनाना?

सवालः मस्जिद के सामने क़िब्ला वाली दीवार के मुत्तसिल मस्जिद से ऊँचा मकान बना सकते हैं या नहीं? नीज़ बक़िया तीन जेहतों में मस्जिद से ऊँचा मकान बना सकते हैं या नहीं?

जवाबः मस्जिद के इर्द गिर्द मस्जिद की इमारत से ऊँचे मकानात बनाना जाइज़ है, इससे मस्जिद की बेहुरमती नहीं होती। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–241)

एहात-ए मस्जिद में वाक़ेअ़ क़ब्रस्तान में इमाम के लिए कमरा बनाना?

सवालः मस्जिद के एहाता में क़ब्रस्तान शामिल है, जो तक़रीबन तीस साल से दफ़्न के लिए बन्द है। क़ब्रस्तान की उस हद में इमाम साहब की रिहाइश के लिए एक कमरा बनाया गया है तो क्या ये दुरुस्त है?

जवाबः एहात–ए–मस्जिद में क़ब्रस्तान का ये कित्आ वक़्फ़ है, किसी का मम्लूक नहीं है, इस पर इमाम साहब की रिहाइश के लिए कमरा बनाना और उसमें गुस्ल ख़ाना व पेशाब ख़ाना बनाना क़तअ़न जाइज़ नहीं, उसके बनाने वाले और उसमें रहने वाले दोनों सख़्त गुनहगार होंगे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–248)

पुराने क़ब्रस्तान को मस्जिद बनाना?

मस्अलाः– अगर वह क़ब्रस्तान मम्लूका ज़मीन है और उसमें क़ब्रें इस क़दर पुरानी हैं कि मैय्यत उनमें बिल्कुल मिट्टी बन गई तो उन क़ब्रों को तोड़ कर ज़मीन हमवार कर देना, और वहाँ मस्जिद, मदरसा, दूकान सब कुछ

बनाना दुरुस्त है।

मैय्यत के मिट्टी बन जाने के बाद क़ब्र के अहकाम बदल जाते हैं, अगर मैय्यत मिट्टी नहीं बनी तो वहाँ मस्जिद वग़ैरा बनाना और क़ब्र को तोड़ना नाजाइज़ है। ऐसी हालत में क़ब्र का एहतेराम ज़रूरी है। क़ब्र को सामने कर के नमाज़ पढ़ना नाजाइज़ है, बल्कि उसके क़रीब भी नमाज़ पढ़ने से एहतियात चाहिए कि बाज़ सूरतों में कराहत ज़्यादा होती है, बाज़ में कम।

अगर वह क़ब्रस्तान पुराना वक़्फ़ है और अब वहाँ मुर्दे दफ़्न नहीं होते, दूसरा क़ब्रस्तान मौजूद है और क़ब्रस्तान को बेकार पड़े रहने से अन्देशा है कि उस पर दूसरे लोग ग़लत क़ब्ज़ा कर लेंगे और वहाँ मस्जिद बनाना मुनासिब है तो मुसलमानों के बाहम मश्वरा से मस्जिद बनाना दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–198 बहवाला तबयीनुलहक़ाइक़ जिल्द–1 सफ़्हा–246 व फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–212)

मस्अलाः– नमाज़ी के सामने अगर कोई क़ब्र आगे की तरफ़ यानी बजानिबे क़िब्ला नहीं है जो नमाज़ी के सामने वाक़े होती हो तो ऐसी मस्जिद (जगह) में नमाज़ पढ़ना बिला कराहत दुरुस्त है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–149 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–353 बाबुस्सलात)

मस्जिद की बोसीदा चटाई क़ब्र में रखना?

मस्अलाः– क़ब्र में मैय्यत के नीचे चटाई बिछाना मकरूह है। मस्जिद में अगर किसी ने चटाई ला कर बिछा दी और अब वह बोसीदा हो गई और मस्जिद में इस्तेमाल के

क़ाबिल न रही तो बिछाने वाले अस्ल मालिक को इख़्तियार है कि जो चाहे करे। अगर मस्जिद के पैसे से ख़रीदी गई तो उसको मस्जिद के किसी काम में या फ़रोख़्त कर के उसका पैसा मस्जिद में ख़र्च कर दें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–14 सफ़्हा–285)

क़ब्रस्तान की ख़ाली ज़मीन की आमदनी मस्जिद में?

सवालः चंद आदमियों ने मिल कर कुछ ज़मीन क़ब्रस्तान के नाम पर दे दी है, अब उस ज़मीन के कुछ हिस्सा में तो क़ब्रें हैं और कुछ ख़ाली है। तो जो हिस्सा ख़ाली है, उसमें काश्त कर के उसकी आमदनी मस्जिद में लगा सकते हैं या नहीं?

जवाबः क़ब्रस्तान के लिए ज़मीन देते वक़्त अगर ये कह देते कि इसकी ख़ाली ज़मीन की पैदावार मस्जिद में दी जाए, तब तो इजाज़त हो जाती, मगर उस वक़्त उन्होंने ऐसा नहीं किया, अब उसकी इजाज़त नहीं, बल्कि उसकी पैदावार क़ब्रस्तान ही पर सर्फ़ की जाए। लेकिन अगर वहां ज़रूरत नहीं और कोई क़ब्रस्तान भी हाजत मंद नहीं, और आमदनी के रुपये का तहफ़्फ़ुज़ दुश्वार है तो फिर सब के मश्वरा से मस्जिद में सर्फ़ कर सकते हैं। इसका भी लिहाज़ रहे कि उस ख़ाली जगह में खेती करने से कहीं दूसरों के क़ब्ज़ा में आ कर वक़्फ़ ही ख़त्म न हो जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–212)

मस्अलाः– अगर वह जगह (क़ब्रस्तान) मस्जिद की है और क़ब्रें इतनी पूरानी हैं कि मैय्यत उनमें बाक़ी नहीं बल्कि मिट्टी बन चुकी है तो बाहमी मश्वरा से वहाँ पर

दुकानें तामीर करा कर, किराया पर देना और वह किराया ज़रूरीयाते मस्जिद, तामीर, तन्ख़्वाह इमाम व मुअज़्ज़िन में सर्फ़ करना दुरुस्त है। जब क़ब्र पुरानी हो जाए और मैय्यत मिट्टी बन जाए तो क़ब्र का हुक्म बाक़ी नहीं रहता।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–195)

ग़ैरआबाद मस्जिद में मैय्यत दफ़्न करना?

मस्अला:– अगर मस्जिद फ़िलहाल वीरान है यानी उसमें नमाज़ नहीं होती, ताहम उससे उसकी मस्जिदीयत में फ़र्क़ नहीं आता, उसकी मस्जिदीयत हमेशा बरक़रार रहेगी, इसलिए उसमें मुर्दों को दफ़्न करना नाजाइज़ है क्योंकि ये ग़रज़ बानी व वाक़िफ़ व एहतेरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर अदमे वाक़िफ़ीयत की बिना पर किसी को मस्जिद में दफ़्न कर दिया गया है तो उसको क़ब्र खोद कर निकलवाने की ज़रूरत नहीं कि इससे मैय्यत की तौहीन है और नब्शे क़ब्र बिल हक़ आदमी के नाजाइज़ है। और यहां पर किसी का हक़्क़े ख़िदमत नहीं होता। वाक़िफ़ का इसलिए नहीं कि उसकी मिलकियत नहीं रही, आम मुसलमानों का इसलिए नहीं कि वह उसमें नमाज़ नहीं पढ़ते, ग़ैर आबाद है। लिहाज़ा आइंदा के लिए मस्जिद की हिफ़ाज़त कर दी जाए कि कोई और मैय्यत दफ़्न न हो, और दफ़्न शुदा मैय्यत को न निकाला जाए कि चंद रोज़ में क़ब्र ख़ुद ज़मीन के बराबर हो जाएगी और मैय्यत के पुराना होने पर क़ब्र को ज़मीन के हमवार करना और उस पर चलना और नमाज़ पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा।

अगर इससे पहले वह मस्जिद आबाद हो जाए तो

क़ब्र पर खड़े हो कर या उसकी जानिब रुख़ कर के नमाज़ न पढ़ें, अगर गुंजाइश न हो और जगह की तंगी हो तो फिर क़ब्र को हमवार कर दिया जाए कि इस सूरत में नमाज़ियों का जिनके लिए मस्जिद वक़्फ़ है, हक़ फ़ौत होता है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–176 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–602)

मस्अलाः– मस्जिद के मग़रिबी गोशे में दीवार के बाहर क़ब्रें हों तो इससे नमाज में कराहत न होगी, क्योंकि दीवार मग़रिबी मस्जिद की हायल काफ़ी है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–107 बहवाला गुनिया सफ़्हा–350)

दाख़िले मस्जिद में मुर्दे दफ़्न करना?

मस्अलाः– मस्जिद जिस जगह क़रार पाई जाती है उसके बाद उस में किसी क़िस्म का तसर्रुफ़ शरअ़न दुरुस्त नहीं होता है और जब नमाज़े जनाज़ा का हुक्म भी यह है कि वह ख़ारिजे मस्जिद अदा की जाती है तो मस्जिद में तदफ़ीन शरअन कैसे दुरुस्त हो सकती है। यानी दाख़िले मस्जिद तदफ़ीन दुरुस्त नहीं है।

(निज़ामुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–304 बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–376 किताबुलवक़्फ़)

दरबारे इलाही के आदाब

अब तक ख़ान–ए–ख़ुदा से मुतअ़ल्लिक़ जो कुछ अ़र्ज़ किया गया, उससे ये अम्र बिल्कुल मुनक़्क़ह हो गया होगा कि इस दरबार की कुछ और ही ख़ुसूसियत है और इसका इम्तियाज़ी निशान बहुत ऊँचा है, तो जिस मुक़द्दस घर की शान व शौकत और वक़अ़त व इज़्ज़त का इन्दल्लाह

यह हाल हो, यक़ीनी तौर पर उसके आदाब भी उसी एतेबार से बुलन्द होंगे, और उनका बजा लाना भी उसी क़द्र ज़रूरी होगा।

दुनिया के मामूली दरबारों का हाल आप को मालूम है कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक़ उसके कुछ ख़ास आदाब होते हैं जिनकी बजा आवरी हर उस शख़्स पर लाज़िम होती है जो वहाँ आए, बादशाहे वक़्त और उसके हुक्काम के इजलास के क़वानीन मुंज़बित होते हैं। और उनकी ख़िलाफ़वर्ज़ी की हालत में सज़ाएँ मुतअ़य्यन होती हैं ख़्वाह वह जुर्माना की सज़ा हो या क़ैद व बन्द की।

दुनियावी हुक्काम के इजलासों के आदाब जिन्हें हम रात दिन अपनी अपनी ज़िन्दगी में बरतते हैं उनको सामने रख कर हमें ग़ौर करना चाहिए कि उस दरबार की इज़्ज़त व वक़अ़त का क्या हाल होगा जो इन्सानों का नहीं, बल्कि उनके ख़ालिक़ व मालिक का घर कहलाता है, जो अहकमुलहाकिमीन के रूबरू होने का मक़ाम है और जो उसी के आगे सज्दा करने के लिए मख़्सूस है।

क़ुरआन पाक में इस घर का तज़्किरा जिस उन्वान से किया गया है वह आप अपनी मिसाल है, उसकी रफ़अ़त और उलूवे मरतबा की बड़ी मद्ह सराई की गई है, उसकी सिफ़ात व पाकी की बार बार ताकीद ब्यान की गई है और उसके आदाब की तरफ़ नुमायाँ इशारे किए गए हैं, और रसूलुस्सक़लैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो निहायत तफ़सील के साथ एक एक चीज़ को बताया है। और साथ ही उन अहकाम की जो मस्जिद के बाब में आए हैं ख़िलाफ़वर्ज़ी पर वईदें सुनाई गई हैं।

मस्जिद की हाज़िरी रहमते इलाही का ज़रीआ है

एक दफ़ा आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि सात सख़्शों को अल्लाह तआला अपने साया में उस दिन पनाह देगा जिस दिन उसके साया के सिवा कोई और साया ही न होगा, उन सात में एक वह शख़्स होगा कि वह जब मस्जिद से निकलता है तो वापसी तक उसका ध्यान उसी तरफ़ लगा रहता है।

एक हदीस है कि जो शख़्स मस्जिद में दाख़िल हुआ, वह अल्लाह तआला की पनाह में है। रब्बुलइज़्ज़त उसे नुक़्सान, ख़ुस्रान वग़ैरा से महफ़ूज़ रखता है, एक रिवायत में है कि आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया जिस शख़्स को देखो कि मस्जिद से मुहब्बत करता है और उसकी ख़िदमत करता है, उसके मोमिन होने की शहादत दो।

(मिश्कात बाबुलमसाजिद)

हदीस में "तआहुद" का लफ़्ज़ आया है जिसके मअ़ना मस्जिद की निगहदाश्त व ख़बरगीरी करना, उसकी मुहाफ़ज़त व मरम्मत करना, झाडू देना, नमाज़ पढ़ना, इबादत में मशग़ूल रहना, ज़िक्र करना, उलूमे दीनी का दर्स देना है।

(फ़तावा अब्दुलहई जिल्द–3 सफ़्हा–41)

एक दफ़ा आप (स.अ.व.) ने मस्जिद जाने वालों के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाया कि वह रहमते इलाही में ग़ोता लगाने वाले हैं। एक दूसरी दहीस में हैं कि वह मुजाहिद फ़ीसबीलिल्लाह हैं। (कन्जुलउम्माल जिल्द–3 सफ़्हा–110)

एक बार आँहज़रत (स.अ.व.) ने उन लोगों को जो तारीकी में मस्जिद में हाज़िर होते हैं नूरे कामिल की

बशारत सुनाई।

بشّر المشائين فى الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. (رواه ترمذی)

"तारीकी में मस्जिद की तरफ़ जाने वालों को नूरे कामिल की बशारत दो जो क़यामत के दिन हासिल होगा।"

(मिश्कात शरीफ़ बाबुलमसाजिद)

मस्जिद की कुरबत

इस घर की बड़ाई का ये हाल है कि इसका फ़ैज़ व करम पड़ोस को भी नहीं महरूम करता, रहमत की छींटें उड़ कर उन पर भी पड़ती रहती हैं, जिससे उनका दर्जा भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। इरशादे नबवी (स.अ.व.) है:–

فضل الدار القريبة من المسجد على الشّاسعة كفضل الغازى على القاعد. (كنز العمال جلد: ۴ صفحه: ۱۳۸)

"मस्जिद से जो घर क़रीब हैं, उनकी फ़ज़ीलत दूर वाले घर पर ऐसी है जैसी ग़ाज़ी को घर बैठने वाले पर फ़ज़ीलत हासिल होती है।"

देखा आप ने कि पड़ोस का मरतबा भी कितना ऊँचा हो गया, ये क़रीब और आस पास के मकानात अपने दूसरे मकानात पर सबक़त ले गए, और ऐसा क्यों न हो, जहाँ रहमते इलाही की बारिश होती है, जो जलवागाहे खुदावन्दी है, और जिसको दुनिया की जन्नत कहा गया है, यक़ीनन उसका पड़ोस भी उससे कुछ न कुछ तो नफ़ा अन्दोज़ होगा ही।

मगर इसके साथ क़ुदरत का ये इन्साफ़ भी है कि जो मस्जिद से दूर रहते हैं उनको भी महरूम नहीं किया है, बल्कि उनको भी इस तरह यह हिस्सा अता किया है। आँहज़रत (स.अ.व.) का इरशाद है:–

ان اعظم الناس اجرًا فی الصلوٰۃ ابعد ھم الیھا ممشی فابعد ھم والذی یتظر الصلوٰۃ حتی یصلیھا مع الامام اعظم اجرًا من الذی یصلیھا ثم ینام.
(مسلم باب کثر الخطا الی المساجد و فضل المشی الیھا صفحہ: ۲۳۰)

"ज़्यादा अज्र उनके लिए है जो दूर दूर से चल कर आते हैं और जो मस्जिद में आ कर जमाअत से नमाज़ पढ़ते हैं वह तन्हा नमाज़ पढ़ कर सोने वाले से बेहतर हैं।"

इस हदीस में उन लोगों के लिए तसल्ली व तस्कीन का मवाद फ़राहम किया गया है जो मस्जिद से दूर बसते हैं। और पड़ोस की महरूमी का तदारुक उस सवाबे अज़ीम से किया गया है जो दूर से चल कर आने में होता है और उस चलने के सवाब की कसरत का यह हाल है कि कोई क़दम सवाब से ख़ाली नहीं है।

मस्जिद में आमद का सवाब

हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह (रज़ि0) का ब्यान है कि हमारा घर मस्जिद से दूरी पर था, एक मौक़ा पर मैंने इरादा कर लिया कि अपने घर बेच डालूँ और चल कर मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) के पड़ोस में (जिस हद तक मुम्किन हो) जा बसूँ, लेकिन आँहज़रत (स.अ.व.) ने मुझे इस इरादा से रोक दिया और फ़रमायाः–

انّ لکم بکل خطوۃ درجۃ.
(مسلم باب کثرۃ الخطا الی المساجد جلد: ۱ صفحہ: ۲۳۵)

"बेशक तुम्हारे लिए हर क़दम पर एक दर्जा है।"

हज़रत जाबिर (रज़ि0) का ब्यान है कि मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) के पड़ोस में कुछ जगह ख़ाली हुई, क़बीला बनू सलमा जो मस्जिद से दूरी पर आबाद था उसका इरादा हुआ कि पड़ोस में आ कर आबाद हो और पहली जगह

छोड़ दे, ये ख़बर जब आँहज़रत (स.अ.व.) को हुई तो आप (स.अ.व.) ने जब उनका ये इरादा देखा तो उन से कहा:–

یا بنی سلمة دیارکم تکتب اٰثارکم (مسلم باب کثرة الخطاالی المساجد و فضل المشی الیها جلد: ا صفحہ: ۲۳۵)

"ऐ बनी सलमा! अपने मकानों को लाज़िम पकड़ो, तुम्हारे निशाने क़दम लिखे जाऐंगे।"

इन दोनों हदीसों से मालूम होता है कि आप (स.अ.व.) ने उनको तरग़ीब दी कि जहाँ थे वहीं रहें, दूरी से न घबराऐं, ये दूरी भी बाइसे सवाब बनती है यानी वहाँ से चल कर जब मस्जिद आना होता है तो चलना ज़्यादा पड़ता है और इसी ऐतेबार से सवाब में इज़ाफ़ा होता है, क्योंकि यहाँ हर क़दम पर नेकी लिखी जाती है फिर ये भी एक पुरलुत्फ़ बात है कि आदमी जब घर से बावुज़ू मस्जिद के लिए निकलता है तो गोया वह नमाज़ ही में होता है इस तरह अज्र में कुछ और इज़ाफ़ा की तवक़्क़ो है। एक दफ़ा आप (स.अ.व.) ने फ़रमायाः–

الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرًا.

(ابو داؤد باب ماجاء فی فضل المشی الی الصلوٰة)

"मस्जिद से जो जिस क़दर दूर होता है और वह आता है उसको उतना ही सवाब मिलता है।"

एक दफ़ा रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़मराया: जब कोई पाक व साफ़ हो कर बावुज़ू किसी मस्जिद के लिए चलता है कि फ़रीज़ा अदा करे तो ऐसे शख़्स का एक क़दम गुनाह को मिटाता है और दूसरा दरजा की बुलन्दी का ज़रीआ होता है।

(मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–235)

मस्जिद में जाने का मसनून तरीक़ा

घर से जब चलने लगे तो पहले वुज़ू कर लिया जाए, क्योंकि सुन्नत तरीक़ा यही है, नबी करीम (स.अ.व.) ने जहाँ जमाअ़त की नमाज़ में सवाब की ज़्यादती का ज़िक्र फ़रमाया है वहाँ ये मुसर्रह है कि सवाब की ज़्यादती इस वजह से है कि वुज़ू किया और उसके बाद ख़ालिस नीयत से मस्जिद रवाना हुआ। और इन्ही आदाब के साथ चलने पर दर्जा की बुलन्दी और गुनाह की मआफ़ी की बशारत है। (बुख़ारी शरीफ़ः जिल्द–1 सफ़्हा–69)

ज़रूरत भी है कि दरबारे ख़ुदावन्दी के लिए पूरी तैयारी के साथ चलें, कपड़े भी साफ़ हों, बदन भी पाक हो और आज़ाए वुज़ू जो वहाँ जा कर नुमायाँ तौर पर मसरूफ़े मुनाजात और इज़हारे तज़लील में पेश पेश होंगे, साफ़ सुथरे और पाकीज़ा हों।

रवाना होते हुए एक नज़र अपनी ज़ाहिरी हैअत पर भी डाल ली जाए और ये यक़ीन करते हुए कि हम एक अ़ज़ीमुलमरतबत दरबार को जा रहे हैं, इतना अ़ज़ीमुल–मरतबत कि उसे दुनिया की जन्नत से ताबीर किया जाए तो मुबालग़ा नहीं। हदीस ऊपर गुज़र चुकी है कि जिसमें इन दरबारों को जन्नत का बाग़ कहा गया है, इसलिए जहाँ हर तरह की नजासते हक़ीक़ी और हुक्मी से पाक हो कर जाना ज़रूरी है, अदब ये भी है कि ज़ाहिरी हैअत उम्दा से उम्दा हो, ऐसी उम्दा जो शरीअ़त की नज़र में ख़िराजे तहसीन हासिल कर सके।

हत्तलमक़्दूर कपड़े पाक व साफ़ होने के साथ उम्दा

हों, कुर्ता की आस्तीन पूरी हो, अगर कुदरत ने वुस्अत अता की है तो खुशबू मल लें, ताकि पसीना वगैरा की बू बिल कुल्लिया जाती रहे और फरिश्तों को कोई अज़ीयत न पहुंचने पाए, इरशादे रब्बानी है:–

يَابَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. (اعراف: ٣)

"ऐ आदम की औलाद! तुम मस्जिद की हर हाज़िरी के वक़्त अपना लिबासे ज़ीनत पहन लिया करो।"

यानी जब अर्ज़ व नियाज़ के लिए, मुनाजात व सरगोशी के लिए दरबारे इलाही में आओ तो साफ़ सुथरा लिबास ज़ेबतन कर लिया करो जो पाक व साफ़ और शरई हुदूद के मुताबिक़ हो, तुम अहकमुलहाकिमीन के सामने उसके दरबार में हाज़िरी दे रहे हो तो ज़ाहिरी आदाब का भी पूरा पूरा लिहाज़ रखो, ताकि ज़ाहिरी तौर पर भी किसी को बेअदबी का शुब्हा न हो सके, ये दुरुस्त है कि वह पहले दिल की गहराई को देखता है मगर दिल की सफ़ाई का असर जिस्म पर भी होना ज़रूरी है। इसमें ज़र्रा भर शक नहीं कि दिल की वीरानी के साथ जो ज़ेब व ज़ीनत होती है वह किसी दर्जा में मतलूब नहीं, लेकिन मौजूदा दौर में दीन की रस्मी मुहब्बत की वजह से लिबास में जो बेपरवाही होती है वह भी किसी दर्जा में पसंदीदा नहीं है।

इस आयत से मस्जिद के लिए हुस्ने हैअत का हुक्म भी मुस्तफ़ाद होता है जो मस्जिद की बुज़ुर्गी व एहतेराम का एक दिल नशीन तरीक़ा है। तफ़सीर इब्ने कसीर में है, इस आयत से ये बात मालूम होती है कि नमाज़ के वक़्त हैअत अच्छी से अच्छी होनी चाहिए।

(इब्ने कसीर जिल्द–12 सफ़हा–210)

मस्जिद में वक़ार व इत्मीनान से आए

मस्जिद आते हुए ये ख़्याल रहे कि हम एक बड़ी इबादत के लिए बड़े घर की तरफ़ जा रहे हैं, इसलिए रफ़्तार में पूरा वक़ार, एतेदाल और सकीनत नुमायाँ हो, ऐसी रफ़्तार हरगिज़ न इख़्तियार की जाए जिस से देखने वाला हलकापन महसूस करे और आम नज़रों में मज़हका ख़ेज़ी की हद तक पहुंच जाए, साथ ही ये बात भी है कि नमाज़ का इरादा करना भी नमाज़ ही के हुक्म में है, लिहाज़ा रास्ता चलते हुए लह्व–व–लइब, हंसी मज़ाक़ और नाजाइज़ चीज़ों पर नज़र से परहेज़ किया जाए और यहाँ भी हत्तलवुस्अ नमाज़ के ख़िलाफ़ उमूर से पूरा इजतिनाब किया जाए। निगाह नीची, दिल में मुहब्बत व ख़शीयत और उम्मीद व बीम की कैफ़ियत तारी हो, चेहरा पर तवाज़ो और तज़लील के आसार हों, मगर ये सब किसी और के लिए हरगिज़ हरगिज़ न हो, महज़ रब्बुलआलमीन के लिए हो। इस सिलसिले में नबी करीम (स.अ.व.) का फ़रमान है:–

اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلوٰة و عليكم با لسكينه والوقار ولا تسرعوا. (باب ماادركتم فصلوا)

واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلوٰة فهو فى الصلوٰة.

(مسلم باب استحباب اتيان الصلوٰة)

"जब तुम इक़ामत सुनो तो नमाज़ के लिए इस तरह चलो कि तुम पर सकीनत व वक़ार तारी हो, और दौड़ो मत।

नमाज़ के लिए इस तरह आओ कि तुम पर वक़ार व

इत्मीनान हो, जो पा लो पढ़ लो, और जो छूट जाए उसे पूरा कर लो, जब तुम में का कोई नमाज़ का इरादा करता है तो वह हुक्मन नमाज़ ही में होता है।"

मस्जिद में पैदल आए

मस्जिद में पैदल चल कर आना चाहिए, बग़ैर उज़्रे शरई सवारी से आना अच्छा नहीं, ताकि हर क़दम का अज्र नामए आमाल में लिखा जाए, जैसा कि ऊपर ज़िक्र किया जा चुका है, आँहज़रत (स.ल.अ.) का दस्तूर भी यही मालूम होता है, फिर ये कि पैदल मस्जिद में आना बाइसे कफ़्फ़ार–ए–गुनाह है।

मस्जिद में पहले दायाँ पैर दाख़िल करे

रास्ता इस तरह तैय करें कि जब मस्जिद के दरवाज़ा पर पहंच ज़ाएँ तो ज़रा क़ल्ब व जिगर थाम लें कि अब बहुत ही बड़े दरबार में दाख़िला हो रहा है, उलमाए सलफ़ और सूफ़ियाए किराम (रह0) के हालात में मेरी नज़र से ऐसे वाक़िआत गुज़रे हैं जिनका तसव्वुर भी आज कल मुश्किल ही से हो सकता है। बाज़ बुज़रगाने दीन का मस्जिद के दरवाज़ा पर पहुंच कर रंग बदल जाता था और उनकी अजीब कैफ़ियत हो जाती थी।

बहरहाल दाख़िल होते हुए मस्जिद में पहले दायाँ पैर रखें, फिर बायाँ और फ़ारिग़ हो कर जब निकलने लगें तो इसके ख़िलाफ़ करें, यानी पहले बायाँ पैर निकालें फिर दायाँ। मगर जूता वग़ैरा पहले दाहने ही पैर में पहनें कि तरीक़–ए–मसनून यही है:–

हज़रत अनस (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि सुन्नत है कि जब मस्जिद में तू दाख़िल हो तो पहले दायाँ पावँ डाल

और जब निकले तो पहले बायाँ पैर निकाल।

(फ़तहुलबारी जिल्द–1 सफ़्हा–353)

सहाब–ए–किराम (रज़ि0) का इसी पर अमल रहा और अदब का तक़ाज़ा भी यही है कि निस्बतन दाएँ को बाएँ पर फ़ज़ीलत है।

दायाँ पावँ रखते हुए ये दुआ पढ़ी जाएः–

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ.

"ऐ अल्लाह! मुझ पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।"

और जब बाहर निकलें तो बायाँ पाँव पहले निकालें और ये दुआ पढ़ते हुए।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ.

"ऐ मेरे अल्लाह! तुझ से तेरे फ़ज़्ल व बख़्शिश की दरख़्वास्त करता हूं।"

मस्जिद में पहुंच कर देखे कि लोग जमा हैं तो सलाम करे और अगर कोई मौजूद न हो तो इस तरह सलाम करेः–

اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا مِنْ رَبِّنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ.

(इस्लाम का निज़ामे मसाजिदः अज़ हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबन्द)

दरबारे इलाही की सफ़ाई

इन्सान तबअ़न नफ़ासत पसंद वाके हुआ है, हर शख़्स अपनी वुस्अ़त भर चाहता है कि वह ख़ुद भी पाकीज़ा रहे, उसका घर भी साफ़ सुथरा रहे और उसकी हर चीज़ से नफ़ासत टपके, फिर जो जिस मरतबा का है उसकी सफ़ाई भी उसी के अन्दाज़ की होती है।

इन चीज़ों को सामने रख कर ये मस्अला आसानी से

समझा जा सकता है कि मस्जिद दरबारे इलाही और ख़ान–ए–ख़ुदा है, उसकी सफ़ाई किस क़दर ज़रूरी है, क्योंकि यह वह जगह है जो इन्दल्लाह मोहतरम है और जहाँ मुसलमान अपने मौला की इबादत के लिए अच्छी से अच्छी हैअत में जमा होते हैं, और हाज़िरी के वक़्त उन आज़ा को उमूमन धो कर आते हैं जिन पर गर्द व गुबार के उड़ कर पड़ने का अन्देशा है।

सफ़ाई का सुबूत क़ुरआन से

हाँ इतनी बात ज़रूर है कि यह सफ़ाई भी हर चीज़ की तरह एतेदाल पर हो, और इफ़रात व तफ़रीत से पाक हो, न इस क़दर इसे बढ़ाया जाए कि हद्दे तज़ख़्रुफ़ को पहुंच जाए और न ऐसी बेतवज्जुही बरती जाए कि गर्द–व–गुबार से अट जाए। इस एतेदाल पर रह कर उसकी पाकीज़गी और नफ़ासत का ख़्याल अज़ बस ज़रूरी है।

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ. (بقرہ: ۱۴)

"हम ने इब्राहीम व इस्माईल (अलैहिमस्सलाम) से अहद लिया कि वह दोनों मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और एतेकाफ़ करने वालों और रुकूअ़ व सज्दा करने वालों के लिए पाक व साफ़ रखें।"

यह आयत शाने नुज़ूल में गो ख़ास है मगर बाबे अहकाम में आम है, और मुफ़स्सिरीन ने इसी वजह से इस आयत के ज़िम्न में लिखा है कि मस्जिदों को हर तरह पाक व साफ़ रखना ज़रूरी है, ज़ाहिरी, बातिनी एतेक़ादी, मअ़नवी हर एतेबार से पाकी कामिल हो, न अन्जास व अस्नाम हों और न इस्यान व तुग़्यान। फिर

ग़ौर कीजिए ख़ान–ए–ख़ुदा की तहारत और सफ़ाई का हुक्म जलीलुलक़द्र नबियों को हों रहा है, जो बैतुल्लाह और मस्जिदों की अज़मते शान का बहुत बड़ा मुज़ाहरा है।

मस्जिद की सफ़ाई के फ़ज़ाइल

मस्जिद की सफ़ाई के फ़ज़ाइल हदीसों में बेशुमार हैं, यहाँ इस सिलसिला की सिर्फ़ चन्द हदीसें पेश की जाती हैं जो इस सिलसिला के सुबूत के लिए काफ़ी व वाफ़ी हैं। एक दफ़ा रहमते आलम (स.अ.व.) ने फ़रमायाः–

عُرضت علیّ اجور امتی حتی القذاۃ یخرجھا الرجل من المسجد
(مشکوٰۃ عن الترمذی وابی داؤد جلد: ۱ صفحہ: ۱۹)

"मुझ पर मेरी उम्मत के अज्र पेश किए गए, यहाँ तक कि वह कूड़ा भी जो किसी ने मस्जिद से बाहर किया था।

अरबीदाँ जानता है कि "क़ुज़ात" के लफ़्ज़ में किस क़दर फ़साहत व बलाग़त है, क़ुज़ात उस तिनके को कहते हैं जो आँख में पड़ जाए। तिनके के पड़ने से जो तकलीफ़ होती है वह सब जानते हैं और उसे निकालने की जिस क़दर जल्द सअ़ये पैहम की जाती है, वह भी किसी से मख़्फ़ी नहीं, तो गोया इस लफ़्ज़ को ला कर उस तरफ़ इशारा किया गया कि कूड़ा करकट मस्जिद के लिए ऐसी ही अज़ीयत का बाइस है जैसे तिनका आँखों के लिए इसलिए उसे जल्द से जल्द साफ़ किया जाए, दूसरे ये कि मामूली गंदगी भी मस्जिद में न होनी चाहिए।

सरकारे दो आलम (स.अ.व.) की ख़िदमते मस्जिद

हज़रत अनस (रज़ि0) ख़ादिमे रसूल (स.अ.व.) का ब्यान है कि एक दफ़ा आप की नजर बलग़म पर पड़ गई जो

क़िब्ल–ए–मस्जिद में किसी ने डाल दिया था, ये देख कर आप (स.अ.व.) को बड़ी अज़ीयत हुई और इस अज़ीयत व नागवारी का असर चेहर–ए–मुबारक पर आ गया, फिर खुद उठे और अपने दस्ते मुबारक से उसे साफ़ फ़रमाया। इसके बाद सहाब–ए–किराम (रज़ि0) को मुख़ातब कर के फ़रमायाः– लोगो! तुम में का कोई जब नमाज़ के लिए खड़ा होता है तो गोया वह अपने परवरदिगार से सरगोशी करता है और उसके और क़िब्ला के दरमियान रब्बुलइज़्ज़त अपनी रहमत व रज़ा के साथ जलवा गर होता है, इसलिए कोई अपने सामने न थूके, नमाज़ में थूकने की ऐसी ही मजबूरी लाहक़ हो तो बाएँ जानिब या पाँव के नीचे डाल सकता है, फिर आप (स.अ.व.) ने मल कर उसे बताया, अपनी चादरे मुबारक के एक किनारे को लिया, उस पर थूका और मल दिया। फिर फ़रमाया ऐसा ही करे। (बुख़ारी जिल्द–1 सफ़्हा–58)

मस्जिद में थूकना गुनाह है

एक दूसरी रिवायत में ये अलफ़ाज़ आए हैं:–

البزاق خطيئة و كفارتها دفنها. (بخاری جلد: ۱ صفحه: ۵۹)

"थूकना गुनाह है और उसका कफ़्फ़ारा उसका दफ़्न करना है।"

यानी मस्जिद में थूकना गुनाह है, किसी से नादानिस्ता ऐसी ग़लती हो ही जाए तो उसको चाहिए कि उसको दफ़्न कर दे। नववी (रह0) ने लिखा है कि मस्जिद में कहीं भी थूका नहीं जा सकता, बल्कि थूकना गुनाह है और क़िब्ला की दीवार का एहतेराम निस्बतन बढ़ा हुआ है। इसलिए उधर थूकना और भी बुरा है, ये क़िब्ला मस्जिद

में हो या किसी और जगह, दोनों क़ाबिले एहतेराम हैं। जिस जगह आदमी नमाज़ पढ़ता है वहाँ नमाज़ में क़िब्ला की तरफ़ थूकने की मुमानअ़त है।

ان الله جميل يحبّ الجمال.

नमाज़ पढ़ते हुए मुंह में थूक आ ही जाए तो कपड़े के किनारे पर थूक को मल दे कि इस सूरत में तल्वीसे मस्जिद नहीं है, मस्जिद से बाहर अगर कोई नमाज़ पढ़ता है और पाँव के नीचे या बाईं जानिब मजबूरी की हालत में थूक दे तो मुज़ाएक़ा नहीं, ख़ुलासा ये है कि मस्जिद में थूकने की जुर्अत न की जाए, निगलना पड़े तो ये करे मगर थूकना मुनासिब नहीं।

(फ़तहुलबारी जिल्द–1 सफ़्हा–344)

मस्जिद से गन्दगी दूर करना

मस्जिद में थूक देखा जाए तो उस पर मिट्टी डाल दी जाए। और फ़र्श पुख़्ता है तो उसको साफ़ करे, धो कर या कपड़े से उठा कर, क्योंकि फ़र्श पर मलने से और गन्दगी फैल जाएगी। साफ़ करने में इसका ख़्याल रहे कि कोई असर गन्दगी का बाक़ी न रहने पाए और हो सके तो ख़ुशबू ले कर मल दे।

(फ़तहुलबारी जिल्द–1 सफ़्हा–345)

क़िफ़ाल (रह0) ने अपने फ़तावा में लिखा है कि दफ़्न करने का जिसको हुक्म है वह मुंह और सर से उतरने वाला थूक है। बाक़ी जो बलग़म सीना से आता है वह नजिस है उसे किसी हाल में मस्जिद में दफ़्न न किया जाएगा। (फ़तहुलबारी जिल्द–1 सफ़्हा–346)

दफ़्न के मआनी आम लिए जाएं यानी उसको साफ़

कर देना इस तरह कि ज़ाहिरी तौर पर उसका कोई असर बाक़ी न रहे, ताकि इश्काल सिरे से ख़त्म हो जाए, क्योंकि घिन जिस से आती हो उसे मस्जिद में दफ़्न करना किसी तरह अच्छा नहीं मालूम होता है।

हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह (रज़ि0) के मुतअल्लिक़ आया है कि उन्होंने एक रात मस्जिद में थूक दिया और साफ़ करना भूल गए। घर वापस पहुंच चुके तो उनको याद आया, फ़ौरन रौशनी लेकर मस्जिद तशरीफ़ लाए और उसे तलाश कर के साफ़ किया।

(फ़तहुलबारी जिल्द–1 सफ़्हा–346)

साहबे फ़तहुलबारी ने हज़रत अबू ज़र (रज़ि0) से एक रिवायत नक़्ल की है कि आँहज़रत (स.अ.व.) ने फरमाया:–

وجدت فی مساوی اعمال امتی النخاعة تکون فی المسجد.

(لاتدفن جلد: ۱ صفحه: ۳۴۵)

"मैंने अपनी उम्मत के बुरे आमाल में उस गाढ़े थूक को भी पाया जो मस्जिद में डाला गया, मगर साफ़ न किया गया।"

इस हदीस से मालूम हुआ कि मस्जिद के गन्दा करने का गुनाह नाम–ए–आमाल में सब्त हो जाता है और क़यामत के दिन हिसाब किताब में वह चीज़ भी सामने लाई जाती है, पस हर मुसलमान को चाहिए कि मस्जिद में कोई ऐसा तिनका भी न डाले जिससे गन्दगी मालूम हो, और अगर कोई ऐसी चीज़ देख ले तो फ़ौरन साफ़ कर दे। इमाम की तो खुसूसियत से ये ज़िम्मादारी है कि मस्जिद की सफ़ाई की देख भाल करे और उसकी निगरानी करे कि खुद सरकारे दोआलम (स.अ.व.) ने इस काम को अन्जाम

दिया है। (फ़तहुलबारी जिल्द–1 सफ़्हा–346)

मस्जिद को गन्दा करने की सज़ा

हज़रत साइब इब्न फ़दारिद (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने क़ौम की इमामत की, इत्तिफ़ाक़ की बात उस ने जानिबे क़िब्ला थूक दिया, जिसे आँहज़रत (स.अ.व.) ने बचश्मे खुद देख लिया। आप (स.अ.व.) को ये देख कर बड़ी तकलीफ़ हुई, आप ने सख़्ती से फ़रमाया कि इसको अब इमामत न करने देना। चुनांचे लोगों ने उसको दोबारा इमामत न करने दी। उसको जब आपका वाक़िआ मालूम हुआ तो वह दरबारे नबवी (स.अ.व.) में हाज़िर हुआ और जो कुछ सुना था ब्यान किया। आप ने उसकी बातें सुन लीं और उसके बाद फ़रमायाः हाँ ये दुरुस्त है, मैंने ही रोका है, इसलिए कि तुम ने मस्जिद में थूक कर अल्लाह तआला और उसके रसूल को अज़ीयत दी।

(मिश्कात शरीफ़ बाबुलमसाजिद)

इस वाक़िआ से अन्दाज़ा होता है कि मस्जिद की बेअदबी कोई मामूली जुर्म नहीं है। ये वह जुर्मे अज़ीम है जो अल्लाह तआला और उसके रसूले पाक (स.अ.व.) के लिए बाइसे अज़ीयत होता है, और इस जुर्म में किसी उहदादार को उसके उहदा से माजूल कर दिया जाए तो बजा है। बल्कि वह इसी लाइक़ है कि उस को जुर्म का बदला मिलना चाहिए।

जारूब कश निगाहे नबवी (स.अ.व.) में

एक तरफ़ गन्दा करने की सख़्त सज़ा जो ऊपर मज़कूर हुई, और दूसरी तरफ़ उसकी सफ़ाई का ये सवाब कि क़यामत में उसको उसका गिराँ क़द्र मुआवज़ा अता होगा।

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि0) ब्यान करते हैं कि एक सियाह फ़ाम शख़्स मस्जिद में झाड़ू दिया करता था, उसका इन्तिक़ाल हो गया, जिसकी इत्तिला आप (स.अ.व.) को न दी गई, आप (स.अ.व.) ने जब दूसरे दिन उसको नहीं देखा तो लोगों से दरयाफ़्त फ़रमायाः आप (स.अ.व.) को बताया गया कि उसका इन्तिक़ाल हो गया। उसकी अचानक मौत की ख़बर सुन कर आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया तुम ने मुझे ख़बर क्यों नहीं दी, फिर फ़रमाया उसकी क़ब्र बताओ, चुनांचे आप (स.अ.व.) उसकी क़ब्र पर तशरीफ़ ले गए और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फ़रमाई। रावी को इसके मुतअल्लिक़ शक है कि वह औरत थी या मर्द था। मगर रिवायतों की तफ़्तीश से मालूम होता है कि वह औरत थी और उसकी कुन्नियत उम्मे मोहज्जन थी।

(फ़तहुलबारी जिल्द–1 सफ़्हा–371)

लोगों ने ये समझा होगा कि एक मामूली आदमी के लिए आप (स.अ.व.) को क्यों तकलीफ़ दी जाए, मगर आप की नज़र में उसकी हैसियत से बड़ी वक़अत थी कि उसको ख़ादिमे मस्जिद होने का शर्फ़ हासिल था।

ख़िदमते मस्जिद ईमान की अलामत है

हज़रत अबूसईद ख़ुदरी (रज़ि0) से रिवायत है कि आँहज़रत (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः–

اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهد واله بالايمان.

(مشكوة شريف: جلد: ١ صفحه: ٢٩)

"तुम जब किसी को मस्जिद की ख़िदमत करते देखो तो उसके ईमानदार होने की ग्वाही दो।"

तआहुद के बहुत से मअनों में से एक मअना झाड़ू देना भी है।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि0) उमूमन दोशम्बा और पंजशम्बा को मस्जिदे कुबा जाते थे। एक दिन मस्जिद में देखा कि झाडू नहीं दी गई है, खुद आप ने खजूर की शाख़ ले कर मस्जिद को साफ़ फ़रमाया, फिर लोगों को ताकीद फ़रमाई कि मस्जिद को मक्ड़ियों के जाले वग़ैरा से पाक व साफ़ रखो।

एक दफ़ा आप ने फ़रमाया इस (मस्जिद) को हर तरह की गन्दगी से पाक व साफ़ रखो। ये इसलिए कि इसमें ज़िक्रुल्लाह और तिलावते कुरआन पाक हो।

मस्जिद की सफ़ाई का मुआवज़ा

अख़ीर में इस हदीस को मुलाहज़ा फ़रमाएँ और अन्दाज़ा लगाएँ कि ख़ादिमे मस्जिद का अज्र कितना बड़ा है:—

من اخرج اذى من المسجد بنى الله له بيتا فى الجنة.

(ابن ماجه باب تطهير المساجد)

"जो शख़्स मस्जिद से गन्दगी निकालेगा अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा।"

इस हदीस को पढ़ कर हर मुसलमान के दिल में मस्दिज की ख़िदमत और उसकी सफ़ाई का जज़्बा पैदा होना चाहिए कि इस मामूली ख़िदमत का अज्र इतना बड़ा नसीब होगा।

इस तफ़सील का माहसल ये है कि मस्जिद को जो दरबारे इलाही है हर तरह की गन्दगी, ख़स व ख़ाशाक, थूक, बलग़म, घिनावनी चीज़ और शरीअ़त में जो भी नजिस और तकलीफ़ देह है उससे पाक व साफ़ रखना ज़रूरी है। और जो इस ख़िदमत को अन्जाम देगा, अल्लाह तआला के यहाँ से उसको बड़ा अज्र मिलेगा। फिर ये भी वाज़ेह

हो जाए कि ये ख़िदमत बाइसे ज़िल्लत नहीं, बाइसे इज़्ज़त व रज़ाए इलाही है और ये वह अज़ीमुश्शान ख़िदमत है जिसे ख़ुद सरकारे दोआलम (स.अ.व.) ने अपने हाथों अन्जाम दिया है और आप (स.अ.व.) के जलीलुलक़द्र सहाबए किराम (रज़ि0) ने।

इस इल्लते अज़ीयत में मक्ड़ी के जाले भी आ जाते हैं कि आदमी तबअ़न इससे भी तकलीफ़ महसूस करता है, हमारे ज़माना में इस तरफ़ तवज्जोह देने की बड़ी गुन्जाइश है, इस सिलसिले में फ़ारूक़े आज़म (रज़ि0) का क़ौल गुज़र चुका है कि आप (रज़ि0) ने मस्जिदे क़ुबा के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाया था कि मक्ड़ियों के जाले से पाक व साफ़ रखो।

इसी इल्लत में इख़्राजे रीह भी है कि इससे भी बदबू फैलती है और जब बदबू फैलेगी तो अज़ीयत ज़रूर पाई जाएगी। उलमा ने इसी वजह से लिखा है कि इख़्राजे रीह मस्जिद में कमरूहे तहरीमी है, मोतकिफ़ को अलबत्ता बाज़ ने माज़ूर क़रार दिया है, यूँ इज्तिनाब हर हाल में औला है। एक हदीस में है कि फ़रिश्ते नमाज़ियों के लिए उस वक़्त तक दुआ करते हैं जब तक वह हदस नहीं करते हैं। (मुस्लिम शरीफ़ सफ़्हा–234)

ख़ुशबू की धूनी

सिर्फ़ यही नहीं है कि मस्जिद को बदबू और गन्दी चीज़ों से बचाना ज़रूरी है, बल्कि ततहीर व तनज़ीफ़ के साथ ततयीब भी मतलूब है, एक लम्बी हदीस में ये टुकड़ा भी आया है:–

اتخذ واعلیٰ ابوابها المطاهر و جمروها فی الجُمع.

(ابن ماجه جلد: ۱ صفحه: ۵۵)

"इन (मस्जिदों) के दरवाज़ों पर तहारत ख़ाना बनाओ और जुमओं में उनके अन्दर खुशबू की धूनी दो।"

ये आँहज़रत (स.अ.व.) का हुक्म है कि मस्जिदों में तहारत ख़ाना और खुशबू की धूनी का इन्तिज़ाम करो। फ़ारूके आज़म हर जुमा के दिन दोपहर में मस्जिद के अन्दर खुशबू की धूनी दिया करते थे, साथ ही ये हुक्म भी जारी कर दिया था कि हर शहर की मस्जिदों में दोपहर के वक़्त खुशबू की धूनी दी जाए।

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) की वह हदीस गुज़र चुकी है जिसमें आँहज़रत (स.अ.व.) ने फ़रमायाः कि मस्जिदें बनाओ और उनको पाक व साफ़ और मुअत्तर रखो।

इन अहादीस से मालूम हुआ कि मस्जिद में लोबान, अगरबत्ती और दूसरी खुशबू जलाई जाए, जुमा के दिन और भी इसका एहतेमाम रखा जाए।

(इस्लाम का निज़ामे मसाजिद सफ़्हाः 211 ता 221)

मस्जिद की सफ़ाई बरश से करना?

सवालः मस्जिद में बजाए झाडू के बालों का बना हुआ बरश इस्तेमाल करना कैसा है?

जवाबः अगर वह बरश ख़िन्ज़ीर के बालों से बना है तो वह नापाक है, और नजासत को मस्जिद में दाख़िल करना मना है। और अगर ख़िन्ज़ीर के अलावा किसी दूसरे जानवर के बालों से बना है तो वह नापाक नहीं, उसको मस्जिद में दाख़िल करना नाजाइज़ नहीं है, ताहम इसमें इश्तिबाह हो तो उसको छोड़ देना चाहिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-1 सफ़्हा-505 बहवाला शामी

जिल्द–1 सफ़हा–686)

मस्अलाः– बेपरदगी वग़ैरा की कोई क़बाहत न हो तो औरत मस्जिद की सफ़ाई की सआदत हासिल कर सकती है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़हा–116)

क़यामत के दिन दीदारे इलाही जो सब से बड़ी नेअ़मत है, उसके लिए जब इज्तिमा होगा तो उनमें उन लोगों को जो पाबन्दी के साथ मस्जिद में जा कर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ते थे, मुम्ताज़ जगह हासिल होगी।

(ज़ादुलमआद जिल्द–1 सफ़हा–13)

वक़्फ़ और तौलियत

मस्जिद के लिए जो ज़मीन वग़ैरा वक़्फ़ की जाती है उससे यक़ीनी तौर पर वाक़िफ़ की मिल्कियत बिल कुल्लिया ख़त्म हो जाती है, इसी वजह से वक़्फ़ में शर्त है कि वाक़िफ़ रास्ता के साथ अपनी उस मिल्कियत से अलाहिदा हो जाए और लोगों को नमाज़ की आम इजाज़त दें दे, इस इजाज़त के बाद अगर एक शख़्स ने भी उसमें नमाज़ पढ़ ली तो वह मस्जिद हो गई, वाक़िफ़ की मिल्कियत से अलाहिदगी का फ़ायदा ये होगा कि ये मिल्कियत हुज्जतन लिल्लाह हो जाएगी और सिपुर्दी बिहक़्क़े मस्जिद साबित हो जाएगी।

बाज़ अइम्मा कहते हैं कि वक़्फ़ के बाद क़ब्ज़ा के साबित होने के लिए बाजमाअ़त नमाज़ होना ज़रूरी है। इसलिए कि मक़्सूद बिज़्ज़ात मस्जिद से जमाअ़त ही की नमाज़ है, इन्फ़िरादी तौर पर तो हर जगह नमाज़ पढ़ी जा सकती है, चुनांचे अज़ान व इक़ामत का मक़्सद भी जमाअ़त ही है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एक

ही शख़्स नमाज़ पढ़े मगर अज़ान व इक़ामत के साथ तो क़ब्ज़ा के लिए ये काफ़ी है। और इमाम अबू यूसुफ़ (रह0) का ये कहना है कि सिर्फ़ वाक़िफ़ का वक़्फ़ का ऐलान ही मस्जिदीयत के लिए काफ़ी है।

तौलियत

मस्अलए तौलियत में वाक़िफ़ को इख़्तियार है कि तौलियत अपने और अपने ख़ानदान के लिए महफ़ूज़ रखे या वह जिसको चाहे बख़्श दे, मगर जब मुतवल्ली में शरई आज़ार पैदा हो जाएंगे तो उसको इस उहदा से बरतरफ़ कर दिया जाएगा। मसलन वह ग़ैर मामून हो, आजिज़ हो, फ़ासिक़ हो या फ़ाजिर कि उसको शराब पीने की आदत हो गई, या कीमिया में माल ख़र्च करने लगा, तो ऐसी सूरत में मुतवल्ली को तौलियत से अलाहिदा कर देना ज़रूरी है।

कोई मुतवल्ली ख़ाइन हो जाए तो उसको भी क़ाज़ी माज़ूल कर सकता है। इसी तरह अगर कोई मुतवल्ली साल भर पागल रहे तो वह ख़ुद–बख़ुद माज़ूल हो जाएगा, अलबत्ता सेहतयाब होने पर वह दोबारा मुतवल्ली हो सकता है।

मस्अलाः– वाक़िफ़ ने अगर ये शर्त लगा दी है कि तौलियत उसकी औलाद दर औलाद रहेगी तो जब तक उस ख़ानदान से खुली हुई ख़्यानत न हो जाए या कोई और ऐसा उज़्र मुहक़्क़क़ न हो जाए जिससे माज़ूली जाइज़ व ज़रूरी हो, क़ाज़ी किसी और को मुतवल्ली नहीं बना सकता है। और अगर वह ऐसा बग़ैर किसी माक़ूल उज़्र के पाये जाने के करना चाहे तो क़ाज़ी का ये फ़ेल दुरुस्त न होगा। हाँ जिन अस्बाब की बिना पर मुतवल्ली के

अलाहिदा करने की शरीअत ने इजाज़त दी है, उनमें से कोई सबब या उज़्र पाया जाएगा तो क़ाज़ी उसको अलाहिदा कर देगा।

मस्अला:— जिस वक़्फ़ की तौलियत किसी मुतऐय्यन शख़्स या ख़ानदान से मख़्सूस न हो या इन्तिख़ाब का हक़ अह्ले मस्जिद पर हो, तो उस वक़्त मुतवल्ली ऐसे शख़्स को मुन्तख़ब किया जाएगा जो उस उहदे का ख़्वाहाँ न हो, क्योंकि जो उहदा का ख़्वाहिशमंद होता है वह उमूमन अपनी ज़िम्मादारी का एहसास नहीं रखता है और किसी फ़ासिद नीयत से उसका ख़्वाहाँ होता है।

हक़्क़े इन्तिख़ाब

मस्अला:— मुतवल्ली के इन्तिख़ाब का हक़ वाक़िफ़ को है, फिर हाकिम और क़ाज़ी को, या वाक़िफ़ ने जिन लोगों को इसका इख़्तियार दिया है। जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है वहाँ उमूमन ये इख़्तियार मुहल्ला की पब्लिक को वाक़िफ़ देते हैं जिनको दीन से लगाव हो।

मस्अला:— मुतवल्ली ने अगर वक़्फ़ की कोई चीज़ बेच दी या रेहन रख दी तो ये ख़्यानत समझी जाएगी और उसको माजूल कर दिया जाएगा, या उसका किसी सिक़ा आदमी को शरीके कार बना दिया जाएगा।

(आलमगीरी बाब तसर्रुफ़ुलक़ैय्यिम)

मस्अला:— एक शख़्स कई वक़्फ़ का मुतवल्ली है, अगर उससे किसी एक वक़्फ़ में भी ख़्यानत साबित हो गई तो उसे कुल औक़ाफ़ से माजूल कर दिया जाएगा।

(रद्दुलमुहतार जिल्द–3 सफ़हा–421)

मस्अला:— मुतवल्ली वाक़िफ़ हो या कोई और, मगर

वह इत्मीनान बख़्श न रहा, आजिज़ हो गया या फ़ासिक़ व फ़ाजिर, तो उसको उहद–ए–तौलियत से अलाहिदा कर देना ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार बरहाशिया रद्दुलमुहतार जिल्द–3 सफ़्हा–421)

मस्अला:– मुतवल्ली ख़ाइन हो जाए तो क़ाज़ी के लिए जाइज़ है कि उसको माज़ूल कर दे। (ऐज़न)

मस्अला:– ऐसा शख़्स जिसको तोहमत लगाने के जुर्म में हद लगाई गई है, मगर अब उसने तौबा कर ली है, ऐसे शख़्स को मुतवल्ली बनाना जाइज़ है। (ऐज़न)

मुतवल्ली के औसाफ़

मुतवल्ली के इन्तिख़ाब में इन चीज़ों को लिहाज़ रखना ज़रूरी है कि वह अमानतदार, मोतमद, दियानतदार और मुत्तक़ी हो, ख़ाइन, चोर और मुस्रिफ़ (फ़ुज़ूल ख़र्च) न हो। फिर ये कि वह आक़िल व बालिग़ हो, इसका लिहाज़ नहीं है कि आँख वाला हो या अन्धा, मर्द हो या औरत क्योंकि अन्धा और औरत भी मुतवल्ली हो सकते हैं।

मस्अला:– मुतवल्ली को ये इख़्तियार नहीं है कि वह अपनी ख़ुशी से अपनी जगह अपनी ज़िन्दगी में किसी और को मुतवल्ली बना दे, अलबत्ता अगर उसको मुख़्तारे कुल बना दिया गया हो तो ऐसा कर सकता है।

मुतवल्ली के फ़राइज़

तौलियत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके इख़्ति–यारात लामहदूद हों, बल्कि उसके इख़्तियारात की शरीअत ने तअयीन कर दी है और उसके फ़राइज़ ब्यान कर दिए गए हैं, जिनकी पाबन्दी मुतवल्ली के लिए ज़रूरी है। अपनी मुफ़ौवज़ा ख़िदमत से ज़्यादा का उसको इख़्तियार नहीं है।

मस्अलाः– वाकिफ़ ने अगर मुशाहरा का उसके लिए तअैय्युन कर दिया है तो उसको उसका लेना जाइज़ है, वरना बक़द्रे उजरत के इजाज़त है।

(फ़तावा अब्दुल्हई ज़िल्द–1 सफ़्हा–404)

मस्अलाः– मुतवल्ली के लिए जाइज़ है कि बवक़्ते ज़रूरत मस्जिद की सफ़ाई और रौशनी के लिए मुलाज़िम रखे, मगर मुशाहरा मुनासिब और दस्तूर के मुताबिक़ मुक़र्रर करे। ज़्यादा देगा तो वह ज़ामिन होगा, हाँ अपने पास से ज़्यादा भी दे सकता है।

(फ़तहुलक़दीर किशवरी जिल्द–2 सफ़्हा–880)

मस्अलाः– मुतवल्ली वक़्फ़ की बचत से यानी सर्फ़ करने के बाद जो बचेगा, उससे ज़राए आमदनी ख़रीद करेगा जो वक़्फ़ ही होगा, लेकिन उस ख़रीदी हुई चीज़ का हुक्म वक़्फ़ का न होगा। यानी ज़रूरत के वक़्त ये बाद की ख़रीदी हुई चीज़ फ़रोख़्त हो सकती है। (ऐज़न)

मस्अलाः– वक़्फ़ में जो घर है उसमें कोई मुतवल्ली की इजाज़त हासिल किए बग़ैर रहेगा तो उसको उजरत मिस्ले वुजूबन दीनी होगी। (ऐज़न)

मस्अलाः– मुतवल्ली ज़रूरत के वक़्त वक़्फ़ में अपना माल लगा सकता है, और उसने अगर अपनी लकड़ी मस्जिद के काम में दी है तो फिर ले सकता है।

(फ़तहुलक़दीर किशवरी जिल्द–2 सफ़्हा–880)

मस्अलाः– मुतवल्ली वक़्फ़ की आमदनी से तेल, चटाई और फ़र्श के लिए ईंट सिमेंट ख़रीद सकता है, बशर्तेकि वक़्फ़ नामा में इसकी गुंजाईश हो, मसलन ये जुमला हो कि मस्जिद के मसालेह और उसकी ज़रूरत में ख़र्च कर

सकते हैं, अलबत्ता अगर किसी मुतअैय्यन काम के लिए ही वक़्फ़ की आमदनी वक़्फ़ की गई हो तो उसके सिवा दूसरे काम में नहीं ख़र्च कर सकते, मसलन मस्जिद बनाने ही के लिए हो तो उससे चटाई रौशनी और फ़र्श का नज़्म नहीं कर सकते। (ऐज़न)

मस्अलाः— मुतवल्ली को जब वक़्फ़ नामा की तफ़सील का इल्म न हो तो इस मजबूरी में अपने पेश रौ की तक़लीद करेगा। (ऐज़न)

मस्अलाः— मुतवल्ली वक़्फ़ के लिए उस वक़्त तक क़र्ज नहीं ले सकता जब तक कोई ज़रूरी और नागुज़ीर अम्र पेश न आ जाए और फिर ऐसे वक़्त में क़ाज़ी की इजाज़त भी हासिल करना ज़रूरी है। क़ाज़ी की इजाज़त के बग़ैर क़र्ज़ न लेगा। क़ाज़ी की इजाज़त से क़र्ज़ ज़रूरत के लिए लिया गया तो उसे वक़्फ़ की आमदनी से अदा करेगा। इसी तरह वक़्फ़ में ज़राअत होती हो और बीज न हो तो क़ाज़ी की इजाज़त से बीज भी क़र्ज़ ले सकता है। वाज़ेह रहे कि मुतवल्ली के लिए ये क़र्ज़ उसी वक़्त जाइज़ है जब उसके हाथ में कुछ न हो और वह उसे अदा भी कर दे। (फ़तहुलक़दीर जिल्द–2 सफ़्हा–881)

मस्अलाः— मुतवल्ली के पास वक़्फ़ के रुपये थे, मगर उसने वक़्फ़ के लिए कोई चीज़ अपने ज़ाती रुपये से ख़रीदी तो ऐसी हालत में बिलइत्तिफ़ाक़ ये जाइज़ है कि वक़्फ़ के ख़ज़ाने से अपने रुपये ले ले। (ऐज़न)

वक़्फ़ शुदा मकान को मुतवल्ली रिहन (गिरवी) नहीं रख सकता, अगर उसने रिहन रख दिया और मुरतहिन ने उसमें सुकूनत इख़्तियार कर ली तो ऐसी सूरत में

उसको मरौव्वजा किराया देना पड़ेगा। (ऐज़न)

मस्अला:– मुतवल्ली ने वक़्फ़ के रुपये अपनी ज़रूरत में सर्फ़ कर दिए फिर इतना ही अपने माल से वक़्फ़ में ख़र्च कर दिया या वक़्फ़ के ख़ज़ाना में दाख़िल कर दिया तो उस पर ज़मान नहीं है। (ऐज़न)

मस्अला:– वक़्फ़ के रुपये जमा थे, कुफ़्फ़ार की जानिब से मुसलमानों पर नागहानी आफ़त या मुसीबत टूट पड़ी, जिसके दफ़ईया के लिए रुपये की ज़रूरत हुई तो ऐसी हालत में देखा जाए कि अगर जामा मस्जिद से मुतअल्लिक़ और मस्जिद को उसकी फ़ौरी ज़रूरत नहीं है तो हाकिम के लिए ये जाइज़ है कि वह वक़्फ़ के रुपये बतौरे क़र्ज़ मुसलमानों को आफ़त और मुसीबत से बचाने के लिए ख़र्च करे। (ऐज़न)

मस्अला:– मस्जिद की मसलिहत के लिए जो वक़्फ़ है उसकी आमदनी से मस्जिद के दरवाज़ा पर जुल्ला (छत साया के लिए) बनवाना मुतवल्ली के लिए जाइज़ है, ताकि बारिश के नुक़्सान से महफ़ूज़ रहे। हाँ जब वक़्फ़ मस्जिद की तामीर और मरम्मत के लिए मख़्सूस हो तो जुल्ला नहीं बनवा सकता, मगर ज़हीरुद्दीन (रह0) कहते हैं कि वक़्फ़ इमारते मस्जिद पर हो या मसालेहे मस्जिद पर दोनों बराबर हैं और ये ज़्यादा सही है, लिहाज़ा बनवाना जाइज़ होगा। (ऐज़न)

मौजूदा दौर में मुतवल्ली

इस बहस को ख़त्म करने से पहले मौजूदा दौर में वक़्फ़ का जो हश्र हो रहा है और मुतवल्ली जिस तरह दीदा व दानिस्ता कोताही करते हैं उस पर चंद कलिमात

लिखना जरूरी हैं:–

पहले इस अम्र को अच्छी तह समझना चाहिए कि वाकिफ़, वक्फ किस नीयत से करता है, सब जानते हैं कि वक़्फ़ कर के ये चाहता है कि जिस काम के लिए वक़्फ़ किया गया है वह हुस्न व ख़ूबी से अदा हो, इख़राजात के न होने की वजह से काम के तअत्तुल का जो ख़तरा है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए और मस्जिद का वाक़िफ़ तो एक बड़ी गहरी फ़िक्र के साथ इस काम को अन्जाम देता है। उसकी नीयत किस क़दर सालेह होती है कि मस्जिद का नज़्म उम्दा पैराया से बरक़रार रहे। "दारबारे इलाही" की सफ़ाई हो, उसमें रौशनी हो, उसके हाज़िरीन को हर तरह का ज़ेहनी और ख़ारिजी आराम हो, और इस वक़्फ़ की आमदनी से "दरबारे इलाही" के काम काज मज़े से चलते रहें। ख़ुदा नख़्वास्ता उसकी नीयत माल को ज़ाये करना नहीं होती है और न उसका ये इरादा होता है कि मुतवल्ली अपने ऐश व आराम में सर्फ़ करे, मुतवल्ली इसलिए कोई भी नहीं बनाता कि वक़्फ़ बरबाद हो, इसीलिए उमूमन वक़्फ़ नामों में मुतवल्ली का इन्तिख़ाब बहुत सी क़ैदों के साथ दर्ज होता है।

तौलियत के लिए शराइत

मुतवल्ली इन तमाम शर्तों को जब पूरी करता है तब कहीं वह अपने उहदा को अदा करता है। मैंने ऐसे वक़्फ़ नामे भी देखे हैं जिनमें तौलियत अपने ख़ानदान में रखी गई है, मगर शराइत व कुयूद लिख कर इसकी सराहत कर दी गई है कि अगर इन शराइत व कुयूद के मुताबिक़ कोई फ़र्द मेरे ख़ानदान का वक्फ को न चला सके तो

उसको बरतरफ़ कर दिया जाए।

मुतवल्ली के लिए तकरीबन हर वक़्फ़ नामा में दर्ज होता है कि वह आक़िल व बालिग़ होने के साथ अमानत दार हो, दियानत दार हो, ज़ी होश और औक़ाफ़ की भलाई चाहने वाला हो, वक़्फ़ की आमदनी हिफ़ाज़त से ख़र्च करे, ज़राये आमदनी की हिफ़ाज़त करे, उसको तरक़्क़ी देने की सअ़ये पैहम जारी रखे और फिर वक़्फ़ नामा में जो मुसर्रह शोअ़बे होते हैं उसके ख़िलाफ़ करने वाले को अल्लाह तआ़ला की लानत से डराया जाता है।

मुतवल्ली की ग़फ़लत

बईं हमा मुतवल्ली की वक़्फ़ की इस्लाह व तरक़्क़ी से चश्म पोशी हद दर्जा अफ़सोस नाक है और क़स्दन वक़्फ़ के इन्तिज़ाम में कोताही नाक़ाबिले बरदाश्त। उमूमन यक मन्ज़र कम व बेश हर जगह नज़र आता है, कि काफ़ी आमदनी होते हुए भी मस्जिद का नज़्म ख़राब से ख़राब तर हो रहा है। न मस्जिद में सफ़ाई है, न रौशनी का इन्तिज़ाम है, फ़र्श टूट रहा है, दीवारें गिर रही हैं, वुज़ू ख़ाना में पानी नापैद है और इमाम व मुअज़्ज़िन वक़्त की पाबन्दी से काम नहीं करते हैं, मज़ीद ये और ग़ज़ब है कि वक़्फ़ नामा की सराहत के बावजूद इमाम का इन्तिख़ाब सिर्फ़ मुशाहरा की वजह से नामाक़ूल है, ऐसा इमाम जो ख़ुद मसाइले ज़रूरीया से वाक़िफ़ीयत नहीं रखता दूसरों की रहनुमाई क्या करेगा?

मुतवल्ली को यक़ीन रखना चाहिए कि कल उसको भी मरना है, अपने आमाल व अख़्लाक़ का हिसाब देना है और अपनी इस ज़िम्मादारी और फिर कोताही के सवाल

का जवाब पेश करना है, अपने फ़राइज़ से कोताही वह जुर्मे अज़ीम है जिसकी गिरफ़्त सख़्त तर होगी।

ये क्या जुल्म है कि वक़्फ़ की आमदनी का न कोई हिसाब किताब है और न इख़राजात के उसूल व क़वाइद, ये भी पता नहीं कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और किस जगह ख़र्च करने से परहेज़, वक़्फ़ की आमदनी ऐसे काम में ख़र्च करना जिसमें नाम व नुमूद मक़्सूद हो और वक़्फ़ को जिससे कोई फ़ायदा न हो, अपनी जिम्मादारी के एहसास का फ़ुक़्दान है, और यही वजह है कि वक़्फ़ की आमदनी बाज़ अपनी आमदनी से मिला देते हैं और ये समझते हैं कि वक़्फ़ की चीज़ मेरी है।

एक मर्दे मोमिन को इन बेएतेदालियों से डरना चाहिए, और मुफ़व्वज़ा ख़िदमात बाहुस्न व ख़ूबी अन्जाम देना चाहिए या फिर उससे अलाहिदा हो जाना चाहिए।

(इस्लाम का निज़ामे मसाजिद, अज़ मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबन्द अज़ 221 ता 227)

कुतुबे मौकूफ़ा

अख़ीर में एक बात और याद आ गई। बाज़ मस्जिदों में वक़्फ़ में किताबें भी होती हैं। मुतवल्ली का फ़र्ज़ है कि उन किताबों की पूरी हिफ़ाज़त करे और कीड़ों की ख़ुराक न होने दे, साथ ही उसे अह्ले इल्म को इस्तिफ़ादा का मौक़ा दे और अगर वक़्फ़ में सराहत हो तो तालिबे इल्म को भी देना चाहिए, एक आदमी किताबों की हिफ़ाज़त और उनके देने लेने पर भी मुतऐय्यन होना चाहिए।

ग़ैर पाबन्दे शर्अ को मुतवल्ली बनाना?

सवालः फ़ासिक़ और ग़ैर पाबन्दे शर्अ को मस्जिद का

मुतवल्ली बना सकते हैं या नहीं?

जवाबः मस्जिद शआइरे इस्लामी में से है जो आमदी इस्लामी शआइर का मुहाफ़िज़, शरीअत का पाबन्द हो जिसके दिल में ख़ुदा के ख़ौफ़ और मुहब्बत ने घर कर लिया हो वही उसका मुहाफ़िज़ और मुतवल्ली बन सकता है। जो शआइरे इस्लाम का मुहाफ़िज़ न हो, शरीअत का पाबन्द न हो, नमाज़ बाजमाअत का पाबन्द न हो, फ़ासिक़ हो यानी गुनाहे कबीरा का मुरतकिब हो या सग़ाइर (छोटे गुनाह) पर मुसिर हो, शराब पीने का आदी हो, सूद ख़ोर हो, वह अल्लाह के घर का मुतवल्ली नहीं बन सकता, फ़ासिक़ और बेदीन को अल्लाह तआला के घर का मुहाफ़िज़ बनाने में मस्जिद, शआइरे दीन, इमाम और मुअज़्ज़िन की नीज़ नमाज़ियों की भी तौहीन व तहक़ीर लाज़िम आती है।

इरशादे बारी तआला है:-

إنما يعمر مسجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخش إلا الله. (سوره توبه)

तर्जुमा:- बेशक अल्लाह तआला के घर को आबाद करने का काम उन पाक लोगों का है जो ख़ुदा पर और यौमे आख़िरत पर ईमान लाए, नमाज़ की पाबन्दी करे, ज़कात अदा करे और सिवाए ख़ुदा के किसी से न डरे।

इस आयते करीमा की तफ़सीर में मौलाना अबुल-कलाम आज़ाद (रह0) लिखते हैं:-

"क़ुरआन करीम में ये हक़ीक़त वाज़ेह कर दी कि ख़ुदा की इबादतगाह की तौलियत का हक़ मुत्तक़ी मुसलमानों को पहुंचता है और वही उसे आबाद रखने वाले हो सकते हैं। यहाँ से ये बात मालूम हो गई कि फ़ासिक़ व फ़ाजिर

आदमी मस्जिद का मुतवल्ली नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों (अल्लाह तआला के घर और फ़ासिक़ व फ़ाजिर) में कोई मुनासबत बाक़ी नहीं रहती, बल्कि मुतज़ाद बातें जमा हो जाती हैं (वह ये कि मस्जिद खुदा परस्ती का मक़ाम है और फ़ासिक़ व फ़ाजिर मुतवल्ली का खुदा परस्ती से नुफ़ूर।"

(तफ़सीर तर्जुमानुलक़ुरआन ज़िल्द–2 सफ़्हा–80)

और फ़तावा इब्न तैमिया (रह0) में है कि नेक, दीनदार, परहेज़गार मुतवल्ली मिलने के बावजूद फ़ासिक़ (ग़ैर पाबन्दे शर्अ) को मुतवल्ली बनाना दुरुस्त नहीं है।

(जिल्द–1 सफ़्हा–150)

"इस्लाम का निज़ामे मसाजिद" में है कि ख़ुदा के घर की ख़िदमत वही करे जो ख़ुदा का दोस्त हो, जिसके दिल में उसकी मुहब्बत व ख़शीयत घर कर चुकी हो, ज़ाहिरी तौर पर भी वह ऐसा हो जिससे ख़ुदा परस्ती नुमायाँ हो।" (सफ़्हा–129)

हदीस शरीफ़ में है कि जो आदमी किसी जमाअत में किसी अहम काम की ज़िम्मादारी किसी ऐसे शख़्स के हवाला करे जब कि जमाअत में ऐसा आदमी मौजूद हो जो उससे ज़्यादा ख़ुदा की रज़ामन्दी चाहने वाला और ख़ुदा के अहकाम की ज़्यादा पाबन्दी करने वाला हो तो मुन्तख़ब करने वाले ने ख़ुदा की ख़्यानत की और उसके रसूल (स.ल.अ.) की ख़्यानत की और तमाम मुसलमानों की ख़्यानत की। (इज़ालतुलख़िफ़ा जिल्द–2 सफ़्हा–26 व फ़तावा इब्ने तैमिया सफ़्हा–100)

दुर्रेमुख़्तार, शामी वग़ैरा में है कि जब मुतवल्ली में शरई आज़ार व क़बाहतें पैदा हो जाएं तो उसे उहदा से

बरतरफ़ कर दिया जाए, जैसे कि वह ग़ैर मामून हो, आजिज़ हो, फ़ासिक़ व फ़ाजिर हो या उसको शराब नोशी की आदत हो गई हो तो उसे तौलियत से हटा देना ज़रूरी है। (सफ़्हा–421 व इस्लाम का निज़ामे मसाजिद सफ़्हा–222)

नीज़ मुतवल्ली ऐसे शख़्स को मुन्तख़ब किया जाएगा जो उहदा का ख़्वाहाँ न हो। (ऐज़न)

ख़ुलास–ए कलाम ये है कि मुतवल्ली बनाने में इन बातों का ख़्याल व लिहाज़ रखना ज़रूरी है कि दीनी इल्म रखता हो, वक़्फ़ के अहकाम से वाक़िफ़ हो, अमानत दार हो, मुत्तक़ी व परहेज़गार हो, यानी उसकी ज़िन्दगी पैग़म्बरे इस्लाम रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के उस्व–ए हसना के मुताबिक़ हो, मगर अफ़सोस इस ज़माना में सिर्फ़ मालदारी देखी जाती है, अगरचे वह शख़्स बेइल्म व अमल हो, नमाज़ व जमाअ़त का पाबन्द न हो, फ़ासिक़ हो हालांकि मस्जिद का मुतवल्ली हक़ीक़त में नाइबे ख़ुदा शुमार होगा तो ऐसे अज़ीमुश्शान मन्सब के लिए उसके शायाने शान मुतवल्ली होना चाहिए। हदीस शरीफ़ में है कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये है कि बड़े बड़े उहदे नाअह्लों के सिपुर्द किए जाऐंगे और क़ौमों का सरदार फ़ासिक़ बनेगा। (मिश्कात शरीफ़ जिल्द– सफ़्हा–47 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–237 व जिल्द–2 सफ़्हा–157 व फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–228)

मुतवल्ली की ज़िम्मादारियाँ

सवालः मुतवल्ली के लिए किन उमूर का अन्जाम देना ज़रूरी है?

जवाबः मस्जिद की आबादी और तमाम ज़रूरीयात

का इन्तिज़ाम करना, हिसाब साफ़ रखना, मस्जिद में ग़लत काम न होने देना, नमाज़ियों और इमाम का हसबे हैसियत मस्जिद से मुतअ़ल्लिक़ तकालीफ़ का रफ़ा करना, हर एक का उसके शान के मुवाफ़िक़ इकराम करना, अपने आप को बड़ा समझ कर दूसरों को हक़ीर न समझना, उहदा का तालिब न होना, अहकामे शर्अ़ के तहत अपनी इस्लाह में लगे रहना।

ये औसाफ़ जिस मुतवल्ली में हों वह क़ाबिले क़द्र है, उसको अलाहिदा न किया जाए। जिस मुतवल्ली में ये औसाफ़ न हों वह इन औसाफ़ को हासिल करने की कोशिश करे। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–185 व जिल्द–12 सफ़्हा–283 बहवाला बह्र जिल्द–5 सफ़्हा–326)

मस्अला:– अगर मस्जिद में काम ज़्यादा हो, तन्हा अन्जाम देना दुश्वार हो तो मुतवल्ली अपना नाइब रख सकता है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–158)

मुतवल्ली का अज़–ख़ुद अपनी तौलियत रजिस्टर्ड करा लेना

सवालः एक मस्जिद के मुतवल्ली ने कुछ वुजूहात से दूसरे शख़्स को मुतवल्ली बना दिया, जदीद मुतवल्ली ने लोगों को बताए बग़ैर अपने नाम की सरकारी तौर से रजिस्ट्री करा ली कि पाँच साल तक मुझे कोई तौलियत से नहीं हटा सकता, मैं ही मुसलमानों का मुतवल्ली और सदर हूंगा। क्या मुतवल्ली का इस तरह रजिस्ट्री कराना शरअ़न दुरुस्त है या नहीं?

जवाबः क़दीम मुतवल्ली साहब ने बग़ैर अहलुर्राए के मश्वरा के ख़ुद बख़ुद ही नए आदमी को मुतवल्ली बना

दिया, ये गलती की, जिसकी वजह से अब परेशानी हो रही है, मालूम होता है कि मस्जिद से मुतअल्लिक कोई कमेटी भी नहीं। अब जब कि जदीद मुतवल्ली ने अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली है कि पाँच साल तक मुझ को कोई हटा नहीं सकता तो क़ानूनन उसको पुख़्तगी हासिल हो गई। उसका अपने हक़ में इस तरह रजिस्ट्री करा लेना और अपने नए सदर और मुतवल्ली होने के इख़्तियारात हासिल कर लेना शरअन दुरुस्त नहीं था।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–184)

ग़ैर मुस्लिम को मस्जिद का मुतवल्ली बनाना?

सवालः अगर जाएदादे वक़्फ़ का इन्तिज़ाम मुसलमानों के सिपुर्द किया जाए तो ज़ियाअ का क़वी अन्देशा है और ये कि ग़ैर मुस्लिम बड़े एतेक़ाद के साथ इन्तिज़ाम और आमदनी की हिफ़ाज़त करता है और मसारिफ़े मुक़र्ररा में ख़र्च करते हैं, नीज़ जुनूबी हिन्द में ऐसी चंद मसाजिद भी हैं जिनका बाक़ाएदा इन्तिज़ाम हुनूद चलाते हैं, मुअज़्ज़िन और इमाम नमाज़ियों के मश्वरा से रखते हैं और तमाम मसारिफ़ बरवक़्त अदा करते हैं, इसका क्या हुक्म है?

जवाबः आप का ख़त पढ़ कर बहुत अफ़सोस हुआ कि मुसलमान इतना गिर गया है, इसमें न इन्तिज़ाम की सलाहियत रही न दयानतदारी रही, यहाँ तक कि उसकी इबादत गाह का इन्तिज़ाम वह करता है जो ख़ुद ही उस इबादत का क़ाएल नहीं।

जब ऐसी मजबूरी है कि वक़्फ़ के महफ़ूज़ रहने और इन्तिजाम के बरक़रार रहने की सिर्फ़ यही सूरत है तो मजबूरन बरदाश्त किया जा सकता है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–303)

बे–नमाज़ी का मुतवल्ली होना?

सवालः जो मुतवल्ली मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ता वह मुतवल्ली रहने के क़ाबिल है या नहीं?

जवाबः मुतवल्ली की अस्ल ख़िदमत इन्तिज़ाम व एहतेमामे मस्जिद है, इसमें माहिर होना ज़रूरी है, लेकिन चूंकि मुतवल्ली को अमीन और दयानतदार होना भी लाज़िम है और जो शख़्स तारिके फ़राइज़ भी है वह फ़ासिक़ है और फ़ासिक़ का मुतवल्ली बनाना जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़हा–452 बहवाला आलमगीरी जिल्द–2 सफ़हा–996)

मस्अलाः– बे–नमाज़ी को मस्जिद की कमेटी का चेयर मैन या सदर या कोई मिम्बर बनाना जाइज़ नहीं हैं।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़हा–141)

क्या मुतवल्ली ख़ानदाने वाक़िफ़ में से हो?

सवालः जिस क़ौम ने जो मस्जिद तामीर कराई है क्या ये लाज़िम है कि हमेशा को मुतवल्ली उसी क़ौम (व ख़ानदान) से हो, अगरचे कोई वक़्फ़ नामा तहरीरी ऐसी हिदायत का मौजूद न हो?

जवाबः जब वाक़िफ़ (वक़्फ़ करने वाले) ने किसी को मुतवल्ली नहीं बनाया और मौजूदा मुतवल्ली माले वक़्फ़ को सही मस्रफ़ पर ख़र्च नहीं करता, तो अरबाबे हल्ल व अक़्द को चाहिए कि हाकिम मुस्लिम के ज़रीए से बाक़ाएदा मुतवल्ली मौजूदा को माज़ूल करा के दूसरे दियानतदार शख़्स को मुतवल्ली बनाएं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़हा–180)

मस्अलाः– वाक़िफ़ ख़ुद भी मुतवल्ली बन सकता है,

जो शख़्स जाएदादे मौक़ूफ़ा का हसबे शराइते वक़्फ़ दियानतदारी से इन्तिज़ाम कर सके, वह अह्ल है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–317)

मस्अला:– वक़्फ़ सही होने के लिए रजिस्ट्री होना शर्त नहीं है। ज़बानी भी दुरुस्त और काफ़ी होता है और ऐसी सूरत में नमाज़ उस मस्जिद में दुरुस्त है।

मस्अला:– अगर वाक़िफ़ ने वक़्फ़ नामा में या ज़बानी किसी को मुतवल्ली नहीं बनाया तो सरबरआवुर्दा मक़ामी मुअज़्ज़ज़ दीनदार मुसलमान मस्जिद की आमदनी को मसालेहे मस्जिद पर सर्फ़ करें और उसके मुहाफ़िज़ रहें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–158)

मस्अला:– बानिये मस्जिद के ख़ानदान में जब तक मुतवल्ली होने के अह्ल मौजूद रहें, तो वह दूसरों के मुक़ाबला में ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं मुतवल्ली होने के।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–165)

मस्जिद की ज़ाएद आमदनी वाक़िफ़ की औलाद पर

मस्अला:– जो जाएदाद मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दी गई है उसकी आमदनी मस्जिद के अलावा वाक़िफ़ के ख़ानदान पर सर्फ़ करना दुरुस्त नहीं है, अगर आमदनी की रक़म ज़ाएद है तो उसके ज़रीआ दीगर जाएदाद ख़रीद कर वक़्फ़ में इज़ाफ़ा कर दिया जाए, फिर ज़ाएद आमदनी दीगर हाजतमन्द मसाजिद पर भी सर्फ़ करने की गुन्जाइश हो सकेगी। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–17 सफ़्हा–214)

मस्जिद की तौलियत में वरासत?

सवाल: अगर कोई शख़्स अपने ज़ाती रुपया से मस्जिद

बना दे और आम इजाज़त नमाज़ की दे दे तो क्या उसके मरने के बाद वरसा को इख़्तियार है कि उस मस्जिद में नमाज़ से लोगों को रोक दें?

जवाबः मस्जिद ज़ाती रुपया से वक़्फ़ शुदा ज़मीन में तामीर कर के तमाम मुसलमानों को इजाज़त दे दी और वहाँ पर अज़ान व जमाअ़त पंजगाना और जुमा की नमाज़ शुरू हो गई, किसी पर कोई रोक टोक नहीं, और मोहकमए औक़ाफ़ में उसका इंदिराज भी मस्जिद ही के नाम से है तो बिला शुब्हा वह शरई मस्जिद है, उसमें वरासत जारी नहीं होगी, न उस पर किसी का दावा मिल्कियत सही होगा, न वहाँ किसी को नमाज़ पढ़ने से रोका जाएगा, मस्जिद क़ाज़ियान या किसी भी नाम से मौसूम हो जाने की वजह से उसके मस्जिदे शरई होने में कोई ख़लल नहीं होगा। मस्जिदे अकबरी, मस्जिदे शाह जहानी, मस्जिदे आलमगीरी, बादशाहों के नाम से मशहूर हैं। और बुख़ारी शरीफ़ में मुस्तक़िल मज़मून है कि मस्जिद "बनी फ़लाँ" से मौसूम करना सही है। जो शख़्स जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है या जिसके मकान के क़रीब जो मस्जिद होती है उसको "अपनी मस्जिद" कहा करता है, उसका मक़सद हरगिज़ ये नहीं होता कि वह उसकी मम्लूका मस्जिद है।

जो जाएदाद मस्जिद की ज़मीन में बनाई जाए और मुहल्ला वाले चंदा कर के मस्जिद के लिए बनाऐं, उस पर किसी ख़ास शख़्स या ख़ानदान का दावए मिल्कियत हरगिज़ सही नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–157)

मुतवल्ली का शराइते वाक़िफ़ के ख़िलाफ़ अमल?

मस्अलाः– मुतवल्ली को वाक़िफ़ के शराइत की पाबंदी लाज़िम होती है, जब तक वह शराइत मुवाफ़िक़े शर्अ हों, और वक़्फ़ के लिए नाफ़े हों, मुज़िर न हों। जो मुतवल्ली शराइते वाक़िफ़ के ख़िलाफ़ करे वह तौलियत से अलाहिदगी का मुस्तहिक़ है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–333)

मुतवल्ली के इख़्तियारात

मस्अलाः– जो काम मसालेहे वक़्फ़ के मुवाफ़िक़ और अहकामे शर्अ के मुताबिक़ हों मुतवल्ली कर सकता है। जो काम उसके ख़िलाफ़ हों, उन पर एतेराज़ का हक़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–317)

मस्अलाः– आम चन्दे की रक़म से मस्जिद के काम में बेजा और नामुनासिब ख़र्च करने का मुतवल्ली को इख़्तियार नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–159)

मुतवल्ली के अज़्ल के अस्बाब

मस्अलाः– मसालेहे वक़्फ़ की रिआयत न रखने और ख़िलाफ़े शर्अ अमल करने की वजह से मुतवल्ली मुस्तहिक़्क़े अज़्ल हो सकता है। बाद जमाअ़ते मुन्तज़िमा खुद या किसी वक़्फ़ बोर्ड या हुकूमत के ज़रीआ से उसको माज़ूल कराया जा सकता है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–317 व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–465)

मस्अलाः– मुतवल्लिये मस्जिद अगर मस्जिद का इन्तिज़ाम न करे। (आमदनी खा ले) तो ऐसे मुतवल्लियों को तौलियत से अलग करना वाजिब है, दियानतदार

मुत्तबेअ़े शरीअ़त, बाअसर, चन्द हज़रात की कमेटी बना ली जाए और मौजूदा मुतवल्ली को बरतरफ़ कर के वक़्फ़ बोर्ड को इत्तिला कर दी जाए कि फ़लाँ तारीख़ से फ़लाँ कमेटी के सिपुर्द मस्जिद और उसकी जाएदाद का इन्तिज़ाम कर दिया जाए और क़ानूनी तौर पर मस्जिद की जाएदाद और आमदनी को उनके क़ब्ज़ा से निकाल लिया जाए और आमदनी व ख़र्च का पूरा हिसाब रखा जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–184)

क्या मस्जिद का मुन्तज़िम मस्जिद से तन्ख़्वाह ले सकता है?

सवालः एक मस्जिद के चार मुन्तज़िम हैं, मस्जिद की काफ़ी जाएदाद है, उसका किराया वसूल करने के लिए एक मुलाज़िम रखा था, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब उन चार मुन्तज़िमीन में से एक बतौर मुलाज़िम किराया वसूल करने का काम करे और मुशाहरा ले तो शरअ़न क्या हुक्म है, ये मुलाज़मत कर सकता है?

जवाबः वक़्फ़ नामा में तन्ख़्वाह देने का ज़िक्र हो तो उसके मुताबिक़ अमल किया जाए, अगर कोई ज़िक्र न हो और मज़कूरा ख़िदमत मुफ़्त अन्जाम देने के लिए कोई मुन्तज़िम तैयार न हो तो जो भी कमाहक़्क़हू ख़िदमत अन्जाम दे सके उसका मुनासिब मुशाहरा तैय कर के देना दुरुस्त है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़हा–81 बहवाला अलामगीरी जिल्द–3 सफ़हा–240)

तब्दीलिये तौलियत

मस्अलाः– मसाजिद अल्लाह तआ़ला की हैं, किसी की कोई मस्जिद ज़ाती मिल्कियत नहीं। وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ

(الأية) मस्जिद के बानी को हक़ है कि जिस को मुनासिब समझे इन्तिज़ाम के लिए मुतवल्ली बना दे, अलबत्ता जो शख़्स दियानतदार न हो या इन्तिज़ाम की सलाहियत न रखता हो उसको मुतवल्ली बनाना दुरुस्त नहीं है। अगर बना दिया तो उसको अलग भी किया जा सकता है, बिला वजह अलग करना भी दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–164)

मस्अला:– मस्जिद का मुतवल्ली और मदरसा का मोहतमिम अलिम बा अमल होना चाहिए, अगर ऐसा मुयस्सर न हो सके तो नमाज़ व रोज़ा का पाबन्द, अमानतदार, वक़्फ़ के मसाइल का जानने वाला, ख़ुश अख़्लाक़, रहमदिल, मुन्सिफ़ मिज़ाज, इल्म दोस्त, अह्ले इल्म की ताज़ीम व तकरीम करने वाला हो, जिसमें ये सिफ़ात ज़्यादा हों उसी को मुतवल्ली व मोहतमिम बनाना चाहिए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–166)

मस्अला:– शीआ साहिबान अपनी मस्जिद सुन्नियों को दें तो क़दीम शीआ मुन्तज़िम के हाथ से मस्जिद का इन्तिज़ाम न लिया जाए, क्योंकि जब क़दीम ज़माना से वह मस्जिद के इन्तिज़ामात करते चले आ रहे हैं और कोई नुक़्सान या ख़्यानत भी साबित नहीं है तो उनको इन्तिज़ाम से अलग न किया जाए, बल्कि उनके साथ तआउन किया जाए, हाँ अगर ख़ुद ही वह इन्तिज़ाम से दस्तबरदार हो जाऐं तो दूसरी बात है।

(फ़तावा महदूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–166)

बानिये मस्जिद कौन होगा?

सवाल: कौन सा आदमी किस वक़्त बानिये मस्जिद

कहा जा सकता है, क्योंकि ज़ैद के मरने के बाद उस की वसीयत के मुताबिक उसके लड़कों में से किसी ने वक़्फ़ शुदा ज़मीन पर मस्जिद बनाई, फिर बीस पच्चीस साल बाद उसके दूसरे लड़के ने पहली मस्जिद के सामान को फ़रोख़्त कर दिया और ये रुपया और मज़ीद ख़ुद का रुपया, नीज़ दीगर लोगों से चन्दा वसूल कर के दूसरी मस्जिद (उसी जगह) बनाई तो उनमें से मस्जिद का बानी कौन होगा?

जवाबः जो आदमी जिस वक़्त मस्जिद बनाए वही बानिये मस्जिद है, पहला शख़्स बानिये अव्वल है, दूसरा शख़्स बानिये दोम और जिन लोगों ने उसमें चन्दा दिया है और मेहनत की वह भी बिना में शरीक है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–192)

मस्अलाः– मस्जिद की निस्बत किसी शख़्स की तरफ़ उसके बानी की हैसियत में यानी मस्जिद को बानी के नाम से मंसूब करना जाइज़ है, इसमें कोई मुज़ाएका नहीं है (जब कि बानिये मस्जिद ने मुकम्मल ख़र्चा तामीर व ज़मीन वग़ैरा का किया हो) लेकिन जब बानिये मरहूम ने अपनी ज़िन्दगी में ख़ुद अपने नाम की निस्बत पसंद नहीं की तो उनके लवाहिक़ीन को भी पसंद नहीं करना चाहिए।

(आप के मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–135)

अपने पैसे से बनाई मस्जिद को अपनी मिल्क समझना?

मस्अलाः– जो मस्जिद वक़्फ़ कर दी गई, ख़्वाह अवाम के पैसे से उसकी तामीर हुई हो या किसी ख़ानदन के पैसे से, या किसी शख़्से ख़ास के पैसे से, बहरसूरत वक़्फ़

हो जाने के बाद उस पर किसी का दाव–ए–मिल्क करना सही नहीं होता। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:–

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ الخ

जो शख़्स मस्जिद को अपनी मिल्क समझे उसका समझना ग़लत है, लोग ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना तर्क न करें, फ़ितना व फ़साद से पूरा इज्तिनाब रखें, अगर वह शख़्स या ख़ानदान (जो मस्जिद को अपनी मिल्कियत का दावा करता है) दूसरे आदमियों को मस्जिद में आ कर नमाज़ पढ़ने से रोके तो ऐसा शख़्स या ऐसा ख़ानदान बड़ा ज़ालिम है। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:– فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ. – मगर इस हरकत पर भी लड़ाई झगड़ा न किया जाए कि सर फुटौव्वल हो, मुक़द्दमा बाज़ी हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–129)

क्या मुतवल्ली को मस्जिद की अशिया के इस्तेमाल का हक़ है?

सवाल: मस्जिद के मकानात, सीढ़ी और दूसरी अशिया के इस्तेमाल का हक़ किस को हासिल है, इमाम, मुअज़्ज़िन या मुतवल्ली को?

जवाब: मस्जिद के मकानात के इस्तेमाल की किसी को भी इजाज़त नहीं, जो इस्तेमाल करे वह मुआवज़ा दे, इमाम या मुअज़्ज़िन को अगर कोई मकान या कमरा दिया जाए तो वह हक़्क़ुलख़िदमत में दिया जाए, यानी उसके साथ मआमला किया जाए कि आप को इतनी तन्ख़्वाह दी जाएगी और रहने के लिए कमरा मिलेगा (या मकान वग़ैरा)। मुतवल्ली वग़ैरा अगर इस्तेमाल करें तो वह भी

किराया अदा करें। सीढ़ी और दीगर अशियाए मस्जिद को भी बिला मुआवज़ा किसी को इस्तेमाल करने का हक़ नहीं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–146)

अगर मुतवल्ली की ख़्यानत साबित हो जाए?

मस्अलाः– अगर मुतवल्लिये मस्जिद से ख़्यानत साबित हो जाए तो बाक़ाएदा हाकिमे वक़्त के ज़रीआ़ उसका सुबूत दे कर तौलियत से अलाहिदा कर दिया जाए और अगर महज़ शुब्हा व ज़न्न है सुबूत नहीं तो अलाहिदा न किया जाए, अलबत्ता मुतवल्ली को लाज़िम है कि जुमला हिसाब व किताब साफ़ रखे, या अरबाबे हल्ल व अक़्द की एक कमेटी बना दी जाए ताकि किसी को शुब्हा व एतेराज़ की गुंजाइश न हो।

सरमायए मसाजिद मुतवल्ली के पास अमानत होता है उसको अपने क़ाम में लाना या किसी को क़र्ज़ देना दुरुस्त नहीं, उसको सिर्फ़ मस्जिद के काम में ख़र्च करने का हक़ है। नाहक़ अगर तसर्रुफ़ करेगा तो ज़ामिन होगा।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–141 बहवाला अलामगीरी जिल्द–2 सफ़्हा–420 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–9 सफ़्हा–243)

मस्अलाः– मुतवल्ली को चाहिए कि मस्जिद की तमाम आमदनी उसकी ज़रूरीयात में ख़र्च करे और जो बच जाए उसको मस्जिद के लिए बाक़ी रखे, अपने ज़ाती सर्फ़ में लाना जाइज़ नहीं है। अगर वह ऐसा करे तो ये ख़्यानत है, उस मुतवल्ली को माज़ूल करना चाहिए, और मुसलमान अह्ले शहर व अह्ले मुहल्ला इस वजह से उसको माज़ूल कर सकते हैं और दूसरे शख़्स को मुतवल्ली

बना सकते हैं, वह शख़्स बानी की तरफ़ से मुतवल्ली बनाया गया हो या बाद में मुतवल्ली हुआ हो, दोनों सूरतों में उसको अलग कर सकते हैं और हिसाब व किताब समझ सकते हैं।

दुर्रेमुख़्तार में है कि अगर ख़ुद बानी भी ऐसी ख़्यानत करे तो उसको माज़ूल करना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम क़दीम जिल्द–5 सफ़्हा–244)

मुतवल्ली का इमाम साहब को नौकर समझना?

मस्अलाः– इमाम का मंसब बहुत बुलन्द है, मुतवल्ली साहब का इमाम साहब को अपना नौकर समझना और ज़िल्लत आमेज़ मआमला करना ग़लत और नाजाइज़ है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–92 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–355)

मुतवल्ली और इमाम में सलाम व कलाम न होना

मस्अलाः– बड़े ग़ज़ब की बात है कि दुआ व सलाम बिल्कुल बन्द हो, फ़ौरन दुआ व सलाम शुरू कर दी जाए। दूसरे हज़रात दोनों को एक जगह बिठा कर कोशिश कर के दुआ व सलाम करा दें। जो शख़्स इब्तिदा करेगा वह क़ाबिले मुबारक बाद होगा, इमाम साहब अगर इब्तिदा करें तो ये उनकी बुज़ुर्गी के ज़्यादा लाइक़ है। मुतवल्ली साहब अगर इब्तिदा करें तो ये उनके लिए ऐन सआदत है।

जिस इमाम के पीछे नमाज़ अदा कर के अपने अल्लाह का हक़ अदा करते हैं और अपनी आख़िरत को दुरुस्त करते हैं, उनसे नाराज़ रहना, दुआ व सलाम न करना और उनको ज़लील करना बहुत बड़ी महरूमी और बदक़िस्मती है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़्हा–185)

"आम तौर पर मस्जिदों में ऐसे हज़रात इमाम मुक़र्रर किए जाते हैं जिन्हें दुनिया की तो क्या दीन की भी पूरी वाक़िफ़ीयत नहीं होती, कम अज़ कम ऐसे शख़्स को इमाम बनाना चाहिए जो लोगों की दीनी और अख़्लाक़ी इस्लाह कर सके, समाजी उमूर में लोगों को शरई रहनुमाई कर सके, इख़्तिलाफ़ी मसाइल में फ़ैसला कर सके, मुआशरा की इस्लामी ख़ुतूत पर शीराज़ा बन्दी कर सके और समाज में उसका मक़ाम मंसबे इमामत के शायाने शान हो।

इमामत दरहक़ीक़त एक बड़ी ज़िम्मादारी है, क्योंकि यही वरासते नबवी (स.अ.व.) है। ये ज़िम्मादारी उन्ही लोगों को सौंपी जानी चाहिए जो इसके अह्ल हों। रसूलुल्लाह (स.अ.व.) का मामूल था कि जिस किसी को लश्कर का सरदार बना कर भेजते तो उसको ही नमाज़ की इमामत पर मामूर फ़रमाते थे और यहाँ तक कि जब किसी को हाकिम बना कर भेजते तो वही नमाज़ की इमामत करते और हुदूद नाफ़िज़ करते थे।

इमाम को मुक़्तदियों के हालात, मसाइल, मुश्किलात और ज़रूरीयात से किस हद तक बा–ख़बर होना चाहिए और कैसी वाबस्तगी रखनी चाहिए इसका अन्दाज़ा अबूमस्ऊद अन्सारी (रज़ि0) की रिवायत से हो सकता

है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह! मैं नमाज़ बा–जमाअत नहीं पढ़ता हूं क्योंकि फ़लाँ साहब बड़ी लम्बी नमाज़ पढ़ाते हैं। इस पर हुज़ूर (स.अ.व.) इस क़दर ख़फ़ा हुए कि इससे पहले आप (स.अ.व.) इतना ख़फ़ा नहीं हुए थे। और आप (स.अ.व.) ने फ़रमायाः लोगो! तुम (नमाज़ से) लोगों को दूर करते हो।"

इस हदीस शरीफ़ से मालूम होता है कि उम्मत के साथ जो तअल्लुक़ और क़ल्बी लगाव आप (स.अ.व.) को है वही तअल्लुक़ा आप इमामों का भी देखना चाहते हैं। तफ़सील देखिए मसाइले इमामत में।

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)

क्या मुतवल्ली मस्जिद का रुपया मआफ़ कर सकता है?

सवालः मस्जिद के मुतवल्ली, इमाम या मस्जिद के किसी ख़िदमती मुअज़्ज़िन वग़ैरा को मस्जिद की बक़ाया रक़म जब कि मजबूरी हो अदा न कर सकता हो, मआफ़ कर सकते हैं या नहीं?

जवाबः इस रुपया को मआफ़ करने का किसी को हक़ नहीं है, जो लोग मआफ़ कराना चाहते हैं वह चन्दा कर के उसकी तरफ़ से अदा कर दें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–156)

मुतवल्ली का इमाम को पेशगी तन्ख़्वाह देना?

सवालः इमाम साहब मकान बनाना चाहते हैं, क्या

मुन्तिज़मा कमेटी उनको पेशगी रक़म दे दे और तन्ख़्वाह से माहवार काटती रहे?

जवाबः उर्फ़े आ़म के मुताबिक़ पेशगी तन्ख़्वाह दी जा सकती है, बशर्तेकि मुलाज़मत छोड़ने की सूरत में रक़म वापस लेने और वफ़ात की सूरत में तर्का से वसूल करने की कुदरत हो। (अहसनुलफ़तावा ज़िल्द–4 सफ़्हा–447)

मस्अलाः– मस्जिद की आमदनी से इमाम व मुअ़ज़्ज़िन की तन्ख़्वाह देना जाइज़ है और कमी व बेशी का फ़ैसला वक़्फ़ आमदनी से मिक़्दारे लियाक़त इमाम व मुअ़ज़्ज़िन के लिहाज़ से किया जा सकता है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–7 सफ़्हा–62)

आमदनी के बावजूद मुतवल्ली का इमाम को कम तन्ख़्वाह देना?

मस्अलाः– जब मस्जिद की आमदनी काफ़ी है और इमाम व ख़तीब साहब मुद्दत से ख़िदमत अन्जाम दे रहे हैं। जुमा के दिन ब्यान भी करते हैं, नेक और मुत्तक़ी भी हैं और साहबे अ़याल भी हैं, तो मस्जिद के मुतवल्लियों पर लाज़िम है कि उनकी तन्ख़्वाह में, गिरानी को पेशे नज़र रखते हुए इज़ाफ़ा करें, मस्जिद की आमदनी होने के बावजूद इमाम साहब के घरेलू इख़राजात के मुताबिक़ तन्ख़्वाह न देना ज़ुल्म है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–9 सफ़्हा–226)

मस्अलाः– फ़ुक़हाए किराम ने इस बात की तस्रीह की है कि मस्जिद के मुतवल्ली और मदारिस के मोहतमिम को लाज़िम है कि ख़ादिमाने मसाजिद व मदारिस को उनकी हाजत के मुताबिक़ और उनकी इल्मी क़ाबिलीयत

और तक़्वा व सलाह को मलहूज़ रखते हुए वज़ीफ़ा व मुशाहरा (तन्ख़्वाह) देते रहें, बावजूद गुन्जाइश के कम देना बुरी बात है और मुतवल्ली ख़ुदा के यहाँ जवाब देह होंगे। (दुर्रेमुख़्तार व शामी जिल्द–3 सफ़्हा–289 व जिल्द–3 सफ़्हा–78)

क्या मुतवल्ली वक़्फ़ को फ़रोख़्त कर सकता है?

सवालः किसी वक़्फ़ के मुतवल्ली ने वक़्फ़ के एक हिस्सा को बेच कर बक़ाया हिस्सा की मरम्मत पर ख़र्च कर दिया, क्या मुतवल्ली का ये फ़ेल शरअ़न जाइज़ है, क्या ऐसा शख़्स मुतवल्ली रह सकता है?

जवाबः वक़्फ़ के किसी हिस्सा की बैअ़ (फ़रोख़्त करना) जाइज़ नहीं है, वक़्फ़ की आमदनी किराया वग़ैरा से मरम्मत करना दुरुस्त है, अगर हाकिमे मुस्लिम के ज़रीआ से वक़्फ़ में नाजाइज़ तसर्रुफ़ करने वाले मुतवल्ली को अलाहिदा करना दुश्वार हो तो फिर क़स्बा के अरबाबे हल्ल व अ़क़्द मुतवल्ली को अलाहिदा कर सकते हैं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–262)

मस्अलाः– अस्ल ये है कि जब कोई चीज़ शरई क़वाएद के मुताबिक़ वक़्फ़ हो जाए तो बेचना नाजाइज़ है, जिस ज़मीन को शरई मस्जिद बना दिया गया, उसकी बैअ़ किसी हाल में दुरुस्त नहीं है, वह हमेशा हमेशा के लिए वक़्फ़ और मस्जिद बन चुकी। जाएदादे मन्क़ूला जो कि मस्जिद की मिल्क है वह इस बारे में मस्जिद के हुक्म में नहीं है, जब मस्जिद ग़ैर–आबाद हो जाए और कोई तवक़्क़ो उसकी आबादी की न रहे और उसकी जाएदाद ज़ाए

होने का अन्देशा हो, तो उसकी बैअ़ दुरुस्त है और ऐसी हालत में बेहतर ये है कि बिअ़ैनिही उस जाएदाद को किसी क़रीबी मस्जिद में सर्फ़ किया जाए, अगर ये दुश्वार हो तो उसको फ़रोख़्त कर के उसकी क़ीमत को दूसरी मस्जिद में ख़र्च किया जाए, और गै़र–आबाद मस्जिद का एहतेराम बाक़ी रखने के लिए अगर उसकी चहारदीवारी न हो तो उसका एहाता बनाया जाए।

और जो जाएदाद गै़र मन्कूला ज़मीन वगै़रा मस्जिद के लिए ख़रीदी गई, मस्जिद के गै़र–आबाद होने या ज़रूरते शदीद पेश आने के वक़्त उसकी बैअ़ अह्ले मुहल्ला की राए से दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–191)

क्या मुतवल्ली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अवाम को रोक सकता है?

सवालः अगर किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की आम इजाज़त न हो और मुतवल्ली नमाज़ियों को देख कर ये कहे कि शहर के अन्दर बहुत सी मसाजिद हैं यहीं कोई ज़रूरी है? तो क्या उसके कहने से उस मस्जिद में नमाज़ हो सकती है?

जवाबः शरई मस्जिद से किसी नमाज़ी यानी नमाज़ पढ़ने वाले को नमाज़ से रोकने का हक़ किसी को नहीं है, जो शख़्स रोकता है वह ग़लती पर है, उसके रोकने की वजह से वह मस्जिद उसकी मिल्कियत नहीं हो जाएगी, बल्कि उसका रोकना ग़लत होगा, और नमाज़ उस मस्जिद में दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–199)

मस्अलाः– जब कोई शख़्स अपनी ज़मीन में मस्जिद बना दे या मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दे दे, तो उसको

ये हक़ नहीं कि किसी भी मुसलमान को वहाँ नमाज़ पढ़ने से रोके, नमाज़ पढ़ने से रोकना बड़ा जुल्म है।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰہِ. الخ (سورہ بقرہ پارہ: ۱)

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–197 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–121)

मसाजिद में नमाज़ से रोकना?

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰہِ اَنْ یُّذْکَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰی فِیْ خَرَابِهَا ط اُولٰٓئِکَ مَا کَانَ لَهُمْ اَنْ یَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِیْنَ ط

आयत का शाने नुजूल तो मुफ़स्सिरीन के नज़दीक इन दोनों वाक़िओं में से कोई ख़ास वाक़िआ है, मगर उसका ब्यान आम लफ़्ज़ों में एक मुस्तक़िल ज़ाब्ता और क़ानून के अलफ़ाज़ में फ़रमाया गया है, ताकि ये हुक्म उन्हें नसारा या मुश्रिकीन वग़ैरा के लिए मख़्सूस न समझा जाए, बल्कि तमाम अक़्वामे आलम के लिए आम रहे, यही वजह है कि इस आयत में ख़ास बैतुलमक़्दिस का नाम लेने के बजाए "मसाजिदल्लाह" फ़रमा कर तमाम मसाजिद पर उसके हुक्म को आम कर दिया गया, और आयत का मज़मून ये हो गया, कि जो शख़्स अल्लाह तआला की किसी मस्जिद में लोगों को अल्लाह तआला का ज़िक्र करने से रोके, या कोई ऐसा काम करे जिससे मस्जिद वीरान हो जाए तो वह बहुत बड़ा ज़ालिम है।

मसाजिदल्लाह की अज़मत का मुक़्तज़ा ये है कि उनमें जो शख़्स दाख़िल हो, हैबत व अज़मत और ख़ुशूअ और ख़ुज़ूअ के साथ दाख़िल हो, जैसे किसी शाही दरबार में दाख़िल होते हैं।

इस आयत से जो चंद ज़रूरी मसाइल व अहकाम

निकले, उनकी तफ़सील ये है:—

अव्वल ये कि दुनिया की तमाम मसाजिद आदाबे मस्जिद के लिहाज़ से मुसावी हैं, जैसे बैतुलमुक़द्दस, मस्जिदे हराम या मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) की बेहुरमती ज़ुल्मे अज़ीम है, उसी तरह दूसरी तमाम मसाजिद के मुतअ़ल्लिक़ भी यही हुक्म है, अगरचे इन तीनों मसाजिद की ख़ास बुज़ुर्गी व अज़मत अपनी जगह मुसल्लम है कि मस्जिदे हराम में एक नमाज़ का सवाब एक लाख नमाज़ों के बराबर और मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) व नीज़ बैतुलमुक़द्दस में पच्चास हज़ार नमाज़ों के बराबर मिलता है, इन तीनों मसाजिद में नमाज़ पढ़ने की ख़ातिर दूर दराज़ मुल्कों से सफ़र कर के पहुंचना मूजिबे सवाबे अज़ीम और बाइसे बरकात है। बख़िलाफ़ दूसरी मसाजिद के कि इन तीनों के अलावा किसी दुसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने को अफ़ज़ल जान कर उसके लिए दूर से सफ़र कर के आने को आँहज़रत (स.अ.व.) ने मना फ़रमाया है।

दूसरा मस्अला ये मालूम हुआ कि मस्जिद में ज़िक्र व नमाज़ से रोकने की जितनी भी सूरतें हैं वह सब नाजाइज़ व हराम हैं, उनमें से एक सूरत तो ये खुली हुई है ही कि किसी को मस्जिद में जाने से या वहाँ नमाज़ व तिलावत से सराहतन रोका जाए, दूसरी सूरत ये है कि मस्जिद में शोर व शग़ब कर के या उसके क़ुर्ब—व—जवार में बाजे गाजे बजा कर लोगों की नमाज़ व ज़िक्र वग़ैरा में ख़लल डाले, ये भी ज़िक्रुल्लाह से रोकने में दाख़िल है।

इसी तरह औक़ाते नमाज़ में जब कि लोग अपनी नवाफ़िल या तस्बीह व तिलावत में मशगूल हों, मस्जिद में

कोई बुलन्द आवाज़ से तिलावत या ज़िक्र बिलजेहर करने लगे, तो ये भी नमाज़ियों की नमाज़ व तस्बीह में ख़लल डालने और एक हैसियत से ज़िक्रुल्लाह को रोकने की सूरत है, इसलिए हज़राते फुक़हा ने इसको भी नाजाइज़ क़रार दिया है, हाँ जब मस्जिद आम नमाज़ियों से ख़ाली हो, उस वक़्त ज़िक्र या तिलावते जेहर का मुज़ाएक़ा नहीं।

इसी से ये भी मालूम हो गया कि जिस वक़्त लोग नमाज़ व तस्बीह वग़ैरा में मशगूल हों मस्जिद में अपने लिए सवाल करना या किसी दीनी काम के लिए चन्दा करना भी ऐसे वक़्त मम्नूअ़ है।

तीसरा मस्अला:– ये मालूम हुआ कि मस्जिद की वीरानी की जितनी भी सूरतें हैं सब हराम हैं, इसमें जिस तरह खुले तौर पर मस्जिद को मुन्हदिम और वीरान करना दाख़िल है, उसी तरह ऐसे अस्बाब पैदा करना भी उसमें दाख़िल हैं जिनकी वजह से मस्जिद वीरान हो जाए, और मस्जिद की वीरानी ये है कि वहाँ नमाज़ के लिए लोग न आएं, या कम हो जाएं, क्योंकि मस्जिद की तामीर व आबादी दरअस्ल दरोदीवार या उनके नक़्श व निगार से नहीं, बल्कि उनमें अल्लाह का ज़िक्र करने वालों से है। इसीलिए कुरआन शरीफ़ में एक जगह इरशाद है:–

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ. (سورہ توبہ پارہ: ١٠)

"यानी अस्ल में मस्जिद की आबादी उन लोगों से है जो अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाएं और रोज़े क़यामत पर, और नमाज़ क़ाइम करें, ज़कात अदा करें और अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी से न डरें।" (सूरए तौबा पारा: 10)

इसीलिए हदीस में रसूले करीम (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि कुर्बे क़यामत में मुसलमानों की मस्जिदें बज़ाहिर आबाद और मुज़ैय्यन व ख़ूब सूरत होंगी, मगर हक़ीक़तन वीरान होंगी कि उनमें हाज़िर होने वाले नमाज़ी कम हो जाएंगे।

और अगर आयत का शाने नुज़ूल वाक़िआए हुदैबिया और मुश्रिकीने मक्का का मस्जिदे हराम से रोकना है तो इसी आयत से ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि मसाजिद की वीरानी सिर्फ़ यही नहीं कि उन्हें मुन्हदिम कर दिया जाए, बल्कि मसाजिद जिस मक़सद के लिए बनाई गई हैं यानी नमाज़ और ज़िक्रुल्लाह, जब वह न रहे या कम हो जाए तो मसाजिद वीरान कहलाऐंगी।

हज़रत अली (रज़ि0) के इस इरशाद में मस्जिदों के आबाद करने का मतलब यही है कि वहाँ ख़ुशूअ़ व खुज़ूअ़ के साथ हाज़िर भी हों, और वहाँ हाज़िर हो कर ज़िक्र व तिलावत में मशगूल रहें, अब इसके मुक़ाबले में मस्जिद की वीरानी ये होगी कि वहाँ नमाज़ी न रहें या कम हो जाऐं। (मआरिफ़ुल क़ुरआन जिल्द–1 सफ़्हा–243 तफ़सीर सूरए तौबा पाराः 10)

मस्जिदों का एक और निज़ाम ईदगाह के नाम से

इस हफ़्तावार इज्तिमाअ़ के अलावा साल में दो मख़्सूस इज्तिमाअ़ और भी हुआ करते हैं। एक को ईदुलफ़ित्र कहते हैं और दूसरा ईदुलअज़्हा के नाम से क़ाइम है। इसका मस्जिदों से बड़ा गहरा तअ़ल्लुक़ है और ये मस्जिदों के निज़ाम से अलग नहीं कहा जा सकता, ईदगाह बहुत से शरई अहकाम में मस्जिद के ताबेअ़ है और इससे बढ़

कर ये कि उमूमन ये इज्तिमाअ़ मस्जिद में भी होता रहता है, फ़र्क़ ये है कि ये पंज वक़्ता नमाज़ों में दाख़िल नहीं है, बल्कि अलाहिदा है और साल में ये दो नमाज़ें सिर्फ़ दो मरतबा पढ़ी जाती हैं। शरीअ़त में इन नमाज़ों को वुजूब का दर्जा हासिल है, इसी वजह से इसके लिए न अज़ान होती है न तक्बीर बक़िया शराइत तक़रीबन वही हैं जो जुमा के लिए हैं।

ये इज्तिमाअ़ हफ़्तावार इज्तिमाअ़ की निस्बत से ज़रा शानदार होता है, इसमें एहतेमाम कुछ ज़्यादा होता है और उमूमन इसकी अदाएगी बजाए मस्जिद के बाहर मैदान में होती है, एक में सदक़ए फ़ित्र का हुक्म है और दूसरी में क़ुर्बानी का, जिससे गुरबा व फ़ुक़रा की थोड़ी बहुत इम्दाद हो जाती है, और इस तरह वह भी इस मुसर्रत में बराबर के शरीक हो जाते हैं।

ज़ख़ीर–ए–अहादसी को सामने रख कर जब ग़ौर कीजिए तो ये भी मालूम होगा कि इस मौक़ा से जहाँ और बहुत से फ़ाएदे और मसालेह मक़्सूद हैं वहाँ शिकोहे इस्लाम और शौकते मुस्लिमीन का इज़्हार भी है और ग़ालिबन इसी वजह से हुक्म है कि एक रास्ता से जाए और वापसी दूसरे रास्ता से हो, बल्कि एक में तो बा– आवाज़े बुलन्द तक्बीर का भी हुक्म है।

कुतुबे हदीस में ये वाक़िआ भी मुन्दरज है कि आँहज़रत (स.अ.व.) ने ईद के मौक़ा पर औरतों के इज्मिाअ़ का भी हुक्म दिया है, हत्ता कि उन औरतों को भी निकलने का हुक्म है जो नमाज़ नहीं पढ़ सकती हैं। इस की वजह बाज़ उलमा यही बताते हैं कि शुरू इस्लाम में इससे बड़ी

हद तक इजहारे शान व शिकोह था और अब चूंकि ये जरूरत उस पैमाना पर बाक़ी नहीं रही इसलिए औरतों का इज्तिमाअ नापसंद किया जाता है।

इज्तिमाऐ ईदैन की अहमियत

इन इज्तिमाऐ ईदैन से भी ख़ैरुलकुरून में काम लिया गया है और आज भी इन से काम लिया जा सकता है। ये अलग बात है कि हम दीन की इन हिकमतों से वाक़िफ़ नहीं और ये कि इस इज्तिमाअ से काम लेना छोड़ दिया, आज भी अगर अरबाबे फ़ज़्ल व कमाल इस तरफ़ तवज्जोह दें तो इन इज्तिमाआत से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का काम लिया जा सकता है, दीन की बातों की इशाअत बसुहूलत हो सकती है, बहुत से उन मुसलमानों को जो दीन से नाआशना हैं उन्हें दीन की तालीम दी जा सकती है।

बहरहाल आज हम अपनी गफलतों की वजह से जो भी करें, मगर हदीसों से मालूम होता है कि आँहज़रत (स.अ.व.) ने इन इज्तिमाऐ दीनी से बड़ा काम लिया। तब्लीग़ व इशाअत में इनसे आप (स.अ.व.) को बड़ी मदद मिली है, जिहाद जैसा अहम काम भी इस मौका से आप (स.अ.व.) ने अन्जाम दिया है, बल्कि हदीस में इसका कुछ खुसूसियत से जिक्र मिलता है। हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि0) फरमाते हैं:–

नबीये अकरम (स.अ.व.) ईदुलफित्र और ईदुलअज़्हा में ईदगाह शरीफ लाते, सब से पहले नमाज़ अदा फ़रमाते, फिर फारिग हो कर लोगों की तरफ तवज्जोह फरमाते और लोग अपनी जगह बैठे होते, उनको नसीहत फरमाते और ताकीदी हुक्म देते। अगर लश्करे इस्लाम की रवानगी

का इरादा होता तो उसको रवाना फ़रमाते, या किसी ज़रूरी काम का अन्जाम देना मन्जूर होता तो उसके मुतअल्लिक़ हुक्म नाफ़िज़ फ़रमाते,, फिर वापस होते।

(बुख़ारी बाबुलखुरूज इललमुसल्ला)

मुल्की और दीनी काम

ये हदीस कितनी वाज़ेह है, अलफ़ाज़े हदीस में इस इज्तिमाअ के मोहतम्म बिश्शान होने पर किस क़दर ज़ोर मालूम होता है। आँहज़रत (स.अ.व.) ने कितना अज़ीमुश्शान मस्रफ़ लिया, मुजाहिदीन की रवानगी का काम कोई मामूली काम नहीं है। काश इससे हम सबक़ हासिल करें और मुल्की या दीनी जिस तरह का काम दरपेश आए इससे मदद लें, इस वजह से और भी कि इस तरह का इज्तिमाअ आज कल आसान काम नहीं और ग़ालिबन इसी हिकमत के पेशे नज़र ईद का ख़ुतबा नमाज़ के बाद रखा गया है कि बइत्मीनान तब्लीग़ व इशाअते दीन का काम अन्जाम पा सके, बख़िलाफ़ जुमा के कि वह निस्बतन जल्द जल्द होता है, ख़ुतबा नमाज़ से पहले रखा गया है, बिला शुब्हा ये भी बात है कि जुमा के बाद नवाफ़िल व सुनन हैं जो ईद की नामज़ के बाद नहीं हैं।

इशाअ़त व तब्लीग़ का मौक़ा

आज भी हम इस इज्तिमाअ से दीनी और दुनियावी फ़ाएदे हासिल कर सकते हैं, यहाँ इशाअते दीन का बड़ा अच्छा मौक़ा है। लोग सब से अलाहिदा हो कर सिर्फ़ दीन के लिए जमा होते हैं और सब से कट कर एक मक़्सद के लिए दूर दराज़ से चल कर आते हैं, ख़ुदा करे मुसलमानों की सोई हुई बस्ती जागे और "निज़ामे मसाजिद"

के इन अहम शोबों पर ग़ौर व फ़िक्र करे।

(इस्लाम का निज़ामे मसाजिद अज़: सफ़्हा—86 ता 88)

ईदगाह और मस्जिद में फ़र्क़ क्या है?

सवालः ईद गाह का हुक्म शरअ़न मस्जिद की तरह है या कुछ फ़र्क़ है और ईद गाह की हुदूद के अन्दर स्कूल या दीनी मदरसा क़ाइम करना कैसा है। नीज़ ईद गाह की हुदूद के अन्दर मवेशियों और इन्सानों का रास्ता चलना, बच्चों का खेल कूद करना जाइज़ है या नहीं? नीज़ ईद गाह के बिलमुक़ाबिल बिला हाएल क़ब्रस्तान हो तो ऐसी ईद गाह में नमाज़ पढ़ना कैसा है?

जवाबः जावाज़े इक़्तिदा में ईद गाह मस्जिद के हुक्म में है, और बक़िया अहकाम में मस्जिद के हुक्म में नहीं बल्कि फ़िना—ए—मस्जिद और मदरसा वग़ैरा के हुक्म में है जो चीज़ें फ़िना—ए—मस्जिद व मदरसा वग़ैरा में जाइज़ हैं, वह ईद गाह में जाइज़ हैं, और जो वहाँ नाजाइज़ वह यहाँ भी नाजाइज़ हैं, ज़ाहिर है कि मदारिस और फ़िना—ए—मस्जिद मवेशियों या अवाम के रास्ता के लिए नहीं होते, पस ईद गाह की इससे हिफ़ाज़त चाहिए, बच्चों का खेल खेलना गुन्जाइश रखता है, लेकिन मुस्तक़िल खेल के लिए ईद गाह को मुक़र्रर करना या उसको फ़ील्ड बनाना नहीं चाहिए।

अगर क़ब्रें बिल्कुल मुत्तसिल हैं और सज्दा के सामने हैं तो वहाँ नमाज़ मकरूहे तहरीमी है अगर दायें या बायें या पीछे हैं तो इस तरतीब से कराहत में कमी है, अगर फ़ासिला ज़्यादा है तो कराहत नहीं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द—8 सफ़्हा—316, किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द—3 सफ़्हा—129

व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–228)

मस्अलाः– ईद गाह में नमाज़े जनाज़ा जाइज़ है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–143)

मस्अलाः– ईद गाह जवाज़े इक़्तिदा के हक़ में मस्जिद के हुक्म में है, बक़िया उमूर में मस्जिद के हुक्म में नहीं, जैसा कि बहालते जनाबत मस्जिद में दाख़िल होना मम्नूअ़ है। इस तरह ईद गाह में मम्नूअ़ नहीं।

(दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–684)

मस्अलाः– ईद गाह में बतौरे तशक्कुर नमाज़ अदा करने के लिए इज्तिमाअ़ होता है, लिहाज़ा नमाज़े ईद और ईद के मुख़्तलिफ़ अहकाम और मवाइज़ ब्यान किए जाएँ। मुस्लिम लीग और काँग्रेस रुसूम (सियासी) के लिए अलाहिदा इज्मिमाअ़ किया जाए तो बेतहर है।

मस्अलाः– फुटबॉल खेलना भी वहाँ ग़रज़े वाक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, इससे भी एहतेराज़ किया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–161 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–357)

मस्अलाः– ईद गाह बहुत से उमूर में मस्जिद के हुक्म में है, इसलिए ईद गाह में खेल तमाशा और कुश्ती वग़ैरा का करना और हारमूनियम, बाजा बजाना और गाना ये जुमला उमूरे मुहर्रमा हराम और नाजइज़ हैं। मुतवल्लिये ईद गाह हरगिज़ इन उमूर की इजाज़त किसी को नहीं दे सकता और बिला इजाज़त या बाइजाज़ते मुतवल्ली भी किसी को भी इन उमूर का इरतिकाब ईद गाह में करना दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–215 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–615)

मस्जिद को ईद गाह बनाना?

सवाल: एक गाँव में एक मस्जिद थी, मुहल्ला वालों ने मश्वरा कर के एक दूसरी मस्जिद बनाई, अब लोग ये चाहते हैं कि पहली मस्जिद की जगह में कुछ जगह चारों तरफ़ से मिला कर ईद गाह बना लें, दरयाफ़्त तलब बात ये है कि पहली मस्जिद की जगह के साथ और कुछ जगह मिला कर ईद गाह बनाई जाए या नहीं?

जवाब: जिस मक़ाम पर ईद की नमाज़ जाइज़ है वहाँ ईद की नमाज़ मस्जिद में भी जाइज़ है और ईद गाह में भी जाइज़ है, लेकिन अगर उज़्र क़वी न हो तो ईद गाह में जा कर पढ़ना सुन्नत है, पस अगर वह गाँव ऐसा बड़ा है कि जिसमें जुमा व ईदैन की नमाज़ दुरुस्त है यानी अपनी आबादी और दीगर ज़रूरीयाते बाज़ार वग़ैरा के लिहाज़ से क़स्बा के मिस्ल है जिस की आबादी कम अज़ कम तीन हज़ार हो तो वहाँ मस्जिद और ईद गाह दोनों जगह नमाज़ दुरुस्त है। अगर वह गाँव ऐसा नहीं बल्कि छोटा गाँव है, तो ईद की नमाज़ न मस्जिद में दुरुस्त है और न ईद गाह में।

मस्जिद को ईद गाह बनाने का मतलब अगर ये है कि उसमें नमाज़े पंजगाना भी होती रहे और वह जगह इस क़दर वसीअ़ हो कि ज़रूरत के वक़्त ईद की नमाज़ भी हो सके तो इसमें कोई मुज़ाएक़ा नहीं और ये उस वक़्त है जब कि वहाँ ईद की नमाज़ दुरुस्त हो जाती हो, और अगर ये मतलब है कि उसको सिर्फ़ ईद के लिए मख़्सूस कर दिया जाए और नमाज़े पंजगाना उससे मौक़ूफ़ कर दी जाए तो ये क़तअ़न नाजाइज़ है, ख़्वाह वहाँ ईद

की नमाज़ होती हो या न होती हो, क्योंकि इससे मस्जिद मुअत्तल हो जाएगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–469)

रफ़ए फ़साद के लिए दूसरी ईद गाह बनाना?

मस्अलाः– फ़साद व तफ़्रिक़ा पैदा करने के लिए दूसरी ईद गाह बनाना नाजाइज़ है, अलबत्ता अगर फ़साद किसी वजह से पैदा हो गया और उसका दफ़ीआ बजुज़ दूसरी ईद गाह बनाने के दुश्वार है तो दूसरी ईद गाह बनाना दुरुस्त है। बहरहाल जब वह ईद गाह बन चुकी और बाक़ाएदा वक़्फ़ कर दी गई तो उसमें और पहली ईद गाह में दोनों जगह नमाज़ दुरुस्त है। ईद गाह मुस्तहिक़्क़े तक़दीम है, हत्तलवुस्अ रफ़ए फ़साद ज़रूरी है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–470)

मस्अलाः– जब कि एक ईद गाह काफ़ी है तो बिला ज़रूरते शरई दूसरी ईद गाह बनाना शरीअत की मन्शा के ख़िलाफ़ है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–356)

मस्अलाः– शहर वसीअ हो, दूर दूर तक मुसलमान आबाद हों और ईद गाह तक पहुंचना दुश्वार हो तो ज़रूरत और दफ़ए हरज के पेशे नज़र एक से ज़ाएद ईद गाहें बनाना दुरुस्त है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–357)

छोटी बस्ती में ईद गाह बनाना?

मस्अलाः– जब कि बस्ती इतनी छोटी है कि वहाँ नमाज़े जुमा क़ाइम करने की शराइत नहीं पाई जातीं तो वहाँ ईद की नमाज़ भी अदा करना सही नहीं। और जब उन पर ईद की नमाज़ नहीं है तो ईद गाह बनाना भी ज़रूरी नहीं है, लिहाज़ा ये (छोटी बस्ती वाले) तारिके

सुन्नत न होंगे, अलबत्ता क़स्बा में (जहाँ पर नमाज़े जुमा जाइज़ है) अगर ईद गाह नहीं है तो उन पर ईद गाह बनाना ज़रूरी है, ना बनाऐंगे तो तारिके सुन्नत होंगे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–356)

क्या ईद गाह बनाना ज़रूर है?

मस्अला:– आबादी से बाहर सेहरा (जंगल) में जा कर नमाज़े ईद अदा करना अफ़ज़ल है और सुन्नत है, ख़्वाह ईद गाह हो या न हो, ईद गाह मुस्तक़िल बना लेना क़रीने मस्लिहत है, ताकि किसी का ये एतेराज़ न हो कि हमारी ज़मीन और हमारे खेत में क्यों नमाज़ पढ़ते हैं, नीज़ मुम्किन है कि नमाज़ के वक़्त जगह ख़ाली न मिले, खेती खड़ी हो। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–16 सफ़्हा–536 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–676)

मस्अला:– नमाज़े ईद के लिए (ईद गाह का) वक़्फ़ होना और लोगों का वहाँ नमाज़ अदा करना बस इतना ही काफ़ी है, (वक़्फ़ होने के लिए) तहरीरी सुबूत लाज़िम नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–16 सफ़्हा–530)

ईद गाह आबादी में होने की वजह से फ़रोख़्त करना?

सवाल: ईद गाह आबादी के अन्दर आ जाने की वजह से उसको तोड़ कर आबादी के बाहर मुन्तक़िल करना चाहते हैं तो क्या ईद गाह को तोड़ कर उसकी ज़मीन में दूकान व मकान बना कर फ़रोख़्त किया जा सकता है या नहीं?

जवाब: अगर वह ईद गाह वक़्फ़ है तो उसकी ज़मीन फ़रोख़्त करना जाइज़ नहीं है, महज़ आबादी के अन्दर आ जाने की वजह से उसमें किसी क़िस्म के तग़ैय्युर की

ज़रूरत नहीं है, उसको अपने हाल पर रखें।

मस्अला:– मौजूदा ईद गाह अगर नाकाफ़ी है और आबादी से बाहर ईद गाह बनाने की ज़रूरत है तो दूसरी ईदगाह बनाने की मुमानअ़त नहीं है, बना ली जाए, ज़ोअ़फ़ा और कमज़ोरों, बीमारों के लिए मौजूदा ईद गाह को बाक़ी रखा जाए, पंचगाना नमाज़ भी उसमें दुरुस्त है।

ईद गाह की ज़मीन जब वक़्फ़ है तो उसको बेचना जाइज़ नहीं है, वक़्फ़ ज़मीन मिल्क से ख़ारिज हैं। बैअ़ अपनी मिल्क की हो सकती है इसलिए उसकी बैअ़ दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–16 सफ़हा–537)

रंजिश की वजह से दूसरी ईद गाह बनाई गई, सुलह होने पर उसका हुक्म?

मस्अला:– अगर चंदा की रक़म से ज़मीन ख़रीदी गई और वहाँ ईद की नमाज़ अदा की गई है और उस ज़मीन को नमाज़े ईदैन के लिए वक़्फ़ कर दिया गया है तो अब उसको फ़रोख़्त करना जाइज़ नहीं है, अब मज़कूरा ख़रीद कर्दा ज़मीन में नमाज़े ईदैन ही अदा की जाए, वक़्फ़ करने से पहले इस बात पर ग़ौर करने की ज़रूरत थी।

अगर उसको वक़्फ़ नहीं किया गया, बल्कि वक़्फ़ करने का इरादा था और महज़ आरज़ी तौर पर वहाँ नमाज़ अदा कर ली गई तो फिर चंदा देने वालों की इजाज़त से वहाँ मकान, दूकान बाग़ लगाना, काश्त करना सब कुछ दुरुस्त है, बल्कि फ़रोख़्त करना भी दुरुस्त है। उसकी क़ीमत या आमदनी को बेहतर तो ये है कि साबिक़ा (पुरानी) ईद गाह या दीगर मसाजिद और दीनी कामों में हसबे मवश्रा सर्फ़ कर लें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–310)

नामवरी के लिए ईद गाह बनाना?

सवालः मुतवल्ली साहब कहते हैं कि ईदगाह मैं अपने ही पैसे से बनवाऊँगा, मगर मेरा नाम ईद गाह पर दर्ज करा देना। तो ईद गाह पर तामीर कराने वाले का नाम दर्ज कराना कैसा है?

जवाबः ईद गाह अल्लाह तआ़ला को राज़ी करने के लिए बनाना बहुत सवाब का काम है। उस पर बनाने वाले का अपना नाम दर्ज कराना या उसकी पाबन्दी लगाना शोहरत और नामवरी के लिए उसके सवाब को बरबाद कर देगा। मुतवल्ली साहब को चाहिए कि ऐसा न करें और ऐसे इरादा से तौबा व इस्तिग़फ़ार कर के अल्लाह तआ़ला से इख़्लास की दुआ़ करें, जिस काम में इख़्लास न हो वह अल्लाह तआ़ला की बारगाह में मक़्बूल नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–178)

ईद गाह को क़ब्रस्तान बनाना?

मस्अलाः– अगर वह जगह वक़्फ़ है और नमाज़े ईद के लिए वक़्फ़ है तो उसको तौड़ कर वहाँ मैय्यत दफ़्न करना दुरुसत नहीं है, बल्कि उसको ईद गाह ही रखा जाए (अगरचे वह जगह नमाज़े ईद के लिए कम पड़ जाती हो और) उसके आस पास जो क़ब्रस्तान है वह अगर पुराना हो गया, अब वहाँ मैय्यत दफ़्न नहीं की जाती बल्कि दूसरी जगह दफ़्न की जाती है तो ईद गाह की तैसीअ़ के लिए उस क़ब्रस्तान से जगह ली जा सकती है जब कि क़ब्रों में मैय्यत मिट्टी बन चुकी हों, वरना तो ये भी दुरुस्त है कि नमाज़े ईद का दूसरी जगह इन्तिज़ाम

कर लिया जाए और दो जगह नमाज़ हो जाया करे (तंगी की वजह से) या फिर दूसरी जगह ईद गाह बनाई जाए और मौजूदा ईद गाह (छोटी) में नमाज़े पंजगाना अदा की जाए। अलहासिल, मौजूदा ईद गाह तोड़ कर नमाज़ के अलावा दूसरे काम में न लाया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–301)

क़ब्रस्तान की आमदनी ईद गाह में ख़र्च करना?

मस्अलाः– क़ब्रस्तान की आमदनी को किसी और काम (मदरसा व ईद गाह) में सर्फ़ करना दुरुस्त नहीं है, हाँ! अगर क़ब्रस्तान में कोई ज़रूरत न हो, मसलन हिफ़ाज़त के लिए चहार दीवारी की ज़रूरत न हो, (हिफ़ाज़त के लिए) आदमी रखने की ज़रूरत न हो वग़ैरा वग़ैरा तो फिर बाहमी मश्वरा से मदरसा व ईद गाह में जहाँ ज़रूरत हो, तामीर, तन्ख़्वाह, वज़ीफ़ा, ख़रीदे कुतुब वग़ैरा में सर्फ़ कर सकते हैं ताकि आमदनी की रक़म ज़ाए न हो जाए और उस पर किसी की मिल्कियत न हो और ग़ासिबाना क़ब्ज़ा न हो जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–306)

एक से ज़ाएद जगह ईद की नमाज़?

मस्अलाः– नमाज़े ईद के लिए बेहतर ये है कि एक जगह पढ़ी जाए, लेकिन अवारिज़ की वजह से मसलन जगह तंग हो या इमामत पर झगड़ा होता हो वग़ैरा वग़ैरा तो एक से ज़ाएद जगह पढ़ने में भी कुछ हरज नहीं, बल्कि अगर एक जगह फ़ितना व फ़साद का ख़ौफ़ हो तो बेहतर ये है कि अलग अलग पढ़ी जाए ताहम तक़लीले

अफ़ज़ल वाजिब है। और मुसलमानों में तफ़्रिक़ा डालना गुनाह है इससे इज्तिनाब और तौबा लाज़िम है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–216 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–116)

मस्अलाः– अगरचे वक़्ते ज़रूरत एक से ज़ाएद जगह भी पढ़ने से नमाज़ अदा हो जाती है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–16 सफ़्हा–450)

दो मंज़िला ईद गाह

सवालः ईद गाह आबादी में आ गई और नमाज़ियों के लिए नाकाफ़ी होती है। आबादी से बाहर दूसरी ईद गाह बनाना औला है या उसी को दूसरी मंज़िल कर दिया जाए?

जवाबः ईद गाह को दो मंज़िला बना सकते हों तो दो मंज़िला बना लें, अगर आबादी से बाहर दूसरी ईद गाह बनाएं तो मौजूदा ईद गाह को पंजगाना नमाज़ के लिए मस्जिद क़रार दे लें।

और ये भी कर सकते हैं कि मौजूदा ईद गाह को ईद गाह ही रखें और उसमें माज़ूरीन नमाज़े ईद अदा कर लिया करें। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–7 सफ़्हा–216 व इम्दादुल अहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–454)

ईद गाह में छत डालना और ग़ैर आबाद में हस्पताल वग़ैरा की तामीर

सवालः (1) क्या ईद गाह मस्जिद है। (2) क्या ईद गाह सिर्फ़ उस मख़्सूस वक़्त के लिए मस्जिद के हुक्म में आती है जब ईदैन का इज्तिमाअ़ होता है। (3) ईदैन के इज्तिमाअ़ के अलावा ईद गाह का मक़ाम क्या है और

ऐसे वक़्त में क्या जंगल की तारीफ़ में आती है जहाँ पर काम किया जा सकता है?

जवाबः नमाज़े ईदैन आबादी से बाहर जा कर खुले मैदान (ग़ैर मुसक़्क़फ़) में अदा करना मसनून व मुस्तहब है, इसमें शौकते इस्लाम का इज़हार ज़्यादा है, धूप तेज़ होने से पहले अदा कर ली जाए। शदीद बारिश के वक़्त जामा मस्जिद में अदा की जाए। ऐसी हालत में (यानी शदीद बारिश वग़ैरा में) नमाज़ ईदुलफ़ित्र दो तारीख़ को और ईदुलअज़्हा ग्यारह तारीख़ को भी दुरुस्त है।

ईद गाह को मुसक़्क़फ़ करना ज़मान–ए सलफ़ में नहीं था और अब भी उमूमन नहीं है, ईद गाह का मैदान अदब व एहतेराम के लिहाज़ से मस्जिद के हुक्म में नहीं है, इसलिए वहाँ नमाज़े जनाज़ा मकरूह नहीं है। जो जगह नमाज़े ईद के लिए वक़्फ़ कर दी गई उसको दूसरे कामों में इस्तेमाल करने का हक़ नहीं रहा। जो जगह मसारिफ़े ईद गाह के लिए वक़्फ़ कर दी गई अब उसके मसारिफ़ तब्दील करने का हक़ नहीं रहा।

अलावा अज़ीं दीगर अक़वाम पर इसके ग़लत असरात भी पड़ सकते हैं कि मुसलमानों ने अपनी इबादत गाह को रिहाइश गाह या दफ़तर या हस्पताल या बैंक या ज़च्चा ख़ाना वग़ैरा बना लिया है, जिससे मालूम होता है कि उनके मज़हब में ज़रूरत के वक़्त इस क़िस्म का तसर्रुफ़ दुरुस्त है, फिर ग़ैर आबाद मसाजिद में इसकी इजाज़त क्यों न होगी। अब तक हुकूमत को भी यही मालूम है कि इबादत ख़ाना किसी दूसरे काम में नहीं आ सकता। इस पर बेशुमार मुक़द्दमात फ़ैसल किए गए हैं। अगर मेरठ में

मस्ऊला तसर्रुफ़ात किए गए तो ये तमाम मुल्क में नज़ीर बनेंगे और फ़ितनों का नया बाब खुल जाएगा और सरकार भी समाज की ज़रूरत के पेशे नज़र क़ब्ज़ा करना शुरू कर देगी और इसको ख़िलाफ़े मज़हब तसव्वुर नहीं किया जाएगा। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–18 सफ़हा–223)

रिहन शुदा ज़मीन पर ईद गाह बनाना?

सवालः अगर किसी ने वक़्ते मुतअैय्यनां के लिए ज़मीन फ़रोख़्त की फिर जब वक़्ते मुतअैय्यना वापसी का आया तो मुश्तरी (ख़रीदार) ने उस पर ईद गाह बना दी और बेचने वाला बार बार तक़ाज़ा करता है कि ईद गाह तोड़ दी जाए, तो क्या ऐसा करना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः ऐसी बैअ़ शरअ़न रिहन के हुक्म में है, जिससे इन्तिफ़ाअ़ नाजाइज़ है, इसका वक़्फ़ करना और ईद गाह वग़ैरा बना देना भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि मालिक को वापस कर देना ज़रूरी है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–301 बहवाला मजमूउलअन्हार जिल्द–1 सफ़हा–738)

ईद गाह शहीद कर के स्कूल बनाना?

मस्अलाः– ईद गाह को तोड़ कर उसकी जगह स्कूल बनाना हरगिज़ जाइज़ नहीं, ये ग़रज़े वाक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। مشروط الواقف كنص الشارع (दुर्रेमुख़्तार) मुन्तज़िमीन को मस्अला बता कर रोका जाए कि वह ऐसा न करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़हा–307 व अहसनुलफ़तावा जिल्द–6 सफ़हा–424)

ईद गाह का तबादला करना?

सवालः पुरानी ईद गाह से कुछ फ़ासिला पर दूसरी ज़मीन जो रक़बा में तीन गुनी है बदला में मुफ़्त मिल रही

है, अगर जदीद ईद गाह को बनाया जाए तो हर तरह की सुहूलत (वुस्अ़त वग़ैरा) है तो क्या तबादलए अराज़ी क़दीम व जदीद सही है?

जवाब: अगर साबिक़ ईद गाह वक़्फ़ है, तो उसके तबादला की इजाज़त नहीं, अगर नमाज़े ईदैन अदा करने के लिए दूसरी वसीअ़ जगह ईद गाह बना ली जाए तो ये साबिक़ ईद गाह भी वक़्फ़ रहेगी, उसमें बाग लगा कर जदीद ईद गाह की ज़रूरत में उसकी आमदनी सर्फ़ की जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–324)

> "या कमज़ोर, बीमार और ज़ोअफ़ा (बूढ़े) के लिए छोटी ईदगाह नमाज़े ईद के लिए रखी जाए या पंजगाना नमाज़ों के लिए मस्जिद बना दी जाए, अगर इसकी ज़रूरत न हो तो बाग़ वग़ैरा लगा कर उसकी आमदनी जदीद ईदगाह में सर्फ़ की जाए।"
>
> (रफ़अ़त)

नमाज़े ईद का ईद गाह में सुन्नत होना?

मस्अला:– ईद गाह जाते हुए और वापस आते हुए तकबीर पढ़ना मुस्तहब है, ईद गाह में पहुंच कर तकबीर मौक़ूफ़ कर देनी चाहिए, अगर ईदगाह में तकबीर आहिस्ता कहे तो गुंजाइश है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–163 बहवाला मराक़ियुलफ़लाह जिल्द–1 सफ़्हा–106)

मस्अला:– ईद गाह में जा कर नमाज़े ईद अदा करना मन्दूब है, अगरचे जामा मस्जिद में वुस्अ़त हो।

(तहतावी सफ़्हा–290)

मस्अला:– अगर ईद गाह में जा कर लोग नमाज़ अदा कर लें और कुछ लोग शहर की जामा मस्जिद में

पढ़ लें तब भी मुस्तहिक़्के मलामत नहीं हैं। सब लोग अगर मस्जिद ही में पढ़ें तो ख़िलाफ़े मन्दूब है।

(फ़तावा महमूदिया जिलद–16 सफ़्हा–535)

मस्अलाः– ईदैन की नमाज़ें ईद गाह में अदा करना सुन्नते मुअक्कदा मुतवारिस है, आँहज़रत (स.अ.व.) मस्जिदे नबवी (स.अ.व.) की फ़ज़ीलत के बावजूद "عـلـى سبـيـل الـمـواظبة (برسبيل عبادت)" ईदैन की नमाज़ ईद गाह में अदा फ़रमाते रहे, सिर्फ़ एक मरतबा बारिश की वजह से आप (स.अव.) ने मस्जिद में पढ़ी है।

नीज़ ईदैन के लिए ईदगाह जाना सुन्नत है, बिला उज्र इसका तारिक लाइक़े मलामत और मुस्तहिक्के इताब है और तर्क करने का आदी गुनहगार होता है, दुर्रेमुख़्तार में है कि मकरूहे तहरीमी के इरतिकाब से आदमी गुनहगार होता है, जिस तरह तर्के वाजिब से गुनहगार होता है और सुन्नते मुअक्कदा का भी यही हुक्म है। (शामी जिल्द–5 सफ़्हा–295)

मस्अलाः– शहर से ईद गाह दूर होने की वजह से ज़ईफ़ों और बीमारों को तकलीफ़ होती हो तो उनके लिए मस्जिद में ईदैन की नमाज़ का इन्तिज़ाम करने की इजाज़त फ़ुक़हा–ए–किराम (रह0) ने दी है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–10 सफ़्हा–164 व फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–354 व किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–249)

ईद गाह को मस्जिद बनाना?

मस्अलाः– हर शहर से मुतअ़ल्लिक़ आबादी के बाहर (फ़िनाए शहर में) ईद गाह होना ज़रूरी है कि ईद की नमाज़ ईद गाह में अदा करना सुन्नते मुअक्कदा है, इसलिए ईद गाह को क़ाइम और बाक़ी रखते हुए किसी और

जगह मस्जिद बनाई जाए।

अगर ईद गाह आबादी के अन्दर आ गई हो तो पूरी जमाअत मुत्तफ़क़ा तौर पर (ईद गाह को) मस्जिद बनाने की नीयत कर लें तो मस्जिदे शरई बन जाएगी मगर ईद गाह बनाने की ज़िम्मादारी बाक़ी रहेगी, बानी से मुराद वह शख़्स है जिसने मस्जिद के लिए ज़मीन वक़्फ़ की हो, और अगर चंद अशख़ास चंदा कर के ज़मीन ख़रीदें और वक़्फ़ कर के मस्जिद बना लें तो पूरी जमाअत की नीयत का एतेबार होगा। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–83)

मस्जिद का फ़र्श व मिम्बर ईद गाह में ले जाना?

मस्अलाः– मस्जिद का फ़र्श ईदगाह में ले जाना दुरुस्त नहीं है। हाँ एक रिवायत में मिम्बर का ले जाना जाइज़ है। और दूसरी में मकरूह है। इसलिए बेहतर ये है कि मिम्बर भी न ले जाऐं। (इम्दादुल अहकाम जिल्द–1 सफ़्हा–462)

मस्अलाः– जब ईद गाह में सफ़ें इस नीयत से दी जाऐं कि ईदैन के मौक़ा पर ईद गाह में इस्तेमाल हों और बक़िया दिनों में मस्जिद में तो मुज़ाएक़ा नहीं, इसी तरह मस्जिद में देते वक़्त ये कहा जाए कि ईद के मौक़ा पर ईद गाह में इस्तेमाल की जाए तब भी हरज नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–110)

"अगर सफ़ें देते वक़्त कोई क़ैद नहीं लगाई तो जिस जगह के लिए दें वहाँ पर ही इस्तेमाल करें।" (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)

मस्अलाः– ईद गाह में आवाज़ मिला कर ज़ोर से तकबीर कहना दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–217)

"बाज़ जगह ईद गाह में सब लोग मिल कर ज़ोर ज़ोर से तकबीरात पढ़ते हैं, जमाअत होने तक ये सिलसिला जारी रहता है, ये ग़लत है, अगर पढ़नी है तो ख़ुद आहिस्ता पढ़िये।"

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

मस्अलाः– सैलाब की वजह से ईद गाह के मादूम हो जाने का यक़ीन है तो मुसलमानों के लिए गुंजाइश है कि उसका तमाम सामान मुन्तक़िल कर के दूसरी जगह ईद गाह तामीर कर लें। लेकिन ये पहली ईद गाह भी अगर बच गई तो बदस्तूर वक़्फ़ रहेगी, उसमें किसी क़िस्म का तसर्रुफ़ जाइज़ नहीं। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–224 बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–3 सफ़्हा–514)

मस्अलाः– ईदैन की नमाज़ मस्जिद में हो जाती है मगर ईद गाह में पढ़ना सुन्नत है। ईद गाह में बिला उज़्र नमाज़े ईदैन न पढ़ना ख़िलाफ़े सुन्नत है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–226)

एहतेजाजन ईद गाह में नमाज़ न पढ़ना?

सवालः हुकूमत या ग़ैर–मुस्लिमों के नाज़ेबा रवैये की मज़म्मत में एहतेजाजन ईद गाह में नमाज़ न पढ़ने की क्या गुंजाइश है?

जवाबः कोई ख़तरा लाहिक़ हो, या ये अन्देशा हो कि ईद गाह में नमाज़ पढ़ने पर ख़्वातीन, बच्चों बीमारों और ज़ईफ़ों को परेशानी होगी तो ईद गाह छोड़ना दुरुस्त है, महज़ एहतेजाजन ईद गाह छोड़ने की इजाज़त नहीं है, एहतेजाज के लिए दूसरे जाइज़ और मुनासिब तरीक़े इख़्तियार किए

जा सकते हैं। नीज़ इज़हारे नाराज़गी के लिए दूसरी जाइज़ सूरत इख़्तियार की जा सकती है, सियाह पट्टी लगा कर नमाज़ पढ़ने में तशब्बोह लाज़िम आएगा, ये ग़ैरों का शिआर है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–357)

"सियाह पट्टी नमाज़ में तो उतार दें, पहले या बाद में बाँध लें, क्योंकि आज–कल बग़ैर एहतेजाज के कोई असर नहीं होता है।"

(रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

मस्अलाः– जहाँ इजाज़त की ज़रूरत मालूम हो वहाँ इजाज़त के बग़ैर नमाज़ पढ़ना मकरूह होगा और जिस जगह (ज़मीन) के मुतअ़ल्लिक़ ये मालूम हो कि ये नाराज़ न होंगे बल्कि ख़ुश होंगे तो वहाँ इजाज़त के बग़ैर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–357)

ईद गाह की ज़मीन में मदरसा बनाना?

सवालः ईद गाह की ज़मीन दो तीन बीघा पड़ी है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं क्या उस ज़मीन में दीनी मदरसा बना सकते हैं?

जवाबः अगर वह ज़मीन ईद गाह की है और ईद गाह में दाख़िल करने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ दीनी मदरसा बना दें, मगर ज़मीन का किराया ईद गाह के लिए तजवीज़ कर दें। ज़मीन ईद गाह की रहेगी, जिसका किराया मदरसा देता रहेगा और इमारत मदरसा की रहेगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–4 सफ़्हा–54 व अहसनुल फ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–433)

मस्अलाः– वक़्फ़ मस्जिद से हासिल शुदा रुपया से ईद गाह बनाना, और वक़्फ़ ईद गाह से हासिल शुदा

रुपया से मस्जिद बनाना दुरुस्त नहीं। नीज़ ईद गाह और मस्जिद का रुपया क़र्ज़ देना जाइज़ नहीं है, वह अमानत है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–10 सफ़्हा–139)

पुरानी ईद गाह पर मदरसा बनाना?

सवालः नई ईद गाह बनने के बाद पुरानी ईद गाह बिल्कुल वीरान है तो क्या उसको मुफ़्त या क़ीमतन ख़रीद कर मदरसा में दाख़िल करना जाइज़ है?

तहक़ीके मज़कूर के मुताबिक़ मुअत्तल ईद गाह की जगह मदरसा बनाने की सूरत ये हो सकती है कि उस ईद गाह के एवज़ उसकी क़ीमत के बराबर या उससे ज़्यादा क़ीमती ज़मीन किसी क़रीब तर शहर में ईद गाह के लिए वक़्फ़ की जाए। और ये बदलना क़ाज़ी की इजाज़त से हो, अगर क़ाज़ी न हो तो बइत्तिफ़ाक़े जमाअ़ते मुस्लिमीन।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द–6 सफ़्हा–416)

ईद गाह में दोबारा जमाअ़त करना?

मस्अलाः– ईद गाह में दूसरी जमाअ़त करना मकरूह है, जिनकी नमाज़े ईद फ़ौत हुई तो वह उस मस्जिद में जा कर नमाज़ बाजमाअ़त अदा करें जहाँ नमाज़े ईद अदा न की गई हो।

मस्अलाः– नमाज़े ईदुलफ़ित्र व ईदुलअज़्हा के लिए ईद गाह में जाना सुन्नते हदय और सुन्नते मुअक्कदा है, बिला उज़्र न जाने वाला तारिके सुन्नत, क़ाबिले मलामत व लाइक़े इताब है और आदी उसका गुनहगार है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–277 बहवाला तहतावी जिल्द–1 सफ़्हा–260 व कबीरी सफ़्हा–529 व शामी जिल्द–2 सफ़्हा–295)

मस्अला:— शहर से ईद गाह दूर होने की वजह से ज़ईफ़ों और बीमारों को तकलीफ़ होती हो तो उनके लिए मस्जिद में फ़ुक़हा ने इन्तिज़ाम करने की ईदैन की नमाज़ के लिए इजाज़त दी है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द—1 सफ़्हा—276)

ईद गाह में इमाम साहब के लिए चंदा करना?

मस्अला:— ईद के मौक़ा पर इमाम साहब को चंदा कर के दे देना भी दुरुस्त है और इस मक़्सद के लिए ईद गाह में चंदा करना भी दुरुस्त है, मगर ख़ुतबा के वक़्त चंदा न किया जाए, ख़ुतबा सुनना वाजिब है उसमें ख़लल न आए।

मस्जिद में मस्जिद व मदरसा या और दीनी ज़रूरत के लिए चंदा करना दुरुस्त है। किसी की नमाज़ में तशवीश न हो, इसका लिहाज़ ज़रूरी है, नीज़ शोर व शग़ब से परहेज़ लाज़िम है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द—16 सफ़्हा—528 व फ़तावा रहीमिया जिल्द—5 सफ़्हा—88)

मस्अला:— दौराने ख़ुतबा लोग ख़तीब को रुपया देने के लिए अपनी अपनी जगह से उठ उठ कर जाते हैं और ख़तीब के लिए कुछ लोग रुपया लेने के वास्ते खड़े हो जाते हैं। दौराने ख़ुतबा इस क़िस्म के कामों की इजाज़त नहीं, अदब के साथ एक जगह बैठ कर ख़ुतबा सुनना लाज़िम है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द—16 सफ़्हा—531)

ईद गाह के दरख़्त कटवा कर मस्जिद में सर्फ़ करना?

मस्अला:— जो बाग़ ईद गाह के लिए वक़्फ़ है उसके दरख़्त न कटवाए जाऐं, अलबत्ता जो दरख़्त ख़ुश्क हो

गए और उनसे कोई नफ़ा नहीं, उनको कटवा कर ईद गाह के लिए इमारत में सर्फ़ कर दिया जाए, अगर ईद गाह में ज़रूरत न हो, और न आइंदा ज़रूरत की उम्मीद हो तो फिर वहाँ की मस्जिद की तामीर में सर्फ़ की इजाज़त है और जिस क़दर ज़रूरत हो वह चंदा से पूरी कर ली जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–15 सफ़्हा–247)

"वक़्फ़ करने वाले ने जो वक़्फ़ जिस मिक़्दार के लिए किया है उसमें ही सर्फ़ किया जाए।"

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)

ईद गाह में नमाज़ियों का इन्तिज़ार करना

(1) नमाज़े ईद का वक़्त ऐसा होना चाहिए कि नमाज़े फ़ज्र से फ़ारिग़ हो कर बतरीक़े मसनून लोग तैयारी कर के ईद गाह पहुंच जाएं।

(2) ईद के मौक़ा पर कुछ लोगों का पीछे रह जाना मुतवक़्क़े है। लिहाज़ा इमाम और हाज़िरीन को चाहिए कि उजलत न करें, वक़्ते मुक़र्ररा के बाद भी पाँच सात मिनट ठहर कर नमाज़ शुरू की जाए।

हाज़िरीन को ऐसे मौक़ा पर ज़रा ज़ब्त और सब्र से काम लेना चाहिए। इमाम साहब को मश्वरा दे सकते हैं लेकिन नमाज़ शुरू करने पर इसरार नहीं करना चाहिए। और इमाम की भी ज़िम्मादारी है कि हाज़िरीन की तकलीफ़ का ख़्याल करते हुए पीछे रह जाने वालों की रिआयत करे और क़िराअते ख़ुत्बा में इख़्तिसार कर के तलाफ़िये माफ़ात कर ले। साल में दो मौक़े आते हैं कि बेनमाज़ी भी उसमें शिरकत करते हैं। ज़ईफ़, बीमार और माज़ूरीन भी होते हैं, नमाज़ फ़ौत होगी तो बड़ी बरकतों से महरूम

रहेंगे, लिहाज़ा क़द्रे इन्तिज़ार किया जाए। अलबत्ता जो आख़िरी वक़्त में आने के आदी हैं उनको हाज़िरीन की तकलीफ़ का एहसास नहीं है और अपनी नमाज़ की भी फ़िक्र नहीं है, इस तरह अपना इन्तिज़ार कराते हैं। ऐसे ग़ाफ़िल, काहिल और सुस्त लोगों का इन्तिज़ार करना, उनकी आदत को बिगाड़ता है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–74)

ईद गाह से मुतअ़ल्लिक़ मसाइल

मस्अला:– शरीअ़त में ईद गाह के लिए तख़्सीस किसी जानिब की नहीं है, बल्कि मस्नून सिर्फ़ ये है कि शहर से बाहर जा कर नमाज़े ईदैन अदा की जाए, इसमें कुछ हरज नहीं कि ईद गाह बनाई जाए। (ग़रज़ ये कि) ईद गाह के लिए कोई जानिब (दाएँ, बाएँ या किसी और जानिब) शहर की मुक़र्रर नहीं है, जिस तरफ़ सुहूलत हो और मौक़ा हो, उसी तरफ़ ईद गाह बनाई जाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–230 व 233 बहवाला मिश्कात शरीफ़ बाबुलईदैन जिल्द–1 सफ़्हा–125)

मस्अला:– जिस जगह ईदगाह में हराम पैसा लगा हो, उसमें (नमाज़ पढ़ना) मकरूह है, इससे बेहतर है कि मैदान में नमाज़ पढ़े। (अज़ीज़ुल फ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–579)

मस्अला:– ईद गाह की ज़मीन फ़रोख़्त नहीं की जा सकती है, ईद गाह वक़्फ़ होती है और मस्जिद के हुक्म में है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–214 बहवाला रद्दुलमुहतार किताबुलवक़्फ़ जिल्द–1 सफ़्हा–507)

मस्अला:– ईद गाह वक़्फ़ है, उसमें कोई तसर्रुफ़ तामीरे मकान वग़ैरा दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर नमाज़ियों के

आराम के लए धूप और बारिश से बचने के लिए कोई हिस्सा मुसक्कफ़ (पाट) कर दिया जाए, मस्जिद की तरह, तो उसमें कोई हरज नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–214)

मस्अलाः– एक शहर में दो ईद गाह होने में और दो जगह नमाज़े ईदैन होने में कुछ हरज नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–208 बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–783)

मस्अलाः– ईदैन मुख़्तलिफ़ मस्जिदों में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मस्अला ये है कि जिस बस्ती में एक जगह जुमा व ईदैन जाइज़ हैं वहाँ चंद जगह भी जाइज़ है। अलबत्ता बेहतर ये है कि एक जगह जुमा पढ़ें और ईद की नमाज़ बाहर सेहरा (जंगल) में पढ़ना मसनून है।

(फ़तावा दारुलउलूम सफ़्हा–228)

"मतलब ये है कि चंद जगह भी जाइज़ है, अगर ज़रूरत हो कि जगह की तंगी या दूरी की वजह से या फ़सादात वग़ैरा की वजह से।"

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)

मस्अलाः– अगर ईद गाह में इमाम बिदअती है, तो दूसरी जगह सेहरा में इस सुन्नत को अदा करें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–229 बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–1114)

मस्अलाः– मुश्तरका ज़मीन पर बग़ैर मालिकों की रज़ामंदी के ईद गाह बनाना जाइज़ नहीं और क़रिया सग़ीरा (जहाँ पर नमाज़े जुमा जाइज़ न हो) में ईद की नमाज़ पढ़ना और वहाँ पर ईद गाह बनाना नाजाइज़ है

और न ईद गाह बनाने की क़रिया सग़ीरा में ज़रूरत है।

(अज़ीज़ुल फ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–579)

मस्अलाः– जो नशा की हालत में ईद गाह में आए और लोगों को बदबू की वजह से तकलीफ़ हो, अगर लोग उसको निकाल दें तो ये निकालना शरअ़न जाइज़ है। (अज़ीज़ुल फ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–308)

मस्अलाः– ईद गाह में नमाज़े जनाज़ा पढ़नी जाइज़ है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–375)

मस्अलाः– वह जगह जो नमाज़े जनाज़ा और ईद के लिए बनाई गई है वह सिर्फ़ इक़्तिदा के जाइज़ होने के अन्दर मस्जिद के हुक्म में है अगरचे उसकी सफ़ों में दूरी वाक़ेअ़ हो, ये लोगों की आसानी के लिए किया गया, इक़्तिदा के सिवा और किसी हुक्म में मस्जिद नहीं है, इसी पर फ़तवा भी है (गो ये जगह मस्जिद नहीं है मगर चूंकि एक ख़ास काम के लिए है और वह नमाज़ ही है, इसलिए उसे पाक व साफ़ रखना ज़रूरी है) मगर इस ईद गाह और नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाली जगह में नापाक और हाएज़ा का दाख़िल होना जाइज़ होगा।

(दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–600)

"बाज़ उमूर मसलन वक़्फ़ वग़ैरा में मस्जिद के हुक्म में है।" (मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी)

मस्अलाः– अगर ईद गाह में जा कर इस तौर पर तकबीर कहना कि अव्वल एक शख़्स तकबीर कहे, उसके बाद और लोग आवाज़ मिला कर मुत्तफ़क़ा तौर पर तकबीर कहें, इसी तरह नमाज़ तक ये सिलसिला जारी रखें ये जाइज़ नहीं है और इसमें कराहत है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–217)

"और मिश्कात शरीफ़ सफ़्हा–127 जिल्द अव्वल पर हदीस से भी इस मस्अला की ताईद होती है कि ईदैन के दिन ईद गाह में कोई आवाज़ और तकबीर वग़ैरा लोगों को बुलाने की ग़रज़ से न कही जाए।"

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

मस्अला:– ग़ैर क़स्साबान की नमाज़े ईदैन उस ईद गाह में दुरुस्त है जो क़स्साबान ने बनाई हो।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–208)

मस्अला:– औरतों को ईद गाह जाना इस ज़माना में बल्कि बहुत पहले औरतों का जमाअत में शिकरत के लिए मस्जिद व ईद गाह में जाना मम्नूअ़ व मकरूह है। सहाब–ए–किराम (रज़ि0) के ज़माना में ही ये मम्नूअ़ हो चुका था। (दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–83)

(तफ़सीली हुक्म मुलाहज़ा हो "मुकम्मल्ल व मुदल्लल मसाइले नमाज़े जुमा" सफ़्हा–130 ता 127)

मस्अला:– (1) जब कि एक ईद गाह काफ़ी हो तो बिला ज़रूरते शरई दूसरी ईद गाह बनाना शरीअ़त की मन्शा के ख़िलाफ़ है।

(2) जब बस्ती इतनी छोटी हो कि वहाँ जुमा क़ाइम करने की शराइत नहीं पाई जातीं तो वहाँ ईद की नमाज़ भी अदा करना सही नहीं। जब उन पर ईदैन की नमाज़ नहीं है तो ईद गाह बनाना भी ज़रूरी नहीं है, लिहाज़ा ये तारिके सुन्नत न होंगे, अलबत्ता अगर क़स्बा में (जहाँ पर नमाज़े जुमा जाइज़ है) ईद गाह न हो तो उन पर ईद

गाह बनाना ज़रूरी है, न बनाऐंगे तो तारिके सुन्नत होंगे।

(3) अगर कोई ख़तरा लाहिक़ हो या अन्देशा हो कि ईद गाह में नमाज़ पढ़ने पर ख़्वातीन और बच्चों को, बीमारों और ज़ईफ़ों को परेशानी होगी तो ईदगाह छोड़ना दुरुस्त है, महज़ एहतेजाजन ईद गाह छोड़ने की इजाज़त नहीं है, एहतेजाज के लिए दूसरे जाइज़ और मुनासिब तरीक़े इख़्तियार किए जा सकते हैं।

(4) शहर वसीअ हो और दूर दूर तक मुसलमान आबाद हों और ईद गाह तक पहुंचना दुश्वार हो तो ज़रूरत और दफ़्ए हरज के पेशे नज़र एक से ज़ाएद ईद गाह बनाना दुरुस्त है।

(5) उज़्र की वजह से अस्ल ईद गाह को छोड़ कर दूसरी जगह ईद की नमाज़ अदा करने में वाक़ई मजबूरी हो तो इन्शाअल्लाह सुन्नत का सवाब मिलेगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–6 सफ़्हा–358)

मस्अला:– देहातों में (जहाँ पर नमाज़े जुमा जाइज़ न हो) ईद की नमाज़ मकरूहे तहरीमी है, क्योंकि ईदैन की नमाज़ पढ़ना ऐसी नमाज़ों में मशगूल होना है जो देहात में दुरुस्त नहीं है, इसकी वजह ये है कि ईदैन की नमाज़ के लिए शहर होना शर्त है, देहात (छोटे गाँव, क़रिया) में दुरुस्त नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–785)

मस्अला:– जो ईदगाह आबादी के बढ़ जाने से आबादी के अन्दर आ गई, वह सेहरा के हुक्म में नहीं रही।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–195 बहवाला गुनयतुलमुस्तमली बाबुलईदैन)

मस्अला:– ईद गाह बहुत से उमूर में मस्जिद के हुक्म

में है, इसलिए ईद गाह में खेल तमाशा और कुश्ती वग़ैरा का करना और हारमूनियम बाजा बजाना, ये जुमला उमूर हराम और नाजाइज़ हैं। मुतवल्लिये ईद गाह हरगिज़ इन उमूर की इजाज़त किसी को नहीं दे सकता। और बग़ैर इजाज़त या बा–इजाज़त मुतवल्ली भी किसी को इरतिकाब इन उमूर का करना ईद गाह में दुरुस्त नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–215 बहवाला शामी अहकामुलमस्जिद जिल्द–1 सफ़्हा–615)

मस्अला:– क़ब्रस्तान में जो ईद गाह बनी हो, उसमें नमाज़ जाइज़ है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–5 सफ़्हा–224 बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–253)

मस्अला:– हनफ़ीया के नज़दीक अगर नमाज़ पढ़ने वाले के सामने क़ब्र हो तो नमाज़ मकरूह हो जाती है। (क़ब्र के सामने होने का) ये मतलब है कि ख़ुशूअ़ के साथ (नज़रें झुकाए हुए) नमाज़ पढ़ने की हालत में नज़र क़ब्र पर पड़ती हो। अगर क़ब्र पीछे की जानिब या ऊपर हो, या जहाँ नमाज़ पढ़ी जा रही है, उसके नीचे हो तो इस बारे में तहक़ीक़ ये है कि कराहत नहीं है

वाज़ेह रहे कि कराहत उस सूरत में है जब कि क़ब्रस्तान में नमाज़ के लिए कोई मख़्सूस जगह ऐसी न मुहय्या हो जो नजास्त और गन्दगी से पाक हो। अगर ऐसा हो तो नमाज़ मकरूह नहीं है, लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मक़बरे इससे मुस्तस्ना हैं, क्योंकि वहाँ पर क़ब्र सामने हो तो तब भी नमाज़ मकरूह नहीं है।

(किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–441)

मस्अला:– ईद गाह में फ़ासिला अगर दो सफ़ों के

बराबर या उससे ज़्यादा है इक़्तिद जाइज़ होगी।

(आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–62)

मस्अलाः– ईद की नमाज़ के बाद उसी ईद गाह में ज़वाल के बाद नमाज़े जुमा अदा करना दुरुस्त है और नमाज़ हो जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि हसबे मामूल नमाज़े जुमा जामा मस्जिद में अदा की जाए, क्योंकि ईद गाह में जा कर ईदैन की नमाज़ पढ़ना और उसका मुस्तहब होना ख़ास ईदैन के लिए है।

(अज़ीज़ुलफ़तावा जिल्द–3 सफ़्हा–45)

मसाइलः– जामा मस्जिद का फ़र्श, चटाई वग़ैरा ईद गाह में बिछाना दुरुस्त नहीं है।

(अज़ीज़ुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–592)

मस्अलाः– जो जगह नमाज़े ईदैन के लिए वक़्फ़ है जो कि ईद गाह के नाम से मौसूम है उसमें तसर्रुफ़ात करना, तामीरे मदरसा व कुतुब ख़ाना वग़ैरा और खेल कूद वरज़िश वग़ैरा और मजलिसे ख़ुर्द–व–नोश उसको क़रार देना जाइज़ नहीं है।

(अज़ीज़ुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–791)

मस्अलाः– बिला ज़रूरत महज़ ज़ाती रंजिशों की बिना पर दूसरी ईद गाह बनाना फ़ुज़ूल ख़र्ची और तफ़्रिक़ा की बुनियाद डालना है। (अज़ीज़ुलफ़तावा जिल्द–2 सफ़्हा–408)

मस्अलाः– शहर, क़स्बा और वह बड़ा गाँव जो मिस्ले क़स्बा हो, और वहाँ नमाज़े जुमा व ईदैन वग़ैरा पढ़ने की उलमा ने इजाज़त दी हो वहाँ आबादी से बाहर जंगल में ईदगाह बनाना ज़रूरी है। लिहाज़ा जिस तरह हो जल्द से जल्द ईद गाह बना लें और जब तक ईद गाह बने

उस वक़्त तक के लिए आबादी से बाहर कोई जगह तजवीज़ कर लें। तमाम मुसलमान उसी में नमाज़ पढ़ें और अज्रे अज़ीम के हक़दार बनें।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–76)

رَبِّ اَوْزِعْنِیْ اَنْ اَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاہُ وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْکَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ وَ تَقَبَّلْ مِنِّی ھٰذَا الْعَمَلَ وَجَنِّبْنِیْ فِیْہِ عَنِ الْخَطَاءِ وَالنِّسْیَانِ وَاجْعَلْہُ ذَرِیْعَۃً لِلْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ فِی الدُّنْیَا وَ وَسِیْلَۃً لِلنَّجَاۃِ فِی الْاٰخِرَۃِ.

मुहम्मद रफ़अत क़ासमी

(मुदर्रिसे दारुलउलूम देवबंद)

5 शव्वाल 1421 हिजरी, यकुम जनवरी 2001 ई०

मआख़िज़ व मराजेऐ किताब

नाम किताबा	मुसन्निफ व मुअल्लिफ़	मतबअ़
मआरिफ़ुल क़ुरआन	मुफ़्ती मु0 शफ़ीअ साहब (रह0) मुफ़्तिये आज़म पाकिस्तान	रब्बानी बुक डिपो देवबंद
मआरिफ़ुल हदीस	मौलाना मुहम्मद मन्ज़ूर नोमानी साहब मद्दज़िल्लहुम	अलफ़ुरक़ान बुक डिपो 31, नया गाँव लखनऊ
फ़तावा दारुलउलूम	मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब (रह0) साबिक़ मुफ़्तिये आज़म देवबंद	मकतबा दारुलउलूम देवबंद
फ़तावा रहीमिया	मौ0 सैयद अब्दुर्रहीम सा0 मद्दज़िल्लहुम	मकतबा मुन्शी स्टेट रादिर, सूरत
फ़तावा महमूदिया	मुफ़्ती महमूद साहब मुफ़्तिये आज़म देवबंद	मकतबा महमूदिया जामा मस्जिद शहर मेरठ
फ़तावा आलमगीरी	उलमाए वक़्त अहदे औरंज़ेब (रह0)	शम्स पब्लिशर्ज़ देवबंद
किफ़ायतुल मुफ़्ती	मौलाना मुफ़्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी (रह0)	कुतुब ख़ाना एज़ाज़िया देवबंद
इल्मुलफ़िक्ह	मौलाना अब्दुश्शकूर साहब (रह0) लखनऊ	कुतुब ख़ाना एज़ाज़िया देवबंद
अज़ीज़ुलफ़तावा	मौलाना मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब (रह0)	कुतुब ख़ाना एज़ाज़िया देवबंद
इम्दादुलमुफ़्तीयीन	मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ साहब (रह0) मुफ़्तिये आज़म पाकिस्तान	कुतुब ख़ाना एज़ाज़िया देवबंद
इम्दादुलफ़तावा	मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह0)	इदारा तालीफ़ाते औलिया देवबंद
फ़तावा रशीदिया कामिल	मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही (रह0)	कुतुब ख़ाना रहीमिया देवबंद
किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ	अल्लामा अब्दुर्रहमान अलजज़री (रह0)	औक़ाफ़े पंजाब लाहौर पाकिस्तान
जवाहिरुलफ़िक्ह	मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ साहब (रह0) मुफ़्तिये आज़म पाकिस्तान	आरिफ़ कम्पनी देवबंद
दुर्रेमुख़्तार	अल्लामा इब्ने आबिदीन (रह0)	पाकिस्तान
बहिश्ती ज़ेवर	मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह0)	मकतबा थानवी देवबंद
मआरिफ़े मदीना	इफ़ादात मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी (रह0)	मदरसा इम्दादुलइस्लाम सदर बाज़ार मेरठ

अत्तरग़ीब व अत्तरहीब	मौलाना ज़कीयुद्दीन अब्दुलअज़ीम मुंज़िरी	नदवतुलमुसन्निफ़ीन देहली
अहसनुलफ़तावा	फ़क़ीहुलअस्र मुफ़्ती रशीद अहमद साहब	सईद कम्पनी कराची (पाकिस्तान)
निज़ामुलफ़तावा	हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब सदर मुफ़्ती दारुलउलूम देवबंद	इस्लामी फ़िक़्ह एकेडमी दिल्ली
फ़तावा महमूदिया	मौलाना सैयद असग़र हुसैन मियाँ साहब (रह0)	कुतुब ख़ाना एज़ाज़िया देवबंद
अल-जवाबुलमतीन	मौलाना सैयद असग़र हुसैन मियाँ साहब (रह0)	कुतुब ख़ाना एज़ाज़िया देवबंद
रुकनुद्दीन	मौलाना रुकनुद्दीन (रह0)	इशाअ़तुलइस्लाम दिल्ली
असरारे शरीअ़त	मौलाना मु0 फ़ज़ल साहब (रह0)	पंजाब, पाकिस्तान
कीमियाए सआ़दत	हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रह0)	इदारा रशीदिया देवबंद
ग़ुनयतुत्तालिबीन	शैख़ अब्दुलक़ादिर जीलानी (रह0)	मुस्लिम एकेडमी सहारनपूर
अशरफ़ुलजवाब	हकीमुलउम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह0)	अशरफ़ुलमवाइज़ देवबंद
अलमसाले हुल अक़्लीया	हकीमुलउम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह0)	अशरफ़ुलमवाइज़ देवबंद
अग़लातुल अवाम	हकीमुलउम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह0)	कुतुब ख़ाना एज़ाज़िया देवबंद
फ़ज़ाइले नमाज़	हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करीया साहब शैख़ुलहदीस सहारनपूर	दारुलइशाअ़त दिल्ली
नमाज़े मस्नून	मौलाना सूफ़ी अब्दुलहमीद साहब	ऐतेक़ाद पब्लिशिंग हाउस दिल्ली
मज़ाहिरे हक़ जदीद	नवाब क़ुतुबुद्दीन ख़ाँ (अलैहि0)	
आपके मसाइल और उनका हल	हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब कांधलवी	कुतुब ख़ाना देवबंद
इम्दादुलअहकाम	मुरत्तबा मौ0 ज़फ़र अहमद साहब उस्मानी (रह0) व मौलाना अब्दुलकरीम साहब	कराची
हुज्जतुल्लाहिलबालिग़ा	शैख़ुलइस्लाम शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रह0)	दारुलकिताब देवबंद

❑❖❑